महानगर नई दिल्ली मंगलवार 23 जुलाई, 2024, रु. 6.00 (20 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

88 Years of Excellence

30.06.2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित (समीक्षित) वित्तीय परिणाम

बिजनेस मिक्स ₹ 5,28,773 Cr.

सकल अग्रिम ₹ 2,30,092 Cr.

परिचालन लाभ ₹1,676 Cr.

निवल लाभ ₹633 Cr.

सकल एनपीए ₹6,649 Cr. (2.89 %)

निवल एनपीए ₹1,154 Cr. (0.51 %)

पीसीआर 96.96%

सीआरएआर 17.82%

(रूपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	स्टैंडअलोन			समेकित		
		30.06.2024 को समाप्त तिमाही हेतु (अ-लेखापरीक्षित)	30.06.2023 को समाप्त तिमाही हेतु (अ-लेखापरीक्षित)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु (लेखापरीक्षित)	30.06.2024 को समाप्त तिमाही हेतु (अ-लेखापरीक्षित)	30.06.2023 को समाप्त तिमाही हेतु (अ-लेखापरीक्षित)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय	7,56,800	6,22,734	29,70,599	7,58,747	6,23,415	29,73,097
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर , अपवाद और/या असाधारण मद से पहले)	73,799	50,736	3,41,253	75,384	51,109	3,42,274
3	कर से पहले की अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और/या असाधारण मदों के बाद)	73,799	50,736	3,41,253	75,384	51,109	3,42,274
4	कर के बाद की अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और/या असाधारण मदों के बाद)	63,281	50,035	2,65,561	64,866	50,403	2,66,566
5	अवधि के लिए कुल समेकित आय (कर के बाद) अवधि के लिए समाविष्ट लाभ/(हानि) और अन्य समेकित आय (कर के बाद)	लागू नहीं					
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी	18,90,241	18,90,241	18,90,241	18,90,241	18,90,241	18,90,241
7	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़ कर)			6,31,725			5,93,064
8	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	8,55,790	8,55,790	8,55,790	8,55,790	8,55,790	8,55,790
9	मालियत	17,82,403	15,13,295	18,06,918	लागू नहीं		
10	प्रदत्त ऋण पूंजी/ बकाया ऋण (%)	लागू नहीं					
11	बकाया प्रतिदेय वरीयता शेयर						
12	ऋण इक्विटी अनुपात	1.96	1.32	1.46			
13	प्रति शेयर लाभ (प्रत्येक रू. 10/- पर) (सतत एवं असतत परिचालन हेतु)						
	1. मूल :	0.33	0.26	1.40	लागू नहीं		
	2. घटाया गया	0.33	0.26	1.40			
14	पूंजी मोचन आरक्षितियाँ	लागू नहीं					
15	डिबेंचर मोचन आरक्षितियाँ	लागू नहीं					
16	कर्ज-चुकौती कवरेज अनुपात	लागू नहीं					
17	ब्याज सर्विस कवरेज अनुपात	लागू नहीं					

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त जानकारी सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियमन 33 एवं 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के पास तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणाम का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों (बीएसई: www.bseindia.com एवं एनएसई: www.nseindia.com) एवं बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर उपलब्ध है।
2. कुल समग्र आय और अन्य समग्र आय के संबंध में सूचनाएँ नहीं प्रस्तुत की गई हैं क्योंकि इंड - एएस बैंक पर अब तक लागू नहीं किया गया है।
3. सूचीबद्ध विनियमों के विनियमन 52(4) में संदर्भित अन्य मदों के लिए, स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) को संबंधित प्रासंगिक प्रकटीकरण किए गए हैं, जिन्हें दिए गए यूआरएल पर देखा जा सकता है। (बीएसई: www.bseindia.com और एनएसई: www.nseindia.com)

दिनांक: 22.07.2024
स्थान : चेन्नै

धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

जयदीप बत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

अजय कुमार श्रीवास्तव
एमडी व सीईओ

श्रीनिवासन श्रीधर
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष

आइओबी के साथ बैंकिंग अनुभव बढ़ाएं

आपकी सभी बैंकिंग जरूरतों के लिए ऑल-इन-वन समाधान

digital.iob.in

डिजिटल बचत खाता

डिजिटल पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र

ऑनलाइन लॉकर आवंटन

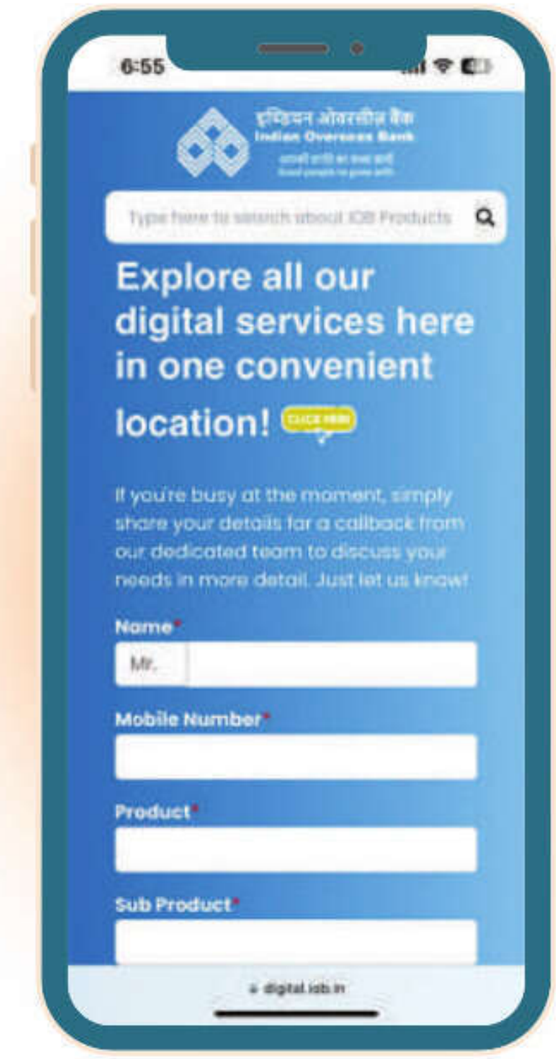

डिजिटल रीटेल ऋण

डिजिटल कृषि ऋण

क्रेडिट कार्ड

डिजिटल पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई

ई-खाता विवरण

ब्याज प्रमाण-पत्र

बिना दावे वाली जमाओं को खोजें

डिजिटल एसएचजी ऋण

डिजिटल केसीसी ऋण

साइबर धोखाधड़ी रिपोर्ट करने के 1930 डायल करें

हमें फॉलो करें @IOBIndia

1800 890 4445
1800 425 4445

www.iob.in
digital.iob.in

आइओबी मिस्ड कॉल सेवा

सिर्फ एक मिस्ड कॉल +91 9210622122

पद और पाएं अपने खाते के बैलेंस की जानकारी एसएमएस के माध्यम से

www.readwhere.com

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Undertaking)
पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 24, व्हाइट्स रोड, चेन्नई - 600 014

ई-निविदा सूचना

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1 वर्ष की अवधि के लिए रेडहैट स्टाइम्स सदस्यता की अधिप्राप्ति के लिए निविदा आमंत्रित करती है। विवरण के लिए हमारी वेबसाइट https://uiic.co.in/tender & https://gem.gov.in देखें।

आई आर डी ए आई पंजी सं. 545
सीआईएन : U93090TN1938GOI000108 : www.uiic.co.in

पंजाब नैशनल बैंक
......भरोसे का प्रतीक

अंचल शस्त्र केन्द्र, प्रथम तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066
ई–मेल : zs8343@pnb.co.in

शुद्धिपत्र

दिनांक 13.08.2024 को मेसर्स राधे श्याम टंडन प्राइवेट लिमिटेड खाते के संबंध में होने वाली ई–नीलामी हेतु फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) दिल्ली संस्करण दिनांक 30.06.2024, जनसत्ता (हिंदी) संस्करण दिनांक 30.06.2024 में प्रकाशित बिक्री नोटिस दिनांक 29.06.2024 के संदर्भ में एनपीए खाते मेसर्स राधे श्याम टंडन प्राइवेट लिमिटेड में संपत्ति की ई–नीलामी हेतु यह बिक्री नोटिस कुछ तकनीकी कारणों से वापस ले लिया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अंचल कार्यालय मेरठ बेगम ब्रिज रोड, निकट जीआईसी, मेरठ, 250001

शुद्धिपत्र

सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत सम्पत्तियों की बिक्री के लिये जनसत्ता तथा टाइम्स ऑफ इंडिया में 10.7.2024 को हमारे प्रकाशन के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि ई–नीलामी प्लेटफार्म आईबीएपीआई एमएसटीसी e-Bikray पोर्टल (ibapi.in) से बदलकर पीएसबी एलाएंस प्रा.लि. (https://ebikray.in) कर दी गई है। सम्पत्तियों के विवरण, पंजीकरण तथा बोलीदाता के रूप में लॉगिन करने तथा उपरोक्त रूप में पूर्व में जारी की गई नीलामी सूचना के संदर्भ में नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने तथा उक्त कारणों से बिक्री के नियमों एवं शर्तों में परिवर्तन के लिये कृपया https://ebikray.in देखें। बिक्री के अन्य नियम एवं शर्तें पूर्ववत रहेंगे। पुनः उक्त प्रकाशन में वर्णित सम्पत्ति सं. 3 एवं 4 की नीलामी वापस ली जाती है तथा 26.07.2024 को नीलामी के लिये उपलब्ध नहीं होगा। उचित प्रक्रिया का अनुसरण कर इन सम्पत्तियों की नीलामी बाद की तिथि में की जाएगी।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

कब्जा सूचना
(अचल/चल सम्पत्ति के लिए) (नियम–8(1))

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है। विशेषत: ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार/गारन्टर/बंधककर्ता का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है

क्र. सं.	(ए) शाखा का नाम/(बी) खाता का नाम/(सी) ऋणी का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(ए) मांग नोटिस की तिथि (बी) सांकेतिक कब्जे की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया रकम
1.	**शाखा: मंगल पांडेय नगर, मेरठ** मैसर्स रजत एसोसिएट्स, पता 1: मकान नं0 1/140, अम्हेरा रोड, रक्षापुरम कॉलोनी, मवाना रोड, मेरठ। पता 2: एफ-176, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ- 250001, किरण सिंह पत्नी समर बहादुर **(प्रोपराइटर)**, पता मकान नं0 1/140, अम्हेरा रोड, रक्षापुरम कॉलोनी, मवाना रोड, मेरठ। सिया सिंह पुत्री समर बहादुर सिंह **(गारन्टर)**, पता मकान नं0 1/140, अम्हेरा रोड, रक्षापुरम कॉलोनी, मवाना रोड, मेरठ। समर बहादुर सिंह पुत्र अक्षय वीर सिंह **(गारन्टर एवं बंधककर्ता)**, पता मकान नं0 1/140, अम्हेरा रोड, रक्षापुरम कॉलोनी, मवाना रोड, मेरठ। रजत सिंह पुत्र समर बहादुर सिंह **(गारन्टर)**, पता: पता मकान नं0 1/140, अम्हेरा रोड, रक्षापुरम कॉलोनी, मवाना रोड, मेरठ।	बंधक आवासीय प्लॉट नं0 1/140 अब निर्मित मकान के सभी भाग व भूखंड, रक्षमपुरम आवासीय स्कीम, मवाना रोड, मेरठ, सम्पत्ति स्वामी श्री समर बहादुर सिंह पुत्र अक्षय वीर सिंह एवं श्रीमती किरण सिंह पत्नी श्री समर बहादुर सिंह, माप क्षेत्रफल 391.33 वर्ग गज अर्थात् 327.20 वर्ग मीटर। सीमाएँ:- पूर्व: 10 मीटर फिर 12 मीटर चौड़ा रास्ता, पश्चिम: 10 मीटर/ फिर प्लॉट नं0 1/129, उत्तर: 32.56 मीटर फिर प्लॉट नं0 1/141, दक्षिण: 32.68 मीटर फिर प्लॉट नं0 1/139	(ए) 04.05.2024 (बी) 20.07.2024	रु0 **1,95,61,558.49** दिनांक 04.05.2024 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.05.2024 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे पूर्ण भुगतान होने तक। बकाया राशि दिनांक 19.07.2024, **रु0 2,00,30,248.34** ब्याज दिनांक 01.07.2024 + कानूनी एवं अन्य खर्चे पूर्ण भुगतान होने तक

दिनांक– 22.07.2024 स्थान: मेरठ प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

कब्जा सूचना
(अचल/चल सम्पत्ति के लिए) (नियम–8(1))

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है। विशेषत: ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार/गारन्टर/बंधककर्ता का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है

क्र. सं.	(ए) शाखा का नाम/(बी) खाता का नाम/(सी) ऋणी का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(ए) मांग नोटिस की तिथि (बी) भौतिक कब्जे की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया रकम
1.	**शाखा: मलियाना** 1. मैसर्स एम डी इंटरनेशनल (प्रो0 श्री शकील अहमद पुत्र श्री शब्बीर अहमद), पता 1: बी-9, स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्प्लेक्स (मैजर ध्यानचंद नगर) पॉकट -बी, दिल्ली रोड, मेरठ सिटी। पता 2: 107, महरौली परतापुर दिल्ली रोड, मेरठ। पता 3: ई-13, उद्योगपुरम, दिल्ली रोड परतापुर, मेरठ। श्री शकील अहमद पुत्र श्री शब्बीर अहमद, पता 1: बी-9, स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्प्लेक्स (मैजर ध्यानचंद नगर) पॉकट -बी, दिल्ली रोड, मेरठ सिटी। पता 2: 107, महरौली परतापुर दिल्ली रोड, मेरठ। पता 3: ई-13, उद्योगपुरम, दिल्ली रोड परतापुर, मेरठ। श्री शब्बीर अहमद पुत्र श्री बशीर खान **(गारन्टर एवं बंधककर्ता)**, पता 1: बी-9, स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्प्लेक्स (मैजर ध्यानचंद नगर) पॉकट -बी, दिल्ली रोड, मेरठ सिटी। पता 2: 107, महरौली परतापुर दिल्ली रोड, मेरठ। पता 3: ई-13, उद्योगपुरम, दिल्ली रोड परतापुर, मेरठ। श्री फिरोज अहमद पुत्र शब्बीर अहमद **(गारन्टर)**, 107, महरौली परतापुर दिल्ली रोड, मेरठ।	**प्राथमिक सम्पत्ति:** दृष्टिबंधक स्टॉक, बही ऋण एवं अन्य वर्तमान सम्पत्ति। **संपार्श्विक सम्पत्ति:** बंधक लघु औद्योगिक सह-आवासीय सम्पत्ति, स्थित प्लॉट नं0 बी-9, एसजी-3, स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्प्लेक्स (मैजर ध्यान चंद नगर), मेरठ, माप क्षेत्रफल 99.00 वर्ग मीटर सम्पत्ति स्वामी श्री शब्बीर अहमद पुत्र श्री बशीर अहमद। (उपरोक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख सब-रजिस्ट्रार ऑफिस मेरठ-3, बही नं0 1, जिल्द नं0 7296, पेज नं0 169 से 192, क्र0सं0 15088, दिनांक 26.11.2011 पर पंजीकृत है।) सीमाएँ:- पूर्व: 12 मीटर तत्पश्चात् प्लॉट नं0 बी-10, पश्चिम: 12 मीटर तत्पश्चात् प्लॉट नं0 बी-8, उत्तर: 8.25 मीटर तत्पश्चात् 6 मीटर चौड़ा रास्ता, दक्षिण: 8.25 मीटर तत्पश्चात् प्लॉट नं0 बी-12	(ए) 11.04.2023 (बी) 20.07.2024 **भौतिक कब्जा**	रु0 **72,42,036.47** दिनांक 11.04.2023 + प्रभावी ब्याज दिनांक 01.04.2023 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे।

दिनांक– 22.07.2024 स्थान: मेरठ प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking / सिंडिकेट Syndicate

शाखाः फ्री गंज रोड़, हापुड़।
ई–मेलः cb2171@canarabank.com

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया वित्तीय संपत्ति और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन।

हम केनरा बैंक, अपनी शाखा/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) के तहत निम्नांकित तिथि को मांग सूचना जारी किए हैं। विषय यह है कि आपके द्वारा मूलधन, ब्याज आदि की किस्त के भुगतान में चूक हुई है। बकाया नीचे दिया गया है। आगे निम्नांकित उधारकर्ता/ मालिक/ गारंटीकर्ता को जारी की गई मांग सूचना डिलीवर कर दी गयी है। आपको एतद् द्वारा इस मांग सूचना के प्रकाशित होने से 60 दिन की अवधि के भीतर अतः ब्याज सहित उपर्युक्त राशि केनरा बैंक को भुगतान करने के लिए आदेशित किया जाता है। ऐसा न करने पर केनरा बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता/ मालिक / बंधककर्ता/ गारंटीकर्ता की प्रतिभूत आस्तियों को कब्जा करने सहित सभी या किसी एक या अधिक प्रतिभूत आस्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगे आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत निम्नांकित किसी भी प्रतिभूति आस्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा माध्यम से हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

ऋणीः कमल सिंह पुत्र रोहताश सिंह, ग्रीन वैली स्वर्ग, आश्रम रोड़ फौजी कॉलोनी, हापुड़, उत्तर–प्रदेश 245101.

संपत्ति का विवरण

कुल देय राशि 10,38,708.63 (रू. दस लाख अड़तिस हजार सात सौ आठ पैसा तिरेसठ मात्र), **CERSAI ID: 400065127378**, एनपीए दिनांक 10.07.2024.

अचल संपत्ति, प्लॉट नं. ए–20 पर निर्मित एक मंजिला आवासीय मकान, खसरा नं. 472 एमआई और 474 एमआई का भाग, जिसका क्षेत्रफल 119.47 वर्ग यार्डस यानि 99.92 वर्ग मीटर, गांव दोयामी (नगर पालिका की सीमा के बाहर), हापुड़, मालिक कमल सिंह पुत्र रोहताश सिंह, चौहददीः उत्तरः प्लॉट नं. ए–21, भुजा 46 फिट 9 इंच, दक्षिणः प्लॉट नं. ए–19, भुजा 46 फिट 9 इंच, पूर्वः रास्ता 20 फिट चौड़ा, भुजा 23 फिट, पश्चिमः अन्य की भूमि, भुजा 23 फिट।

नोटिस दिनांकः 15.07.2024 प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking / सिंडिकेट Syndicate

शाखाः नवयुग मार्केट, मालीवाड़ा, गाजियाबाद।
ई–मेलः cb1149@canarabank.com

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया वित्तीय संपत्ति और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन।

हम केनरा बैंक, अपनी शाखा/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) के तहत निम्नांकित तिथि को मांग सूचना जारी किए हैं। विषय यह है कि आपके द्वारा मूलधन, ब्याज आदि की किस्त के भुगतान में चूक हुई है। बकाया नीचे दिया गया है। आगे निम्नांकित उधारकर्ता/ मालिक/ गारंटीकर्ता को जारी की गई मांग सूचना डिलीवर कर दी गयी है। आपको एतद् द्वारा इस मांग सूचना के प्रकाशित होने से 60 दिन की अवधि के भीतर अतः ब्याज सहित उपर्युक्त राशि केनरा बैंक को भुगतान करने के लिए आदेशित किया जाता है। ऐसा न करने पर केनरा बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता/ मालिक / बंधककर्ता/ गारंटीकर्ता की प्रतिभूत आस्तियों को कब्जा करने सहित सभी या किसी एक या अधिक प्रतिभूत आस्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगे आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत निम्नांकित किसी भी प्रतिभूति आस्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा माध्यम से हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

ऋणीः 1. श्रीमती मोनिका त्यागी पत्नी अभिनव त्यागी, फ्लैट नंबर 307, ग्रीन व्यू हाइट्स, बी–ब्लॉक, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, यूपी 201017 एवं फ्लैट नंबर बी–819, 8वीं मंजिल, बांके बिहारी शरणम, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, यूपी 201017, सह–ऋणीः 2. श्री अभिनव त्यागी, फ्लैट नंबर बी 819, 8वीं मंजिल, बांके बिहारी शरणम, राजनगर, एक्सटेंशन, गाजियाबाद, यूपी 201017.

संपत्ति का विवरण

कुल देय राशि 13,82,164 (रू. तेरह लाख बियासी हजार एक सौ चौंसठ मात्र) दिनांक 14.05.2024 तक, एनपीए दिनांक 14.05.2024.

बंधक वाहन का विवरणः रजिस्ट्रेशन नं. यूपी 14 एफजे 4219, पंजीकृत दिनांकः 02.12.2022, फ्यूलः डीजल, इंजन नं. YSN4K69159, चैसिस नं. MA1TA2YS2N2L20635, रंगः नेपोली ब्लैक, निर्माता नामः महिन्द्रा एण्ड मोहिन्द्रा लि. मॉडल नामः स्कॉरपियो क्लासिक S11 MT 7S वाहन विवरणः मोटर कार (एलएमवी)।

नोटिस दिनांकः 15.05.2024 प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

पंजाब नैशनल बैंक | punjab national bank
pnb
.......भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

सर्किल सस्त्र : गाजियाबाद,
केजे–13, कवि नगर, गाजियाबाद 201001,
दूरभाष नं. : 8295961765, 8283810870
ई–मेल आईडी : cs8228@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं बन्धककर्ता/जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर "जहाँ है वहाँ है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बद्ध सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री की अनुसूची

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/जमानतियों के खाते का नाम तथा पता	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम (सम्पत्ति के बंधककर्ता)	A) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि B) बकाया राशि C) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि D) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	E) आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) F) ईएमडी G) संविदा वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूत लेनदार के संज्ञान में ऋणभारों का विवरण / अधिकृत प्राधिकारी
1.	**शाखा : कौशाम्बी गाजियाबाद (300000)** मैसर्स रेडिश ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार), पताः सी-1, 326, यमुना विहार, दिल्ली-110053, साथ हीः -सी-10, तृतीय तल, सेक्टर-12 रामप्रस्थ, गाजियाबाद, उ.प्र.-201011, श्रीमती इंदु जैन पत्नी श्री राज कुमार जैन (निदेशक/गारंटर), पताः सी-10, तृतीय तल, सेक्टर-12 रामप्रस्थ, गाजियाबाद, उ.प्र.-201011, श्री राज कुमार जैन पुत्र श्री वी. के. जैन (निदेशक/गारंटर), पताः सी-10, तृतीय तल, सेक्टर-12 रामप्रस्थ, गाजियाबाद, उ.प्र.-201011, साथ ही - सी1/233, यमुना विहार, दिल्ली-110053, श्री प्रतीक जैन पुत्र स्वर्गीय श्री वी.के. जैन (गारंटर और बंधककर्ता), पताः सी-10, तीसरी मंजिल, सेक्टर-12 रामप्रस्थ, गाजियाबाद, यूपी-201011, श्री तरूण कुमार पुत्र श्री अजीत कुमार (गारंटर), पताः 12/03, भंडारी बाग, देहरादून, उत्तराखंड-248001, श्री वीरेंद्र जैन पुत्र टी. सी. जैन (गारंटर), पताः सी-294, विवेक विहार- दिल्ली-110095, श्री विजयंत जैन पुत्र श्री वी.के. जैन (गारंटर), पताः सी-10, तीसरी मंजिल, सेक्टर-12 रामप्रस्थ, गाजियाबाद, यूपी-201011	तीसरी मंजिल पर फ्रीहोल्ड आवासीय फ्लैट (छत के अधिकार के बिना) प्लॉट नंबर 10, ब्लॉक-सी, टीएचए, सेक्टर-12, गांव- महाराजपुर, रामप्रस्थ, परगना-लोनी, तहसील और जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश श्री प्रतीक जैन पुत्र श्री वी. के. जैन के नाम पर स्थित, क्षेत्रफल- 255.48 वर्ग मीटर।	A) 04.09.2018 B) रु. 195.83 लाख + वसूली घटाकर उस पर ब्याज एवं प्रभार C) 10.02.2023 D) सांकेतिक कब्जा	E) रु. 162.58 लाख F) रु. 16.26 लाख G) रु. 0.25 लाख	13.08.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	हमें ज्ञात नहीं श्री आर.पी. यादव मोबाइलः 9971720088
2.	**शा.का.: कौशाम्बी (300000)** मेसर्स एम.जे. स्टोर ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार), पताः सी-1/223, यमुना विहार, दिल्ली-110053। साथ हीः - सी-10, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-12 रामप्रस्थ, गाजियाबाद, उ.प्र.-201011, प्रियंका जैन (निदेशक/गारंटर) पताः सी-10, तीसरी मंजिल, सेक्टर-12 रामप्रस्थ, गाजियाबाद, उ.प्र.-201011, साथ हीः - सी-10, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-12, रामप्रस्थ, गाजियाबाद, उ.प्र.-201011, श्री प्रतीक जैन पुत्र स्वर्गीय श्री वी.के. जैन (निदेशक/बंधककर्ता), पताः सी-10, तीसरी मंजिल, सेक्टर-12 रामप्रस्थ, गाजियाबाद, उ.प्र.-201011, इसके अलावाः - सी-10, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-12, रामप्रस्थ, गाजियाबाद, उ.प्र.-201011	फ्रीहोल्ड संपूर्ण ग्राउंड फ्लोर (छत के अधिकार के बिना) प्लॉट नंबर 10, ब्लॉक-सी, टीएचए, सेक्टर-12, गांव- महाराजपुर, रामप्रस्थ, परगना-लोनी, तहसील और जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री प्रतीक जैन पुत्र श्री वी. के. जैन के नाम पर है। क्षेत्रफल माप - 464.50 वर्ग मीटर।	A) 16.12.2014 B) रु. 399.94 लाख + वसूली घटाकर उस पर ब्याज एवं प्रभार C) 07.09.2018 D) सांकेतिक कब्जा	E) रु. 180.42 लाख F) रु. 18.05 लाख G) रु. 0.25 लाख	13.08.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	हमें ज्ञात नहीं श्री आर.पी. यादव मोबाइलः 9971720088
3.	**शा.का.: चंदर नगर (144300)** मेसर्स नीलकंठ कंस्ट्रक्शन (प्रो. श्री नीरज कुमार) (कर्जदार), पताः प्लॉट नंबर 43, ओम साईं एन्क्लेव, चिपियाना बुजुर्ग, गौतमबुद्धनगर, उ.प्र.-201301, श्री नीरज कुमार (प्रो. मेसर्स नीलकंठ कंस्ट्रक्शन) पुत्र स्व. राजेंद्र सिंह (कर्जदार), पताः 21, चिपियाना बुजुर्ग, गौतमबुद्धनगर, उ.प्र. 201009.	आवासीय प्लॉट नंबर 43, खसरा नंबर 402, (रेलवे लाइन के पार) का पूरा हिस्सा, गांव चिपियाना बुजुर्ग, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। श्री नीरज कुमार पुत्र श्री राजेंद्र सिंह के नाम पर है। क्षेत्रफलः 83.61 वर्ग मीटर। सीमाः पूर्वः 18 फीट चौड़ी सड़क पश्चिमः 8 फीट चौड़ी सड़क उत्तरः 20 फीट चौड़ी सड़क दक्षिणः दूसरे व्यक्ति का प्लॉट	A) 09.12.2022 B) रु. 158.88 लाख + वसूली घटाकर उस पर ब्याज एवं प्रभार C) 18.04.2023 D) सांकेतिक कब्जा	E) रु. 56.42 लाख F) रु. 5.65 लाख G) रु. 0.25 लाख	13.08.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	हमें ज्ञात नहीं श्री आर.पी. यादव मोबाइलः 9971720088
4.	**शा.का.: जीटी रोड, गाजियाबाद (082910)** श्री किशोर कुमार पुत्र श्री जवाहर सिंह (कर्जदार) पताः सी-325, नंद निकुंज, नंद ग्राम, जिला गाजियाबाद.उ.प्र. श्री किशोर कुमार पुत्र श्री जवाहर सिंह एवं श्री सौरव पांडे पुत्र श्री कविदत्त पांडे (कर्जदार) पताः वुडहिल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, डी-42, आरडीसी, राज नगर, गाजियाबाद.उ.प्र., श्री सौरभ पांडे पुत्र श्री कवि दत्त पांडे (कर्जदार) पताः सी-619, नंद ग्राम, गाजियाबाद.उ.प्र.	अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा यानी आवासीय मकान संख्या सी-325, नंद निकुंज, नंद ग्राम, गाजियाबाद जिसका क्षेत्रफल 26.65 वर्ग मीटर है, श्री किशोर कुमार और श्री सौरभ पांडे के नाम पर।	A) 12.10.2021 B) रु. 11.42 लाख + वसूली घटाकर उस पर ब्याज एवं प्रभार C) 21.11.2022 D) सांकेतिक कब्जा	E) रु. 21.73 लाख F) रु. 2.18 लाख G) रु. 0.25 लाख	13.08.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	हमें ज्ञात नहीं श्री आर.पी. यादव मोबाइलः 9971720088
5.	**शा.का.: मुराद नगर, गाजियाबाद (077400)** मेसर्स योगेश बिल्डर्स-प्रोप श्री योगेश कुमार (कर्जदार) पताः गांव और पोस्ट-दुहाई, मेरठ रोड, गाजियाबाद उ.प्र.-201206।, श्री योगेश कुमार पुत्र श्री महेंद्र सिंह (कर्जदार) पताः 315, गांव और पोस्ट-दुहाई, मेरठ रोड, गाजियाबाद, उ.प्र.-201206, श्री दिव्यांश त्यागी पुत्र श्री योगेश कुमार त्यागी (गारंटर) पताः 315, गांव और पोस्ट-दुहाई पोस्ट-दुहाई, मेरठ रोड, गाजियाबाद, उ.प्र.-201206, श्री विनय कुमार पुत्र श्री सरदार सिंह (गारंटर) पताः मकान नंबर 520, गांव-दुहाई, गाजियाबाद-201206	आवासीय प्लॉट खाता संख्या 00552, खसरा संख्या 188, गांव- दुहाई, परगना- जलालाबाद, जिला-गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के समस्त भाग का इक्विटेबल बंधक, क्षेत्रफल 800 वर्ग गज या क्षेत्रफल 668.88 वर्ग मीटर। मीटर, श्री दिव्यांश त्यागी पुत्र श्री योगेश कुमार के नाम पर। सीमाः उत्तर-श्याम सुंदर का प्लॉट, दक्षिण-मुनेश त्यागी का प्लॉट, पूर्व-योगेश कुमार का प्लॉट, पश्चिम-रोड 22 फीट चौड़ी,	A) 02.01.2023 B) रु. 52.70 लाख + वसूली घटाकर उस पर ब्याज एवं प्रभार C) 20.03.2023 D) सांकेतिक कब्जा	E) रु. 102.00 लाख F) रु. 10.20 लाख G) रु. 0.25 लाख	13.08.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	हमें ज्ञात नहीं श्री आर.पी. यादव मोबाइलः 9971720088
6.	**शा.का.: राजेंद्र नगर, जीबीबी (455900)** श्री उमेश कश्यप पुत्र श्री राम कुमार (कर्जदार) पताः 91, गली नंबर 1, शहीद प्यारे लाल कॉलोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र., साथ हीः एलआईजी फ्लैट नंबर एल-249, ब्लॉक-एल, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-4, लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र., श्री राम कुमार पुत्र भूकन (गारंटर) पता; 197, शहीद प्यारे लाल कॉलोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद उ.प्र.	अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा यानी आवासीय एलआईजी फ्लैट नंबर एल-249, ब्लॉक-एल, ग्राउंड फ्लोर, (छत के अधिकार के बिना) सेक्टर-04, तहसील लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यूपी, क्षेत्रफल 37.982 वर्ग मीटर है, श्री उमेश कश्यप पुत्र श्री राम कुमार के नाम पर।	A) 03.10.2022 B) रु. 13.51 लाख + वसूली घटाकर उस पर ब्याज एवं प्रभार C) 13.12.2022 D) भौतिक कब्जा	E) रु. 13.00 लाख F) रु. 1.30 लाख G) रु. 0.25 लाख	13.08.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	हमें ज्ञात नहीं श्री आर.पी. यादव मोबाइलः 9971720088
7.	**शा.का.: सरना, मुराद नगर (046510)** मैसर्स ए.के. टेक्सटाइल्स (कर्जदार) पताः रशीद नगर, रावली रोड, आया नगर, मुराद नगर-201206 गाजियाबाद उ.प्र., श्री साबिर अली पुत्र हाजी अब्दुल लतीफ - मैसर्स ए.के.टेक्सटाइल्स के मालिक (कर्जदार) पताः 1950/1, आर्य नगर, मुराद नगर-201206 गाजियाबाद उ.प्र.	(1) संपत्ति का समस्त भाग, संपत्ति संख्या प्लॉट संख्या 123 और 124, खसरा संख्या 744, वार्ड संख्या 14, आर्य नगर, सरना, मुराद नगर, गाजियाबाद में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 171.70 वर्ग मीटर या 204.51 वर्ग गज है, मोहम्मद शब्बीर अली पुत्र श्री अब्दुल लतीफ। (2) संपत्ति का समस्त भाग, संपत्ति संख्या प्लॉट संख्या 126, खसरा संख्या 744, वार्ड संख्या 14, आर्य नगर, सरना, मुराद नगर, गाजियाबाद में स्थित है, क्षेत्रफल 85.85 वर्ग मीटर या 102.67 वर्ग गज, मोहम्मद शब्बीर अली पुत्र श्री अब्दुल लतीफ।	A) 15.04.2019 B) रु. 49.49 लाख + वसूली घटाकर उस पर ब्याज एवं प्रभार C) 27.06.2019 D) सांकेतिक कब्जा	E) रु. 49.46 लाख F) रु. 4.95 लाख G) रु. 0.25 लाख	13.08.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	हमें ज्ञात नहीं श्री आर.पी. यादव मोबाइलः 9971720088
8.	**शा.का.: मुराद नगर, जीबीबी (077400)** मैसर्स झिलमिल ढाबा-प्रोप. श्री वसीम (कर्जदार) पताः खसरा नं. 104, पवनपुरी, युसुफपुर मनोटा, मुराद नगर, गाजियाबाद-201206, साथ हीः 95, रावली रोड, जवाहर मंडी के पास, मुरादनगर, गाजियाबाद, 201206, श्री वसीम पुत्र श्री अदबुल कादिर (प्रॉप. मैसर्स झिलमिल ढाबा) पताः 95, रावली रोड, जवाहर मंडी के पास, मुरादनगर, गाजियाबाद.201206, श्रीमती शाहजहाँ बेगम पत्नी श्री अब्दुल कादिर (गारंटर) पताः 95, रावली रोड, जवाहर मंडी के पास, मुराद नगर, गाजियाबाद-201206, मोहम्मद रशीद पुत्र मो. अयूब (कर्जदार) पताः 95, रावली रोड, जवाहर मंडी के पास, मुरादनगर, गाजियाबाद, 201206	संपत्ति का समस्त भाग, आवासीय भवन नगर पालिका, खसरा संख्या 828, मोहल्ला-झील बस्ती (सितारा मस्जिद के पास), वार्ड संख्या 25, गांव- सरना, मुराद नगर, परगना जलालाबाद, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 150 वर्ग गज यानी 125.41 वर्ग मीटर है। यह श्रीमती शाहजहां बेगम पत्नी श्री अब्दुल कादिर के नाम पर है।	A) 03.10.2022 B) रु. 17.64 लाख + वसूली घटाकर उस पर ब्याज एवं प्रभार C) 19.12.2022 D) सांकेतिक कब्जा	E) रु. 20.32 लाख F) रु. 2.04 लाख G) रु. 0.25 लाख	13.08.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	हमें ज्ञात नहीं श्री आर.पी. यादव मोबाइलः 9971720088
9.	**शा.का.: लोनी, गाजियाबाद (402200)** मैसर्स चौधरी एंटरप्राइजेज - प्रोप. मौसम अली (कर्जदार) पताः खानपुर, जत्ती लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश श्री, सुनील कुमार पुत्र श्री मोहर सिंह (गारंटर) पताः डी-533/7एम, स्ट्रीट नंबर 1, अशोक नगर, गणपति अपार्टमेंट, शाहदरा, मंडोली सबोली, उत्तर पूर्वी दिल्ली-110093	संपत्ति का समस्त भाग, संपत्ति संख्या मकान संख्या 73, भाग खसरा संख्या 66, गांव-खानपुर जत्ती, ट्रोनिका सिटी के पास, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश जिसका क्षेत्रफल 130 वर्ग गज या 108.693 वर्ग मीटर है और जो श्री मौसम पुत्र श्री रफीक अहमद के नाम पर है।	A) 08.07.2019 B) रु. 19.51 लाख + वसूली घटाकर उस पर ब्याज एवं प्रभार C) 03.10.2019 D) सांकेतिक कब्जा	E) रु. 35.94 लाख F) रु. 3.60 लाख G) रु. 0.25 लाख	13.08.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	हमें ज्ञात नहीं श्री आर.पी. यादव मोबाइलः 9971720088
10.	**शा.का.: नेहरू नगर, जीबीबी (111600)** श्री निशांत चौधरी पुत्र श्री नवरतन सिंह (कर्जदार), श्री नवरतन सिंह पुत्र स्व. राम निवास (सह-कर्जदार) एवं श्रीमती बबीता चौधरी पत्नी श्री नवरत्न सिंह (सह-कर्जदार) पताः एच-480, ब्लॉक-एच, गोविंदपुरम, गाजियाबाद.उ.प्र.-201001	प्लॉट संख्या एच-480, ब्लॉक-एच, गोविंदपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित आवासीय मकान के समस्त भाग का इक्विटेबल बंधक, क्षेत्रफल 87.78 वर्ग मीटर है, जो श्रीमती बबीता चौधरी पत्नी श्री नवरत्न सिंह के नाम पर है।	A) 22.06.2021 B) रु. 66.14 लाख + वसूली घटाकर उस पर ब्याज एवं प्रभार C) 11.11.2021 D) सांकेतिक कब्जा	E) रु. 88.64 लाख F) रु. 8.87 लाख G) रु. 0.25 लाख	13.08.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	हमें ज्ञात नहीं श्री आर.पी. यादव मोबाइलः 9971720088
11.	**शा.का.: लोनी, गाजियाबाद (402200)** मैसर्स इम्पेक्स ट्रेडिंग कंपनी - प्रोप. समीर खान (कर्जदार) पताः 575, इकराम नगर, लोनी, जिला गाजियाबाद.उ.प्र., श्री समीर खान पुत्र श्री बहादुर शाह (प्रोप. मैसर्स इम्पेक्स ट्रेडिंग कंपनी) पताः 575, इकराम नगर, लोनी, जिला गाजियाबाद.उ.प्र., श्रीमती अमना बेगम पत्नी श्री समीर खान (गारंटर) पताः मकान संख्या 303, इकराम नगर, लोनी, जिला गाज़ियाबाद, उ.प्र., श्री शुएब पुत्र श्री बहादुर शाह (गारंटर) पताः मकान नं. 575, इकराम नगर, लोनी, जिला गाज़ियाबाद उ.प्र.	अचल संपत्ति का समस्त भाग, संपत्ति संख्या खसरा संख्या 1623, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज या 167.22 वर्ग मीटर, अशोक एन्क्लेव, लोनी, जिला गाजियाबाद में श्रीमती आमना बेगम पत्नी श्री नूर मोहम्मद के पक्ष में	A) 22.05.2023 B) रु. 45.97 लाख + वसूली घटाकर उस पर ब्याज एवं प्रभार C) 15.01.2024 D) सांकेतिक कब्जा	E) रु. 50.03 लाख F) रु. 5.01 लाख G) रु. 0.25 लाख	28.08.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	हमें ज्ञात नहीं श्री आर.पी. यादव मोबाइलः 9971720088
12.	**शा.का.: वसुंधरा (003718)** मेसर्स विदुषी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड (कर्जदार) पताः 130/4, लोअर ग्राउंड फ्लोर, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049, पताः 4/570, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र. -201005, श्री राजेश कुमार गौतम (निदेशक एवं गारंटर) पताः 25, यूजी-4, शिव चौक, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन-2, साहिबाबाद, गाजियाबाद, श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा (निदेशक एवं गारंटर) पताः 570, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010, श्री ओम प्रकाश शर्मा (गारंटर) पताः ए-86, लोहिया नगर, गाजियाबाद, श्री कृष्ण गोपाल शर्मा (गारंटर) पताः मकान संख्या 14ए/647, सेक्टर-14ए, वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005, श्रीमती ओम प्रकाश शर्मा स्वर्गीय शांति देवी शर्मा के कानूनी उत्तराधिकारी (गारंटर) पताः ए-86, लोहिया नगर, गाजियाबाद।	1. आईपी का समस्त भाग, ए-86, ब्लॉक-ए, लोहिया नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है, क्षेत्रफल 323.33 वर्ग गज, और श्री ओम प्रकाश शर्मा और श्रीमती शांति देवी (श्रीमती शांति देवी अब दिवंगत हो चुकी हैं) के नाम पर है। 2. आईपी का समस्त भाग, मकान नंबर 14ए/647, सेक्टर-14-ए, वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर है और श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के नाम पर, यह संपत्ति आवास ऋण खाता संख्या 5221000300015283 श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के तहत बंधक है, 30-06-2024 तक बकाया राशि रु. 341.88 लाख है, साथ ही मेसर्स विदुषी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में प्रभार का विस्तार भी है।	A) 16.01.2023 B) रु. 367.98 लाख + वसूली घटाकर उस पर ब्याज एवं प्रभार C) 12.05.2023 D) सांकेतिक कब्जा	(1) E) रु. 292.00 लाख F) रु. 29.20 लाख G) रु. 0.25 लाख (2) E) रु. 543.06 लाख F) रु. 54.31 लाख G) रु. 0.25 लाख	28.08.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	हमें ज्ञात नहीं श्री आर.पी. यादव मोबाइलः 9971720088

नियम एवं शर्तें

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी : 1. सम्पत्ति की बिक्री **"जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर की जा रही है। 2. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ऑनलाइन, वेबसाइट **https://ebkray.in** पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से की जाएगी। 4. बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए कृपया **https://ebkray.in** तथा **www.pnbindia.in** देखें। 5. सभी वैधानिक बकाया/अटेंडेंट शुल्क/पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि सहित अन्य बकाया क्रेता को वहन करना होगा और प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संपत्ति (ई-नीलामी) के संबंध में सरकार या किसी अन्य को देय राशि के बारे में बैंक को जानकारी नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के संबंध में स्वतंत्र पूछताछ करने की सलाह दी जाती है। 6. संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि 06.08.2024 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे के बीच निर्धारित की गई है।

(सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना)

दिनांक : 22.07.2024 स्थान : गाजियाबाद अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

महानगर नई दिल्ली मंगलवार 23 जुलाई, 2024, रु. 6.00 (20 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com

कांवड़ यात्रा मार्गों को लेकर निर्देशों पर अंतरिम रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा

नाम लिखना जरूरी नहीं, भोजन का ब्योरा दें

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा जारी उन निर्देशों पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी, जिनमें कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा, भोजनालय के मालिकों के नाम लिखना जरूरी नहीं, भोजन का ब्योरा जरूर दें।

विपक्ष ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकारों के इन निर्देशों का उद्देश्य धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देना है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया और उनसे निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने को कहा।

पीठ ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया और उनसे निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने को कहा। *शीर्ष अदालत* ने राज्य सरकारों के निर्देश को चुनौती देने वाली सांसद महुआ मोइत्रा, शिक्षाविद अपूर्वानंद झा व अन्य की कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।

मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर निगम ने भी दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का शनिवार को निर्देश दिया था। पीठ ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी करने के साथ ही कहा कि भोजनालयों के लिए यह प्रदर्शित करना आवश्यक किया जा सकता है कि वे किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं, जैसे कि वे शाकाहारी हैं या मांसाहारी।

पीठ ने इस मामले पर आगे की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने कहा कि हम उपरोक्त निर्देशों के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। दूसरे शब्दों में, खाद्य विक्रेताओं को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जा सकता है कि उसके पास कौन से खाद्य पदार्थ हैं लेकिन उन्हें मालिकों, कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से सोमवार को अदालत में कोई पेश नहीं हुआ। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों के निर्देश को चुनौती देने वाली सांसद महुआ मोइत्रा, शिक्षाविद अपूर्वानंद झा, स्तंभकार आकार पटेल और गैर सरकारी संगठन 'एसोसिएशन आफ प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स' की याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। पीठ ने सुनवाई की शुरुआत में मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से पूछा कि क्या इस मामले में कोई औपचारिक आदेश पारित किया गया है। सिंघवी ने कहा कि भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड का आदेश पहचान के आधार पर बहिष्कार है और यह संविधान के खिलाफ है। 'एसोसिएशन फार प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स' बाकी पेज 8 पर

लोकसभा में प्रधान व विपक्षी नेताओं में तीखी बहस

नीट : हंगामे के बीच विपक्ष का बहिर्गमन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

संसद के बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पूरे विपक्ष ने बहिर्गमन कर अपना विरोध दर्ज कराया।

नीट यूजी में गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के सबूत नहीं : सरकार

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में यह मुद्दा उठाया और दावा किया कि देश के करोड़ों छात्रों एवं देशवासियों को इस बात का यकीन हो गया है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक धोखे वाली है। जिसके पास पैसा है, वह इस पूरी प्रणाली को खरीद सकता है।

इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार करते हुए सवाल किया कि क्या वर्ष 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा में सुधार से जुड़ा विधेयक निजी मेडिकल कालेजों के दबाव में वापस ले लिया था? उन्होंने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष का पूरी परीक्षा प्रणाली को 'बकवास' कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद पूरे विपक्ष ने बहिर्गमन किया।

राहुल गांधी ने प्रश्नकाल के दौरान नीट का मुद्दा उठाते हुए कहा, 'देश की परीक्षा प्रणाली में बहुत खामियां हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने आपको छोड़कर सबको जिम्मेदार ठहराया है।' उन्होंने सवाल किया कि सरकार इस मामले में व्यवस्थागत स्तर पर बाकी पेज 8 पर

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, आइआइटी दिल्ली की टीम प्रश्न के सही उत्तर पर रपट सौंपे पेज 8

लोकसभा में आमने-सामने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी।

प्रधानमंत्री का गला घोंटने, आवाज दबाने का प्रयास हुआ : मोदी

नई दिल्ली, 22 जुलाई (ब्यूरो)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आरोप लगाया कि संसद के पिछले सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष ने ढाई घंटे तक देश के 'प्रधानमंत्री का गला घोंटने' और आवाज दबाने का प्रयास किया।

-पूरी खबर पेज 8

खुद को लोकतांत्रिक साबित करें प्रधानमंत्री : कांग्रेस पेज 8

सरकारी कर्मियों पर से रोक हटाने की हमने नहीं की थी मांग : आरएसएस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक हटाने के केंद्र सरकार के फैसले का सोमवार को स्वागत किया।

प्रतिबंध हटाने संबंधी सरकारी आदेश के सार्वजनिक होने के एक दिन बाद आरएसएस प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने एक बयान में कहा कि सरकार का ताजा फैसला उचित है और यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करेगा। आरएसएस ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध हटाने की हमारी ओर से कोई मांग नहीं की गई थी, और न ही यह बैठकों का मुद्दा था।

उसने पूर्ववर्ती सरकारों पर अपने राजनीतिक हितों के कारण सरकारी कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित करने का आरोप भी लगाया। प्रतिबंध हटाने संबंधी सरकारी आदेश के सार्वजनिक होने के एक दिन बाद आरएसएस प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने एक बयान में कहा कि सरकार का ताजा फैसला उचित है और यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करेगा।

सरकार ने कहा, बिहार को विशेष दर्जा देने का मामला नहीं बनता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

संसद के दोनों सदनों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठने के बीच सरकार ने 2012 में तैयार एक अंतर-मंत्रालयी समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोमवार को कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं बनता है।

लोकसभा में जद 'एकी' व राज्यसभा में राजद ने उठाई मांग।

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में जहां एक प्रश्न के माध्यम से यह मुद्दा उठाया गया, वहीं राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने शून्यकाल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज, दोनों देने की मांग उठाई। संसद सत्र से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सहयोगी पार्टियों सहित बिहार के कुछ दलों द्वारा राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग उठाई गई थी। लोकसभा में जनता दल (एकी) के सदस्य रामप्रीत मंडल ने प्रश्न किया था कि क्या सरकार बाकी पेज 8 पर

निपाह : जान गंवाने वाले लड़के के संपर्क में आए 406 लोगों में संक्रमण का खतरा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

दुर्लभ संक्रमण से जान गंवाने वाले 14 वर्षीय लड़के के संपर्क में आने के कारण निपाह वायरस से संक्रमित होने के खतरे का सामना करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 406 हो गई है, जिनमें से 194 लोग उच्च जोखिम की श्रेणी में हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जार्ज ने सोमवार को यह जानकारी दी।

केरल के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, 194 लोग उच्च जोखिम की श्रेणी में हैं।

केरल का स्वास्थ्य विभाग 13 लोगों के परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा है, जिनके नमूने परीक्षण के लिए कोझिकोड मेडिकल कालेज की विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला और तिरुवनंतपुरम के 'एडवांस्ड वायरोलाजी इंस्टीट्यूट' में भेजे गए थे।

उन्होंने कहा कि परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों में से छह व्यक्तियों में लक्षण दिखे हैं जिनमें से तीन लोग द्वितीयक संपर्क सूची के हैं। भले ही मृत लड़के के माता-पिता में लक्षण नहीं हैं फिर भी हमने सभी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए उनके नमूने भी परीक्षण के लिए भेजे हैं।'

स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि संपर्क में आए लोगों की सूची में दो व्यक्ति पलक्कड़ के हैं, जबकि चार तिरुवनंतपुरम के हैं। पलक्कड़ के दो लोग एक निजी अस्पताल में फिहलाल काम कर रहे हैं, जबकि तिरुवनंतपुरम के चार लोग इलाज के लिए पेरिंथलमन्ना पहुंचे हैं।

बजट आज, संसद में आर्थिक समीक्षा पेश

संभावनाएं अच्छी, पर झटकों के लिए तैयार रहे वित्तीय क्षेत्र

चालू वित्त वर्ष में 6.5 से 7.0 फीसद की वृद्धि दर रहने का अनुमान

हर साल करीब 80 लाख नौकरियां सृजित करने की जरूरत पर जोर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

देश के वित्तीय क्षेत्र के लिए परिदृश्य उज्ज्वल है, लेकिन उसे 'झटकों' के लिए तैयार रहने की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2023-24 पेश की। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और उनके दल ने लिखा है।

संसद में मंगलवार को बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले पेश सरकार की आर्थिक समीक्षा में चालू वित्त वर्ष में 6.5 से 7.0 फीसद की वृद्धि दर रहने का सतर्क अनुमान जताया गया है। साथ ही इसमें अर्थव्यवस्था में हर साल करीब 80 लाख नौकरियां सृजित करने की जरूरत के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चीन से अधिक प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) का समर्थन किया गया है।

समीक्षा में खाद्य पदार्थों को छोड़कर, महंगाई का लक्ष्य तय करने पर गौर करने का भी सुझाव दिया गया है। प्रायः खाद्य वस्तुओं की ऊंची कीमतें मांग के बजाय आपूर्ति की समस्या के कारण होती हैं। इसमें बढ़ते शेयर बाजार को लेकर भी आगाह किया गया है। कहा गया है कि खुदरा निवेशकों की भागीदारी काफी बढ़ी है और अति आत्मविश्वास बाकी पेज 8 पर

संसद में सोमवार को आर्थिक समीक्षा पेश करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

'महंगाई पर गौर करना बंद करे आरबीआइ'

नई दिल्ली, 22 जुलाई (ब्यूरो)।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि रिजर्व बैंक को नीतिगत दर तय करने में खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर गौर करना बंद करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि गरीबों को 'कूपन' दे या सीधे नकदी। -पूरी खबर पेज 10

सात फीसद वृद्धि दर का अनुमान मानसून पर निर्भर : मुख्य आर्थिक सलाहकार पेज 10

एश्योरन्स ऑफ दि लीडर

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लि.

मना रहा है

स्थापना दिवस

23 जुलाई 2024 को

106 वां

वर्ष देश सेवा को समर्पित

1919 - 2024

"हम पर भरोसा करने के लिए भारत देश का धन्यवाद"

हमारे प्रमुख उत्पाद

स्वास्थ्य बीमा | मोटर बीमा | परियोजना और बिजली बीमा | अग्नि बीमा | व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा | विमानन बीमा

+91 98333 19191

www.newindia.co.in

@newindassurance

24x7 - टोल फ्री नंबर

1800-209-1415

NEW INDIA ASSURANCE

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

The New India Assurance Co. Ltd

प्रधान कार्यालय: न्यू इंडिया एश्योरेंस बिल्डिंग, 87, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001, भारत

IRDAI REGN No. 190 CIN: L66000MH1919GOI000526 Advt No.: NIA/24-25/191(H)

बहस पूजा खेडकर और यूपीएससी में दिव्यांग कोटे का मामला

सवाल उठाकर विवादों में घिरीं वरिष्ठ अधिकारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

दिव्यांग मानदंडों के तहत परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) अधिकारी पूजा खेडकर की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच तेलंगाना की वरिष्ठ अधिकारी स्मिता सभरवाल ने अखिल भारतीय सेवाओं (एआइएस) में दिव्यांगों के लिए आरक्षण की आवश्यकता पर सवाल उठाकर विवाद खड़ा कर दिया है।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं ने आइएएस अधिकारी की टिप्पणियों की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को 'संकीर्ण दृष्टिकोण' से नहीं देखा जाना चाहिए,

अधिकारी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि चूंकि यह बहस जोर पकड़ रही है, इसलिए दिव्यांगों के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए, क्या कोई एअरलाइन किसी दिव्यांग को पायलट की नौकरी पर रखती है? या क्या आप किसी दिव्यांग सर्जन पर भरोसा करेंगे?

जिससे उनकी योग्यता पर सवाल खड़े हों। कुछ कार्यकर्ताओं ने अपना पक्ष रखने के लिए शीर्ष चिकित्सकों, सेना के जवानों और व्यापारियों का उदाहरण दिया।

शिवसेना (उद्धव) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने उनके विचार पर आपत्ति जताई। सभरवाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि चूंकि यह बहस जोर पकड़ रही है, इसलिए दिव्यांगों के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए कि क्या कोई एअरलाइन किसी दिव्यांग को पायलट की नौकरी पर रखती है? या क्या आप किसी दिव्यांग सर्जन पर भरोसा करेंगे? उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं (आइएएस, आइपीएस, आइएफओएस) की प्रकृति लंबे समय तक क्षेत्र में कार्य कर लोगों की शिकायतें सीधे सुनने की है, जिसके लिए शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है।

इस अग्रणी सेवा के लिए इस कोटे की क्या आवश्यकता है?' इस पोस्ट पर शिवसेना (उद्धव) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे बहिष्कारवादी दृष्टिकोण बाकी पेज 8 पर

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,hitherto known as ROHAN KUMAR alias ROHAN SINGH,S/O-SHAMSHER SINGH,R/O-Anwal(125),Rohtak Haryana-124411,have changed my name and shall hereafter be known as ROHAN SINGH. 0040739640-8

I,hitherto known as AJAY MISHRA alias ANIKET MISHRA,S/O,KAPILDEV MISHRA,R/o,Gram-Dhamur Gopal,Post- Pipra Chandrabhan,Deoria,Deoria,Uttar-Pradesh- 274001,have changed my name and shall hereafter be known as ANIKET MISHRA. 0040739638-3

I,SHIV KISHOR DIXIT,S/o-RAM SHANKAR DIXIT,R/o-B-14/207,Eco-Village-2,Plot.No-GH01,Sector-16B,Greater-Noida West, Noida, PO:Noida,DISTT:Gautam Buddha,Nagar,uttar pradesh-201301, declare that name of my daughter has been wrongly written as AARJU in The actual name of my daughter is AARJU DIXIT. 0040739640-9

I,SAYEED AHMAD,S/o Shri Nazeer Ahmad,R/o E-176 Shaheed-Nagar,Sahibabad Chikamberpur Ghaziabad,U.P,declare that my name and Date-of-Birth has been wrongly written as Sayeed Ahmed & 07.02.1960 in my passport no-K5512397 documents.The actual my name is SAYEED AHMAD, S/o-Nazeer Ahmad & date-of-Birth-03.05.1960,For all the future purposes. 0040739592-8

I,Rizwan Ahmed,R/o A-48,Vivek Vihar,Phase-2,New Delhi-110095,have changed the name of my minor son from Mohammed Hamza to Mohd Hamza. 0040739648-4

I, Rukhsana Begum, W/o Mohd Zia, R/o I-21, Thokar No.4, Abul Fazal Enclave Part-1, Jamia Nagar,Okhla, New Delhi -110025, have changed my name to Rukhsar. 0040739604-10

I,Ritika Aggarwal W/o Ankur Sharma,R/o 183,Sector-17,Faridabad have changed my name to Ritika Aggarwal Sharma after marriage. 0040739592-4

I,Rajiv Mehta,S/o-Satya Pal R/o-Flat.No.18,Geeta-Apartment,Geeta-Colony,Delhi-110031,have changed my name To Rajeev Mehta.Rajiv Mehta and Rajeev Mehta is one and the same person. 0040739604-3

I,RAHUL CHAUHAN,S/O-VIJAY SWAROOP,R/O-Mohalla Fauladpura Malkhan Singh Chowk, Deoband, Saharanpur,Uttar Pradesh-247554,declare that name of mine, my father has been wrongly written as RAHUL SHARMA and VIJAY SHARMA in my-10th and 12th-Class educational documents.The actual name of mine, my father are RAHUL CHAUHAN and VIJAY SWAROOP. 0040739638-4

I, DHARAM VIR SINGH, R/O. WZ-501, NARAINA VILLAGE, N.D-28 CHANGED MY NAME TO DHARAM VEER SINGH. 0130043655-1

I,Karam Chander Aggarwal, S/o-Jagdish Prasad Aggarwal,R/o-3129/227, G.F., Chander Nagar,Trinagar, Delhi-110035,have changed my name to Karam Chand Aggarwal 0040739640-4

I,Krishan Singh,S/o Trilok Singh, R/o H.No.C-4/319, Yahuma Vihar, Delhi-110053,declare that name of my wife has been wrongly written as KAMLA DEVI in my service record.The actual name of my wife is KAMLA BISHT, which may be amended accordingly. 0040739570-1

I,Krishnanand S/O Chhatra Dhari R/O- RZV-54, Nihal Vihar, Gali No-5,Nangloi, Delhi-110041,Have change my name to Krishna Nand 0040739635-7

I,MOHD NAZIM,S/o Nasir Ahmad,R/o A-389,near-Jama masjid j j colony Old-Seemapuri Delhi-95.Declare that name of my has been wrongly written as Mohammed Nazim,S/o-Naseer Ahmad in my passport.no-J6687695 documents.The actual my name is Mohd Nazim,for all the future purposes. 0040739592-9

I,MEENA,W/o GURVINDER BABLA,R/o B-800,SAINIK-COLONY SECTOR-49, FARIDABAD HARYANA-121001, have changed my name to MEENA BABLA, for all future purposes. 0040739595-3

I,MUDIT SHARMA.S/O ANIMESH SHARMA.R/O-C-3/301,EASTERN HEIGHTS,NYAY-KHAND-3 INDIRAPURAM,GHAZIABAD U.P-201014 HAVE CHANGED MY NAME TO ADVIK SHARMA,FOR ALL FUTURE PURPOSES. 0040739600-3

I,Partik,S/o Neranjan Vig R/o H.No-5516,Jain Mandir Mohalla, Jain Puri, Rewari (Haryana)-123401, have changed my name to Parteek. 0040739604-4

My correct name is Shubhra Gautam w/o Manoj Kumar Gautam r/o E-896, Saraswati Vihar, Pitampura,Delhi-110034 but it is written as Shubhra Manoj Gautam in my passport. Correct names of my deceased parent is Premakant Sharma and Shrikant Sharma respectively but it is written as Premakant Srikant Sharma and Srikant Shyamsunder Das Sharma respectively in my passport. 0040739576-2

My correct name is Manoj Kumar Gautam s/o Badriprasad Gautam r/o E-896, Saraswati Vihar, Pitampura, Delhi-110034 but it is written as Manoj Badriprasad Gautam in passport of my wife, Shubhra Gautam due to customs in Gujarat state. 0040739576-4

I,hitherto known as MANOJ KUMAR SHARMA,S/o,SHRI K.L. SHARMA,R/o,D-34B,D-block, chattarpur-Enclave,New Delhi-110074,have changed my name and shall hereafter be known as MADHVANAND PURI. 0040739640-7

I,hitherto known as BHAVNA, W/o Mr.SAURABH SHARMA,R/O-B-86 D, POCKET-1,MAYUR VIHAR PH-1,DISTRICT EAST-DELHI,DELHI-110091,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HEREAFTER BE KNOWN AS BHAVNA SHARMA. 0040739600-7

I,hitherto known as ABHI KUMAR,S/O-JAYBIR VASHISHT,R/O-H.NO-141,Gali.NO-8E,Om-Nagar Meethapur-Extn,Badarpur South-Delhi,Delhi-110044, have changed my name and shall hereafter be known as AYUSH VASHISHT. 0040739604-11

I,Yogesh S/o Deep Chand,R/o House.No.1017/6, Near Disposal Jawahar Colony, Faridabad, Haryana-121005 have changed my name to Yogesh Sharma. 0040739648-5

I,Yogesh Kumar,S/o BALBIR YADAV,R/o WARD NO 10,Village BHATSANA, REWARI (HARYANA)-123106, have changed my name YOGESH YADAV. 0040739604-5

I,Vinod Kumar R/o-2229, Sector-2, 3 Part, Rohtak, Haryana-124001,have change my minor son's name from Dhruv to Dhruv Dhankhar, Permanently. 0040739604-8

I,Sushil Alias Sushil Kumar S/o Hari Ram R/o H No-177,FF, Pocket-5, Sector-22,Rohini, Delhi-110086,have changed my name to Sushil Bansal. 0040739635-2

I,Shailendra/Sailendra Kumar Srivastava,S/o Virendra Srivastava,House.no.2411, 7thAvenue, Gaur-City-1,Sector-4, Greater-Noida West,Gautam-BudhNagar, Uttar Pradesh 203207,have changed my name to Shailendra Srivastava. 0040739635-5

I,Sarvace Kumari W/o Khajan Singh R/o Village-Saroli Hathin,Palwal (Haryana)-121102,have changed my name to Sarvesh Kumari. 0040739604-6

I,Sanjay Kumar Singh s/o C.P.Singh r/o H.no-1576 Sec-28,Faridabad Haryana-121008,have change my name to Sanjay Singh,for all,future purposes. 0040739635-1

I,SYED TUBA R/O HNO.147,NIMRI COLONY, ASHOK VIHAR,DELHI-110052.HAVE CHANGED MY CHILD NAME AMYRA NORE TO AMYRA SYED NORE. 0040739600-4

I,SUSHIL KUMAR,S/O RAMJEEV MAURYA,residing at,C-1/65 C-BLOCK MADHU VIHAR DWARKA DELHI-110059 have changed my name to SUSHIL MAURYA permanently. 0040739600-6

I,SUBHASH CHAND JAIN,S/O-JANARDHAN JAIN,R/O-2168, 167,GANESHPURA-B TRI-NAGAR ONKAR,NAGAR, DELHI-110035,INFORM THAT MY NAME SUBHASH JAIN AND SUBHASH CHAND JAIN BOTH,NAME ARE THE SAME AND ONE PERSON AND MY AADHAAR NO IS-580565942659. 0040739600-8

I,SONALI SARAOGI D/O-RAJ SARAOGI R/O-E-23,POORVI MARG,THIRD-FLOOR, VASANT-VIHAR,DELHI-110057 HAVE CHANGED MY NAME TO SONALI SARAOGI SINGH. 0040739595-2

I,SHAWETA BANSAL.W/O SACHIN.R/O FLAT.NO-221 TOWER-4,ASHIANA UPVAN AHINSA KHAND-2,INDIRAPURAM,GHAZIABAD,U.P-201014 HAVE CHANGED MY NAME TO SHAWETA GUPTA. 0040739604-9

I,SEEMA GUPTA alias SEEMA DAHIYA D/O,DAYANAND DAHIYA W/O,AMIT KUMAR GUPTA R/O,Flat-No-JG02, Pioneer-Park,Golf-Course Extension-Road, Sector-56,Gurugram, Haryana-122011 changed my-name to SEEMA DAHIYA. 0040739648-3

I,Pooja D/o Satyender Sharma,R/o D-32,Harsh Vihar,Hari Nagar,Part-3,Badarpur, Jaitpur, Delhi-110044,have changed my name to Pooja Sharma. 0040739648-6

I,Mohd Shuaib,S/o Late Sharif Ahmad,R/o-1209,Gali No.-39/4, Jafrabad,Delhi-110053,have changed my name,from from Mohd Shuaib to Mohammad Shuaib,for all future purposes. 0040739604-1

I,PRAMOD KUMAR S/o Kishan Singh, R/o B-47 Gali No.2,Nakul Marg,North, Chhajjupur Shahdara Gokal Pur Delhi-110094 declare that name of my minor son has been wrongly written as LOVE SAINI in my minor son namely LOVE aged 15 years in his school record.The actual name of my minor son is LOVE. 0040739635-9

I,PARDEEP, S/o. MR.CHAND SINGH,R/o.-RZF-905/21A, 2ND FLOOR,LBS MARG,RAJ NAGAR-II,PALAM COLONY,NEW DELHI-110077,inform that PARDEEP & PARDEEP LOHCHAB,both names are same person. 0040739604-7

I,NARENDER SINGH CHAUHAN,S/O-KHYURAJ SINGH CHAUHAN,R/o-A-37,Vasant-Marg, Vasant-Vihar,South-West Delhi-110057,declare that name of my father has been wrongly written as K H YUVRAJ SINGH CHAUHAN in my 10th-Class Educational Documents and Graduation-Degree(BCA).The actual name of my father is KHYURAJ SINGH CHAUHAN. 0040739640-10

I,NAHEEM,S/O-Allanoor R/O.Village Sirsa Kalan Ahtmali,Tehsil,Hasanpur,Police-Station, Rehra,Post Rehra,Block,Gangeshwari,District-Amroha(Uttar Pradesh)-244255,have changed my name to Mohd Naeem for all purposes. 0040739592-7

I,NADEEM AHMAD,S/O-NAEEM AHMAD,R/O-47,NAI-BASTI OKHLA,NEW-DELHI 110025,IN MY PASSPORT MY AND MY FATHER NAME ARE INCORRECT-NADEEM AHMED,S/O-NAEEM AHMED CORRECT NAME ARE NADEEM AHMAD,S/O-NAEEM AHMAD. 0040739600-5

I,Manisha Goel alias Manisha Jindal,D/o Surendra Kumar Goyal W/o Manish Jindal,R/o H-112,Phase-1,Ashok Vihar Delhi-110052,have changed my name to Manisha Jindal. 0040739635-8

I,GURVINDER LAL,S/O-TIRATH BABLA,R/O-B-800,SAINIK-COLONY, SECTOR-49, FARIDABAD,HARYANA-121001,changed my minor son name AYAN to AYAN BABLA,For all,future purposes 0040739595-5

I,HIMANSHU S/O-ANIL KUMAR CHOPRA,R/O-PLOT.NO-117, NEAR-GURDWARA, CHANDNAGAR,WEST DELHI-110018,HAVE CHANGED MY NAME TO HIMANSHU CHOPRA,FOR ALL PURPOSES 0040739600-10

I, Sourabh Mehra S/o Mahesh Chander Mehra residence F-39/766A, Gali No-10, Ganesh Nagar-2, Shakarpur, East Delhi-110092 have changed my name from SORABH MEHRA to SOURABH MEHRA for all future purposes. 0040739619-1

I,HIMANSHU SAKHUJA S/O LALIT SAKHUJA R/O 46/8, FIRST-FLOOR EAST PATEL NAGAR KALINDI COLLEGE CENTRAL DELHI-110008, HAVE CHANGED MY NAME TO HIMANSHU SAKHUJA. 0040739635-6

I,ANIL KUMAR,S/O-KUNDAN LAL CHOPRA,R/O-PLOT NO-117,NEAR-GURDWARA, CHAND-NAGAR,WEST DELHI-110018,HAVE CHANGED MY NAME TO ANIL KUMAR CHOPRA FOR ALL PURPOSES. 0040739600-9

I,Hazi Yameen,S/O Mohd Yunus,R/O H.No.A-1383, A-Block, Gali.No-23,Shri Ram-Colony, Rajiv-Nagar,Delhi-110094.have changed my name to MOHD YAMIN. Permanently. 0040739595-9

I,GURVINDER LAL,S/O TIRATH BABLA,R/O,B-800 SAINIK-COLONY SECTOR-49,FARIDABAD HARYANA-121001,changed my minor Daughter name BHOOMI to BHOOMI BABLA,For all,future purposes. 0040739595-6

I,GURVENDER LAL,S/o TIRATH BABLA, R/o,B-800 SAINIK COLONY SECTOR-49, FARIDABAD HARYANA-121001,have changed my name to GURVINDER BABLA.For all future purposes 0040739595-4

I,GIRISH KUMAR SABLOK S/O KHAN CHAND H.NO.B-260, T/F, SURAJMAL VIHAR,ANAND VIHAR, SHAHDARA,DELHI 110092 changed my name to GIRISH SABLOK. 0040739640-2

I,Divya Hemant Sikka W/o Hemant Sikka,R/o A-266,Second Floor,Meera Bagh,Paschim-vihar, Delhi-110087,have changed my name to Divya Sikka. 0040739595-7

I,Hemant Subhashchandra Sikka S/o Subhas Chandra Sikka R/o,A-266, Second-Floor,Meera Bagh, Paschim vihar,Delhi-110087,have changed my name to Hemant Sikka. 0040739595-8

I,JYOTI KAUSHIK W/o AMOL PANKAJ MANNAN, H.NO.96, POCKET-1,SECTOR-22, ROHINI,DELHI-110086, have changed my name to JYOTI KAUSHIK MANNAN,FOR ALL,FUTURE PURPOSES. 0040739648-2

I,Davinder Kaur Hora,W/O Manjit Singh Hora,R/O-B-22 Mansarovar Garden New Delhi-110015 Have Changed My Name to Devender Kaur Permanently 0040739640-1

I,Kamlesh D/o Om Prakash Goyal W/o Sushil Bansal, H.No-177, FF,Pocket-5,Sector-22,Rohini, Delhi-110086 have changed my name to Kamlesh Bansal. 0040739635-3

I,June Lall D/O Shri Bagh Mal R/O C-1,Ganesh Nagar,Tilak Nagar Delhi-110018,changed my name to Sunita DUA. 0040739600-1

I,Jai Pal Singh,S/o Om Prakash,H.No - 5359/6, Street No.6,New Chandrawal, Jawahar Nagar, Delhi-110007,Changed my name to Jaipal. 0040739592-5

I,ANJALI KASHYAP,D/O BRIJESH KUMAR KASHYAP,R/O-Gali.NO-9,Vidya-Vihar, Sihani-Road,Ghaziabad,Post-Ghaziabad,Uttar Pradesh-201001,declare that name of mine has been wrongly written as ANJALI in my 10th-Class Marksheet and name of mine has been wrongly-written as KM ANJALI in my 12th-Class Marksheet & Certificate. The actual name of mine is ANJALI KASHYAP. 0040739592-10

I,Amandeep Singh Jaggi S/o Bhupinder Singh Jaggi R/o 2-C/40, 1ST-Floor,New Rohtak Road,Karol Bagh, W.E.A,Delhi-110005,that my children school records Jaskaran singh and Darsh Deep Kaur my name is wrongly written/mentioned as Amandeep Singh instead of Amandeep Singh Jaggi. Which may be amended accordingly. 0040739640-5

I, Vijay Kumar Bajpai S/o Sh. Mayadhar Bajpai R/o 667 Ahir Mohalla Nangloi Village Delhi-41 have changed my name to Vijay Bajpai. 0040739578-1

I POOJA BABBAR alias POOJA DHAWAN D/O,RAMESH KUMAR DHAWAN W/O,HARSH BABBAR R/O,H.NO-103, Pocket-F-25, Sector-3 Rohini Rajapur-Kalan, North-West, Delhi-110085,changed my-name to POOJA RAMESH KUMAR DHAWAN. 0040739642-8

I, Sharanyaa W/o Santhanagopalan.K R/o, Flat-No.135, Sahyog-Apartments, Mayur-Vihar Phase-1, Delhi-110091 have changed my name to Sharanyaa.S for all purposes. 0040739642-1

I, Shakuntala Devi W/o Prateek Singh R/o Mansoorpur, Semra Larpur,Rampur, UP-244924,have changed my name to Shakuntla Devi for all purposes. 0040739575-1

I, Satish S/o Tara Chand R/o FCA 43,Bhimsen Colony,Ballabgarh, Faridabad have changed my name to Satish Sharma. 0040739592-1

I, Sandeep Kumar Aggarwal (alias Sandeep Aggarwal) s/o Joginder Pal r/o A-1/46, Paschim Vihar, New Delhi-110063 have changed my name to SANDEEP KUMAR. 0040739577-2

I, Sachin Kumar Rai S/o Subodh Kumar Rai, R/o 6908, Qila Kadam Sharif, Nabi Karim, Pahar Ganj, New Delhi-55 declare that my father's name has been wrongly written as Subodh Kumar Rai in my School Records & 10th and 12th Class Documents. The actual name of my father is SUBODH KUMAR RAY which will use for all purpose in future. 0040739616-1

I,Bhupender Chaudhary,S/o Sukhbir Chaudhary,R/o-H.no.47,Ground Floor,Block-6,Rajendra Nagar,Sector-2, Sahibabad,Ghaziabad,Uttar pradesh-201005,have changed my name and shall hereafter be known as Pinki Chaudhary. 0040739648-1

I,Banarsi Lall, S/O Shri Gopal Dass,R/O C-1 Ganesh Nagar,Tilak-Nagar,Delhi 110018, changed my name to Banarsi Lal DUA. 0040739600-2

I, Gopala Krishnan Sharda D/o Rajam Iyer Gopala Krishnan Iyer, R/o 25D, A-3, Jagriti Apartments, Sector-71, Noida, G.B. Nagar U.P.-201301 have changed my name from Gopala Krishnan Sharda to G Sharda for all future purposes. 0040739610-1

I, SUJATA MINHAS, W/O MOHAN CHARAN, R/O H NO-529, SECTOR-A POCKET-C VASANT KUNJ, SOUTH WEST DELHI-110070, have changed my name to SUJATA MOHAN CHARAN for all future purposes . 0070913926-1

I, Naresh Kumar S/o Shamburam Goel R/o H.No.1040, Sector 17,Faridabad have changed my name to Naresh Goel. 0040739592-2

I, KUMARI NAINIKA D/o No.4061929F RANK Ex NK MOHAN SINGH R/o TA 176/1, FIRST FLOOR RIGHT SIDE FROM STAIR, GALI No.-3, TUGHLAKABAD EXTN., KALKAJI, SOUTH DELHI, DELHI-110019 HAVE CHANGED MY NAME TO NAINIKA CHAUDHARY VIDE AFFIDAVIT DATE 22.7.24 BEFORE DELHI 0070913977-1

I, Dipti Gupta W/o Rajneesh Gupta R/o H.No.85, Sector 9, have changed my name to Deepti Gupta. 0040739592-3

I, Khanna Sanjeev S/o Raja Ram Khanna R/o 39B, GT Road, Yamuna Enclave, Panipat, Haryana-132103 have changed my name to Sanjeev Khanna 0070913988-1

I, Khanna Namita W/o Sanjeev Khanna R/o 39B, GT Road, Yamuna Enclave, Panipat, Haryana-132103 have changed my name to Namita Khanna 0070913976-1

I,AJAY SAXENA S/O KASHI RAM,H.NO-4649/B2/16,STREET.NO-11,NEW MODERN BUDH-BAZAR SHAHDARA,EAST-DELHI-110032,have changed my name to AJAY KUMAR,for all,future purposes. 0040739604-2

I, Humera Kausar Quddusi W/o Inamur Rehman R/o 385/218, Lane No.15, Ghaffar Manzil, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025 have changed my name from Humera Quddusi to HUMERA KAUSAR QUDDUSI for all future purposes and legal documents. 0040739573-1

I hitherto known as LOUNDU SINGH Urf RAJESH S/O RAM LAL R/O H.NO-C-61, STREET NO-1 C-BLOCK, PRATAP NAGAR, SABOLI VILLAGE, NORTH EAST DELHI-110093 have changed my name and shall hereafter be known as LOUNDU. 0040739574-1

I Varun Kumar S/o Rohtash Dahiya R/o F-12, Swati Apartments, I.P.Extension, New Delhi-110092 have changed the name of my minor son from Havish Dahiya to Shaurya Singh Dahiya for all purposes. 0040739571-2

I MANJU,THE SINGLE PARENT,RESIDENT 373,SECTOR-15,SONIPAT, HARYANA HAVE CHANGED MY MINOR SON NAME FROM HARDITYA TO HARDITYA SINGH. 0040739592-6

I MANJU D/O RAVINDER SINGH ANTIL RESIDENT HOUSE NO-373,SECTOR-15,SONIPAT,HARYANA HAVE CHANGED MY NAME TO MANJU ANTIL. 0040739592-5

I Jyoti D/O, Abdul Rashid R/o Wz-1573 Tihar Village Tilak Nagar New Delhi 110018 have changed my name to Zarina. 0040739582-1

I Jatin Groveer S/O, Bal Kishan Grover R/o A5-B/ 429, DDA Flats, Shanti Kunj, Paschim Vihar, New Delhi- 110063 have changed my name to Jatin Grover vide Affidavit Dtd: 22/07/2024 sworn before notary Rajkumar, Delhi. 0040739580-1

I Hitesh S/O, Ashok Kumar R/o Rz-93 Indra Park Uttam Nagar Delhi-110059 have changed my name to Hitesh Patpatia. 0040739581-1

I Gaurav Aggarwal S/o Ram Bhagat Aggarwal R/o A-504/4, Near A Block Gurudwara, VTC:Shastri Nagar, PO:Ashok Vihar, Sub District:Saraswati Vihar, District: North West Delhi, Delhi-110052 have changed the name of my minor daughter from Pihu Aggarwal to Taavisi Aggarwal for all purposes. 0040739571-1

I GURPREET SINGH S/O AMARJIT SINGH R/O-28, Ground-Floor, Arjun-Nagar, Safdarjung-Enclave, South-West Delhi-110029,changed my-minor daughter's name PRIJAS to PRIJAS KAUR aged-5-Years. 0040739642-10

I DIVYANKA D/O ASHOK MALIK R/O Gac-024 New Town Heights Sector-86, Nawada Fatehpur(112) Gurgaon, Haryana-122004, changed my-name to DIVYANKA MALIK. 0040739642-11

I DIMPLE SETIA D/O GULSHAN SETIA W/O ANIRUDH SINGH R/O,H.No-24-B Gh-10, Sunder-Apartment, Paschim-Vihar, West-Delhi-110087, changed my-name to DIMPLE SETIA SINGH. 0040739642-6

I ATITHI VERMA D/O JITENDRA VERMA R/O,Flat-No-602 Tower-P City-Apartments, Aditya Word-City Nh-24 Ghaziabad,Kavi-Nagar Uttar Pradesh-201002 changed my name to ADITI VERMA. 0040739642-9

I Ishant S/O Puran Chand,House.no-361 sector -4 Rewari Haryana -123401 have changed my Name to ISHANT KALRA Permanently. 0040739635-4

I AMANDA D/O NAWINDRA KUMAR SINGH R/O-9-E, CPWD-Colony, Vasant Vihar-1, South-West Delhi-110057 changed my name to AMANDA SINGH. 0040739642-7

I, VISHAL DAVID S/O Francis David, R/o 2515 A/27, Tughlakabad Extn., South Delhi, Delhi-110019 have changed my name to VISHAL FRANCIS DAVID for all purposes. 0040739605-1

I,OM PRAKASH,S/O MOHAN R/O B F-16, J.J.COLONY,MADANGIR,NEW DELHI-110062,have changed my minor daughter's name from MOHINI BANSAL to ANUSHKA VERMA, for all,future purposes. 0040739640-3

I, SARLA DEVI, W/O DHARAM VEER SINGH R/O. WZ-501, NARAINA VILLAGE, N.D-28 CHANGED MY NAME TO SARLA TANWAR. 0130043656-1

सार्वजनिक सूचना

PUBLIC NOTICE

My clients, Mrs. Shrastha Sumbly (aged 57 years, wife of Mr. Raj Kumar, residing at B-128, Sector-122, Noida, U.P-201301, Aadhar No. 847517025517) and Mr. Raj Kumar(aged 64 years, son of Mr. M L Sumbly, father of Pranay Sumbly, residing at B-128, Sector-122, Noida, U.P-201301, Aadhar No. 539114448803), hereby declare that they have disowned their son, Pranay Sumbly from all their movable and immovable assets. From this point forward, my clients shall not be responsible for any acts done by their son. The above statements are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Anam Siddiqui (Advocate)
D/6216/2018

PUBLIC NOTICE

My client **Pushpa Saini W/o Late Sh. Pardeep Saini R/o KH. No. 68/1 Main Road, Bhor Garh, PO: Bhorgarh, North West Delhi, Delhi 110040** severe all relations & Debar her Son **Rahul Saini,** S/o Late Sh. Pardeep Saini from all movable-immovable property(s) due to misconduct, disrespect and immoral behaviour. And, whosoever will deal with the **Rahul Saini** S/o Late Sh. Pardeep Saini will be doing so at his own risk and responsibility and my client shall not be liable for any act of the Rahul Saini S/o Late Sh. Pardeep Saini.

Sd/-
AKASH
Advocate
Ch. No. 707, Lawyers Block,
Saket Court, New Delhi

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवकिल्ला **श्रीमति शकुंतला धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बीरबल** निवासी बी 109, गली नंबर 3, बी-ब्लॉक, निकट जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल, सादतपुर विस्तार, दिल्ली-94 ने अपने पुत्र अजयपाल सिंह और उसकी पत्नी रेणुबाला को उनके तीनों बच्चों सहित उनके निरंतर दुर्वयव्हार, गाली-गलोच, लड़ाई-झगडा और अपमानजनक व्यवहार तथा दुराचरण से तंग आकर उनके साथ अपने समस्त संबंध समाप्त करके उन्हे अपनी समस्त चल-अचल संपति से बेदखल कर दिया है और अब उनके किसी भी कार्य से मेरी उपरोक्त मुवकिल्ला का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा।

K.K. LUTHRA (Advocate)
Chamber No. E-211, IInd Floor,
Lawyer's Chamber Block,
Karkardooma Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I, Ashok Kumar Son of shri Rijumal owner of Shop No. B-940, New Subzi Mandi, Azadpur, Delhi, has applied for duplicate paper of the aforesaid Shop such as original allotment Letter, Possession letter and NOC for Water and Electricity connection has been lost. File No.F.SM(62)69/Impl, An FIR (LR.No.1955375/2024) to this effect has been lodged in the police station crime branch Delhi on dated 21/07/2024. Any person claiming any right, intrest, having any objection or found in possession of original documents may write/contact with the above named person at above address/Phone nn.9311171793, Dy. Director (CE) or Director (CE), DDA Office Vikas Sadan, New Delhi, within 15 days from the date of publication of this notice.

PUBLIC NOTICE

My Client Smt. Seema Arora W/o Late Shri Mukesh Arora R/o House No. C-241, Gali No. 40, 60 Feet Road, Mahavir Enclave, Part - 3, New Delhi 110059, have severed all relations with her son namely Shri. Ashish Arora and have disowned & disinherited him from all her movable and immovable properties due to his untoward behaviour and conduct. Whosoever deals with him in any manner, shall do so at his/her own risk and peril.

Anirudh Gupta (Advocate)
Enrll. No. D/4483/15

PUBLIC NOTICE

It is hereby notified that my client Sh. Sumit Gupta S/o Sh. Narender Kumar Gupta R/o A- 16/1, Golden Park, Shiv Puri, Delhi-110051 has lost the original title documents i.e. (1) Sale Deed dated 20.05.1965, (2) Partition Deed dated 22.12.2001, (3) Letter of Administration granted by Sh. Shiv Narayan Dhingra, District Judge, Delhi dated 04.02.2006 in probate case no.339/2024, with respect to property No.B/27, Golden Park, Shiv Puri, Delhi-110051, if anyone found, please contact mobile no.9810275406, 9899291465.

Sd/-
A.C. DAVID
Advocate
304, Madras House,
67/4, Darya Ganj, New Delhi-02

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that my client I P Singh Bhasin S/o Late Sd. Manna Singh intend to sell his property situated at Punjabi Bagh west bearing plot no 47 at West Avenue Road, New Delhi-110026. Any person having any right, title, interest, claim or demand of any nature whatsoever in respect of the said property, is hereby required to make the same in writing along with the documentary proof thereof, to the undersigned at within 15 days from the date of publication hereof, failing which claims if any shall be deemed to have been considered given up or waived.

Anurag Paliwal (Advocate)
D-728, Street No.4,
Shakarpur New Delhi-110092

PUBLIC NOTICE

Know by public at large that my client **Sh. Ramesh Kumar,** S/O Lt. Sh. Assa Singh, currently residing at WZ-298, upper ground floor, gali no.4, shrinagar, Ranibagh Delhi-110034, aadhar card no. 8713-4557-5935 has disowned/ debarred his one of the sonie. **Ashish Dung** resident of WZ-3376, Mahindra park, Rani bagh, Delhi-110034, having aadhar card no. 5102-4047-7485, from his all movable and immovable properties due to misconduct. Any persons deal with them, then my client shall not be responsible at all.

Sd/-
SANDEEP KUMAR
Advocate
Ch. No. 214, D-Block, IInd Floor,
Karkardooma Court, Delhi-110032

PUBLIC NOTICE

Be it known to whole world at large that I, Brij Lal s/o Baijnath r/o G -1 Block /36, Gali No.2, Sai Enclave, Mohan Garden, New Delhi - 110059, have revoked public notice dated 20/08/2020, published in Newspapes 'Indian Express' and 'Jansatta', regarding disownment and disinheritance of my son namely Ajay Kumar Yadav, from all my movable & immovable properties, w.e.f 20.07.2024. Henceforth, my son and his wife, their legal heirs or any person claiming through them, will have claim, right, title and interest in my movable and immovable properties as per applicable law. **Manoj Kumar, Advocate Chamber No. 114, 1" Floor, Western Wing,Tis Hazari Court, Delhi.-110054**

PUBLIC NOTICE

MY CLIENTS RITA AND HER SON SUNIL SHARMA ANIL SAHRMA AND HER DAUGHTER RAJNI RESIDENT OF D 434 PEERAGARI CAMP SHAKUR BASTI DEPOT SO NORTH WEST DELHI-110056 HEREBY REMOVE THEIR RELATIONSHIP AND EXPEL THEIR HUSBAND/FATHER AJAY SHARMA AGE 59 YRS. D 434 PEERAGARI CAMP SHAKUR BASTI DEPOT SO NORTH WEST DELHI-110056 FROM ALL THEIR MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTIES BECAUSE HE IS OUT OF THEIR CONTROL. IF ANYBODY DEALS WITH HIM, HE/SHE WILL DO SO ON HIS/HER OWN RISK.

PRAGATI GAHLAUT
(Advocate)
OFFICE:-C-62, CLJ LAWYER
CHAMBERS TIS-HAZARI, DELHI-54

PUBLIC NOTICE

Notified that my client's (1) Mohd Farukh S/o Nabi Akram (2) Shabjadi Khatoon W/o Md Farukh both R/o House No.688. Black-D-1. JJ Colony, Bhalswa Delhi-110042, has severnd relations from their son Mohd Aftab and his wife Alina Praveen and their siblings, due to their cruel and harassing behavier towards my above named clients. Now they have no domestic relations with them and have disowned and disinherited them from all our movable & immovable properties.

Any person dealing with him/her/their will do at their own cost & risk and my clients should not be responsible for them. If any.

SAURABH COUPTA
Advocate
Enrl. No D/369/2011

पुणे की अदालत ने पूजा खेडकर की मां को न्यायिक हिरासत में भेजा

पुणे, 22 जुलाई (भाषा)।

पुणे जिले की एक अदालत ने भूमि विवाद को लेकर कथित तौर पर कुछ लोगों को बंदूक दिखाकर धमकाने के आरोप में गिरफ्तार परिवीक्षाधीन आइएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मनोरमा को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद मनोरमा को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें 18 जुलाई को रायगढ़ जिले के महाड के पास हिरकनिवाड़ी गांव के एक लाज से पकड़ा गया था।

पिछले साल पुणे की मुलशी तहसील के धडवाली गांव में एक भूमि विवाद को लेकर मनोरमा द्वारा कुछ लोगों को कथित तौर पर बंदूक का भय दिखाकर धमकाने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उनकी और उनके पति दिलीप खेडकर की तलाश शुरू कर दी थी। पुणे देहात की पौड पुलिस ने खेडकर दंपति और पांच अन्य पर आइपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 144 (घातक हथियारों से लैस गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा) और 506 (आपराधिक धमकी) के अलावा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

नेशनल हेराल्ड मामला : हाई कोर्ट ने सोनिया, राहुल और सुब्रमण्यन से लिखित जवाब मांगा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यन स्वामी और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी व राहुल गांधी को चार सप्ताह के भीतर लिखित व संक्षिप्त जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अदालत ने कहा कि तय अवधि के बाद लिखित जवाब 15 हजार रुपए के मुकदमा खर्च के साथ स्वीकार किया जाएगा।

अदालत ने इस मामले को बहस के लिए 29 अक्तूबर को सूचीबद्ध किया है। हाई कोर्ट सुब्रमण्यन स्वामी की ओर से नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई अदालत के समक्ष सबूत पेश करने का अनुरोध करते हुए दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं अन्य आरोपी हैं।

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा

हमें अब यूसीसी की जरूरत को समझना चाहिए

भोपाल, 22 जुलाई (भाषा)।

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने कहा कि कानून निर्माताओं को यह समझने में कई साल लग गए कि तीन तलाक असंवैधानिक है और समाज के लिए बुरा है और अब हमें देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता को समझना चाहिए।

उन्होंने पिछले सप्ताह भारतीय दंड संहिता, मुसलिम महिला (विवाह के अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत आरोपों का सामना कर रही मुंबई की दो महिलाओं की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायाधीश ने कहा कि समाज में कई अन्य अपमानजनक, कट्टरपंथी, अंधविश्वासी और अति-रूढ़िवादी प्रथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें आस्था और विश्वास के नाम पर छिपाया जाता है। वर्मा की एकल पीठ ने कहा कि हालांकि भारत के संविधान में पहले से ही अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की वकालत की गई है, फिर भी इसे केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविकता में बदलने की आवश्यकता है। बेहतर ढंग से तैयार किया गया समान नागरिक संहिता ऐसी अंधविश्वासी और बुरी प्रथाओं पर लगाम लगा सकता है और राष्ट्र की अखंडता को मजबूत करेगा।

उन्होंने कहा कि कानून निर्माताओं को यह समझने में कई साल लग गए कि तीन तलाक असंवैधानिक है और समाज के लिए बुरा है। हमें अब अपने देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता को समझना चाहिए। यह मामला मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 से संबंधित है। तीन तलाक एक गंभीर मुद्दा है। मुंबई की मां-बेटी आलिया और फराद सैय्यद की याचिका का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की। अपनी याचिका में दोनों ने आइपीसी, दहेज अधिनियम और मुसलिम महिला अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी, साथ ही महाराष्ट्र की सीमा से सटे बड़वानी जिले के राजपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) के समक्ष लंबित परिणामी कार्यवाही को भी रद्द करने की मांग की थी।

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my clients Mr. Rishi Kumar S/o Late Mr. Ran Singh and Meenu W/o Mr. Rishi Kumar, R/o J-295, Dakshin Puri, Ambedkar Nagar, New Delhi-110062, have debarred, disowned their daughter namely Ms. Dakshita Rishi from their all movable and immovable properties and severed their all relations with her due to her disobedient, ill-treatment and hostile behaviour towards my clients and their other family members and she (Dakshita Rishi) is not under their control. My clients shall not be responsible for any of her act, conduct and deeds whatsoever in future of their daughter Dakshita Rishi. Anybody dealing with above said person shall be doing so at their own risk.

Ramesh Kumar (Advocate)
Enrolment No. D/1027/97/R
Chamber No. 325, Saket Court
Complex, New Delhi - 110017

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients **Anis Ahmed** S/o Lal Mohmmad and his wife **Smt. Shamma Parveen** W/o Anis Ahmed, both R/o A-37, Mange Ram Park Phase-1, Budh Vihar, Delhi-110086, have severed their relations from their son namely **Sameer Ahmed** and my above clients have also disowned and disinherited him from all their movable and immovable properties. Henceforth, anybody dealing with the said **Sameer Ahmed** may do so at his/her own risk and consequences and my above said clients shall not be held liable for any of the acts, deeds and things done by above Sameer Ahmed.

Sd/-
A.N. PANDEY (Advocate)
Chamber No. 552, Lawyer's Chamber
Dwarka Court, Complex, Sec-10,
Dwarka, New Delhi-110075

PUBLIC NOTICE

I, Madhu Bala W/o Late Sh. Yashvir Singh Sharma R/o RZ-A-104, Kh.No.112/7,8, Block-A, Madhu Vihar, Delhi-110059, wants to state that my hushand's bag is lost and we are unable to fund the bag and valuable relatables, property documents of the bag. Hence, I would like to declare that if anybody finds any bag Related to Yashvir Singh Sharma which is black in colour, Please contact to me and return the bag. The misuse of the document of relatables would be illegal and hence, if found, the person will be procescuted under law. Kindly contact me to return. My contact number is: 9999776853.

गुजरात में सार्वजनिक स्थानों से 503 अनधिकृत धार्मिक ढांचे हटाए गए

अहमदाबाद, 22 जुलाई (भाषा)।

गुजरात सरकार ने सोमवार को उच्च न्यायालय को बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए पिछले तीन साल में सार्वजनिक स्थलों से लगभग 503 अनधिकृत धार्मिक ढांचे हटाए गए हैं।

महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल की पीठ को बताया कि राज्य सरकार ने निगरानी, नियमित तौर पर ऐसे ढांचों को हटाने और संबंधित विभागों को स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए स्थानीय प्रशासन स्तर पर समितियां बनाने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

त्रिवेदी ने कहा, 'लगभग तीन महीनों (स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर याचिका पर 22 अप्रैल 2024 को सुनवाई किए जाने के बाद से) में 503 धार्मिक ढांचों को हटाया गया है, जिनमें से 236 जिला क्षेत्रों, जबकि 267 नगर निगम क्षेत्रों में थे।' नगर निगम क्षेत्रों में दो ऐसी संरचनाओं को नियमित किया गया है।

खबर कोना

अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

महापौर शैली ओबेराय ने सोमवार को करोलबाग जोन के वार्ड संख्या-86 में पूर्वी पटेल नगर और पश्चिमी पटेल नगर क्षेत्र का निरीक्षण किया और क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान महापौर ने निगम अधिकारियों को अनधिकृत पार्किंग और अतिक्रमण को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। महापौर ने बताया कि अनधिकृत पार्किंग की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में कहीं पर भी अनधिकृत पार्किंग और अतिक्रमण न हो।

जामिया विवि में शाहिद खान मुख्य कुलानुशासक और सुरक्षा प्रभारी नियुक्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने मोहम्मद शाहिद खान को तत्काल प्रभाव से मुख्य कुलानुशासक और सुरक्षा प्रभारी नियुक्त किया है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई। आदेश के अनुसार, यह नियुक्ति विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति मोहम्मद शकील द्वारा विज्ञान संकाय के अतीकुर रहमान को तत्काल विश्वविद्यालय के मुख्य कुलानुशासक और सुरक्षा प्रभारी के रूप में उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त करने के बाद की गई है।

प्रसाद नगर इलाके में तीन झपटमार गिरफ्तार

नई दिल्ली, 22 जुलाई (संवाददाता)।

प्रसाद नगर पुलिस टीम ने तीन शातिर झपटमारों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूट का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। बदमाशों में से एक रोहित उर्फ पांडा पहले से भी दो मामलों में शामिल है। जबकि उसका साथी मिहिर एक आपराधिक मामले में संलिप्त है। जिला पुलिस अधिकारी के मुताबिक, तीन जुलाई को प्रसाद नगर इलाके में झपटमारी की एक वारदात हुई थी। इसमें तीन लोगों ने बापानगर इलाके में एक शख्स से मोबाइल छीन लिया था।

मेट्रो के खंभे से टकराई डीटीसी बस, महिला की मौत; 34 घायल

मादीपुर शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास हुआ हादसा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में सोमवार को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की इलेक्ट्रिक बस का अचानक से संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे मेट्रो के खंभे से टकरा गई। जिसके कारण बस में बैठे करीब 34 यात्री घायल हो गए। हादसे में 45 साल एक महिला की मौत हो गई।

इस दुर्घटना में बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रूट नंबर 939 की यह बस मंगोलपुरी से आइएसबीटी आनंद विहार तक चलती है। यह हादसा मादीपुर शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास हुआ।

पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त विचित्र वीर ने बताया कि पंजाबी बाग थाने को सोमवार सुबह सात बजकर 42 मिनट पर रोहतक रोड पर शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन के निकट बस दुर्घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची जहां प्रारंभिक जांच से पता चला कि मंगोलपुरी और आनंद विहार के बीच चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम के (डीटीसी) बेड़े की इलेक्ट्रिक बस मेट्रो खंभे से टकरा गई। उपायुक्त ने कहा कि बस के अचानक ब्रेक लगाने के कारण एक आटो रिक्शा और मोटरसाइकिल भी पीछे से बस से टकरा गई। इस दुर्घटना में चालक और कंडक्टर समेत कुल 34 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। उन्होंने कहा कि बस में सवार 45 वर्षीय महिला यात्री को महाराजा अग्रसेन अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक अन्य 55 वर्षीय यात्री फिलहाल आइसीयू (गहन चिकित्सा इकाई) में है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 34 घायलों में से कुछ का इलाज महाराजा अग्रसेन अस्पताल में जारी है, जबकि शेष घायलों को मोती नगर स्थित आचार्य भिक्षु अस्पताल में ले जाया गया है। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि पंजाबी बाग पुलिस थाने में कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

दुर्घटना से बचने के लिए मोड़ी बस

डीटीसी के एक अधिकारी ने दावा किया कि बस अपनी निर्धारित लेन में चल रही थी। एक मोटरसाइकिल सवार और एक आटोरिक्शा चालक अचानक दाएं मुड़ गए। दुर्घटना से बचने के लिए बस चालक भी दाएं मुड़ा लेकिन संतुलन खोने के बाद बस मेट्रो खंभे से टकरा गई। दुर्घटना के बाद काफी देर तक उस सड़क पर यातायात जाम की स्थिति बन गई।

बस की रफ्तार काफी तेज थी

मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि बस की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से चालक उसपर नियंत्रण नहीं कर रख सका। बस और आटो को क्षतिग्रस्त हालत में पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने धारा 281, 125ए और 106 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर चालकों और घायलों से पूछताछ के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता चल सके।

चार मंजिला इमारत का खंभा टूटा, लोगों ने भाग कर बचाई जान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र स्थित गदईपुर इलाके में रविवार देर रात एक पुरानी चार मंजिला मकान का खंभा टूट गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। घटना के वक्त मकान के अंदर 10-12 लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने भाग कर अपनी जान बचाई।

मकान करीब 10 से 15 साल पुराना है, घटना के बाद मचा हड़कंप।

गनीमत रही कि इमारत पूरी तरह से नहीं गिरी। वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि, घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने समय पर स्थानीय लोगों की मदद से मकान को खाली कराया।

दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने सोमवार को बताया कि रविवार देर रात करीब 1:00 बजे फतेहपुर बेरी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्रीन पार्क गदईपुर में एक मकान का खंभा टूट गया है और इमारत गिरने वाली है। सूचना मिलने पर तुरंत घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंची तो पता चला कि भूमिगत तल पर बने पार्किंग का एक खंभा टूट गया है। शुरुआती जांच से पता चला कि इमारत करीब 10-15 साल पहले बनी थी। खंभा टूटा तो काफी तेज आवाज आई। इमारत में जो लोग रहते थे, कुछ लोगों ने भाग कर जान बनाई। वहीं, कुछ लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि फिलहाल लोहे की रोड लगाकर खंभा को मजबूत कर दिया गया है। साथ ही लोगों से इमारत में जाने से रोका गया है, ताकि कोई अनहोनी नहीं हो।

किशोर की गला रेत कर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में एक किशोर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस को उसका शव दूसरा पुश्ता स्थित नाले में मिला। उसकी गर्दन पर दो निशान मिले हैं।

पुलिस को उसके पास से कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस को घटनास्थल के पास से एक चाकू मिला है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तरी पूर्वी टिर्की ने बताया कि पिछले 19 जुलाई सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस को दूसरे पुश्ता स्थित गली नंबर दो के पास एक किशोर के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा कि वह अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिस उसे अस्पताल गई, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस ने नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1) के तहत मामला हत्या का केस दर्ज कर लिया है।

सिसोदिया को फिर नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 26 तक बढ़ाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

अदालत ने शराब घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सोमवार को 26 जुलाई तक बढ़ा दी।

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह आदेश तब पारित किया, जब सिसोदिया को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 30 अप्रैल को कथित घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और संबंधित धन शोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

अदालत ने कविता के खिलाफ आरोप पत्र पर लिया संज्ञान

अदालत ने शराब घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर सोमवार को संज्ञान लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपपत्र पर ध्यान दिया और कहा कि मामले में उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। न्यायाधीश ने सीबीआइ को कविता को पूरक आरोप पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया, जिन्हें वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था।

खुद को गोल्डी बराड़ बताकर मांगी रंगदारी, दो गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

पुलिस ने खुद को गोल्डी बराड़ बताकर रंगदारी मांगने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ इस संबंध में पिछले 20 जुलाई को थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपियों की पहचान रोहिणी सेक्टर-16 निवासी मनोज उर्फ बंटी (40) और गोहना, हरियाणा निवासी अनिल सिवाच (43) के रूप में हुई है। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त गुरइकबाल सिंह सिद्धू ने सोमवार को बताया कि पिछले 18 जुलाई की रात करीब 10 बजे एक व्यक्ति को अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को गोल्डी बराड़ बताया और रंगदारी मांगी। पैसे नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।

उपायुक्त ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद एक टीम गठित की गई। फोन रिकार्ड की जांच के बाद अनिल सिवाच को गिरफ्तार किया गया और बाद में रविवार को उसके सहयोगी मनोज को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने खुलासा किया कि शिकायतकर्ता का मनोज के साथ रुपए को लेकर विवाद था। ऐसे में मनोज ने अपने दोस्त अनिल के साथ मिलकर यह साजिश रची। पुलिस ने बताया कि अनिल एक ई-कामर्स कंपनी के माध्यम से आनलाइन उत्पाद बेचने का काम करता है जिसके लिए वह फोन करने के खातिर अंतरराष्ट्रीय नंबर का इस्तेमाल करता है।

ज्ञान और समृद्धि का संदेश देती हैं पुस्तकें : अमिताभ कांत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

लेखक और जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि पुस्तकों का संदेश सरल होता है, ज्ञान और समृद्धि का संदेश। यह आपकी सोच को प्रफुल्लित करने और आपको अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में मदद करती है।

कांत पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 'द रीडर्स कांक्लेव' के नाम से माटी ट्रस्ट के पाठक समागम के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पाठक समागम के पहले संस्करण में कारपोरेट प्रबंधन, जीवनी, यात्रा वृतांत, इतिहास, आध्यात्मिकता से लेकर कथा साहित्य, बाल कथा और कविता तक लगभग सभी विधाओं की पुस्तकों को शामिल किया गया है। माटी के संयोजक आसिफ आजमी ने कहा कि पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के अलावा, हम पाठकों को मूल स्रोत की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अध्यक्षीय संबोधन में राम बहादुर राय ने कहा कि किताबों की अहमियत कभी कम नहीं होगी।

मामले को लेकर दो वकील आपस में भिड़े

नई दिल्ली, 22 जुलाई (संवाददाता)।

लक्ष्मी नगर थाना स्थित विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (एसईएम) कोर्ट परिसर में शनिवार को दो वकील एक मामले को अपने हाथ में लेने के लिए आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर लात और घूंसे से हमला करना शुरू कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग निवारक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

Co - Sponsor
National Disaster Management Authority
State Partner
Relief Commissioner Office, Govt Of Uttar Pradesh
Associate Partner
Uttar Pradesh Fire & Emergency Services Govt Of Uttar Pradesh
Labour Department, Govt of Uttar Pradesh
Organiser
PHD CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VOICE OF INDUSTRY AND TRADE
Co - Organiser
SAFETY APPLIANCES MANUFACTURERS ASSOCIATION

3rd EDITION
उत्तर प्रदेश फायर एंड सेफ्टी एक्सपो एंड कांफ्रेंस
UFSEC
औद्योगिक सुरक्षा (एचएसई), अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया पर एक विशेष प्रदर्शनी और सम्मेलन
24th-25th जुलाई 2024

उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा
फायर एंड सेफ्टी एक्सपो एंड कांफ्रेंस

औद्योगिक सुरक्षा

आपदा प्रतिक्रिया

अग्नि सुरक्षा

अवश्य पधारें!

सुरक्षित कार्य है कर्तव्य हमारा, सुरक्षित जीवन से जुड़ा है भविष्य हमारा,
आइये, आग को दूर रखने के लिए और
सुरक्षा को बढ़ाने के लिए "रास्ता प्रज्वलित करें"

TITLE SPONSOR
KARAM knowing your needs better
PLATINUM SPONSORS
Radico SPIRIT OF EXCELLENCE
CP PLUS
DIAMOND SPONSORS
EIL
EURO SAFETY SOLUTIONS
GOLD SPONSORS
IndianOil
igl
25
SAFETY CONTROLS & DEVICES LTD.
INDORAMA
ARMORFIRE
SPARK MINDA
Mechartes
SUPPORTING PARTNER
एनटीपीसी NTPC
sidbi
Ravel
ZOLOTO VALVES
moglix
SLMG
KNOWLEDGE PARTNER
MEDIA PARTNER

समय :
सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक
स्थान :
हॉल नंबर 01, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, नॉलेज पार्क 2, ग्रेटर नोएडा

प्रदर्शनी प्रवेश निशुल्क

स्पॉट रजिस्ट्रेशन (कांफ्रेंस)
कौशिक फुलोरिया
+91 88824 64168

यूको बैंक UCO BANK
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust
प्रधान कार्यालय : 10, बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता-700 001
ग्राहक अनुकूल समाधान करें आपका जीवन आसान
यूको अपराजिता
यूको एम बैंकिंग प्लस के साथ एक पेशेवर की तरह अपने वित्त का प्रबंधन करें
यूको स्टार्ट-अप-स्कीम
कार ऋण ब्याज दर 8.45% प्रति वर्ष*
गृह ऋण ब्याज दर 8.30% प्रति वर्ष*
1800-103-0123 | 7666399400 | 8334001234 | सीकेवाईसी कार्ड के लिए मिस्ड कॉल : 7799022129

कुल कारोबार	अग्रिम	जमा	निवल लाभ	सीडी अनुपात	सीआरएआर	पीसीआर	जीएनपीए	निवल एनपीए
11.46% (वर्ष-दर-वर्ष)	17.64% (वर्ष-दर-वर्ष)	7.39% (वर्ष-दर-वर्ष)	147% (वर्ष-दर-वर्ष)	72.07%	17.09%	95.76%	3.32%	0.78%

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित समेकित (समीक्षित) वित्तीय परिणाम (₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	30.06.2024 को समाप्त तिमाही (समीक्षित)	30.06.2023 को समाप्त तिमाही (समीक्षित)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय (निवल)	685942	585695	2511987
2	अवधि का निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवाद और / या असाधारण मदों के पूर्व)	86247	34666	256885
3	अवधि का कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और / या असाधारण मदों के पश्चात)	86247	34666	256885
4	अवधि का कर पश्चात समेकित निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और / या असाधारण मदों के पश्चात)	55530	22493	167155
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/हानि सहित) (कर पश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)	संदर्भ नोट - 2		
6	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी	1195596	1195596	1195596
7	आरक्षित निधि (आरक्षित निधि के पुनर्मूल्यांकन को छोड़कर)	1226027	1084444	1226027
8	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	362571	362571	362571
9	निवल मूल्य	1624551	1420661	1611085
10	चुकता ऋण पूंजी / बकाया ऋण	0.07	0.09	0.08
11	बकाया प्रतिदेय अधिमान शेयर	–	–	–
12	ऋण ईक्विटी अनुपात	1.07	0.87	0.93
13	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- का) (निरंतर एवं स्थगित परिचालनों के लिए)			
	1. मूलभूत :	0.45	0.19	1.40
	2. तनूकृत :	0.45	0.19	1.40
14	पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	–	–	–
15	डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधि	–	–	–
16	ऋण चुकौती कवरेज अनुपात	लागू नहीं		
17	ब्याज चुकौती कवरेज अनुपात			

नोट : 1. उपर्युक्त विवरण सेबी अधिनियम 2015 (सूचीबद्धता दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) के विनियम 33 एवं 52 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दर्ज तिमाही/छमाही के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही/छमाही के लिए वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.nseindia.com और www.bseindia.com) तथा बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) पर उपलब्ध है। 2. कुल व्यापक आय और अन्य व्यापक आय से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है क्योंकि इंड-एएस अभी तक बैंक पर लागू नहीं हुआ है।

यूको बैंक कृते
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 22 जुलाई, 2024
ह. विजयकुमार निवृत्ति कांबले कार्यपालक निदेशक
ह. राजेन्द्र कुमार साबू कार्यपालक निदेशक
ह. अश्वनी कुमार एमडी एवं सीईओ
ह. अरुणुदन कृष्ण कुमार अध्यक्ष
हमें अनुसरण करें www.ucobank.com

खबर कोना

फ्लैट का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के गहने चुराए

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 22 जुलाई।

जलवायु विहार स्थित महिला मीडियाकर्मी के फ्लैट का ताला तोड़कर चोर सोने के गहने समेत अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। जिस समय फ्लैट में चोरी हुई, तब पीड़िता अपने गृह जनपद कानपुर गई हुई थी। महिला की शिकायत पर थाना सेक्टर-20 पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता ऋचा वाजपेयी ने बताया कि बीते दिनों वह किसी काम से कानपुर अपने घर गई हुई थीं। 18 जुलाई की सुबह पड़ोस में रहने वाली महिला का फोन आया, उन्होंने फ्लैट का ताला टूटा होने व चोरी के बारे में बताया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों को फ्लैट में सामान रखे होने की सटीक जानकारी थी।

किसानों का एलान, 15 अगस्त को होगी ट्रैक्टर रैली

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

संसद के बजट सत्र के बीच सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा व उसके सहयोगी संगठनों ने 15 सितंबर और 22 सितंबर को हरियाणा में किसान महापंचायत करने का एलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) व किसान मजदूर मोर्चा की सोमवार को नई दिल्ली में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में 1 अगस्त से 22 सितंबर तक होने वाले आंदोलन कार्यक्रम जारी किए गए। इनमें से 1 अगस्त को पुतला दहन कार्यक्रम और 15 अगस्त को जिला मुख्यालयों में ट्रैक्टर रैली के अलावा दो बड़ी किसान रैली (15 सितंबर को हरियाणा के जींद में और 22 सितंबर को हरियाणा के पीपली में बड़ी रैली) का एलान किया गया है। इसके बीच शंभू सीमा पर हुए आंदोलन के 200 दिन पूरे होने के मौके पर 31 अगस्त को वहां किसान फिर पहुंचेंगे। सोमवार को हुई बैठक में देशभर से 150 से अधिक संगठनों के नेताओं ने भाग लिया।

सोहरखा गांव में करंट लगने से युवक की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 22 जुलाई।

सोहरखा गांव में बिजली सही करते समय करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान सोहरखा गांव निवासी जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। थाना सेक्टर-113 प्रभारी ने बताया कि मामले को लेकर किसी ने अभी तक शिकायत नहीं दी है। शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हादसा उस समय हुआ जब जितेंद्र बिजली सही कर रहा था।

खाली प्लाट में मिला शव, नहीं हो सकी शिनाख्त

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 22 जुलाई।

सेक्टर-96 स्थित सुपरटेक इमारत के पास सोमवार को खाली प्लाट में 30 से 35 साल के उम्र के एक व्यक्ति का शव मिला। पुलिस का दावा है कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। वहीं स्थानीय लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। शव के पास से ऐसा कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ, जिससे उसकी पहचान की जा सके। मृतक के बाएं हाथ पर उत्तम लिखा हुआ है।

राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किए व्यक्ति की मौत मामले पर फैसला आज

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली उच्च न्यायालय 2020 में शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से में हुए दंगों के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किए गए 23 वर्षीय व्यक्ति की मौत की जांच विशेष जांच दल (एसआइटी) से कराने के अनुरोध पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी मृतक फैजान की मां की ओर से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाएंगे। एक वीडियो में पुलिस कर्मियों द्वारा फैजान को चार अन्य मुस्लिमों के साथ राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करते हुए एवं पीटते हुए दिखाया गया है।

श्रद्धा वालकर हत्याकांड

महीने में सिर्फ दो बार सुनवाई की पूनावाला की याचिका खारिज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई ।

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने सनसनीखेज श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने वकील को बचाव की तैयारी के लिए उपयुक्त समय देने के लिए हर महीने केवल दो बार सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि यह अनुरोध केवल मुकदमे को लंबा खींचने का एक साधन मात्र है। अदालत ने अंतिम संस्कार के लिए वालकर की अस्थियां तुरंत जारी करने से भी इनकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा, यह केवल मुकदमे को लंबा खींचने का एक साधन

आरोपी के साथ सहजीवन में रहने वाली वालकर की कथित तौर पर 18 मई, 2022 को पूनावाला ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पिछले साल जनवरी में दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल 6,629 पन्नों के आरोपपत्र के अनुसार, पूनावाला ने कथित तौर पर वालकर के शरीर के टुकड़े किए, उसे फ्रिज में रखा और पकड़े जाने से बचने के लिए कई दिनों तक शहर भर में सुनसान जगहों पर टुकड़ों को ठिकाने लगाया। बाद में शव के अंग खोजे गए।

उन्होंने कहा कि अभियुक्त का यह अनुरोध कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही के लिए एक महीने में सुनवाई की केवल दो तारीखें तय की जाएं, मुकदमे को लंबा खींचने का एक साधन प्रतीत होता है क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों की संख्या अत्यधिक है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेष रूप से पुलिस के गवाहों की लंबी गवाही दर्ज करने के लिए काफी समय की आवश्यकता है।

हड्डियां देने से कोर्ट का इनकार

कोर्ट ने सोमवार को पीड़िता की हड्डियों को दाह संस्कार के लिए तुरंत जारी करने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस गवाहों द्वारा पहचान के लिए अस्थियों की जरूरत है। इस महीने की शुरुआत में दिए गए एक आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि अभियोजन पक्ष के 212 गवाहों में से 134 की गवाही हो चुकी है और कई बाहरी गवाहों की गवाही के लिए लगातार सुनवाई आवश्यक है।

निठारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुरेंद्र कोली को नोटिस सौंपना सुनिश्चित करें एसएसपी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि वर्ष 2006 के निठारी हत्याकांड में सुरेंद्र कोली को नोटिस सौंप दिया गया है। शीर्ष अदालत में कोली को बरी किए जाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार सुजाता सिंह ने कहा कि निठारी हत्याकांड के एक पीड़ित के पिता पप्पू लाल की अपील पर न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से जारी नोटिस सुरेंद्र कोली को नहीं दिया गया है, जो गाजियाबाद की डासना जेल में बंद है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि गौतमबुद्ध नगर के एसएसपी से भी यह बात स्पष्ट करवाई जाए और इसके बाद एसएसपी के माध्यम से प्रतिवादी सुरेंद्र कोली को नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लिए चार सितंबर को सूचीबद्ध किया है। उल्लेखनीय है कि बीते 19 जुलाई को शीर्ष अदालत ने निठारी हत्याकांड मामले में सुरेंद्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआइ और उत्तर प्रदेश सरकार की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। यह सनसनीखेज हत्याकांड 29 दिसंबर 2006 को राष्ट्रीय राजधानी से सटे नोएडा के निठारी में मोनिंदर सिंह पंधेर के घर के पीछे एक नाले से आठ बच्चों के कंकाल मिलने के बाद सामने आया था। पंधेर भी इस मामले में आरोपी था।

19 जुलाई को शीर्ष अदालत ने कोली को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआइ और उत्तर प्रदेश सरकार की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी।

सोमनाथ भारती की याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा

गलतियों से भरी है याचिका, पहले इसे सुधार कर लाइए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह याचिका गलतियों से भरी है। कोर्ट ने उनसे एक संशोधित याचिका दायर करने को कहा।

न्यायमूर्ति पीएस अरोड़ा ने सुनवाई शुरू होने पर कहा कि याचिका में मुद्रण संबंधी बहुत सारी त्रुटियां हैं जिससे इसमें दिए गए कथनों को समझना मुश्किल हो गया है। अदालत ने भारती को संशोधित याचिका दायर करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की। जब भारती के वकील ने अदालत से याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आग्रह किया, तो न्यायाधीश ने कहा कि बहुत सारी गलतियां हैं। पहले याचिका को ठीक करें। मैं इस तरह नोटिस जारी नहीं कर सकता। मैं बस इसे स्थगित कर दूंगा। कृपया एक संशोधित याचिका दायर करें। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 80 और 81 के तहत दायर याचिका में स्वराज, उनके चुनावी एजंट तथा अन्य व्यक्तियों पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है।

मौसम

नई दिल्ली में सोमवार को बारिश के दौरान कर्तव्य पथ के पास से गुजरते लोग।

'सेंट्रल विस्टा' के संबंध में अदालत ने वक्फ बोर्ड से कहा

जब केंद्र कार्रवाई करे तो याचिका दायर करें

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड से कहा कि जब भी केंद्र 'सेंट्रल विस्टा' पुनर्विकास परियोजना के संबंध में उसकी संपत्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि परियोजना को उच्चतम न्यायालय की मंजूरी मिली हुई है और उन्होंने बोर्ड से 2021 में दायर अपनी याचिका वापस लेने को कहा। बोर्ड ने इस याचिका में क्षेत्र में अपनी छह संपत्तियों की सुरक्षा के लिए निर्देश देने का आग्रह किया था।

न्यायाधीश ने कहा कि इस याचिका को वापस ले लीजिए। हम मामले को उलझाना नहीं चाहते।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि वक्फ बोर्ड यह नहीं कह रहा है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना को खत्म करना होगा बल्कि वह केवल यह आश्वासन चाह रहा है कि उसे उसकी संपत्तियों से बेदखल नहीं किया जाएगा। न्यायाधीश ने कहा कि इस याचिका को वापस ले लीजिए। हम मामले को उलझाना नहीं चाहते। जब भी वे कोई कार्रवाई करेंगे, आप आ सकते हैं।

अदालत ने बोर्ड को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि यदि आवश्यक हो तो वह नई याचिका दायर कर सकता है। बोर्ड ने 2021 में क्षेत्र में अपनी छह संपत्तियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। क्षेत्र में उस समय पुनर्विकास कार्य किया जा रहा था। बोर्ड की इन संपत्तियों में मानसिंह रोड पर मस्जिद जब्ता गंज, रेड क्रास रोड पर जामा मस्जिद, उद्योग भवन के पास मस्जिद सुनहरी बाग रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग के पीछे मजार सुनहरी बाग रोड, कृषि भवन परिसर के अंदर मस्जिद कृषि भवन और उपराष्ट्रपति के आधिकारिक आवास के अंदर स्थित मस्जिद शामिल है।

बरी किए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर अदालत ने सज्जन कुमार से जवाब मांगा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख दंगों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या से संबंधित मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को कुमार से जवाब मांगा। कुमार दंगों से संबंधित एक अन्य मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद फिलहाल तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने कुमार को बरी करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी है, जिसपर न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने कुमार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने आदेश के खिलाफ एक गवाह शीला कौर की अपील पर भी कुमार को नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि 20 सितंबर, 2023 को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने कुमार को संदेह का लाभ देते हुए मामले में बरी कर दिया था और कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

अधीनस्थ न्यायालय ने दो अन्य आरोपियों – वेद प्रकाश पियाल और ब्रह्मानंद गुप्ता को भी बरी कर दिया था, क्योंकि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ हत्या व दंगे का मामला साबित करने में विफल रहा था।

नोएडा में महंगे वाहन चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, छह गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 22 जुलाई।

मांग पर महंगे वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए थाना सेक्टर-113 पुलिस ने सरगना समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों की निशानदेही पर अलग-अलग जगहों से कुल दस कारें बरामद की हैं। गिरोह पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के अलग-अलग थानों में 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह के बदमाशों ने अब तक 200 से ज्यादा कारों की चोरी दिल्ली-एनसीआर समेत अन्य राज्यों में की है। गिरोह का पर्दाफाश करने वाली टीम को डीसीपी नोएडा ने 25 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।

एसीबी ने अस्पतालों को सुरक्षा मुहैया कराने वाली कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न अस्पतालों में मानव बल/सुरक्षा मुहैया कराने वाली कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (भ्रष्टाचार निरोधक शाखा) मधुर वर्मा ने कहा कि तय संख्या से कम कर्मियों की तैनाती, अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती, ईएसआइ और भविष्य निधि के फर्जी दावे, नियोक्ताओं द्वारा रिश्वत की मांग और सरकारी धन के गबन के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अधिकारी ने बताया कि सरकारी अधिकारी भी निजी एजंसियों के साथ आपराधिक साजिश में संलिप्त हैं। अस्पतालों में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने में अधिकारियों की मिलीभगत से कंपनियों द्वारा सरकारी धन के गबन के संबंध में एसीबी को कई शिकायतें मिली हैं।

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणन केंद्र बंद करने वाले पेट्रोल पंपों पर हो सकती है कार्रवाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

दिल्ली सरकार उन पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार कर रही है, जिन्होंने प्रस्तावित शुल्क वृद्धि से असंतुष्ट होकर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) केंद्रों को बंद कर दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। 'डेल्ही पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन' (डीपीडीए) के आह्वान पर करीब 600 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र केंद्र करीब एक सप्ताह से बंद हैं।

डीपीडीए ने बताया कि प्रस्तावित शुल्क वृद्धि केंद्रों के परिचालन में आने वाली लागत के अनुकूल नहीं है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि परिवहन विभाग उन डीलर के खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रहा है, जिन्होंने इन केंद्रों को बंद कर दिया है और जनता को असुविधा हो रही है। इन केंद्रों के परिचालन के लिए एक अलग लाइसेंस जारी किया गया है। हम ईंधन स्टेशनों की एक सूची तैयार कर रहे हैं और सरकार सोच रही है कि क्या पीयूसीसी केंद्र संचालित करने के लिए उन्हें दिए गए लाइसेंस को निलंबित किया जाना चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक, सूची परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को दिखाई जाएगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित वृद्धि उपभोक्ताओं के साथ-साथ पेट्रोल पंप मालिकों के कल्याण को ध्यान में रखकर की गई है।

तैयारी

दिल्ली सरकार का दावा, तमाम सुविधाएं दी जाएंगी

कांवड़ियों के स्वागत के लिए लगाए जाएंगे 185 शिविर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

दिल्ली में इस बार कांवड़ियों के स्वागत के लिए 185 कांवड़ शिविर लगाए जाएंगे। इनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी कांवड़ शिविर जलरोधी, चिकित्सा सुविधा, साफ पानी, शौचालय, फर्नीचर सहित तमाम सुविधाओं से लैस होंगे। दिल्ली सरकार कांवड़ियों के सहुलियत में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। यह दावा राजस्व मंत्री आतिशी ने किया।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 185 कांवड़ शिविरों के जरिए कांवड़ियों के लिए सबसे बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है। इस दिशा में हमारे शिविरों में चिकित्सा सुविधा, साफ़-पानी, शौचालय, फ़र्नीचर सहित तमाम सुविधाएं दी जा रही है। बता दें कि, दिल्ली में कांवड़ियों का आगमन 25 जुलाई के बाद से होगा और इससे पहले सभी कांवड़ शिविर पूरी तरह तैयार होंगे। पूर्वी दिल्ली, उत्तरी-पूर्वी दिल्ली व शाहदरा जिले से कांवड़ियों का आगमन होता है। ऐसे में इन तीनों जिलों में कांवड़ियों की सुविधा के लिए सबसे अधिक शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा 38 शिविर शाहदरा जिले में लगाए जा रहे हैं। उत्तरी-पूर्वी, सेंट्रल और पूर्वी दिल्ली में क्रमशः 29, 22 व 19 शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जून से ही कांवड़ शिविरों को लेकर राजस्व विभाग की तैयारियां जारी हैं और लगातार विभाग के उच्चाधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया है।

नोएडा में मंदिरों के आसपास रही चाक-चौबंद सुरक्षा

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 22 जुलाई।

सावन के पहले सोमवार के मौके पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। सुबह पांच बजे से ही प्रमुख मंदिरों के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। मंदिरों में भक्तों को जलाभिषेक में भीड़ का सामना ना करना पड़े, इसके लिए प्रमुख मंदिरों के बाहर बैरिकेडिंग की गई। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग कतार लगी। कई जगह ड्रोन कैमरे से मंदिर परिसर में होने वाली हर गतिविधि की निगरानी की गई।

सोमवार को एडीसीपी नोएडा मनीष मिश्र व एसीपी प्रवीण कुमार सिंह ने सुबह मंदिर शिवालयों और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एडीसीपी मनीष मिश्र ने बताया कि सावन मास को लेकर मंदिरों व सार्वजनिक स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। सावन के पहले सोमवार से ही लोग मंदिर शिवालयों में जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस बाबत मंदिरों और महत्त्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

www.readwhere.com

उपद्रव में जख्मी युवक की अस्पताल में मौत

आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

बरेली, 22 जुलाई (जनसत्ता)।

यूपी के बरेली जिले के थाना शाही क्षेत्र में बहुसंख्यक समाज के घरों पर हुए पथराव और उपद्रव में घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में सोमवार को मौत हो गई।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण (दक्षिणी) मानुष पारीक ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया है। पुलिस की देखरेख में परिजनों ने गांव में उसकी अंत्येष्टि कर दी है। तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए गांव में पर्याप्त पुलिसबल तैनात कर दिया गया है। आरोपी इरशाद और बख्तावर के घरों पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। इसके बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुए। श्मशान पर अंत्येष्टि की क्रिया शुरू की गई, लेकिन जैसे ही खबर मिली कि बुलडोजर रोक दिया गया तो परिजनों ने भी अंतिम संस्कार रोक दिया। इसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई। आठ आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला, तब शाम करीब साढ़े पांच बजे परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। आरोपी इरशाद और बख्तावर समेत आरिफ, गाबू हसन, कादिर अली, अनीस, हसीन, रियासत के घरों पर कार्रवाई हुई है। शुक्रवार को गौसगंज गांव में बहुसंख्यक समाज के घरों पर पथराव और उपद्रव में बुरी तरह घायल हुए तेजपाल (25) को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार को भोर के समय उसकी मौत हो गई।

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपी कवि को मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली, 22 जुलाई (ब्यूरो)।

सुप्रीम कोर्ट ने भगवान श्री राम और देवी सीता पर अपनी कविता के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक विवाद पैदा करने के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने यह आदेश इस जानकारी के बाद दिया कि याचिकाकर्ता-आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है। 23 जनवरी को दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि अपनी असली पहचान छिपाते हुए याचिकाकर्ता जो मुसलिम हैं, ने नीलाभ सौरव नाम से सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर अकाउंट बनाया और उस पर कविता पोस्ट कर दी।

धनबाद में हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचला, मौत

धनबाद, 22 जुलाई (भाषा)।

झारखंड के धनबाद जिले में हाथियों ने एक व्यक्ति को कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गई। एक वन अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना राज्य की राजधानी रांची से करीब 200 किलोमीटर दूर गत मध्य रात्रि तोपचाची इलाके के कर्मतांड गांव में तब हुई, जब करीब 30 हाथियों का झुंड गांव में दाखिल हो गया।

अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान ज्ञानचंद्र महतो के तौर पर की गई है और सोमवार शाम को उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8-(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल-एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को सूचना में वर्णित राशि के प्रतिभुगतान हेतु एक मांग सूचना निर्गत की थी। उधारकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत कब्जा ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन जो होगा, वह यहां इसमें निम्न वर्णितानुसार एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि उधारकर्ता विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों के साथ "आईआईएफएल-एचएफएल" की देय धनराशियों का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में "आईआईएफएल-एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और "आईआईएफएल-एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व विक्रयार्थ कोई भावी कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता (ओं)/ सहउधारकर्ता (ओं)/ के नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया देयराशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि
श्री आकाश श्रीमती पूजा सिंह आकाश सब्जी वाला प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10341751	ग्राम पालम की राजस्व संपदा, महावीर एन्क्लेव के नाम से जानी जाने वाली कॉलोनी, नई दिल्ली- 110045 में स्थित बिना छत/टैरेस अधिकारों के द्वितीय तल, निर्मित संपत्ति संख्या आरजेड -डी -1/325ए, खसरा संख्या 83/16 में से बनी, संपत्ति का वह सम्पूर्ण टुकड़ा एवं अंश। क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, सुपर निर्मित क्षेत्र, कार्पेट -एरिया संपत्ति क्षेत्र 585.00, 527.00, 479.00	रु. 2404881.00/- (चौबीस लाख चार हजार आठ सौ इक्यासी रुपए मात्र)	09 मई 2024	19 जुलाई 2024

अधिक जानकारी के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से प्लॉट नंबर 30/30ई, ऊपरी भूतल, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली या कॉर्पोरेट कार्यालय: आईआईएफएल टॉवर, प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, फेज-IV गुड़गांव, हरियाणा पर संपर्क करें।

स्थान: दिल्ली, दिनांक: 23/07/2024, हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

नियुक्तियां

गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश – 211019

पुनः विज्ञापन सूचना

सं0 GBPSSI/Estt./Rect./NT-01-2024 दिनांक : 23-07-2024

सीधी भर्ती के आधार पर **प्रशासनिक अधिकारी** – 01 अनारक्षित (7वें वेतन आयोग अनुसार वेतन स्तर 12) पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

विस्तृत विज्ञापन के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट देखें < **www.gbpssi.in** > ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 23 अगस्त, 2024 है।

ह0/-
प्रशासनिक अधिकारी (प्र0)

हावर्ड होटल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 20, मौर्या कॉम्प्लेक्स, बी-28, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092
कॉर्पोरेट कार्यालयः होटल हावर्ड प्लाजा, फतेहाबाद रोड, आगरा-282001(यूपी), भारत।
सीआईएनः L74899DL1989PLCO38622; फोनः 0562-404-8600, फैक्सः 0562-404-8666,
ईमेलः cs@howardhotelsltd.com, वेबसाइटः www.howardhotelsltd.com

वीडियो कॉन्फ्रेंस और अन्य ऑडियो विजुअल साधनों और रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से हावर्ड होटल्स लिमिटेड के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करने से संबंधित सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 को सुबह 11:30 बजे (प्रथम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत जारी नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ष्सेबीष्) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी, जिसे 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, 28 दिसंबर, 2022 के 10/2022 और इस संबंध में बाद के परिपत्रों के साथ पढ़ा जाए, जिनमें सबसे नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 ('एमसीए परिपत्र') है, जिसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ('सेबी') ने अपने परिपत्र संख्या के माध्यम से जारी किया है। एजीएम की सूचना में निर्धारित कारोबार को करने के लिए सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/डीडीएचएस/पी/सीआईआर/2022/0063 दिनांक 13 मई, 2022, सेबी/एचओ/सीआरडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 ('सेबी परिपत्र') ख्इसके बाद सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित,।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनियां वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजेंगी जिनके ई-मेल पते कंपनी ध् रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') के पास पंजीकृत हैं।

वेबसाइट पर प्रचारः

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी का नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण शामिल है, कंपनी की वेबसाइट **www.howardhotelsltd.com** और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर उपलब्ध होगी।

ई-मेल पते के पंजीकरण का तरीका मोबाइल नंबरः

जो शेयरधारक अपना ईमेल पता/मोबाइल नंबर पंजीकृत करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक	कंपनी के आरटीए के साथ निर्धारित फॉर्म आईएसआर- 1 में विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।
डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारक	अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।

वोट डालने का तरीकाः

कंपनी अपने शेयरधारकों को एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है और इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा के लिए इंस्टा वोट की नियुक्ति की है।

यदि ई-मेल आईडी कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत है	ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी और एजीएम की सूचना में भी उपलब्ध होगी।
यदि ई-मेल आईडी कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं है	विस्तृत प्रक्रिया ई-वोटिंग एजीएम की सूचना में उपलब्ध होगी

केवल वही व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 16 अगस्त, 2024 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

हॉवर्ड होटल्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
(शशांक मिश्रा)
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्याःए69714

स्थानः आगरा
दिनांकः 22 जुलाई, 2024

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.
THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA

MACOBS TECHNOLOGIES LIMITED

(Formerly known as Macobs Technologies Private Limited)

Corporate Identity Numbers: U74999RJ2019PLC066608

(Scan this QR code to view the Prospectus)

Our Company was originally incorporated as a private limited company under the Companies Act, 2013 in the name and style of "Macobs Technologies Private Limited" bearing Corporate Identification Number U74999RJ2019PTC066608 dated October 14, 2019 issued by the Registrar of Companies, Rajasthan. Subsequently, the name of our Company was changed to "Macobs Technologies Limited" and a fresh Certificate of Incorporation dated August 07, 2023 was issued by the Registrar of Companies, Rajasthan. The Corporate Identification Number of our Company is U74999RJ2019PLC066608.

Registered Office: Plot No. A-305, Backside National Handloom Corp. Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan, India, 302021 **Website:** https://macobstech.com; **E-Mail:** compliance@macobstech.com ; **Telephone No:** +91 8062195170 **Company Secretary and Compliance Officer:** Ankita Soni

PROMOTERS OF OUR COMPANY: SHIVAM BHATEJA, DUSHYANT GANDOTRA AND DIVYA GANDOTRA

The issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on Emerge Platform of NSE

BASIS OF ALLOTMENT CUM CORRIGENDUM

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 25,95,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH OF MACOBS TECHNOLOGIES LIMITED ("MTL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 75/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 65/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1946.40 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 1,31,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 75/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 65/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 98.40 LAKHS WERE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION i.e. NET ISSUE OF 24,64,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT A PRICE OF ₹ 75/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 65/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1848.00 LAKHS WAS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE", THE ISSUE AND THE NET ISSUE CONSTITUTED 26.49% AND 25.16%, RESPECTIVELY, OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES WAS ₹ 10/- EACH.

ISSUE PRICE: ₹ 75.00 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE ₹10/- EACH. THE ISSUE PRICE IS 7.50 TIMES OF THE FACE VALUE

RISKS TO INVESTORS:

1. Our Equity Shares have never been publicly traded and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.
2. The Merchant Banker associated with the Issue has not handled any public issues in the past three years.
3. The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is as follows:

Sr. No.	Name of Promoters and Selling Shareholders	No. of Shares held	Average cost of Acquisition (in Rs.)
1	Dushyant Gandotra	23,38,560	7.19
2	Shivam Bhateja	23,38,560	7.19
3	Divya Gandotra	720	7.19

4. Weighted average cost of acquisition:

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (Rs. per Equity Shares)
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue of shares.	7.19
Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition of shares.	10.00

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE WAS: MONDAY, JULY 15, 2024
BID/ISSUE OPENED ON: TUESDAY, JULY 16, 2024; BID/ ISSUE CLOSED FRIDAY, JULY 19, 2024

This Issue was been made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2) (b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 30.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"). Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 35.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not less than 35.00% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All Bidders are required to participate in the Issue by mandatorily utilizing the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see "Issue Procedure" on page 197 of the Prospectus.

The bidding for Anchor investors was opened and closed on Monday, July 15, 2024. The company received 3 Anchor Investors' applications for 8,01,600 Equity Shares. The Anchor Investor Allocation Price was finalized at ₹ 75.00 per Equity Share. A total of 4,43,200 Equity Shares were allotted under the Anchor Investor portion aggregating to ₹ 3,32,40,000.

The issue (excluding Anchor Investor Portion) received applications for Equity Shares (before Technical rejections and after invalid bids Multiple/Duplicate) resulting in times subscription (including reserved portion of market maker). The Details of the total Valid Applications received in the 1,07,060 issues are for Equity Shares from various categories and are as under:

Detail of the Before Rejection Applications Received:

Sr. No.	Category	No. of Applications	No. of Equity Shares	Reserved	No. of times Subscribed	Amount
1	MARKET MAKER	1	1,31,200	1,31,200	1	98,40,000.00
2	ANCHOR	3	8,01,600	4,43,200	1.80	3,32,40,000
3	QIB	22	2,62,32,000	2,96,000	88.62	1,96,74,00,000
4	NII	12,956	22,80,35,200	8,62,400	264.42	17,36,81,05,600
5	RETAIL	94,078	15,05,24,800	8,62,400	174.54	11,55,87,21,600
	TOTAL	**1,07,060**	**40,57,24,800**	**25,95,200**	**156.33**	**30,93,73,07,200.00**

Final Demand

Sr. No.	No Of Equity Shares	% of Total	Cumulative Total	Cumulative % of Total
71	376000	0.08	376000	0.08
72	92800	0.02	468800	0.10
73	188800	0.04	657600	0.14
74	174400	0.04	832000	0.18
75	355801600	77.87	356633600	78.05
Cutoff Price(75)	100273600	21.95	456907200	100.00
Total	**456907200**	**100**		

1) **Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawal):** The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, who have bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of ₹ 75/- per equity shares, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed by 174.54 times i.e. for 15,05,24,800 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 862400 Equity Shares to 539 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment as under:

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of appli-cations received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Propor-tionate shares available	Allocation per Applicant: Before Rounding off	Allocation per Applicant: After Rounding off	Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	1600	94078	100	150524800	100	862400	9	1600	539	94078	539	100	862400	100	0
	Grand Total	**94078**	**100**	**150524800**	**100**	**862400**					**539**	**100**	**862400**	**100**	**0**

2) **Allocation to Non-Institutional Investors (After Technical Rejections & Withdrawal):** The Basis of Allotment to Other than Retail Individual Investors, who have bid at Issue Price of ₹ 75/- per equity shares or above, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed by 264.42 times i.e. for 22,80,35,200 Equity Shares the total number of shares allotted in this category is 8,62,400 Equity Shares to 477 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under: (Sample Basis)

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of appli-cations received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Propor-tionate shares available	Allocation per Applicant: Before Rounding off	Allocation per Applicant: After Rounding off	Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	3200	6741	51.78	21571200	9.45	81579.52	12	1600	17	2247	51	10.57	81600	9.46	20
2	4800	943	7.28	4526400	1.98	17118.27	18	1600	11	943	11	2.31	17600	2.04	482
3	6400	849	6.55	5433600	2.38	20549.18	24	1600	13	849	13	2.73	20800	2.41	251
4	8000	462	3.57	3696000	1.62	13977.8	30	1600	3	154	9	1.89	14400	1.66	422
5	9600	299	2.31	2870400	1.25	10855.49	36	1600	7	299	7	1.47	11200	1.29	345
45	73600	1	0.01	73600	0.03	278.35	278	1600	0	1	0	0	0	0	-278
46	75200	4	0.03	300800	0.13	1137.59	284	1600	1	4	1	0.21	1600	0.18	462
47	76800	2	0.02	153600	0.06	580.9	290	1600	0	1	0	0	0	0	-581
48	78400	8	0.06	627200	0.27	2371.99	296	1600	1	8	1	0.21	1600	0.18	-772
49	80000	19	0.15	1520000	0.66	5748.45	303	1600	4	19	4	0.84	6400	0.74	652
50	81600	6	0.05	489600	0.21	1851.6	309	1600	1	6	1	0.21	1600	0.18	-252
95	172800	1	0.01	172800	0.07	653.51	654	1600	0	1	0	0	0	0	-654
96	174400	1	0.01	174400	0.07	659.56	660	1600	0	1	0	0	0	0	-660
97	177600	3	0.02	532800	0.23	2014.98	672	1600	1	3	1	0.21	1600	0.18	-415
98	179200	1	0.01	179200	0.07	677.71	678	1600	0	1	0	0	0	0	-678
99	182400	3	0.02	547200	0.23	2069.44	690	1600	1	3	1	0.21	1600	0.18	-469
100	184000	1	0.01	184000	0.08	695.86	696	1600	0	1	0	0	0	0	-696
153	332800	1	0.01	332800	0.14	1258.61	1259	1600	1	1	1	0.21	1600	0.18	341
154	334400	1	0.01	334400	0.14	1264.66	1265	1600	1	1	1	0.21	1600	0.18	335
155	336000	1	0.01	336000	0.14	1270.71	1271	1600	1	1	1	0.21	1600	0.18	329
156	340800	1	0.01	340800	0.14	1288.86	1289	1600	1	1	1	0.21	1600	0.18	311
157	344000	2	0.02	688000	0.3	2601.93	1301	1600	1	1	2	0.42	3200	0.37	598
219	1480000	1	0.01	1480000	0.64	5597.17	5597	4800	1	1	1	0.21	4800	0.55	-797
220	1545600	1	0.01	1545600	0.67	5845.26	5845	6400	1	1	1	0.21	6400	0.74	555
221	1632000	1	0.01	1632000	0.71	6172.02	6172	6400	1	1	1	0.21	6400	0.74	228
222	1724800	8	0.06	13798400	6.05	52183.74	6523	6400	1	1	8	1.68	51200	5.93	-984
223	1724800							1600	1	8	0	0	1600	0.18	1600
Grand Total		**12956**	**100**	**228035200**	**100**	**862399**					**477**	**100**	**862400**	**100**	**1**

3) **Allocation to QIBs excluding Anchor Investors (After Technical Rejections & Withdrawal):** The Basis of Allotment to QIBs, who have bid at Issue Price of ₹ 75/- per Equity Shares or above, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed by 86.62 times i.e. for 26232000 Equity shares the total number of shares allotted in this category is 296000 Equity Shares to 21 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI	VC'S	TOTAL
QIB	0	0	11200	68800	44800	171200	0	296000

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of appli-cations received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Propor-tionate shares available	Allocation per Applicant: Before Rounding off	Allocation per Applicant: After Rounding off	Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	65600	1	4.55	65600	0.25	740.23	740	1600	0	1	0	0	0	0	-740
2	145600	1	4.55	145600	0.55	1642.94	1643	1600	1	1	1	4.76	1600	0.54	-43
3	200000	1	4.55	200000	0.76	2256.79	2257	1600	1	1	1	4.76	1600	0.54	-657
4	240000	1	4.55	240000	0.91	2708.14	2708	3200	1	1	1	4.76	3200	1.08	492
5	356800	1	4.55	356800	1.36	4026.11	4026	4800	1	1	1	4.76	4800	1.62	774
6	475200	1	4.55	475200	1.81	5362.12	5362	4800	1	1	1	4.76	4800	1.62	-562
7	652800	1	4.55	652800	2.48	7366.15	7366	8000	1	1	1	4.76	8000	2.7	634
8	979200	5	22.73	4896000	18.66	55246.11	11049	11200	1	1	5	23.81	56000	18.91	754
9	1012800	1	4.55	1012800	3.86	11428.36	11428	11200	1	1	1	4.76	11200	3.78	-228
10	2020800	9	40.87	18187200	69.33	205223.06	22803	22400	1	1	9	42.87	201600	68.1	-3623
11	2020800							1600	2	9	0	0	3200	1.08	3200
Grand Total		**22**	**100**	**26232000**	**100**	**295999**					**21**	**100**	**296000**	**100**	**1**

4) **Allocation to Anchor Investors (After Technical Rejections & Withdrawal):** The Company in consultation with the BRLM has allotted 4,43,200 Equity Shares to 3 Anchor Investors at Anchor Investor Issue Price of ₹ 75/- per Equity Shares in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC	FFI/FPI	TOTAL
Anchor	-	-	-	-	1,47,200	-	2,96,000	4,43,200

5) **Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawal):** The Basis of Allotment to Market Maker who have bid at Issue Price of ₹ 75/- per Equity Shares or above, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 times i.e. for 1,31,200 Equity shares the total number of shares allotted in this category is 1,31,200 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of appli-cations received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Propor-tionate shares available	Allocation per Applicant: Before Rounding off	Allocation per Applicant: After Rounding off	Ration of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocated/ alloted	% to total	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	131200	1	100	131200	100	131200	131200	131200	1	1	1	100	131200	100	0
Grand Total		**1**	**100**	**131200**	**100**	**131200**					**1**	**100**	**131200**	**100**	**0**

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange – NSE on Monday, July 22, 2024.

The Board of Directors of the Company at its meeting held on Monday, July 22, 2024 has approved the Basis of Allocation of Equity Shares as approved by the Designated Stock Exchange viz. NSE has authorized the corporate action for issue of the Equity Shares to various successful applicants. The CAN-cum-allotment advices and/or notices will be forwarded to the email id's and address of the Applicants as registered with the depositories / as filled in the application form on Monday, July 22, 2024. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking the amount will process on Monday, July 22, 2024. In case the same is not received within two working days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the NSE EMERGE within three working days from the date of the closure of the issue.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated Monday, July 21, 2024 ("Prospectus") filed with the Registrar of Companies, Rajasthan.

INVESTORS PLEASE NOTE

On page 235 of the Prospectus the following –

Agreement dated January 17, 2024 between our company and the Registrar to the Issue.

Shall now be read as –

Agreement dated January 18, 2024 between our company and the Registrar to the Issue.

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the issue, Maashitla Securities Private Limited at https://www.maashitla.com/ . All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Bid cum Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

Maashitla Securities Private Limited
SEBI Registration Number: INR000004370
Address: 451, Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034
Tel. Number: +91 -11-4512-1795 **Email Id:** investor.ipo@maashitla.com
Website: https://www.maashitla.com/ **Contact Person:** Mr. Mukul Agrawal

For Macobs Technologies Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Dushyant Gandotra
Designation: Managing Director
DIN: 08360731

Date: 22.07.2024
Place: Rajasthan

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF MACOBS TECHNOLOGIES LIMITED.

Companies, Rajasthan. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at https://www.skicapital.net/ , website of the NSE at www.nseindia.com and website of Issuer Company at : https://macobstech.com; Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors shall refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 23 of the Prospectus, which has been filed with ROC. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

विकास का अर्थ

आर्थिक समीक्षा से बजट की रूपरेखा का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें पिछले वर्ष की आर्थिक स्थितियों का लेखाजोखा पेश किया जाता है। इसी आधार पर आगामी वर्ष के लिए नीतियां निर्धारित होती हैं। इस वर्ष चूंकि आम चुनाव थे, पूर्ण बजट के बजाय अंतरिम बजट पेश किया गया था। आज इस वर्ष के लिए आम बजट पेश होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछला वर्ष आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण रहा। कोरोना काल के बाद रोजगार के अवसर बढ़े हैं और बेरोजगारी की दर निरंतर घट रही है। भारत की कुल श्रमशक्ति में से सत्तावन फीसद स्वरोजगार में लगी हुई है। महंगाई के मोर्चे पर जरूर थोड़ी चुनौती उभरती रही है, पर अंतरराष्ट्रीय स्थितियों से तुलना करें तो इस पर अपेक्षाकृत काबू पाया जा सका है। इस वर्ष मानसून अच्छा रहने की वजह से जल्दी ही महंगाई की लक्षित दर हासिल कर ली जाएगी। इससे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन भी बेहतर रहेगा। इस वर्ष विकास दर के साढ़े छह से सात फीसद रहने का अनुमान है। 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में 78.5 लाख रोजगार सृजित करने की जरूरत रेखांकित की गई है। हालांकि वैश्विक मंदी की वजह से निर्यात के क्षेत्र में चुनौतियां बनी रह सकती हैं।

पिछले वर्ष के आर्थिक रुझानों के आधार पर सरकार ने इस वर्ष निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ने का अनुमान लगाया है। इसके लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे। यों पहले से निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक बजटीय प्रावधान और योजनाएं लागू की जाती रही हैं। निजी उद्योगों की सुविधा के लिए कर, कर्ज आदि में छूट के अलावा श्रम कानूनों को लचीला बनाया गया। इससे पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ा है। पिछले वर्ष निजी क्षेत्र के निवेश में नौ फीसद की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वित्तमंत्री ने कहा है कि अब निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में अपना योगदान बढ़ाने का वक्त है। अगले वित्तवर्ष में बजट घाटा घट कर साढ़े चार फीसद तक रह जाने की संभावना जताई गई है। नए बजट में कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस आर्थिक सर्वेक्षण में मुख्य रूप से हवाई सेवा क्षेत्र को बढ़ाने, शिक्षा और रोजगार के बीच संतुलन बिठाने, ड्रोन निर्माण में तेजी लाने और राज्यों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जाहिर है, आम बजट में इन क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाओं पर बल होगा।

हालांकि इस सर्वेक्षण को विपक्ष ने अतिरंजित और आंकड़ों का खेल बताया तथा बजट में व्यावहारिक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। दरअसल, आंकड़ों में अर्थव्यवस्था की बुलंदी और व्यावहारिक धरातल पर बेहतरी के बीच कोई सहसंबंध नजर नहीं आता। एक तरफ तो आंकड़ों में तेजी से तरक्की करती अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर नजर आती है, मगर आम जनजीवन के स्तर पर बेहतरी के कोई संकेत नजर नहीं आते। बेशक सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाने का दम भरती है, पर हकीकत यह है कि लोग रोजमर्रा उपभोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने और क्रयशक्ति घटने की वजह से परेशान हैं। रोजगार के मोर्चे पर युवाओं को भरोसे का कोई काम मिलना कठिन बना हुआ है। जिस निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाता है, वह उस अनुपात में नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहा। इसलिए बजट में अगर गंभीरता से व्यावहारिक नीतियों पर विचार नहीं होगा, तो मुश्किलें आसान नहीं होंगी।

खेती और खुदकुशी

भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, मगर यहां के किसान आज भी कई तरह की समस्याओं और परेशानियों से घिरे हुए हैं। यही वजह है कि किसानों की आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की एक रपट के मुताबिक, इस वर्ष जनवरी से जून के बीच राज्य में 1,267 किसानों ने आत्महत्या कर ली। राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2022 में कृषि क्षेत्र से जुड़े 11,290 लोगों ने आत्महत्या कर ली, जिनमें 5,207 किसान और 6,083 खेतिहर मजदूर थे और इनमें महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा थे। इसी तरह वर्ष 2021 में कृषि कार्यों में लगे 10,881 लोगों और 2020 में 10,677 लोगों ने अपनी जान दे दी। किसानों की खुदकुशी के पीछे पारिवारिक कर्ज या आर्थिक संकट को सबसे बड़ी वजह माना जाता है। हालांकि इन आर्थिक परेशानियों के भी कई स्तर हैं। मसलन, प्राकृतिक आपदा, कर्ज का बोझ, फसलों की बढ़ती लागत, घटती आय और फसलों के उत्पादन में गिरावट। महाराष्ट्र सरकार की रपट में कहा गया है कि राज्य में पिछले छह माह में किसानों की खुदकुशी के सबसे ज्यादा मामले विदर्भ क्षेत्र के अमरावती मंडल में सामने आए हैं।

बहुत से किसान खेती के लिए बैंक और साहूकारों से कर्ज लेते हैं और अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल बर्बाद हो जाए या उत्पादन कम हो, तो उनके लिए कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। उर्वरक, खेती के लिए उपकरण और सिंचाई पर होने वाला खर्च बढ़ रहा है, जबकि किसानों की आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लिहाजा, किसानों की आर्थिक परेशानियां बढ़नी स्वाभाविक हैं। लंबे समय से चली आ रही न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग भी लंबित है। दूसरी ओर, उद्योग जगत के ऋणों के प्रति सरकार के नजरिए में जो नरमी देखी जाती है, वह किसानों के लिए नहीं दिखती। ऐसे में किसानों की समस्याओं की जटिलता अगर उन्हें आत्महत्या के कगार पर ले जाती है तो इसे एक नतीजे के तौर पर देखा जा सकता है। इस समस्या के निराकरण के लिए ठोस और कारगर उपाय किए जाने जरूरत है, अन्यथा यह स्थिति और जटिल होगी।

बांग्लादेश के साथ भारत की चुनौतियां

बदलती वैश्विक स्थितियों को भांपते हुए बांग्लादेश चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से संबंधों को नियंत्रित करके चीन की ओर देख रही हैं, इसके पीछे उनका 'विजन 2041' है।

ब्रह्मदीप अलूने

बांग्लादेश अगले वर्ष चीन के साथ कूटनीतिक संबंधों की स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा है। शेख हसीना सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह भी दिलचस्प है कि 1971 में बांग्लादेश की एक स्वतंत्र देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र की मान्यता को रोकने के लिए चीन ने सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग किया था। मगर बदलती वैश्विक स्थितियों को भांपते हुए बांग्लादेश चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से संबंधों को नियंत्रित करके चीन की ओर देख रही हैं, इसके पीछे उनका 'विजन 2041' है।

बांग्लादेश भारत की 'एक्ट ईस्ट पालिसी' का अभिन्न अंग और बड़ा व्यापारिक साझीदार है। भारतीय प्रधानमंत्री और शेख हसीना ने 9 मार्च, 2021 को पूर्वोत्तर को बांग्लादेश से जोड़ने वाले मैत्री सेतु का उद्घाटन किया था। इस सेतु को उस सिलीगुड़ी गलियारे का विकल्प माना गया, जो भारत की अखंडता की रक्षा के लिए बेहद खास माना जाता है। चीन और बांग्लादेश के बीच ऐसे कई मैत्री सेतु पहले से प्रभाव में हैं। चीन ने बांग्लादेश में एक मैत्री पुल का इस प्रकार निर्माण किया है, जिसमें स्थानीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस्लामी और चीनी विशेषताओं से सुसज्जित किया है। बांग्लादेश में चीन का निवेश बढ़कर लगभग डेढ़ अरब अमेरिकी डालर हो गया है। लगभग सात सौ चीनी कंपनियां बांग्लादेश में काम कर रही हैं। इससे स्थानीय स्तर पर लाखों लोगों को रोजगार मिला है। बांग्लादेश चीन की 'वन बेल्ट वन परियोजना' का प्रमुख साझीदार बन गया है और इसे 'विजन 2041' और 'स्मार्ट बांग्लादेश' के सपने के साकार होने का बड़ा कारण बताया जा रहा है।

बांग्लादेश से व्यापारिक संबंध मजबूत बनाने के लिए चीन ने वहां के बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश के साथ उर्जा संसाधनों की आपूर्ति में मदद का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही वह दोनों देशों की मुद्राओं के आसान आदान-प्रदान के लिए भी पहल कर रहा है। यह उसकी युआन कूटनीति का परिचायक है। शेख हसीना के 'विजन 2041' की शुरुआत करीब डेढ़ दशक पहले हुई, चीन इसमें प्रमुख भागीदार बनाया गया और इसके विभिन्न चरण निर्धारित किए गए। 2009 में, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने डिजिटल बांग्लादेश की अवधारणा पेश की, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और शासन में सुधार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना था। यह विजन 2041 तक बांग्लादेश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने और अग्रणी बनने के क्षमता निर्माण पर आधारित है।

इस विजन का मकसद आर्थिक विकास को गति देने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में नवाचार, उद्यमशीलता और डिजिटलीकरण पर जोर देना है। बांग्लादेश को डिजिटिल बनाने की दिशा में चीनी फोन निर्माता कंपनी ख्वावे लगातार काम कर रही है। अमेरिका ने कहा है कि 5जी उपकरणों के जरिए चीन ख्वावे का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है। इसमें कंपनी के मालिक रेन के संबंध पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से रहे

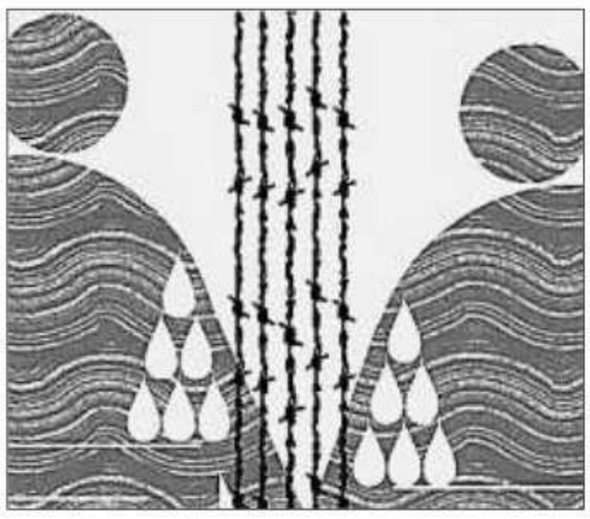

हैं। वे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी हैं। बांग्लादेश भारत के साथ लगभग 4100 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है। इसकी सीमा भारतीय राज्यों- पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ लगी है।

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र सिलीगुड़ी गलियारे के माध्यम से शेष भारत से जुड़ा हुआ है, सिक्किम और भूटान के रास्ते चीन से निकटता के कारण यह गलियारा भारत के लिए रणनीतिक रूप से अतिसंवेदनशील है। इस संकीर्ण रास्ते से नेपाल, बांग्लादेश और भूटान भी जुड़े हुए हैं। सिलीगुड़ी के जरिए पूर्वोत्तर के जुड़ाव की वजह से हमारी बांग्लादेश पर रणनीतिक निर्भरता काफी बढ़ गई है। डोकलाम में चीनी सक्रियता की वजह से भी बांग्लादेश पर हमारी निर्भरता काफी बढ़ जाती है। यह इलाका भूटान के नजदीक है। इससे हमारे लिए बांग्लादेश की भूमिका और बढ़ जाती है।

> **हाल ही में शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हरित साझेदारी, डिजिटल भागीदारी, समुद्री अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति तो बनी है, लेकिन बांग्लादेश के चीन के साथ भी ऐसे ही समझौते भारत को आशंकित करते हैं। आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग, व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे के विकास, आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं में चीनी कंपनियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। चिटगांव क्षेत्र में एक स्मार्ट सिटी बनाने की योजना समेत ऊर्जा आपूर्ति और नदी परियोजनाओं में चीन की दिलचस्पी से साफ है कि चीन बांग्लादेश के विकसित राष्ट्र बनने के सपने का प्रमुख भागीदार बन गया है।**

भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए ख्वावे का सीमाई इलाकों में प्रभावशील रहना चिंताजनक है। अमेरिका अपने यहां ख्वावे के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा चुका है और चाहता है कि उससे जुड़ी सहयोगी कंपनियों को भी 5जी नेटवर्क से हटाया जाए। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी ऐसे ही कदम उठाए हैं। चीन के 2017 के 'राष्ट्रीय जासूसी कानून' के अनुसार किसी भी संगठन को राष्ट्र के खुफिया काम में समर्थन और सहयोग देना आवश्यक है। इसका मतलब है कि चीन ख्वावे को किसी काम के लिए आदेश दे सकता है। इसलिए इसे लेकर अमेरिका और भारत की आशंका निर्मूल नहीं है।

चीन रक्षा क्षेत्र में बांग्लादेश का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। दोनों देशों के बीच सहयोग सैन्य हार्डवेयर, समुद्री गश्ती जहाज, कोरवेट, टैंक, लड़ाकू जेट के साथ ही सतह से हवा में मार करने वाली और जहाज रोधी मिसाइलों तक बढ़ गया है। भारत की हिंद प्रशांत रणनीति की दृष्टि से बांग्लादेश बेहद महत्त्वपूर्ण है। वहीं पूर्वोत्तर में अलगाववादी विद्रोहियों पर दबाव बनाए रखने के लिए बांग्लादेश के सहयोग की भारत को सदा जरूरत होगी। बांग्लादेश के नौसैनिक मामलों में चीन की भागीदारी बढ़ रही है। इस तरह हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसने अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है।

हाल ही में शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हरित साझेदारी, डिजिटल भागीदारी, समुद्री अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति तो बनी है, लेकिन बांग्लादेश के चीन के साथ भी ऐसे ही समझौते भारत को आशंकित करते हैं। आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग, व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे के विकास, आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं में चीनी कंपनियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। चिटगांव क्षेत्र में एक स्मार्ट सिटी बनाने की योजना समेत ऊर्जा आपूर्ति और नदी परियोजनाओं में चीन की दिलचस्पी से साफ है कि चीन बांग्लादेश के विकसित राष्ट्र बनने के सपने का प्रमुख भागीदार बन गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल बंटवारे को लेकर चले आ रहे विवाद का समाधान नहीं हुआ है, अब चीन ने तीस्ता परियोजना को पूरा करने की इच्छा जताई है। तीस्ता परियोजना में चीन की भूमिका उसे भारतीय सीमा के बहुत करीब ले आएगी और उसका दायरा सिलीगुड़ी गलियारे के करीब तक होगा।

प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जिस 'विजन 2041' पर काम कर रही हैं, उसमें उनकी कूटनीति चीन की तरफ झुकी नजर आती है। इस योजना के चार मुख्य आधार तय किए गए हैं- सुशासन, लोकतंत्रीकरण, विकेंद्रीकरण और क्षमता निर्माण। चीन की कर्ज नीति के चलते दुनिया के कई देशों में सुशासन और लोकतांत्रिक सरकारों को गहरी चोट पहुंची है। बेहद गरीबी से उबार कर शेख हसीना का अपने देश को विकसित देश बनाने का सपना तो अच्छा है, लेकिन उसमें चीन की व्यापक भागीदारी बांग्लादेश के भविष्य के लिए दुविधापूर्ण है ही, भारत की एकता और अखंडता के लिए भी समस्या बढ़ सकती है।

अहं की दीवारें

प्रदीप उपाध्याय

आजकल जिधर देखें, वहां 'मैं' का बोलबाला दिखता है। यह भाषा का नहीं, व्यक्ति का 'मैं' है। इस 'मैं' में ही सब कुछ है, दूसरा तुच्छ, दोयम दर्जे का हो जाता है। इसमें अहंकार परिलक्षित होता है, दंभ दिखाई देता है, स्वयं के श्रेष्ठ होने का मिथ्या अभिमान आभासित होता है! जबकि प्रत्येक मनुष्य में गुण-अवगुण का सम्मिश्रण होता है। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, लेकिन जिसमें अपने गुणों को जानने-समझने का माद्दा होगा, वह अपने अवगुणों से स्वयं ही विरत हो जाएगा। जब कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, तब स्वयं की श्रेष्ठता का कैसा मिथ्याभिमान! पद-हैसियत, संपन्नता किसी मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं बनाते। अगर कोई अपने पद, अपनी हैसियत, आर्थिक संपन्नता के आधार पर श्रेष्ठता का घमंड करता है, तो यह उचित नहीं है। श्रेष्ठीजन अपनी बुद्धि के साथ विवेक से संचालित होते हैं, जिसके कारण उनमें अहंकार का भाव जागृत हो ही नहीं सकता। विवेकशून्य व्यक्ति ही अहंकार के वशीभूत होकर अपने सामने दूसरों को निकृष्ट मान बैठता है, जबकि व्यक्ति अपने गुणों और अपने अच्छे स्वभाव तथा व्यवहार के कारण ही सम्मान का अधिकारी होता है।

अपनी श्रेष्ठता का बखान करने वाले अहंकारी ही होते हैं। किसी व्यक्ति, समूह, वर्ग, विचार या फिर पंथ की श्रेष्ठता तभी मान्य हो सकती है, जब अन्य को यह महसूस हो, उनकी स्वीकृति प्राप्त हो और उन्हीं के द्वारा यह बात कही जाए। दबाव, हिंसा या अनैतिक आधार पर उच्चता साबित नहीं हो सकती है। यह अहंकार की अभिव्यक्ति ही होगी। अहंकारी मन किसी भी तरह के सत्य को सुनने की क्षमता को नष्ट कर देता है। अहंकार के साथ झूठ है, फरेब है। किसी ने कहा भी है कि 'अहंकार में तीनों गए, बल, बुद्धि और वंश, न मानो तो देख लो, कौरव, रावण और कंस'।

कहा गया है कि अहंकार राजा रावण का भी नहीं रहा। त्याग, सहनशीलता, विनम्रता के गुणों के कारण राजा राम पूजे जाते हैं, लेकिन आज के दौर में जहां किसी को कोई पद-प्रतिष्ठा प्राप्त हुई नहीं कि उसमें अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में वह अपने से नीचे वाली स्थिति के व्यक्तियों की तौहीन करने लगता है, अपमानित करने लगता है। जबकि व्यक्ति के बड़ा होने पर उससे बड़प्पन की दरकार रहती है, न कि उसके अहंकारी हो जाने की।

निस्संदेह जब व्यक्ति में अहंकार कूट-कूट कर समा जाता है, तब उसकी सोचने-समझने की क्षमता का भी ह्रास हो जाता है। यानी अहंकारी व्यक्ति अच्छे-बुरे में भेद करने की क्षमता खो देता है। उसे लगता है कि जो वह कह रहा है या जो वह कर रहा है, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या।

अहंकारी व्यक्ति सदैव श्रेष्ठता के मद में रहता है, दूसरे उसे तुच्छ और हीन ही दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि जो भी है, वह स्वयं है। उस पर 'मैं' का मिथ्या भाव हावी होने लगता है। जहां मैं है, वहां अहंकार है, दुख है, पीड़ा और पराभव है। अहंकारी मन अंतर्मन से उद्वेलित रहता है, समुद्र की लहरों की तरह अशांत। जो भी सामने आ जाए, उसे बहा ले जाने को उद्धत या फिर अपने में समा लेने की चाहत। अपने प्रति विरोध का स्वर कुचल देने की धृष्टता। जबकि इसके विपरीत जहां 'हम' का भाव समाहित हो जाता है, वहां सहयोग है, सद्भाव है। सुख है, मन झील के ठहरे हुए जल-सा शांत और निर्मल भाव में रहता है। कहीं कोई उद्वेग नहीं, कहीं कोई ईर्ष्या-द्वेष नहीं, सभी के प्रति समभाव, सद्भाव। दूसरों के अस्तित्व का सम्मान, उनके विचारों के प्रति कोई राग-द्वेष नहीं। सह-अस्तित्व की आकांक्षा यहीं आकर बलवती होती है।

अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य को स्वीकार करने वाला कभी अहंकार नहीं करता। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक और एक ग्यारह होते हैं। उस एक को भी मान्यता समवेत होकर ही मिल सकती है। एक अकेला कभी भारी नहीं हो सकता। सेनापति भी अपनी सेना के बल पर ही आगे बढ़ सकता है और लड़ सकता है। सेनापति की विजय में भी सेना का ही बल होता है। विश्व विजेता कहे जाने वाले सिकंदर ने भी अपने विश्व विजय के अभियान में सेना का ही साथ लिया था। यानी सहयोग और सदाचार से ही जीवन रथ आगे बढ़ सकता है। फिर अहंकार किस बात का!

यहां एक उद्धरण जोड़ना भी प्रासंगिक होगा, जिसके अनुसार सिकंदर ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी कि जब उसका जनाजा निकाला जाए, तब उसकी दोनों हथेली बाहर की ओर लटकाई जाए, ताकि लोगों को पता चले कि इंसान धरती पर खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या व्यक्ति को अहंकारी, अभिमानी, घमंडी होना चाहिए? नहीं। जीवन बहुत छोटा है, बहुत सुंदर है। मिलजुल कर, सामंजस्य के साथ रहना सीखना चाहिए। त्याग, सहनशीलता, सहानुभूति, दया, ममता, वात्सल्य के गुणों से लबरेज रहकर लोगों के दिलों को जीतें, न कि घमंड, अहंकार में चूर रहकर अपनों से भी दूर हो जाएं। जीवन तभी संवरेगा और खुशहाल होगा, जब हम अपना अहंकार छोड़कर 'मैं' के स्थान पर 'हम' की भावना से संचालित होकर कर्म करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है- 'बूंद-सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहां न बादशाह चलता है, न इक्का चलता है। ये खेल है अपने अपने कर्मों का/ यहां सिर्फ कर्मों का सिक्का चलता है।'

दुनिया मेरे आगे

> **अहंकारी व्यक्ति सदैव श्रेष्ठता के मद में रहता है, दूसरे उसे तुच्छ और हीन ही दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि जो भी है, वह स्वयं है। उस पर 'मैं' का मिथ्या भाव हावी होने लगता है। जहां मैं है, वहां अहंकार है, दुख है, पीड़ा और पराभव है। अहंकारी मन अंतर्मन से उद्वेलित रहता है, समुद्र की लहरों की तरह अशांत।**

दिखावे के समारोह

पिछले कुछ वर्षों से वैवाहिक कार्यक्रम भव्यता की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। हाल ही में आई जेफरीज की एक रपट के मुताबिक, भारत में हर विवाह पर औसत खर्च 12.5 लाख रुपए है। भारतीय लोग शिक्षा से ज्यादा वैवाहिक कार्यक्रमों पर खर्च करते हैं। हकीकत यह है कि अब शादियां भव्य होती जा रही हैं और रिश्ते खोखले। शादी में किए जाने वाले खर्च को व्यक्ति की प्रतिष्ठा से जोड़ कर देखा जाने लगा है और लोग शादियों में पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। शाही शादियों के पीछे एक बड़ा कारण उपभोक्तावाद की बढ़ती प्रवृत्ति और दहेज की लालसा है। जिस तरह से शादियों में दहेज का लालच बढ़ रहा है, उससे यह सवाल उठेगा कि क्या विवाह अपने स्वार्थ के लिए किया गया एक समझौता है। इसके अलावा, अब शादियों को दिखावे और प्रतिस्पर्धा के रूप में भी देखा जाने लगा है। परंपराओं के मुकाबले सब कुछ पूरी तरह बाजारवाद से प्रभावित है। सवाल है कि हमें इससे क्या प्राप्त हुआ, तो जवाब है बेतहाशा भोजन की बर्बादी, बढ़ती दहेज संस्कृति, लोगों पर बढ़ता कर्ज, बेटियों के जन्म को समस्या के रूप में देखा जाना। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

– सौरभ बुंदेला, भोपाल, मप्र

प्रकृति प्रथम

कुछ दिनों पहले तक उत्तर भारत के मैदानी इलाके भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे थे। लू सैकड़ों जिंदगियां लील गई। अब बारिश कहर बन कर आई। बाढ़, बिजली गिरने, इमारतों के ढहने, जलभराव आदि से लोग मरने लगे। असल में मौसम का यह रौद्र रूप मानव निर्मित है। इसके लिए बढ़ती आबादी, अंधाधुंध विकास, संसाधनों के अत्यधिक दोहन वाली उपभोक्तावादी संस्कृति, मानव का खुद को धरती का मालिक और सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझने जैसे कारक शामिल हैं। मौसम से जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हमें पुनः इस्तेमाल करने की व्यवस्था को भी अपनाना होगा। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली हर आदत को अपने जीवन से निकालना होगा। प्रकृति प्रथम और मानव अंतिम की सोच अपनानी होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते समय प्राथमिकता प्रकृति को दी जाए और विकास एक सह उत्पाद की तरह हो।

– बृजेश माथुर, गाजियाबाद

बढ़ती खाई

प्रतिभाएं हर व्यक्ति में जन्म से ही निहित होती हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर। बचपन से ही वह व्यक्ति अपने देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की ललक लिए रहता है। हालांकि ऐसी प्रतिभाएं तब धरी की धरी रह जाती हैं जब उसे अपनी प्रतिभाओं के दोहन के लिए संसाधनों के केंद्रीकरण का सामना करना पड़ता है। आक्सफेम के एक सर्वे के अनुसार मात्र एक फीसद लोगों के पास चालीस फीसद संसाधन और पचास फीसद लोगों के पास केवल तीन फीसद संसाधन हैं। सवाल है कि इस तरह के बंटवारे में कैसा समाज और कैसा देश बनेगा! तमाम वंचित लोग अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए मूलभूत संसाधनों- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से वंचित रह जाता है और इस गरीबी के दुश्चक्र में फंसता चला जाता है। आखिर उसकी प्रतिभा मर जाती है। इससे समाज में असमानता की गहराई ज्यादा बढ़ती जाती है और संसाधन कुछ एक लोगों तक ही केंद्रित होकर रह जाते हैं।

– दिलीप चौरसिया, बहराइच, उप्र

बिहार की बिसात

सन 2005 से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर केंद्र में रही भाजपा और कांग्रेस सरकार का रुख सकारात्मक नहीं रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बिहार की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। बिहार के सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है, जबकि जनता दल (एकी) ने विशेष दर्जे या विशेष पैकेज की बात कही है। इस मांग के समर्थन में राजग में शामिल लोक जनशक्ति और हिंदुस्तान अवाम पार्टी ने भी सुर में सुर मिलाया है, लेकिन इस मांग का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि यह मांग इतनी आसानी से केंद्र सरकार पूरी करने वाली नहीं है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग कुछ हद तक राजनीतिक दबाव की परिभाषा में भी आती है। हालांकि देश में कुल मिलाकर ग्यारह ऐसे राज्य हैं, जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है।

– वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

www.readwhere.com

कला

रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी तट पर भगवान शिव की कलाकृति बनाई।

बोल

ब्रिटेन की नई सरकार से आग्रह करता हूं कि वह यूक्रेन की सेना को रूस के और भीतरी इलाकों पर हमला करने में मदद करे, ताकि उनके देश पर रूस के घातक मिसाइल हमलों को रोका जा सके।
- जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति

बोल

सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के प्रयास की साजिश के आरोपों के संबंध में भारत के साथ बातचीत सम्मानजनक और प्रभावी रही है, क्योंकि यह बंद दरवाजों के पीछे हो रही है। - जेक सुलिवन,अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए)

सम-सामयिक

बांग्लादेश में हिंसा : सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत क्यों पड़ी

जनसत्ता संवाद

बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण रद्द करने की मांग के मुद्दे पर चल रहे हिंसक प्रदर्शनों और झड़पों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसक घटनाओं के बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था में बदलाव कर स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को घटा दिया है। अब तक यहां सरकारी नौकरियों में एक तिहाई नौकरियां, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए आरक्षित थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे सात फीसद कर दिया है।

प्रदर्शनकारी उस प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे, जिसके तहत 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वालों के परिजनों को नौकरियों में 30 फीसद तक आरक्षण दिया जाता था।

बांग्लादेश में वर्ष 1972 से ही सरकारी नौकरियों में मुक्ति योद्धा, जिला और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान था। तत्कालीन सरकार ने पांच सितंबर, 1972 को सरकारी, स्वायत्त और अर्ध-स्वायत्त संस्थानों और विभिन्न निगमों और विभागों में नियुक्ति और आरक्षण के प्रावधान से संबंधित एक आदेश जारी किया था। उसके मुताबिक, ऐसे संस्थानों में प्रथम श्रेणी की नौकरियों में नियुक्ति के मामले में 20 फीसद मेरिट के आधार पर और बाकी 80 फीसद जिलों के लिए आरक्षित किया गया था। इस 80 फीसद में से ही मुक्ति योद्धाओं के लिए 30 फीसद और युद्ध से प्रभावित महिलाओं के लिए 10 फीसद आरक्षण का फैसला किया गया। यानी आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा मुक्ति योद्धाओं के लिए आवंटित कर दिया गया। बांग्लादेश के पूर्व सचिव आबू आलम मोहम्मद शहीद खान कहते हैं, असली मुक्ति योद्धाओं में ज्यादातर किसान, मजदूर और बुनकर थे। ये समाज के पिछड़े तबके के लोग थे। यही वजह है कि देश की आजादी के बाद इन मुक्ति योद्धाओं की सहायता के लिए आरक्षण पर विचार किया गया ताकि विकास की राह पर आगे बढ़ सकें।

क्या है मांग

आंदोलनकारी सरकारी नौकरियों में आरक्षण रद्द कर सिर्फ पिछड़ी जातियों के लिए अधिकतम पांच फीसद आरक्षण जारी रखते हुए आरक्षण व्यवस्था में संशोधन की मांग कर रहे हैं। वर्ष 2018 में आरक्षण रद्द करने की अधिसूचना जारी होने से पहले तक सरकारी नौकरियों में मुक्ति योद्धा (स्वाधीनता सेनानी), जिलावार, महिला, अल्पसंख्यक और विकलांग इन पांच वर्गों में कुल 56 फीसद आरक्षण का प्रावधान था।

इसके चार साल बाद वर्ष 1976 में पहली बार आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया गया। उस समय मेरिट यानी योग्यता के आधार पर नियुक्तियों का फीसद बढ़ाया गया और महिलाओं के लिए आरक्षण की अलग व्यवस्था की गई। यानी कुल नौकरियों में से योग्यता के आधार पर 40 फीसद, मुक्ति योद्धाओं के लिए 30 फीसद, महिलाओं के लिए 10 फीसद, युद्ध में जख्मी महिलाओं के लिए 10 फीसद आरक्षण का प्रावधान किया गया और बाकी 10 फीसद नौकरियां जिलों के आधार पर आवंटित की गईं। वर्ष 2018 में आरक्षण रद्द करने की अधिसूचना जारी होने से पहले तक सरकारी नौकरियों में मुक्ति योद्धा , जिलावार, महिला, अल्पसंख्यक और विकलांग इन पांच वर्गों में कुल 56 फीसद आरक्षण का प्रावधान था।

शोध

सामाजिक संबंध से दूर होगा अकेलापन

जनसत्ता संवाद

एक शोध से पता चलता है कि सामाजिक जुड़ाव की भावना का अभाव प्रतिदिन 15 सिगरेट पीने के बराबर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। अकेलेपन से निपटने के लिए, लोगों को आमतौर पर सामाजिक संबंध तलाशने की सलाह दी जाती है। कई लोगों के लिए, यह मार्गदर्शन प्रियजनों, जैसे करीबी दोस्तों, परिवार और रोमांचक साझेदारों के साथ समय बिताने की याद दिलाता है।

दुनिया में लाखों लोग अकेले हैं। यह चिंताजनक है क्योंकि अकेलापन, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 'जुड़ाव न महसूस करने के सामाजिक दर्द' के रूप में परिभाषित किया गया है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में गिरावट की भविष्यवाणी करता है। साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी और गिलियन सैंडस्ट्राम, यूनिवर्सिटी आफ ससेक्स में शोध से पता चलता है कि सामाजिक जुड़ाव की भावना का अभाव प्रतिदिन 15 सिगरेट पीने के बराबर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है।

अकेलेपन से निपटने के लिए, लोगों को आमतौर पर सामाजिक संबंध तलाशने की सलाह दी जाती है। कई लोगों के लिए, यह मार्गदर्शन प्रियजनों, जैसे करीबी दोस्तों, परिवार और रोमांचक साझेदारों के साथ समय बिताने की याद दिलाता है। लेकिन क्या ऐसे अन्य लोग भी हैं जिन तक हम पहुंच सकते हैं? हाल ही में संचार मनोविज्ञान में प्रकाशित एक शोध में पता चला है कि क्या लोगों के पास 'पुराने दोस्त' हैं - ऐसे व्यक्ति जिनकी वे परवाह करते हैं लेकिन जिनके साथ उनका संपर्क टूट गया है - और कितनी आसानी से इन रिश्तों को फिर से जीवंत किया जा सकता है। शोध में पाया गया कि कुछ रणनीतियां लोगों को फिर से जुड़ने में मदद कर सकती हैं और, नए शोध में, हमें यह समझ में आ रहा है कि कुछ मूल्य और व्यक्तित्व लक्षण लोगों के लिए भविष्य में संपर्क में रहना आसान बना सकते हैं। सात अध्ययनों की एक शृंखला में पाया गया कि अधिकांश लोगों ने बताया कि उनका कोई पुराना मित्र है। फिर भी, जब 400 से अधिक प्रतिभागियों से पूछा गया कि वे अभी किसी पुराने मित्र तक पहुंचने के लिए कितने इच्छुक हैं, तो अधिकांश ने कहा कि वे तटस्थ या अनिच्छुक थे। वास्तव में, एक अध्ययन में, लोगों ने बताया कि वे किसी अजनबी से बात करने या किसी पुराने दोस्त तक पहुंचने के लिए अधिक इच्छुक नहीं हैं। यह अनिच्छा व्यवहार में भी देखी जा सकती है।

500 से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक अध्ययन में लोगों से तीन से पांच पुराने दोस्तों की सूची बनाने के लिए कहा गया। इसमें पाया गया कि एक पुराना मित्र जितना अधिक अपरिचित महसूस करता है, लोग उससे संपर्क करने के लिए उतने ही कम इच्छुक होते हैं। शोध में पाया गया है कि जब लोग एक सप्ताह तक अजनबियों से बात करने का अभ्यास करते हैं, तो वे इसे लेकर कम चिंतित हो जाते हैं। यदि पुराने दोस्त अजनबियों की तरह महसूस कर सकते हैं, तो क्या ऐसी ही रणनीति लोगों को पुराने दोस्तों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है? यह पता लगाने के लिए, एक प्रयोग किया गया जिसमें कुछ लोगों को तीन मिनट की वार्म-अप गतिविधि को पूरा करने के लिए यादृच्छिक रूप से नियुक्त किया, जिसमें उन्होंने वर्तमान परिवार या दोस्तों को संदेश भेजा। अन्य प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से एक नियंत्रण स्थिति सौंपी गई थी जिसमें वे केवल तीन मिनट के लिए सोशल मीडिया ब्राउज़ करते थे। बाद में, सभी प्रतिभागियों को एक पुराने मित्र को संदेश लिखने और भेजने का अवसर दिया गया। जबकि केवल 30 फीसद प्रतिभागियों ने नियंत्रण स्थिति में अपना संदेश भेजा, 50 फीसद से अधिक ने वार्म-अप के बाद ऐसा किया, यह दर्शाता है कि संपर्क करने के लिए व्यवहार का अभ्यास करने से यह कार्य आसान हो सकता है।

विश्व परिक्रमा

भारत और रूस की दोस्ती पर अमेरिका की नजर

जनसत्ता संवाद

रूस के साथ भारत की नजदीकियां बढ़ने की वजह से अमेरिका अपनी मनमानी करने लगा है। अब खबर है कि अमेरिका भारत को तेजस लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होने वाले इंजन की आपूर्ति में देरी कर रहा है। इसकी वजह से तेजस के उत्पादन में कमी देखने को मिली है। स्पूतनिक की रपट के मुताबिक, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसकी सप्लाई में देरी होती है तो भारत अमेरिका के साथ अनुबंध भी खत्म कर सकता है।

स्पुतनिक ने भारतीय वायुसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के हवाले से लिखा, अगर वाशिंगटन भारत के स्वदेशी विमान तेजस के लिए जेट इंजन की आपूर्ति में पिछड़ता रहा तो अमेरिका के ऊपर सवाल उठ जाएंगे। ऐसे में अनुबंध को भी समाप्त किया जा सकता

है। एअर मार्शल (सेवानिवृत्त) एम माथेस्वरन ने कहा कि अमेरिकी एफ 404 इंजन की सप्लाई में देरी से भारतीय वायुसेना पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तेजस एमके1 और तेजस एमके1ए के 6 स्क्वाड्रन जल्द ही सर्विस में शामिल किए जाने वाले हैं। माथेस्वरन ने कहा, भारतीय वायु सेना 45 की जगह 32 स्क्वाड्रन से काम चला रही है। अगर तेजस लड़ाकू विमान की अगली पीढ़ी के इंजन भारत को नहीं मिलते हैं तो अनुबंध खतरे में पड़ जाएगा।

वहीं, मीडिया रपट से पता चलता है कि तेजस को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड ने विमान के लिए विकल्पों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। जब तेजस योजना शुरू हुई थी, तब रूस कावेरी इंजन के लिए भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए उत्सुक था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था।वहीं, रक्षा विशेषज्ञ और भारतीय सेना से मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्त पीके सहगल ने बताया कि भारत के लिए दूरदृष्टि रखना बहुत जरूरी है। 15 साल बाद क्या तकनीक आएगी, यह भी देखना है। पांचवीं पीढ़ी के अलावा छठी पीढ़ी की तकनीक भी आ सकती है। ऐसे में भारत को भी तकनीक के मामलों में दूसरों से आगे रहना है।

जानें-समझें

ट्रंप पर हमला

अमेरिकी सुरक्षा एजंसियों की साख पर सवाल

जनसत्ता संवाद

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एवं रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद सीक्रेट सर्विस की आलोचना हो रही है। रिपब्लिकन नेता सुरक्षा एजंसी पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक सुरक्षा एजंसी में से एक सीक्रेट सर्विस की साख पर उठते सवाल चिंता का विषय है। आइए जानते हैं क्या है सीक्रेट सर्विस और यह कैसे करती है काम।

सीक्रेट सर्विस के कंधों पर मौजूदा एवं पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति एवं पूर्व राष्ट्रपति हमेशा सीक्रेट सर्विस के तेजतर्रार एवं काबिल एजेंटों के सुरक्षा घेरे में रहते हैं। अमेरिका की यह सीक्रेट सर्विस गृह मंत्रालय के तहत आती है। राष्ट्रपति एवं पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा करने के अलावा,यह एजंसी आपराधिक जांच एवं जाली मुद्रा और आर्थिक अपराधों की भी जांच करती है। साल 1901 में राष्ट्रपति विलियम मैकेन्ली की हत्या के बाद इस एजंसी पर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं, उनके परिवार एवं अमेरिका पहुंचने वाले विदेशी नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दे दी गई।

कब हुई स्थापना

अमेरिका जब अपने गृह युद्ध के अंतिम दौर से गुजर रहा था तो उस समय अमेरिका में आधी करेंसी के जाली होने का अनुमान था। इसकी जांच के लिए 1865 में डिपार्टमेंट आफ ट्रेजरी के अधीन सीक्रेट सर्विस की स्थापना हुई। जाली नोटों पर बहुत हद तक रोक लगाने के बाद सीक्रेट सर्विस संघीय अपराधों एवं तस्करी जैसे अपराधों की जांच करती रही। आगे चलकर 1908 में जब फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआइ) का गठन हुआ तो सीक्रेट सर्विस के जांच के दायरे को सीमित कर दिया गया। फिर भी साइबर क्राइम सहित बैंकिंग एवं वित्तीय सेक्टर के अपराधों की जांच सीक्रेट सर्विस करती रही। कुछ समय बाद सीक्रेट सर्विस के सेवाओं का दायरा बढ़ाते हुए उसे राजनीति की दिग्गज हस्तियों एवं सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई। एंजसी को जिन राजनीतिक हस्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली। उनमें राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का परिवार, विदेश से आने वाले राष्ट्राध्यक्ष और चुनाव से 120 दिन पहले राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार शामिल हैं।

बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं

सीक्रेट सर्विस के सदस्य अपने साथ अत्याधुनिक हथियार लेकर चलते हैं। देश के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध के लिए वे बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। मीडिया रपट की मानें तो सीक्रेट सर्विस में करीब 3,200 सदस्य काम करते हैं। इनमें से करीब 1,300 सक्रिय सदस्य हैं जबकि 2000 के करीब तकनीकी, पेशेवर और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हैं।

कामकाज एफबीआइ-सीआइए से अलग

सीक्रेट सर्विस का कामकाज एफबीआइ से अलग है। संघीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई खुफिया सूचनाओं एवं जानकारियों के आधार पर यह एजंसी अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। एफबीआइ में काम करने वाले लोग अमेरिकी न्याय विभाग के अधीन आते हैं। वहीं, सेंट्रल इंटेलीजेंस एजंसी (सीआइए) का कामकाज घरेलू नहीं बल्कि विदेशी होता है।

सीआइए अमेरिका से बाहर राष्ट्रपति से जुड़े वैश्विक मुद्दों एवं दुनिया के अन्य देशों के बारे में खुफिया सूचनाएं जुटाती है। इस एजंसी का काम अमेरिकी हितों के लिए जासूसी करना भी है। सीआइए के एजंट्स राष्ट्रीय सुरक्षा पर नीति बनाने वाले लोगों और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को भी अपनी खुफिया जानकारियां उपलब्ध कराती है। सीआइए सीधे राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करती है। एफबीआइ भ्रष्टाचार और घरेलू आतंकवाद के मामलों को भी देखती है।

आपको बताते चलें कि अमेरिकी सिक्रेट सर्विस की छवि पर दाग लग चुका है। उनके सर्विस के दौरान अमरिकी राष्ट्रपति जान एफ कनेडी की हत्या हुई थी जबकि रोनाल्ड रीगन पर भी जानलेवा हमला हुआ था।

(फाइल फोटो)

संघीय, राज्य और स्थानीय एजंसियों के साथ सीक्रेट सेवा यह समझने की कोशिश कर रही है कि क्या हुआ, यह कैसे हुआ और हम इस तरह की घटना को फिर से होने से कैसे रोक सकते हैं। हम सभी पहलुओं पर ध्यान दे रहे है।
-किम्बर्ली ए चीटल , सीक्रेट सर्विस प्रमुख

किसी भी खुले इलाके में हमले को रोकना बेहद कठिन है। जांच हमें यह पता करने का मौका देगी कि आखिर गलती कहां हुई और भविष्य में क्या किया जा सकता है। हालांकि यह हमला सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।
- लेफ्टिनेंट कर्नल जार्ज बिवेन्स, पेंसिल्वेनिया राज्य पुलिस

पहले भी हो चुका है हमला

जान एफ कैनेडी : जान एफ कैनेडी अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे। 25 नवंबर, 1963 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डलास यात्रा के दौरान वे एक खुली कार में जा रहे थे तभी उन्हें गोली मारी गई।

अब्राहम लिंकन : अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। लिंकन की 15 अप्रैल, 1865 को वाशिंगटन डीसी के फोर्ड थिएटर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

विलियम मैकिनले : विलियम मैकिनले अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति थे। सितंबर, 1901 में प्रदर्शनी के दौरान जब वह पंक्ति में खड़े थे तब उनको गोली मार दी गई थी। उन्हें दो बार गोली मारी गई थी और आठ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी।

व्यक्तित्व

ऐश्वर्य प्रताप : पेरिस ओलंपिक में सोने पर साधेंगे निशाना

जनसत्ता संवाद

एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर अब पेरिस ओलंपिक में सोने पर निशाना साधेंगे। बचपन से ही निशानेबाजी के शौकीन तोमर को जब भी मौका मिलता था। तो वे पढ़ाई करने की बजाय पिता की शाटगन और ब्रेक-बैरल गन को साफ करते थे।

ऐश्वर्य को राष्ट्रीय स्तर पर अपने पहले ही वर्ष में तकनीकी कारणों से निलंबित कर दिया गया था। वह एक साल तक किसी भी टूनामेंट में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। उनके मुताबिक यह उनके करिअर का सबसे कठिन दौर था। ऐश्वर्य मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रहने वाले हैं। ऐश्वर्य का जन्म तीन फरवरी 2001 को मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रतनपुर गांव में राजपूत किसान परिवार में हुआ था। ऐश्वर्य के पिता को भी निशानेबाजी का शौक था ऐसे में उनके घर पर पहले से बंदूके मौजूद थी। उनके भाई एक पेशेवर निशानेबाज थे जिसे देखकर ऐश्वर्य ने भी स्कूल के समय से ही इसमें शानदार प्रदर्शन करने का लक्ष्य बना लिया था। 2015 में, ऐश्वर्या ने भोपाल में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी में वैभव शर्मा के तहत निशानेबाजी में अपना पेशेवर प्रशिक्षण शुरू किया। भोपाल में प्रशिक्षण के दौरान उनकी लगन देखकर कोच ने उन्हें आगे बढ़ाना शुरू किया। चार साल के प्रशिक्षण के बाद ऐश्वर्य ने 2019 एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। इसके बाद साल 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए कोटा स्थान पाने में बड़ी सफलता हासिल की। इसके बाद ऐश्वर्य ने देश की राजधानी नई दिल्ली में 2021 में आयोजित विश्व कप प्रतियोगिता में 50 मीटर निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता। कुछ तकनीकी कारणों से उन्हें 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग में भाग लेने से एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। हालांकि इसके बावजूद वे रुके नहीं। उन्होंने 10 मीटर एअर राइफल स्पर्धा और 50 मीटर एअर राइफल इवेंट में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शूटिंग प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन किया। ये उनके लिए काफी बड़ा पल था हालांकि वे टोक्यो में कोई मेडल नहीं ला पाए थे लेकिन अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। ऐश्वर्य ने निशानेबाजी में कई कीर्तिमान बनाए हैं। वे 2019 एशियाई एअरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर राइफल के कांस्य पदक विजेता थे। वे 2019 आइएसएसएफ जूनियर विश्व कप के भी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। ऐश्वर्य ने 2023 में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। निशानेबाजी में उनकी उपलब्धियां को देखते हुए साल 2023 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है।

नीट-यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

आइआइटी दिल्ली विशेषज्ञों की टीम बनाकर प्रश्न के सही उत्तर पर रपट सौंपे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आइआइटी-दिल्ली के निदेशक से तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने को कहा, जो इस परीक्षा में पूछे गए एक विशेष प्रश्न पर विचार करेगी और मंगलवार दोपहर तक सही उत्तर पर एक रपट पेश करेगी। पीठ विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रखेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने विवादों में घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी 2024' से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई शुरू की और आइआइटी-दिल्ली के निदेशक से तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने को कहा, जो इस परीक्षा में पूछे गए एक विशेष प्रश्न पर विचार करेगी और मंगलवार दोपहर तक सही उत्तर पर एक रपट पेश करेगी।

नीट-यूजी पर्चाफोड़ मामले की जांच में अब सुप्रीम कोर्ट ने आइआइटी दिल्ली को भी शामिल कर लिया है। प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सोमवार को आदेश दिया कि आइआइटी दिल्ली के निदेशक तीन विशेषज्ञों की एक समिति का तत्काल गठन करें। यह समिति प्रवेश परीक्षा में आए एक सवाल के सही जवाब पर राय दे। दरअसल, एक ऐसे सवाल का मसला उठा है, जिसके दो सही उत्तर माने जा रहे हैं। ऐसे में अदालत ने विशेषज्ञों की एक समिति से ही इस पर मंगलवार दोपहर 12 बजे तक जवाब मांगा है। पीठ ने कहा कि भौतिक विज्ञान के दो सही विकल्पों वाले सवाल नंबर 19 की पड़ताल होनी चाहिए। दो सही विकल्प देने से 44 परीक्षार्थियों को बोनस अंक मिले और 4.2 लाख परीक्षार्थियों को नुकसान हुआ है। लिहाजा विशेषज्ञों की राय लिया जाना जरूरी है।

नीट-यूजी 2024 परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई आइआइटी के निदेशक को निर्देश के साथ ही खत्म हो गई। यह चौथी सुनवाई थी। अगली सुनवाई 23 जुलाई यानि मंगलवार को होगी। सुनवाई के दौरान एनटीए ने माना कि 3300 से ज्यादा परीक्षार्थियों को गलत प्रश्न पत्र दिया गया था। इन्हें एसबीआइ की जगह केनरा बैंक का प्रश्न पत्र बांटा गया था। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आरोपियों के बयान अलग-अलग हैं। अगर पर्चाफोड़ (4 मई) की रात को हुआ है तो जाहिर है कि लीक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नहीं, बल्कि स्ट्रांग रूम से पहले हुआ था। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि 4,20,774 उम्मीदवारों ने विकल्प दो (पुराने एनसीईआरटी संस्करण का उत्तर) और 9,28,379 उम्मीदवारों ने विकल्प चार का प्रयास किया। एसजी ने कहा कि एनटीए ने परीक्षार्थियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद विकल्प दो के लिए अंक देने का निर्णय लिया, जिन्होंने परीक्षा की तैयारी के लिए अपने भाई-बहनों की पुरानी पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया था।

राजौरी में सैन्य चौकी पर आतंकी हमले की कोशिश नाकाम

राजौरी, 22 जुलाई (भाषा)।

आतंकी हमला हाल के दिनों में जम्मू क्षेत्र में हुई 14वीं घटना है।

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सेना के जवानों ने एक सैन्य चौकी और ग्राम रक्षा दल सदस्य के आवास पर आतंकवादी हमले की कोशिश सोमवार तड़के नाकाम कर दी। सेना के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि घटना में संलिप्त आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाश अभियान चलाया और इस दौरान उनकी आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई। वीडीजी के आवास पर हमला करने में शामिल आतंकवादी को मार गिराया गया है और इस घटना में एक जवान, एक नागरिक और वीडीजी का रिश्तेदार घायल हुआ है। वाइट नाइट कोर ने 'एक्स' पर बताया कि राजौरी के गुंधा इलाके में आतंकवादियों ने वीडीसी के घर पर तड़के तीन बजकर 10 मिनट पर हमला किया। नजदीक मौजूद सैन्य टुकड़ी ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई।'अभियान अब भी जारी है।' इसमें बताया गया कि भारतीय सेना ने राजौरी-रियासी के दूरदराज के इलाके में स्थित वीडीजी के गांव पर संभावित हमले के खतरे को लेकर आई खुफिया जानकारी पर कार्रवाई की।

रणनीतिक टीम ने तत्काल कार्रवाई की, ताकि वीडीसी सदस्य और उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं हो। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने वीडीजी और पूर्व सैनिक परषोत्तम कुमार के ख्वास तहसील के गुंधा इलाके स्थित आवास पर गोलीबारी की। कुमार शौर्य चक्र से भी सम्मानित हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड फेंकने के बाद सुरक्षाकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद उन्होंने सुबह करीब चार बजे क्षेत्र में नव स्थापित सेना चौकी पर हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि जवानों ने सेना की चौकी पर किए गए हमले को नाकाम कर दिया और इलाके की घेराबंदी कर तलाश अभियान चलाया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।

प्रधानमंत्री खुद को लोकतांत्रिक साबित करें : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि संसद के मानसून सत्र के शुरु में विपक्ष को लेकर उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी की, जबकि उन्होंने '10 साल तक देश का गला घोंटा और आवाज दबाई जिसकी सजा जनता ने हालिया लोकसभा चुनाव में उन्हें दी।'

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को 'मोदी सरकार' शब्द के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए और खुद को लोकतांत्रिक साबित करना चाहिए। खेड़ा ने एक बयान में कहा कि 'जिस व्यक्ति ने 10 साल तक देश का गला घोंटा और आवाज दबाई, वो आज प्रतिपक्ष के आवाज उठाने पर रुदन करता हुआ बेहद कमजोर दिख रहा था।'

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिपक्ष पर अशोभनीय टिप्पणी के साथ मानसून सत्र की शुरुआत की। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री को यह याद दिलाना जरूरी है कि पिछले 10 साल के उनके अन्याय काल में पूरे देश का दम घोंटा गया, जिसकी सजा जनता ने उन्हें दी है। प्रधानमंत्री मोदी भूल गए हैं कि वो बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री नहीं, दो दलों के सहयोग से चलने वाली राजग सरकार के एक तिहाई प्रधानमंत्री हैं। उन्हें 'मोदी सरकार' शब्द के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए और खुद को लोकतांत्रिक साबित करना चाहिए। उनका कहना था, 'प्रधानमंत्री को स्मरण कराना उचित होगा कि जब वे ये भाषण दे रहे थे, उस वक्त देश के 32 लाख विद्यार्थियों की आवाज को दबाने और उनके साथ आपकी सरकार के अन्याय के खिलाफ देश का सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।' खेड़ा ने कहा कि देश के 15 से अधिक अग्निवीर देश के लिए प्राणों की आहुति का सपना अपने दिल में रख कर आत्महत्या के लिए मजबूर हो चुके हैं।' उन्होंने दावा किया कि जब प्रधानमंत्री मोदी ये भाषण दे रहे थे, तब देश के 50 करोड़ किसान अपने खेत और अपनी खेती को बचाने के लिए हर दमन, हर अत्याचार को सहते हुए आंदोलन कर रहे हैं, जिनका आपने ढाई साल से गला घोंट रखा है।'

मोदी ने विपक्ष पर 'नकारात्मक राजनीति' करने का आरोप लगाते हुए कहा, प्रधानमंत्री का

गला घोंटने, आवाज दबाने का प्रयास हुआ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

बजट पर 20-20 घंटे चर्चा होने की संभावना
लोकसभा और राज्यसभा में आम बजट पर 20-20 घंटे चर्चा होने की संभावना है। राज्यसभा में विनियोग और वित्त विधेयकों पर आठ घंटे की चर्चा और चार मंत्रालयों के कामकाज पर चार-चार घंटे की बहस होने की संभावना है। केंद्रीय बजट मंगलवार को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर सदन में चर्चा के लिए कुल 20 घंटे का समय आबंटित किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विपक्ष पर 'नकारात्मक राजनीति' करने और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए संसद का 'दुरुपयोग' करने का आरोप लगाया तथा कहा कि संसद किसी 'दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है।'संसद सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि संसद के पिछले सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष ने ढाई घंटे तक देश के 'प्रधानमंत्री का गला घोंटने' का प्रयास किया।

मोदी ने कहा कि लोगों ने लोकसभा चुनाव में अपना फैसला दे दिया है और अब सभी राजनीतिक दलों को अगले पांच साल देश के लिए मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने यह अपील सभी दलों के सांसदों से की। उन्होंने हाल में संपन्न आम चुनाव की ओर संकेत करते हुए कहा, 'गत जनवरी से लेकर (जून में आम चुनाव संपन्न होने तक) हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, जितनी लड़ाई लड़नी थी... लड़ ली, जनता को जो बात बतानी थी- बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया। लेकिन अब वो (चुनाव प्रचार का) दौर समाप्त हुआ है, देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया है।'

उन्होंने कहा, 'अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेदारी है कि...आने वाले पांच वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है। एक और नेक बनकर जूझना है।' प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से पार्टी लाइन से ऊपर उठने और अगले चार से साढ़े चार वर्षों तक संसद के मंच का उपयोग करने का आ''ान किया। उन्होंने कहा, 'जनवरी 2029 चुनाव का वर्ष होगा। आप उसके बाद जाइए मैदान में। सदन का भी उपयोग करना है, कर लीजिए। वह (आम चुनाव से पहले के) छह महीने, जो खेल खेलने हैं, खेल लीजिए। लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश, देश के गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को सशक्त करने के लिए जनभागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाएं।' मोदी ने कहा कि उन्हें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2014 के बाद कोई सांसद पांच वर्ष के लिए आया और कुछ को 10 साल के लिए मौका मिला लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे, जिनको अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर ही नहीं मिला। उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बिना कहा, 'क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश की संसद के अहम समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढंकने के लिए दुरुपयोग किया है।'

प्रधानमंत्री ने सभी दलों से आग्रह किया कि कम से कम पहली बार सदन में पहुंचने वाले सदस्यों को अवसर और चर्चा के दौरान अपने विचारों को प्रकट करने का मौका मिलना चाहिए। मोदी ने कहा कि उस दौरान 140 करोड़ देशवासियों की आवाज को कुचलने का 'अलोकतांत्रिक' प्रयास हुआ था। उन्होंने पिछले सत्र में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर लोकसभा में उनके जवाब के दौरान विपक्ष के लगातार हंगामे की ओर संकेत करते हुए कहा कि ढाई घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का... लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है।

सद्भाव व सुरक्षा के बीच निकली ब्रज मंडल यात्रा

मुसलिम समूहों ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया, इंटरनेट सेवा बहाल

चंडीगढ़, 22 जुलाई (भाषा)।

पिछले साल हिंसा से प्रभावित रही ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। यात्रा संपन्न होने के बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। हिंद-मुसलिम दोनों समुदायों के लोगों ने अलग-अलग स्थानों पर शोभायात्रा का स्वागत किया। आध्यात्मिक नेता महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने कहा कि इस साल की यात्रा ने पूरे देश में भाईचारे का मजबूत संदेश दिया है।

'हर हर महादेव' और 'जय श्री राम' के नारे लगाते हुए भक्तों ने नल्हड़ महादेव मंदिर से यात्रा शुरू की और बाद में यहां फिरोजपुर झिरका के झिर मंदिर के लिए रवाना हुए। नूंह के उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए कड़ी सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के बीच यात्रा सुचारु रूप से चल रही है। इससे पहले सुबह, यात्रा में भाग लेने वाले कई भक्त नल्हड़ मंदिर के लिए रवाना होने से पहले गुरुग्राम के सेक्टर-10 में राधा कृष्ण मंदिर में एकत्र हुए।

यात्रा शुरू होने से पहले, बड़ी संख्या में महिलाएं पूर्वाह्न करीब 11 बजे यहां भूतेश्वर मंदिर से नल्हड़ महादेव मंदिर पहुंचीं। तिरंगा चौक पर मुसलिम समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुसलमानों के कई समूहों ने विभिन्न स्थानों पर यात्रा में शामिल संतों और अन्य श्रद्धालुओं का फूल-मालाओं से स्वागत किया। अखिल भारतीय इमाम संगठन के अध्यक्ष इमाम उमर अहमद इलियासी शांति की अपील करने के लिए रविवार शाम को नूंह स्थित नल्हड़ महादेव मंदिर गए थे। स्वामी धर्मदेव ने यात्रा के लिए दोनों समुदायों को बधाई दी।

हरियाणा सरकार ने यात्रा के मद्देनजर नूंह जिले में सुरक्षा बढ़ा दी है और उसने मोबाइल इंटरनेट एवं एक साथ कई लोगों को एसएमएस भेजने की सेवाओं को 24 घंटे के लिए निलंबित करने का रविवार को आदेश दिया। पिछले साल 31 जुलाई को नूंह में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद हुई झड़पों में दो होमगार्ड और गुरुग्राम की एक मस्जिद के एक इमाम समेत छह लोगों की मौत हो गई थी। यात्रा के दौरान पुख्ता सुरक्षा के लिए जिले में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के दो हजार से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है।

आस्था

सोमवार को नूंह के नल्हर महादेव मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा करते साधु।

पेज 1 का बाकी

सरकार ने कहा, बिहार को विशेष दर्जा देने का मामला नहीं बनता

का आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य और अन्य अत्यधिक पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करने का विचार है? इस प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया है।

मंत्री ने कहा कि इन राज्यों में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि इनमें पर्वतीय और दुर्गम भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी जनसंख्या की बड़ी हिस्सेदारी, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और बुनियादी संरचना के लिहाज से पिछड़ापन और राज्य के वित्त की अलाभकारी प्रकृति शामिल रहीं। चौधरी ने कहा कि फैसला उक्त सूचीबद्ध सभी कारकों और किसी राज्य की विशिष्ट स्थिति के एकीकृत विचार के आधार पर लिया गया था। उन्होंने कहा, 'पूर्व में विशेष श्रेणी के दर्जे के बिहार के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आइएमजी) द्वारा विचार किया गया था, जिसने 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आइएमजी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि एनडीसी के मौजूदा मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है।'

वर्ष 2012 में कांग्रेस नीत यूपीए सरकार केंद्र में थी। राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग सोमवार को राज्यसभा में भी उठी। राजद के सदस्य मनोज झा ने उच्च सदन में बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ-साथ विशेष पैकेज देने की भी मांग उठाई और कहा कि इसके लिए उनकी पार्टी संसद से सड़क तक संघर्ष करेगी। राजद सदस्य ने जद (एकी) की ओर संकेत करते हुए कहा, 'हमारे कुछ साथी जो हमारे साथ काम कर चुके हैं, कहते हैं कि विशेष राज्य न दे सको तो विशेष पैकेज पैकेज दो। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में 'या' नहीं है। बिहार को 'या' स्वीकार नहीं है।

संभावनाएं अच्छी, पर झटकों के लिए तैयार रहे वित्तीय क्षेत्र

तथा ज्यादा 'रिटर्न' की उम्मीदों के कारण सट्टेबाजी की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि संसद में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की मौजूदा ताकत को रेखांकित करता है और सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न सुधारों के परिणामों को भी प्रदर्शित करता है।समीक्षा में कहा गया है कि देश का वित्तीय क्षेत्र तेजी के रास्ते पर है। कर्ज के लिए बैंक पर निर्भरता कम हो रही है और पूंजी बाजार की भूमिका बढ़ रही है।

भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में यह बदलाव लंबे समय से प्रतीक्षित और स्वागतयोग्य है। इसमें कहा गया है कि हालांकि, पूंजी बाजार पर निर्भरता और उसके उपयोग की अपनी चुनौतियां भी हैं। ऐसे समय जब, भारत का वित्तीय क्षेत्र इस महत्त्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है, उसे झटकों के लिए भी तैयार रहना होगा। साथ ही जरूरी हस्तक्षेप और जोखिम से बचाव को लेकर नियामकीय और सरकारी नीतियों के साथ स्वयं को तैयार करने की भी जरूरत है। इसमें कहा गया है कि आने वाले समय में कंपनियों और बैंकों के मजबूत बही-खाते निजी निवेश को और मजबूत करेंगे। आवासीय रियल एस्टेट बाजार में सकारात्मक रुझान से संकेत मिलता है कि परिवारों के स्तर पर पूंजी निर्माण काफी बढ़ रहा है। इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को बीमा सुरक्षा और सेवानिवृत्ति सुरक्षा प्रदान करने की भी जरूरत है।

देश में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बीमा और पेंशन कोष संपत्तियों की हिस्सेदारी क्रमशः 19 फीसद और पांच फीसद है, जबकि अमेरिका में यह 52 फीसद और 122 फीसद है। वहीं, ब्रिटेन में यह 112 फीसद और 80 फीसद है। यानी इसमें आगे सुधार की काफी गुंजाइश है।संसद में पेश समीक्षा में अप्रैल में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 6.5 फीसद से 7.0 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है।

यह पिछले वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) की 8.2 फीसद की वृद्धि की तुलना में कम है। साथ ही यह चालू वित्त वर्ष के लिए आरबीआइ के 7.2 फीसद अनुमान से भी कम है। समीक्षा की प्रस्तावना में लिखा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है और वैश्विक स्तर पर चुनौतियों के बीच बेहतर प्रदर्शन कर रही है।' हालांकि, इसमें यह भी कहा कि अतिरिक्त क्षमता वाले देशों से सस्ते आयात की आशंका निजी पूंजी के निर्माण को सीमित कर सकती है। समीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि इस वर्ष के लिए वृद्धि दर का अनुमान जताते समय सतर्कता बरती गई है और यह बाजार की अपेक्षाओं से कम है। इस सतर्क रुख का कारण निजी क्षेत्र के निवेश की गति धीमी होने के साथ ही मौसम प्रतिरूप का अनिश्चित होना है। इसमें कहा गया है कि मध्यम अवधि में यदि संरचनात्मक सुधार लागू किए गए तो टिकाऊ आधार पर सात फीसद से अधिक की वृद्धि दर की संभावना बनती है।

समीक्षा में निजी निवेश को बढ़ावा देने, छोटी कंपनियों और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने का सुझाव दिया गया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय संसाधन बढ़ाने, छोटी कंपनियों के लिए कारोबार को सुगम बनाने और आय असमानता पर गौर करने की भी बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि प्राथमिकताओं में शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर को पाटना भी शामिल होना चाहिए।

सवाल उठाकर विवादों में घिरीं वरिष्ठ अधिकारी

बताया। शिवसेना (उद्धव) नेता ने 'एक्स' पर कहा कि यह देखना दिलचस्प है कि नौकरशाह किस तरह से अपनी सीमित सोच और विशेषाधिकार दिखा रहे हैं।सभरवाल की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए 'नेशनल प्लेटफार्म फार द राइट्स आफ द डिसेबल्ड' (एनपीआरडी) की तेलंगाना इकाई ने कहा कि तेलंगाना सरकार को उनकी (सभरवाल) पोस्ट के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यह दिव्यांगों का अपमान है।

एनपीआरडी, तेलंगाना के अध्यक्ष के वेंकट ने केंद्रीय सेवाओं में दिव्यांगों के लिए कोटा लागू करने के पक्ष में अदालती फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सभरवाल की पोस्ट दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के समानता के मार्गदर्शक सिद्धांत के खिलाफ है। अपनी पोस्ट के लिए हुई आलोचना के मद्देनजर सभरवाल ने सोमवार को दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे इस बात की भी पड़ताल करें कि आइपीएस और रक्षा जैसे क्षेत्रों में दिव्यांग आरक्षण क्यों लागू नहीं किया गया है और आइएएस भी इससे अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी टाइमलाइन पर काफी आक्रोश देखने को मिला है।

दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वे इस बात की भी जांच करें कि यह कोटा अभी तक आइपीएस, आइएफओएस और रक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों में क्यों लागू नहीं किया गया है। मेरा सीमित तर्क यह है कि आइएएस भी इससे अलग नहीं है। सभरवाल ने 'एक्स' पर चतुर्वेदी और अन्य की टिप्पणियों का भी जवाब दिया है।

नीट : हंगामे के बीच विपक्ष का बहिर्गमन

सुधार के लिए क्या कदम उठा कर रही है? बाद में संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में राहुल गांधी ने वह 'नीट-यूजी' में कथित अनियमितता का मुद्दा संसद के भीतर उठाते रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है।इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्हें किसी से बौद्धिकता और संस्कार का प्रमाणपत्र नहीं चाहिए। देश के लोकतंत्र ने हमारे प्रधानमंत्री को चुना है, वह उनके निर्णय से यहां जवाब दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सदन में देश की परीक्षा प्रणाली को बकवास कहा गया, इससे दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। प्रधान ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई हैं, उनके समय के शिक्षा मंत्री 2010 में तीन विधेयक लेकर आए थे, उनमें एक विधेयक शिक्षा में सुधार से जुड़ा था। यह मौजूदा सरकार की हिम्मत है कि पर्चाफोड़ पर कानून बनाया गया, लेकिन कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष की क्या मजबूरी थी कि उनके समय लाए गए विधेयक को वापस लिया गया? क्या निजी मेडिकल कालेज और उनकी घूसखोरी के दबाव में इसे वापस लिया गया था? धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट से जुड़े मामले पर केंद्र सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पिछले सात वर्षों में 70 पर्चाफोड़ के मामले हुए हैं। इस बार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 4,700 केंद्रों पर हुई थी, लेकिन सिर्फ एक जगह बिहार में गड़बड़ी का मामला सामने आया।

इससे पहले कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दावा किया कि पिछले सात वर्षों में 70 पर्चाफोड़ के मामले सामने आए हैं। सदन में हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। उनका कहना था कि राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें रहीं हैं, जहां परीक्षाओं पर प्रश्न उठे, हम इसलिए यहां बैठे हैं कि विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल नहीं उठें। इसलिए ऐसी व्यवस्था विकसित करें कि परीक्षा पर सवाल नहीं उठे और इस पर सब सुझाव दें। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार भी उत्तम सुझाव को मानेगी। अगर हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो उत्तीर्ण होने वाले बच्चों के भविष्य व देश की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर असर होगा, जो सदन के लिए चिंता का विषय है। वहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) में कथित अनियमितता को लेकर सदन में दावा किया कि धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा।

उन्होंने कटाक्ष किया कि यह सरकार पर्चाफोड़ का कीर्तिमान बनाएगी। साथ ही सवाल किया कि क्या सरकार उन छात्रों की सूची जारी करेगी, जिनके सबसे ज्यादा अंक आए हैं। क्योंकि, कुछ परीक्षा केंद्रों पर दो हजार से ज्यादा बच्चे उत्तीर्ण हो गए हैं। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया और कहा कि वे इस सदन में उन पर्चाफोड़ मामलों की पूरी सूची रख सकते हैं, जो अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए थे। इसके बाद प्रधान ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इस बीच शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि नीट-यूजी में गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के कोई सबूत नहीं मिले है। सरकार ने सीबीआइ से गहन जांच करने को कहा है।

नाम लिखना जरूरी नहीं, भोजन का ब्योरा दें

की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने कहा कि राज्य के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि आदेश का अनुपालन स्वैच्छिक है, लेकिन इसे बलपूर्वक लागू किया जा रहा है। सिंघवी को अतिशयोक्ति से बचने के लिए कहते हुए पीठ ने कहा कि इन आदेशों से सुरक्षा और स्वच्छता के आयाम भी जुड़े हैं।

सिंघवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा दशकों से जारी है और विभिन्न धार्मिक आस्थाओं-इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोग कांवड़ियों की मदद करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये निर्देश बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किए गए हैं। पीठ ने पूछा कि वे (कांवड़िए) शिव की पूजा करते हैं, हां? क्या वे उम्मीद करते हैं कि भोजन निश्चित समुदाय द्वारा पकाया, परोसा और पैदा किया जाएगा? याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। मोइत्रा ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा जारी आदेश पर रोक लगाए जाने का आग्रह करते हुए कहा कि ऐसे निर्देश समुदायों के बीच विवाद को बढ़ावा देते हैं।

www.readwhere.com

प्ररूप संख्या आईएनसी –26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक को सौंपी गई शक्ति) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (अ) के मामले में

और

मनु महारानी होटल्स लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय एससीओ–310, तीसरी मंजिल, सेक्टर–29, गुड़गांव–122001, हरियाणा में स्थित है, के मामले में, ...याचिकाकर्ता

आम जनता को यह **नोटिस** दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **"हरियाणा राज्य"** से **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** में स्थानांतरित करने के **16 मई, 2024** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर **एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर पताः **बी–2, विंग द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110 003,** पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्न रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर भी भेजेगाः

मनु महारानी होटल्स लिमिटेड
सीआईएनः U55101HR1988PLC057155
सीएसओ नंबरः 310, तृतीय तल, सेक्टर– 29, गुड़गांव–122001, हरियाणा, ईमेल आईडीः
companysecretary@dsgroup.com

मनु महारानी होटल्स लिमिटेड
की ओर से

हस्ता/–
अतुल जैन
डीआईएन– 00060933
निदेशक

तारीखः 22.07.2024, स्थानः गुरूग्राम

सार्वजनिक सूचना

यह सूचित किया जाता है कि बजाज कैपिटल लिमिटेड, जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ मर्चेंट बैंकर्स के रूप में पंजीकृत है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंकर्स) विनियम, 1992 के तहत, 22 नवंबर, 2011 से प्रभावी, पंजीकरण संख्या INM000010544 के साथ, और जिसका पंजीकृत कार्यालय मेजेनाइन फ्लोर 97 बजाज हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, भारत, 110019 में है, अपने मर्चेंट बैंकर्स लाइसेंस को सरेंडर करने के लिए आवेदन कर रहा है।

इस संबंध में, यदि किसी को कोई शिकायत है, तो वे इसे s c o r e s . g o v . i n पर दर्ज कर सकते हैं या हमें mb@bajajcapital.com पर इस सूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल कर सकते हैं।

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Sh Simrandeep Singh Sohi JMIC, Ludhiana

Date: 22-08-2024

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

M/s Aarti Fashion Knitwear
Vs
M/s Shyam Radhe Enterprises

CNR NO: PBLD03-011976-2021

Publication Issued To: M/s Shyam Radhe Enterprises Address- Through its Prop/authorized Signatory Rameswar Pareek, Shree Ram Shopping Mall, Shop No. 6, Near Sabzi Mandi, Shiv Market, Sardarshahar, Churu, Rajasthan-331403 2) Rameswar Pareek Proprietor Signatory Of M/s Shyam Radhe Enterprises Shree Ram Shopping Mall, Shop No 6, Near Sabzi Mandi, Shiv Market, Sardarshahar, Churu Rajasthan-331403

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 22-08-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana

JMIC Ludhiana

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

NUPUR RECYCLERS LIMITED

Formerly known as NUPUR RECYCLERS PRIVATE LIMITED
Regd. Office : Plot No. 5, KH 12/8, 12/9, KH-12, Arjun Gali New Mandoli Industrial Area, Delhi - 110093
CIN: L37100DL2019PLC344788, Website: www.nupurrecyclers.com, Email: compliance@nupurrecyclers.com, Tel: +91-8882704751

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024 (Amount in Rs. Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	3,797.89	4,533.25	4,811.91	24,618.81
2	Profit before exceptional items and tax	648.35	235.58	346.02	1,257.58
3	Profit before tax	648.35	235.58	346.02	1,257.58
4	Profit after tax	505.92	173.04	291.42	862.08
5	Total Comprehensive Income for the year/period	783.83	365.28	319.21	1,390.85
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	6,863.90	6,863.90	4,576.00	6,863.90
7	Other equity				1,693.42
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)				
	Basic (in Rs.) (not annualised)	0.65	0.24	0.49	1.05
	Diluted (in Rs.) (not annualised)	0.65	0.24	0.49	1.05

Notes :
1 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the website of the Stock Exchange (NSE) and on the Company's website www.nupurrecyclers.com.
2 Standalone information (Amount in Rs. Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	3,621.37	4,593.99	1,986.54	18,684.04
2	Profit before exceptional items and tax	402.63	200.35	207.73	974.38
3	Profit before tax	402.63	200.35	207.73	1,444.84
4	Profit after tax	299.25	142.86	153.13	1,055.04
5	Total Comprehensive Income for the year/period	577.16	335.10	181.93	1,563.27
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	6,863.90	6,863.90	4,576.00	6,863.90
7	Other equity				1,702.00
8	**Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)**				
	Basic (in Rs.) (not annualised)	0.44	0.21	0.33	1.54
	Diluted (in Rs.) (not annualised)	0.44	0.21	0.33	1.54

3 These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principal in Ind AS 34 - Interim Financial Reporting, prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.
4 Figures for the previous periods have been re-grouped/ rearranged/ restated wherever necessary to make them comparable with those of the current period.

For NUPUR RECYCLERS LIMITED
Sd/-
Rajesh Gupta
Managing Director
DIN - 01941985

Place : New Delhi
Date : 22.07.2024

tru
ट्रूकैप फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. के रूप में अभिज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय : तृतीय तल, ए विंग, डी. जे. हाउस, पुराना नगरदास मार्ग, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400069, महाराष्ट्र
जीएसटी नं. : 27एएसीडी9887डी1जेडसी
निगमित पहचान संख्या : एल64920एमएच1994पीएलसी334457

सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि बंधककृत स्वर्णाभूषणों की नीलामी का संचालन ट्रूकैप फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. के रूप में अभिज्ञात) द्वारा 26 जुलाई 2024 को 11.00 बजे नोएडा सेक्टर–18 में किया जायेगा।
शाखा पता : ट्रूकैप फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. के रूप में अभिज्ञात) नोएडा, सेक्टर–18, प्रथम तल कार्यालय सं. 102, विशाल चैंबर, सेक्टर–18, नोएडा–201301
अपनी देयक बकाया धनराशियों का भुगतान करने में विफल हो चुके हमारे अनेक ग्राहकों के ऋण खातों से संबंधित स्वर्णाभूषणों को नीलाम किया जाना है। नीलामी की हमारी सूचनायें, इन उधारकर्ताओं को विधिवत रूप में निर्गत की गई हैं।
शाखा नाम के साथ निम्न वर्णित हमारे अनेक ग्राहकों के अतिदेय ऋण खातों से संबंधित स्वर्णाभूषणों की नीलामी की जानी है।

दिलशाद कॉलोनी शाखा : GL0000000111271, GL0000000180270, GI0000000178169, GL0000000175617, GL0000000181846, GL0000000091722, GI0000000094769, GL0000000089424, GL0000000058953, GI0000000177762.
फरीदाबाद शाखा : GL0000000201289, GL0000000068029, GI0000000175437, GL0000000143258, GL0000000175420, GL0000000159380, GI0000000148633, GL0000000172636, GI0000000148233.
गाजियाबाद शाखा : GL0000000100168, GL0000000194678, GI0000000191502, GL0000000173063, GL0000000178294, GL0000000106723, GI0000000180785, GL0000000183635, GL0000000178371, GL0000000172286, GI0000000104850, GI0000000177109.
किराड़ी शाखा : GL0000000168393, GL0000000120255, GI0000000179197, GI0000000172310, GL0000000113934, GL0000000183233, GI0000000179239.
मयूर विहार शाखा : GL0000000173122, GL0000000145126, GI0000000170210, GL0000000182542, GL0000000176593, GL0000000114227, GI0000000173417.
एनआईटी बी के चौक शाखा : GL0000000170254, GL0000000204325, GI0000000204039, GL0000000180836, GL0000000109808, GL0000000170052, GI0000000181573, GI0000000183391.
नोएडा भंगेल शाखा : GL0000000081063, GL0000000174752, GI0000000178350, GL0000000182345, GL0000000175246, GL0000000118761, GI0000000116911, GL0000000178344, GI0000000180651.
नोएडा सेक्टर–18 शाखा : GL0000000122659, GL0000000084711, GI0000000163477, GL0000000170549, GL0000000173683, GL0000000173569, GI0000000180990, GL0000000087422, GL0000000144824, GI0000000193782, GI0000000146795, GL0000000146952, GL0000000170825, GI0000000182412, GI0000000196002.
उत्तरी घोंडा शाखा : GL0000000095390, GL0000000151259, GI0000000079750, GL0000000082400, GL0000000116503, GL0000000165560, GI0000000155294, GL0000000155288, GL0000000207676, GI0000000079217, GI0000000140540, GL0000000143350, GL0000000155899, GI0000000179360, GI0000000079141, GL0000000154350, GL0000000158434, GL0000000168770, GI0000000167255, GL0000000172094, GI0000000173907.
पलवल शाखा : GL0000000101937, GL0000000122041, GI0000000143677, GL0000000127131, GL0000000100324, GL0000000087924, GI0000000178806, GL0000000179841, GL0000000104956, GL0000000182929, GI0000000148498, GL0000000176177, GI0000000144624.
पूठ कलां शाखा : GL0000000204634, GL0000000204598, GI0000000207295, GL0000000190794, GL0000000180916, GL0000000172209, GI0000000146919, GL0000000205423, GL0000000118611, GL0000000205275, GI0000000208060.
रानी बाग शाखा : GL0000000180787, GI0000000205485.
त्रि नगर शाखा : GL0000000210316, GL0000000163257, GI0000000181587, GL0000000084883, GI0000000177821.

अधिक विवरणों के लिए कृपया ट्रूकैप फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. के रूप में अभिज्ञात) से संपर्क करें।
जिनसे संपर्क किया जाना है, उन व्यक्ति का **नाम : सतीश कुमार**
संपर्क संख्या : 9560735444
ट्रूकैप फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. के रूप में अभिज्ञात) के पास बिना कोई पूर्व सूचना दिए नीलाम किए जानेवाले खातों की संख्या में परिवर्तन करने तथा नीलामी को स्थगित / निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

ट्रूकैप फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. के रूप में अभिज्ञात)

Chola
Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600032
चंडीगढ़ शाखा : एससीओ. 350–351–352, तृतीय तल, सेक्टर–34–ए, चंडीगढ़–160022,
पानीपत शाखा : एससीओ–9, सेक्टर–25, ट्रांसपोर्ट नगर, मलिक पेट्रोल पम्प के पीछे, पानीपत, हरियाणा–132103,
कॉन्टैक्ट नंबर : श्री चंदर मोहन सिंह रावत – मोबाइल नंबर 8950045100, एवं श्री वरूण प्रताप वोहरा, मोबाइल नंबर 9056555002

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधकदता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका भौतिक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड इसमें आगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड कही जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिभूत आस्तियां "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर ई–नीलामी के माध्यम से बेची जाएंगी।
एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि हम ई–नीलामी का संचालन वेबसाइट https://chola-lap.procure247.com एवं https://www.cholamandalam.com/news/auction-notices के माध्यम से करेंगे।

खाता संख्या तथा कर्जदार, सह–कर्जदार, बंधकदाताओं का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति/सम्पत्तियों का वर्णन	सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा एवं बोली वृद्धि राशि (रू. में)	ई–नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी जमा की अंतिम तिथि, निरीक्षण की तिथि
ऋण खाता सं. X0HEPAN00001707840 **1. विवेक मित्तल, 2. कामिनी मित्तल, 3. महावीर प्रसाद मित्तल, 4. सुषमा मित्तल,** सभी निवासी – मकान नंबर 26, देव नगर, पानीपत–132103 5. मैसर्स अग्रवाल एंटरप्राइजेज इसके स्वामी विवेक मित्तल द्वारा प्रतिनिधित्वकृत # मकान नंबर 26, देव नगर, पानीपत–132103	17–07–2020 एवं रू. 1,04,74,885.78/– 28–02–2020 तक तथा उस पर आगे ब्याज एवं प्रभार	श्रीमती सुषमा मित्तल पत्नी महावीर प्रसाद मित्तल के नाम मकान नंबर 26, देव नगर, निकट परमहंस कुटिया तहसील और जिला पानीपत, हरियाणा स्थित सम्पत्ति परिमाप 172 वर्ग गज। चौहद्दी :– उत्तर : 29' एवं रवीन्द्र कुमार गुलाटी का मकान नंबर 13, दक्षिण : 30' एवं गली, पूरब : 52' एवं संजय कुमार का मकान नंबर 25, पश्चिम : 52'6" एवं मकान नंबर 27 तहसील और जिला पानीपत, हरियाणा	रू. 75,00,000/– रू. 7,50,000/– रू. 1,00,000/–	09–08–2024 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक; 08–08–2024 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक; भेंट के निर्धारित समयानुसार

(यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस भी है)

1. सभी इच्छुक प्रतिभागियों/बोलीदाताओं से वेबसाइट https://chola-lap.procure247.com/ एवं https://www.cholamandalam.com/news/auction-notices देखने का अनुरोध है।
2. विस्तृत विवरण और सहायता के लिए प्रत्याशी बोलीदाता सम्पर्क करें – श्री मुहम्मद रहीस – 81240 00030/6374845616, ई–मेल आईडी : CholaAuctionLAP@chola.murugappa.com
3. केवल ई–नीलामी प्रशिक्षण के लिए सम्पर्क करें मैसर्स प्रोक्योर 247 ; वासु पटेल – 9510974587

प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 23–07–2024, स्थान : चंडीगढ़/पानीपत
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

JAI MATA GLASS LIMITED

CIN: L26101HP1981PLC004430, Regd. Office: TIPRA, BAROTIWALA, DISTRICT, SOLAN (H.P.)-174 103
Statement of Audited Financial Results for the Quarter ended on June 30, 2024 (Rs., lakhs)

S. No.	Particulars	QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total income	10.78	15.10	16.13	53.36
2	Net profit for the period (before tax, exceptional items and/or extraordinary items)	0.70	5.90	(6.79)	1.55
3	Net profit for the period before tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	0.70	5.90	(6.79)	1.55
4	Net profit for the period after tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	0.70	5.90	(6.79)	1.55
5	Total comprehensive income [comprising profit/loss for the period after tax and other comprehensive income (after tax)]	5.09	10.16	(1.98)	19.81
6	Paid up equity share capital (Face value of Re. 1 each)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7	Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year.				(691.27)
8	Earnings per share (Face value of Re.1 each) (not annualised) Basic and Diluted (in Rs.)	0.001	0.006	(0.007)	0.002

Notes:
1 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 22nd July, 2024
2 These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.
3 The Chief Financial Officer has certified that the financial results for the quarter ended June 30, 2024, do not contain any false or misleading statement or figures and do not omit any material fact which may make the statements or figures contained therein misleading.
4 The company has been appointed as an selling agent for sale of Figured Glass. The Board of the Company is exploring and evaluating various business opportunities. Accordingly, the accounts of the Company have been prepared on a going concern basis.
5 The financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2024, are available at the Company's website, www.jaimataglass.com and Bombay Stock Exchange website, www.bseindia.com.
6 The figures for the previous periods have been regrouped / rearranged, wherever necessary, to confirm to the current period's classification.

By Order of the Board
Jai Mata Glass Limited
Sd/-
C.M. Marwah
Managing Director
(DIN: 00172818)

Date : 22/07/2024
Place : New Delhi

Chola
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः चोला क्रेस्ट, सी 54–55, सुपर बी–4, थिरु–वि–का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई–600 001., **चंडीगढ़ शाखाः** एससीओ. 350–351–352, तीसरी मंजिल, सेक्टर–34–ए, चंडीगढ़–160022., **यमुनानगर शाखाः** एससीओ 105, सेक्टर 17, एचएसवीपी कमर्शियल बेल्ट, पेट्रोल पंप के पास, कोर्ट रोड जगाधरी, यमुनानगर 135003.
संपर्कः श्री चंद्र मोहन सिंह रावत मोबाइल नंबर 8950045100
और श्री वरुण प्रताप वोहरा मोबाइल नंबर 9056555002

सूचना (बिना किसी पूर्वाग्रह के)

1. अनिल चुघ, 2. दीप्ति चुघ, 3. अनिल चुघ सरकारी ठेकेदार
सभी निवासीः मकान नं. 21, कृष्णा कॉलोनी, नारंग क्रॉकरी के सामने, यमुना नगर–135001.
प्रिय महोदय/महोदया,
यह निम्नानुसार प्रस्तुत हैः
1. मुझे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत बनाए गए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 2 (ए) के अंतर्गत एक अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसका शाखा कार्यालय चंडीगढ़ में एस.सी.ओ. 350–351–352, सेक्टर 34 ए, चंडीगढ़ में है और शाखा कार्यालय एस.सी.ओ. 105, प्रथम तल सेक्टर 17, एचएसवीपी कमर्शियल बेल्ट, पेट्रोल पंप के पास, कोर्ट रोड, जगाधरी, यमुनानगर में है।
2. यह कि सुरक्षित परिसंपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 05.07.2024 को लिया गया है और जिसकी सूचना आपको विधिवत रूप से दी गई है, जिसमें कब्जे के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले परिसर खाली करने का अनुरोध किया गया है। यह कि आपको उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता सहित ई–नीलामी बिक्री नोटिस दिनांक 11–07–2024 के बारे में पंजीकृत डाक और प्रकाशन के माध्यम से विधिवत रूप से दी गई है, जिसके अनुसार सुरक्षित परिसंपत्ति की नीलामी की तारीख सरफेसी अधिनियम के नियमों के अनुसार 31.07.2024 के लिए तय की जा रही है।
3. सरफेसी अधिनियम के नियमों के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को खाली करने के कई अनुरोधों के बाद भी, घर के कुछ सामान अभी भी सुरक्षित संपत्ति के परिसर में हैं, विधिवत हस्ताक्षरित सूची भी तदनुसार तैयार की गई है। आपसे अनुरोध है कि नोटिस प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर तैयार और विधिवत हस्ताक्षरित सूची के अनुसार अपने सभी सामान और वस्तुएं हटा दें क्योंकि उस तारीख तक CIFCL घर में रखे सामान और वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए सभी खर्च वहन कर रहा है। इस नोटिस को आपके सामान और वस्तुओं को हटाने का अंतिम और अंतिम अवसर माना जाएगा।
आपसे अनुरोध है कि आप मुझसे (सीआईएफसीएल के प्राधिकृत अधिकारी) कार्य दिवसों में कारोबारी घंटों के दौरान मिलकर कार्यक्रम तय करें।

दिनांकः 23/07/2024
स्थानः चंडीगढ़/यमुना नगर
प्राधिकृत अधिकारी– मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

TATA
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

रजि. कार्यालयः 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 सीआईएन नंबर U67190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

(सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002, ने नीचे उल्लिखित एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिये कहा गया था।
उधारकर्ता, राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता को, विशेष रूप से और जनता को, सामान्य रूप से नोटिस दिया जाता है, कि नीचे वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरी ने धारा13(4) उक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ कोई लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शुल्क जिसमें ब्याज सहित नीचे दी गई राशि शामिल होगी। उस पर और नीचे उल्लिखित तिथि से दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि के अधीन होगा।
सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

ऋण खाता संख्या	दायित्वधारी(ओं) / कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) / कानूनी प्रतिनिधि (ओं) का नाम	डिमांड नोटिस की राशि और तिथि	कब्जा की तिथि
TCHHF0370000100136638 और TCHIN0370000100137899	स्वर्गीय श्री राम जी वर्मा पुत्र श्री बाबू राम वर्मा अपने कानूनी उत्तराधिकारी (उधारकर्ता के रूप में) और श्रीमती शक्ति वर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री राम जी वर्मा (सह–उधारकर्ता और कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में) और शिवम ज्वेलर्स अपने मालिक (सह–उधारकर्ता के रूप में) और श्री शिवम वर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री राम जी वर्मा (कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में) के माध्यम से	29/02/2024 18–07–2024 तक रु. 7,97,412/– (सात लाख सत्तानवे हजार चार सौ बारह रुपये मात्र)	18–07–2024

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरणः– 69.75 वर्ग मीटर के प्लॉट पर आवासीय घर संख्या 10/11 का वह सारा टुकड़ा और पार्सल। (50'X15'), मौजा दत्तौजी, मोहल्ला देव नगर, शहर फिरोजाबाद, जिला फिरोजाबाद – 283202 (उत्तर प्रदेश) में स्थित, बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमाएँ: पूर्व सोहन लाल, पश्चिम आनंद स्वरूप, उत्तर रोड, दक्षिण प्लॉट

दिनांकः– 23/07/2024
स्थानः– फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश)
हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated June 28, 2024 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the National Stock Exchange of India Limited ("NSE" the "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

NANDANI CREATION LIMITED JAIPUR KURTI

NANDANI CREATION LIMITED

Our Company was incorporated as "Nandani Creation Private Limited" on February 21, 2012, under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Jaipur, Rajasthan. Subsequently, our Company was converted into a Public Limited Company and the name of our Company was changed to "Nandani Creation Limited" vide special resolution dated August 03, 2016 and a fresh certificate of incorporation consequent to the conversion was granted to our Company on August 12, 2016, by the Registrar of Companies, Jaipur, Rajasthan. The registered office of our Company was originally situated at F-95, Kartarpura Industrial Area, Near 22 Godam, Jaipur - 302006. Thereafter, the registered office of our Company was changed to G-13, Kartarpura Industrial Area, Near 22 Godam Jaipur 302006, Rajasthan, India. For details in relation to the changes in the registered office of our Company, please refer to "General Information" on page 40.

Registered Office: G-13, Kartarpura Industrial Area, Near 22 Godam Jaipur 302006, Rajasthan, India
Contact person: Gunjan Jain, Company Secretary & Compliance Officer
Telephone: +91 0141-4037596;| **E-mail id**: info@jaipurkurti.com | **Website**: www.nandanicreation.com |
Corporate Identity Number: L18101RJ2012PLC037976

OUR PROMOTERS : ANUJ MUNDHRA, VANDANA MUNDHRA, SUNITA DEVI MUNDHRA AND DWARKA DASS MUNDHRA

THE ISSUE

ISSUE OF 53,27,656 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹30 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹20 PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 1,598.30 LAKHS# ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 100 EQUITY SHARE FOR EVERY 224 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS THURSDAY JULY 4, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 3 TIMES THE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 187.

#Assuming full subscription.

ATTENTION INVESTORS

NOTICE TO THE READER ("NOTICE") - ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED JUNE 28, 2024

This notice should be read in conjunction with the LOF filed by the Company with the NSE and SEBI and the ALOF and Application Form that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please note the following:
This is to inform to Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday, July 12, 2024 and was scheduled to close on Tuesday, July 23, 2024, has now been extended till Friday, July 26, 2024, by the Board of Directors in its meeting held on Monday, July 22, 2024 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.
Accordingly, the last date of submission of the duly filled in Application Form (along with the amount payable on application) is Friday, July 26, 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Friday, July 26, 2024.

REVISED ISSUE SCHEDULE

Issue Opening Date	Friday, July 12, 2024
Issue Closing Date	Friday, July 26, 2024.
Finalising the basis of allotment with the Designated Stock Exchange	Friday, August 02, 2024
Date of Allotment (on or about)	Friday, August 02, 2024
Initiation of refunds	Friday, August 02, 2024
Date of credit (on or about)	Friday, August 02, 2024
Date of listing (on or about)	Tuesday, August 06, 2024

Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).
Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms or on before the Issue Closing Date.
Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s)on or prior to the Issue Closing Date.

This addendum shall be available on the respective websites of our Company at www.nandanicreation.com ; the Registrar to the Issue www.bigshareonline.com; Lead Manager to the issue www.srujanalpha.com and the Stock Exchanges at www.nseindia.com.
Accordingly, there is no change in the LOF and ALOF dated June 28, 2024 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing date. Change in Issue closing date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date.
INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUCTION WITH THIS ADDENDUM.
All capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For NANDANI CREATION LIMITED
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
ANUJ MUNDHRA
Chairman and Managing Director

Date: July 22, 2024
Place: Jaipur

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer dated June 28, 2024 with the National Stock Exchange of India Limited and is submitted to Securities and Exchange Board of India for information and dissemination. The Letter of Offer is available on the website of Stock Exchanges where the Equity Shares are listed NSE at www.nseindia.com, Our Company at www.nandanicreation.com and the Registrar to the Issue at www.bigshareonline.com Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 19 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

EXIT OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF

THE HOOGHLY MILLS COMPANY LIMITED

CIN: U17111WB1913PLC002403
Registered Office: 76, Garden Reach Road, Kolkata - 700043
Corporate Office: 24/1/1, Alipore Road, 3rd Floor, Kolkata - 700 027
Phone: +91 033 2450 0500; Fax: +91 033 2448 0047
Email: hmclmills@gmail.com; Website: www.hmclmills.com

1. BACKGROUND :

1.1 This Exit Offer Public Announcement dated July 15, 2024 (**"Exit Offer PA 4"**) is being issued by SKP Securities Limited (**"Manager to the Exit Offer"**) for and on behalf of Arun Properties LLP, part of the Promoter Group (**"the Acquirer"**) of The Hooghly Mills Company Limited (**"THMCL"/"the Company"**) to the remaining Public Shareholders (**"Residual Public Shareholders"**) of the Company consequent to the voluntary delisting of the fully paid up equity shares of the Company having face value of Rs. 10/- each from the Calcutta Stock Exchange Limited (**"CSE"**), pursuant to Regulation 27(1)(a) of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (**"SEBI Delisting Regulations"**) in accordance with terms and conditions set out in the Exit Letter of Offer dated June 19, 2023 (**"Exit LOF"**).

1.2 This Exit Offer PA 4 is in continuation to and should be read in conjunction with the Exit LOF. Capitalized terms used but not define in this Exit Offer PA 4 shall have the same meaning assigned to them in the Exit LOF.

2. INTIMATION OF CLOSURE OF DELISTING EXIT OFFER :

2.1 CSE vide its letter reference no. CSE/LD/15844/2023 dated June 14, 2023 has informed that the equity shares of the Company have been delisted from CSE effective from June 15, 2023 (**"Delisting Date"**). In adherence with Regulation 26 of the SEBI Delisting Regulations, the Acquirer had provided the Exit Offer to the Residual Public shareholders of the Company and has now completed the Exit Offer process and has accepted in aggregate 58,329 equity shares in the Exit Offer at a price of Rs. 60.04/- per equity share. It is hereby informed that The Exit Offer of the Company has now been closed.

2.2 Settlement of payment has been completed successfully to all the Residual Public shareholders who have validly tendered their equity shares during the Exit Offer Period from June 15, 2023 to June 14, 2024.

3. SHAREHOLDING PATTERN OF THE COMPANY :

3.1 The Shareholding Pattern of the Company Pre and Post Delisting is as under :

Category of Shareholder	Post-Delisting		Post Exit Offer	
	Number of Shares	% of Share-holding	Number of Shares	% of Share-holding
Promoter / Promoters Companies	73,97,327	93.19%	74,55,656	93.92%
Foreign Investors (including Non-Resident Indians/ FIIs/ FPIs/ Foreign Nationals/ OCBs)	–	–	–	–
Financial Institutions/ Banks / NBFCs and Mutual Funds / Insurance Companies	–	–	–	–
Others (Public, Bodies Corporate, Clearing Members, Trust and HUF)	5,40,673	6.81%	4,82,344	6.08%
Total	**79,38,000**	**100.00%**	**79,38,000**	**100.00%**

SKP

MANAGER TO THE EXIT OFFER :
SKP SECURITIES LIMITED
CIN : L74140WB1990PLC049032
SEBI REGN. NO. : INM000012670
Validity period : Permanent
Contact Person: Anup Kumar Sharma / Alka Khetawat
Address : 1702-03, BioWonder, 789 Anandapur, E M Bypass, Kolkata - 700 107
Tel No. : +91 33 6677 7000
Email : contact@skpsecurities.com
Website : www.skpsecurities.com

REGISTRAR TO THE EXIT OFFER :
MAHESHWARI DATAMATICS PRIVATE LIMITED
CIN : U20221WB1982PTC034886
SEBI REGN NO : INR000000353
Validity Period : Permanent
Contact Person : Ravi Bahl
Address : 23, R.N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata - 700 001
Tel No. : +91 33 2248 2248
Email : mdpldc@yahoo.com
Website : www.mdpl.in

For and on behalf of M/s Arun Properties LLP
Sd/-
Lata Devi Bajoria
Designated Partner
DPIN : 00343829

Date: July 22, 2024
Place: Kolkata

खबर कोना

आइएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने के बाद नाविक लापता

मुंबई, 22 जुलाई (भाषा)।

मुंबई पोतगाह में नौसेना के बहुउद्देशीय युद्धपोत 'आइएनएस ब्रह्मपुत्र' में आग लगने के बाद एक नाविक लापता है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, 'भारतीय नौसेना के बहुउद्देशीय युद्धपोत 'आइएनएस ब्रह्मपुत्र' में 21 जुलाई की शाम उस समय आग लग गई थी, जब नौसेना के मुंबई स्थित पोतगाह में उसकी मरम्मत की जा रही थी। इसमें कहा गया, 'जहाज के चालक दल ने अग्निशमनकर्मियों की मदद से 22 जुलाई सुबह तक आग पर काबू पा लिया।' बयान में कहा गया कि सोमवार को दोपहर जहाज एक ओर झुक गया। इसमें कहा गया, 'तमाम कोशिशों के बावजूद जहाज को सीधा नहीं किया जा सका।

पद्म पुरस्कार के लिए 15 सितंबर तक नामांकन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

गणतंत्र दिवस, 2025 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार-2025 के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर आनलाइन किए जा सकते हैं। पद्म पुरस्कार, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत 'उत्कृष्ट कार्य' के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरी, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल है, पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं।

दिल्ली आ रहे इंडिगो के विमान को मस्कट भेजा गया

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

अबू धाबी से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आ रहे इंडिगो के एक विमान को सोमवार को तकनीकी गड़बड़ी के कारण मस्कट की ओर मोड़ दिया गया। एयरलाइन ने बयान में कहा कि आवश्यक रखरखाव के बाद विमान पुनः परिचालन में आ जाएगा। विमान में यात्रियों की संख्या के बारे में फिलहाल पता नहीं चल सका है। बयान के अनुसार, 'अबू धाबी से दिल्ली आ रही इंडिगो की उड़ान 6ई 1406 को तकनीकी खराबी के कारण मस्कट की ओर मोड़ दिया गया।' बयान में कहा गया है कि यात्रियों को मस्कट में होटल में ठहराने की पेशकश की गई है। उड़ानों की निगरानी रखने वाली वेबसाइट फ्लाइटरडार 24 के अनुसार, यह उड़ान ए320 नियो विमान संचालित कर रहा था। एयरलाइन ने यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद जताया है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों के गंतव्य तक की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

'पीएम-सूर्य घर योजना के तहत 4,950 करोड़ का प्रोत्साहन दिया जाएगा'

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

पीएम-सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के तहत डिस्काम को 4,950 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देने के दिशानिर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा कि डिस्काम को प्रोत्साहन देने के मानदंडों में बेसलाइन स्तर के अलावा अतिरिक्त ग्रिड की स्थापना - जुड़ी हुई रूफटाप सौर क्षमता शामिल है। उन्होंने कहा, 'पीएम सूर्यघर के तहत डिस्कॉम को 4,950 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन के प्रभावी वितरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।' एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि डिस्काम (बिजली वितरण कंपनियां) को प्रोत्साहन के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश पिछले सप्ताह 18 जुलाई को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अधिसूचित किए थे।

आर्थिक समीक्षा में कृषिक्षेत्र के विकास पर जोर

भारतीय कृषि अभी संकट में नहीं, सुधार की आवश्यकता

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

सोमवार को बजट-पूर्व आर्थिक समीक्षा में भारत के कृषि क्षेत्र में तत्काल सुधार की आवश्यकता बताई गई। समीक्षा में चेतावनी दी गई कि संरचनात्मक मुद्दे देश की समग्र आर्थिक वृद्धि की राह में बाधा बन सकते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में प्रस्तुत समीक्षा में अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारतीय कृषि क्षेत्र की गैर-प्रयुक्त क्षमता पर प्रकाश डाला। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कृषि क्षेत्र पर राष्ट्रीय स्तर पर संवाद का आ''ान किया। समीक्षा में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत ने अभी तक आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए अपने कृषि क्षेत्र का पूरी तरह से लाभ नहीं उठाया है, जैसा कि पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और पश्चिमी विकसित देशों ने किया है। समीक्षा में कहा गया है, 'भारतीय कृषि अभी संकट में नहीं है, लेकिन इसमें गंभीर संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन और जल संकट का खतरा मंडरा रहा है।'

सीईए ने किसानों के लिए मौजूदा सरकारी सबसिडी और सहायता उपायों के बावजूद मौजूदा नीतियों के पुनर्मूल्यांकन की वकालत की।

सीईए ने किसानों के लिए मौजूदा सरकारी सब्सिडी और सहायता उपायों के बावजूद मौजूदा नीतियों के पुनर्मूल्यांकन की वकालत की। आर्थिक समीक्षा की प्रस्तावना में नागेश्वरन ने कहा, 'अगर हम कृषि क्षेत्र की नीतियों में बाधा डालने वाली गांठों को खोल दें तो इसका बहुत बड़ा लाभ होगा।' उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को पानी, बिजली और उर्वरकों पर सब्सिडी के साथ-साथ आयकर छूट और न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से पर्याप्त सहायता प्रदान करती है, लेकिन नीति कार्यान्वयन में सुधार की गुंजाइश है।

समीक्षा में कई प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई है। इनमें खाद्य मुद्रास्फीति प्रबंधन के साथ वृद्धि को संतुलित करना, मूल्य खोज में सुधार करना और भूमि विखंडन से निपटना शामिल है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, समीक्षा में बहुआयामी सुधारों की सिफारिश की गई है, जिसमें कृषि प्रौद्योगिकी को उन्नत करना, विपणन के अवसरों को बढ़ाना, खेती के नवाचारों को अपनाना, बर्बादी को कम करना और कृषि-उद्योग संबंधों में सुधार करना जैसे मुद्दे शामिल हैं। समीक्षा ने सरकार को ध्यान बुनियादी खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा पर केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जो कि 'मांग-संचालित खाद्य प्रणाली' के साथ तालमेल में हो और जो पौष्टिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ दोनों हो।

समीक्षा में सुझाव दिया गया कि नीति निर्माताओं को किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और खाद्य कीमतों को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने के बीच संतुलन बनाना चाहिए। 'इस दोहरे उद्देश्य के लिए सावधानीपूर्वक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।'

समीक्षा ने किसानों के हित में बाजारों के कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए किसान-अनुकूल नीति ढांचे की आवश्यकता पर भी जोर दिया। आर्थिक समीक्षा ने कीमतों में उछाल के पहले संकेत पर वायदा या विकल्प (डेरिवेटिव) बाजारों पर प्रतिबंध लगाने से बचने की सिफारिश की।

वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए, समीक्षा ने निरंतर रोजगार सृजन के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों (बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण) की क्षमता पर प्रकाश डाला। इसने कहा, 'वर्ष 2047 या उससे अधिक समय तक लगभग एक पीढ़ी तक वृद्धि को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करता है, नीचे से ऊपर की ओर सुधार आवश्यक हैं।'

सात फीसद वृद्धि दर का अनुमान मानसून पर निर्भर : नागेश्वरन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने सोमवार को कहा कि आर्थिक समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए सात फीसद तक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने योग्य है। हालांकि, यह मानसून और वैश्विक स्तर पर वित्तीय जोखिम पर निर्भर करेगा। आर्थिक समीक्षा में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से 7.0 फीसद के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। यह बीते वित्त वर्ष के 8.2 फीसद की वृद्धि दर से कम है।

नागेश्वरन ने कहा, 'हम निराशावादी नहीं है। वास्तव में हम आशावादी हैं। हम मानसून की प्रगति के संदर्भ में चुनौतियों को लेकर भी सतर्क हैं।' संसद में 2023-24 की आर्थिक समीक्षा पेश किए जाने के बाद नागेश्वरन ने संवाददाताओं से कहा कि हमने सोच-विचार कर 6.5 से 7.0 फीसद की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान रखा है और इसे हासिल किया जा सकता है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर है कि मानसूनी बारिश कैसी होती है। आर्थिक समीक्षा नागेश्वरन के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों की एक टीम ने तैयार की है। कुछ विश्लेषकों ने कहा है कि समीक्षा में वृद्धि के अनुमान को कम करके दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि हम वृद्धि दर का अनुमान लगाने को लेकर सतर्क रुख रखना चाहते हैं।

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, 'हम निराशावादी नहीं है। वास्तव में हम आशावादी हैं। हम मानसून की प्रगति के संदर्भ में चुनौतियों को लेकर भी सतर्क हैं।'

इसीलिए हमने वित्त वर्ष 2024-25 में देश की आर्थिक वृद्धि 6.5 फीसद से 7.0 फीसद रहने के बीच रहने अनुमान जताया है।

नागेश्वन ने कहा, 'हालांकि सात फीसद वृद्धि दर हासिल की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से मानसून का रुख है और वैश्विक स्तर पर अनिश्चित माहौल के साथ विकसित देशों में वित्तीय बाजार जोखिम तथा उसके भारत पर पड़ने प्रभाव को देखते हुए कुछ जोखिम भी हैं।' उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी आई है और निजी पूंजीगत व्यय बढ़ा है। भारत का विदेशी ऋण अनुपात अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। नागेश्वरन ने यह भी कहा कि मुद्रास्फीतिक दबाव नियंत्रण में है और मुख्य (कोर) महंगाई चार फीसद से काफी नीचे है।

देश में 2030 तक सालाना 78.5 लाख नौकरियों का सृजन करने की जरूरत

देश में बढ़ते कार्यबल को देखते हुए गैर-कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां सृजित करने की जरूरत है। समीक्षा में नौकरियों की संख्या का एक व्यापक अनुमान दिया गया गया है। बढ़ते कार्यबल के लिए इन नौकरियों को देश में सृजित करने की जरूरत है। आर्थिक वृद्धि नौकरियों से ज्यादा आजीविका पैदा करने के बारे में है। भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां सृजित करने की जरूरत है।'

कृत्रिम मेधा के कर्मचारियों पर पड़ने वाले असर को लेकर अनिश्चितता

कृत्रिम मेधा (एआइ) का विभिन्न कौशल वाले कर्मचारियों पर पड़ने वाले असर को लेकर काफी अनिश्चितता है। समीक्षा में यह अनुमान जताया गया है कि नए जमाने की प्रौद्योगिकी से उत्पादकता में तो वृद्धि होगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ सकते हैं। इसमें कहा गया है कि कृत्रिम मेधा (एआई) 'नवोन्मेष' की तीव्र गति और उसके प्रसार में सुगमता के मामले में बेजोड़ है। लेकिन इससे आने वाले समय में काम के तौर-तरीकों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत इस बदलाव से अछूता नहीं रहेगा।

महिलाओं के लिए बजट आबंटन में लगातार हो रहा इजाफा

महिलाओं के बजट में लगातार वृद्धि हुई है और यह वित्त वर्ष 2013-14 के 97,134 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 3.1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इस तरह लैंगिंग बजट में इस साल 2023-24 की तुलना में 38.7 फीसद और वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 218.8 फीसद की वृद्धि हुई। यह राशि कुल केंद्रीय बजट का 6.5 फीसद है। समीक्षा में विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार के विधायी हस्तक्षेप और प्रावधानों के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया कि 2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता ने महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्राथमिकता दी गई।

विदेश में बसे भारतीयों के धन प्रेषण में 3.7 फीसद की वृद्धि हुई

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

विदेश में बसे भारतीयों द्वारा भारत में भेजा गया धन (रेमिटेंस) 2023 में 3.7 फीसद बढ़कर 124 अरब डॉलर हुआ। 2025 में इसके 129 अरब डालर पर पहुंचने का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा में यह बात कही गई। भारत के धन प्रेषण का प्राथमिक स्रोत तेल निर्यातक देश हैं। विश्व बैंक के अनुसार, भारत की सबसे अधिक प्रवासी आबादी है और यह सबसे ज्याद धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है।

भारत में 2023 में 120 अरब अमेरिकी डालर भेजे गए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में सोमवार को पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत में 2024 के लिए धन प्रेषण का परिदृश्य मजबूत है। इसमें 3.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।' इसमें कहा गया कि भारत की प्रवासी आबादी में अधिकतर उच्च आय वाले ओईसीडी बाजारों में कार्यरत उच्च कुशल श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा तथा जीसीसी बाजारों में कार्यरत कम कुशल प्रवासी शामिल हैं।

'चीन से विदेशी निवेश से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी बढ़ा सकता है भारत'

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) प्रवाह बढ़ने से भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। संसद में सोमवार को पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में अपनी भागीदारी को बढ़ाना चाहता है। इसलिए उसे पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्थाओं की सफलताओं और रणनीतियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इन अर्थव्यवस्थाओं ने आमतौर पर दो मुख्य रणनीतियों का अनुसरण किया है- व्यापार लागत को कम करना और विदेशी निवेश को सुगम बनाना।

इसमें कहा गया कि भारत के पास 'चीन प्लस वन' रणनीति से लाभ उठाने के लिए दो विकल्प हैं- या तो वह चीन की आपूर्ति श्रृंखला में शामिल हो जाए या फिर चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कहा गया है कि इन विकल्पों में से चीन से एफडीआइ पर ध्यान केंद्रित करना अमेरिका को भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए अधिक आशाजनक प्रतीत होता है, जैसा कि पूर्व में पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने किया था।

आर्थिक समीक्षा में गुलाबी तस्वीर पेश करने का प्रयास हुआ : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार की ओर से पेश आर्थिक समीक्षा में 'सब ठीक है' वाली गुलाबी तस्वीर पेश करने का प्रयास किया गया है, जबकि देश की आर्थिक स्थिति निराशाजनक है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि मंगलवार को पेश होने वाला बजट देश की वास्तविकताओं के अनुरूप होगा। जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि मंगलवाल को पेश होने वाले बजट से पहले जारी किया गया, एक ऐसा दस्तावेज है, जिसे तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री के 'स्पिन डाक्टर्स' को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी होगी। इसमें अर्थव्यवस्था की 'सब ठीक है' वाली गुलाबी तस्वीर पेश करने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आर्थिक स्थिति इतनी निराशाजनक है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि व्यापार नीति की विफलता ने भी भारत की विनिर्माण क्षमताओं को नष्ट करने में योगदान दिया है।

उन्होंने दावा किया कि खाद्य पदार्थों की महंगाई अनियंत्रित बनी हुई है, जो प्रति वर्ष लगभग 10 फीसद पर है। कोरोना के बाद आर्थिक सुधार बेहद असमान रहा है। ग्रामीण भारत पीछे छूट गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण में राजग सरकार की किसान विरोधी मानसिकता का बखान है। बिना तैयारी के और अनुचित ढंग से लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों एवं सस्ते आयात में बेतहाशा वृद्धि के साथ आयात-निर्यात नीति का दुरुपयोग, किसानों की आय को कमजोर करने के लिए चिह्नित किया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि व्यापार नीति की विफलता ने भी भारत की विनिर्माण क्षमताओं को नष्ट करने में योगदान दिया है। 2014 के बाद से, चीन से आयात का ऊीलग कुल आयात के 11 फीसद से बढ़कर 16 फीसद हो गया है।

'बजट में एमएसपी की कानूनी गारंटी की घोषणा होनी चाहिए'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

कांग्रेस ने केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले सोमवार को कहा कि इस बजट में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की घोषणा करने की जरूरत है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सरकार से आग्रह किया कि किसान कर्ज माफी की आवश्यकता का आकलन करने, परिमाण का आकलन करने और कृषि ऋण माफी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना की जानी चहिए। रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि केंद्र सरकार की तमाम विफलताओं में से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की क्षमताहीनता व दुर्भावना से भरा व्यवहार सबसे अधिक हानिकारक है। उन्होंने दावा किया कि जहां संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) ने गेहूं की एमएसपी 119 फीसद और धान की एमएसपी 134 फीसद बढ़ाया था, वहीं राजग सरकार ने इसे क्रमशः 47 फीसद और 50 फीसद बढ़ाया है। यह महंगाई और कृषि लागत की बढ़ती कीमतों के हिसाब से बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है।

रमेश ने कहा कि किसानों का कर्ज बहुत बढ़ गया है। एनएसएसओ के अनुसार, 2013 के बाद से बकाया ऋण में 58 फीसद की वृद्धि हुई है। आधे से ज्यादा किसान कर्ज में डूबे हैं।

'महंगाई पर गौर करना बंद करे आरबीआइ'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) को नीतिगत दर तय करने में खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर गौर करना बंद करना चाहिए और सरकार को गरीबों पर खाने के सामान की ऊंची कीमतों का असर कम करने को उन्हें 'कूपन' देने या सीधे नकदी हस्तांतरण पर विचार करना चाहिए। आर्थिक समीक्षा रपट में यह बात कही गई है।

हाल के महीनों में महंगाई दर में कमी आई है। लेकिन आरबीआइ ने बढ़ी हुई खाद्य महंगाई का हवाला देते हुए नीतिगत दर में कटौती से परहेज किया है। आरबीआइ की नीतिगत दर के आधार पर ही बैंक आवास, व्यक्तिगत और कंपनी ऋण की ब्याज तय करते हैं। भारत ने 2016 में महंगा लक्ष्य निर्धारण को लेकर रूपरेखा पेश की थी। इसके तहत रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को दो फीसद घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। केंद्रीय बैंक हर दो महीने पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई के आधार पर नीतिगत दर रेपो तय करता है। इसमें भोजन, ईंधन, विनिर्मित सामान और चुनिंदा सेवाएं शामिल हैं।

केंद्रीय बैंक हर दो महीने पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई के आधार पर नीतिगत दर रेपो तय करता है। इसमें भोजन, ईंधन, विनिर्मित सामान और चुनिंदा सेवाएं शामिल हैं।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि खाद्य पदार्थों को छोड़कर, महंगाई का लक्ष्य तय करने पर विचार करना चाहिए। प्रायः खाद्य वस्तुओं की ऊंची कीमतें मांग के बजाय आपूर्ति की समस्या के कारण होती हैं। उल्लेखनीय है कि खुदरा मुद्रास्फीति जून में 5.08 फीसद थी जबकि खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 9.36 फीसद थी। मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के कारण आरबीआइ ने फरवरी, 2023 से नीतिगत दर में बदलाव नहीं किया है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जून में कहा था कि मौजूदा समय में, खाद्य मूल्य परिदृश्य से जुड़ी अनिश्चितताओं पर कड़ाई से नजर रखने की जरूरत है। इसका कारण सकल (हेडलाइन) मंहगाई पर उसका पड़ने वाला जोखिम है। समीक्षा के अनुसार, मौद्रिक नीति केवल मांग आधारित मूल्य दबाव को नियंत्रित करने में मददगार है। आपूर्ति बाधाओं के कारण होने वाली महंगाई से निपटने के लिए उसके उपयोग का प्रतिकूल असर हो सकता है। इसमें कहा गया है कि इसलिए, इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि क्या देश में मुद्रास्फीति के लक्ष्य से संबंधित रूपरेखा में खाद्य पदार्थ को छोड़कर महंगाई दर को लक्षित करना चाहिए।

बजट के एक दिन पहले सूचकांक, निफ्टी गिरावट के साथ बंद

मुंबई, 22 जुलाई (भाषा)।

आम बजट पेश होने से एक दिन पहले सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में भारी बिकवाली के दबाव से स्थानीय शेयर बाजार के मानक सूचकांक और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबारियों ने कहा कि वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख ने भी निवेशकों की धारणा पर असर डाला।

बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक 102.57 अंक यानी 0.13 फीसद गिरकर 80,502.08 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 504 अंक तक गिरकर 80,100.65 अंक पर आ गया था। नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 21.65 अंक यानी 0.09 फीसद की गिरावट के साथ 24,509.25 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 168.6 अंक गिरकर 24,362.30 अंक पर आ गया था। शेयर बाजारों में गिरावट का यह लगातार दूसरा सत्र रहा। इसके पहले शुक्रवार को भी दोनों सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए थे।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, हालांकि, मंगलवार को पेश होने वाले बजट के अनुकूल रहने का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन बाजार के ऊंचे मूल्यांकन और कंपनियों के मुनाफे में गिरावट के जोखिम को देखते हुए निवेशकों की इस पर करीबी नजर बनी रहेगी। नायर ने कहा कि रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी के मुनाफे में गिरावट ने निवेशकों की धारणा पर असर डाला।

'सरकारों को कुछ शक्तियां छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

संसद में सोमवार को पेश आर्थिक समीक्षा 2023-24 में सरकारों को अपनी कुछ शक्तियों का त्याग करने का सुझाव देते हुए कहा गया है कि ऐसा करना 'शासन करने वाले और शासित दोनों' के लिए अच्छा होगा।

आर्थिक समीक्षा के मुताबिक, आने वाली चुनौतियों पर विचार करते समय किसी को भी डरना नहीं चाहिए क्योंकि लोकतांत्रिक भारत का सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन एक उल्लेखनीय सफलता की कहानी है। समीक्षा कहती है, 'हमने एक लंबा सफर तय किया है। अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 1992-93 के लगभग 288 अरब डालर के स्तर से बढ़कर 2022-23 में 3.6 लाख करोड़ डालर हो गई।' लाइसेंसिंग, निरीक्षण और अनुपालन प्रावधानों की वजह से सरकार के सभी स्तर के कारोबार पर बोझ पड़ता है।

ई-निविदा सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विद्युत वितरण मण्डल- कानपुर देहात के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार कार्य हेतु अनुभवी व सक्षम निविदादाताओं द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती है, निविदा सम्बन्धी पूर्ण सूचना एवं ई०-निविदा में यदि कोई संशोधन अथवा निविदा खुलने की तिथि में विस्तार होता है तो इसकी सूचना ई०-टेण्डर वेबसाइट **http://etender.up.nic.in** पर देखी जा सकती है :- **क्र०सं० 1, ई०- निविदा सं०:** 15/वि०वि०मं०का०दे० /2024-25, **विवरण:** विद्युत वितरण खण्ड- रनियां के अन्तर्गत जवाहर नवोदय विधालय, जैनपुर के मीटरिंग सिस्टम को एल०टी० से एच०टी० में परिवर्तित करने के कार्य के अन्तर्गत 100 के०वी०ए० परिवर्तक की प्लिंथ व फेंसिंग एवं अर्थिंग का कार्य।, **क्र०सं०: 2, ई०- निविदा सं०:** 16/वि०वि०मं०का०दे०/2024-25, **विवरण:** विद्युत वितरण खण्ड- रनियां के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, कुम्भी को नया 1600 के०वी०ए० का संयोजन निर्गत करने का कार्य। **हस्ता/- (अधीक्षण अभियन्ता) वि0वि0 मण्डल कानपुर देहात।, पत्रांक संख्या:** 1742/**वि0वि0मं0का0दे0/प्रकाशन दिनांक** : 22/07/2024

ऋण वसूली अधिकरण-II दिल्ली

4था जीवन तारा बिलिडंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 12 एवं 13 के सथ पठित बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना

ओए/581/2023 तिथि : 10.07.2024

एचडीएफसी बैंक **आवेदक**

बनाम

अर्शद शाह (मै. एयरटेक एयर कंडीशनर के प्रॉप.) **प्रतिवादी**

सेवा में, डी-1. श्री अर्शद शाह, पुत्र श्री अहसान शाह, प्लॉट नं 212, गली नं. 10 एस 10, छत्तरपुर पहारी, दक्षिण दिल्ली-74, साथ ही : प्लाट नं./खं नं. 332 यूजी/एफ, फ्लैट नं. 204, हौज खास गांव, नई दिल्ली-16, साथ ही : सीडब्ल्यू-24, प्रथम तल, मलीबू टाउन शोहना रोड, गुड़गांव साउथ सिटी-II गुड़गांव हरि.-122018

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने रु. 1,05,45,574.72/- (**रु. एक करोड़ पाँच लाख पैंतालिस हजार पाँच सो चौहतर पैसे बहत्तर मात्र**) की वसूली के लिये आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 16.10.2024 **को** 10.30 **पूर्वा.** में अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।

ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।

सभी मामलों पर विचार विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी तथा इस उद्देश्य से:

i) सभी अधिवक्ता/वादीगण सिसको webexapplication/software डाउनलोड करें:

ii) माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के द्वारा विचार की जाने वाली मामलों के लिये **मीटिंग आईडी** तथा पासवर्ड डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल अर्थात drt.gov.in पर स्वता दैनिक कॉज लिस्ट में प्रदर्शित होगी।

iii) किसी प्रकार की आकस्मिकताओं के लिये अधिवक्ता/वादीगण **फोन नं.** 23748478 पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 10 **जुलाई**, 2024 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
सेक्शन अधिकारी डीआरटी-II दिल्ली

जना स्माल फाइनेंस बैंक

(अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालय : द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजिनेस पार्क से आगे, चल्लाघट्टा, बेंगलुरू-560071

क्षेत्रीय शाखा कार्यालय : जी-01, भूतल, साइबर हाइट्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना

जैसा कि आप नीचे वर्णित कर्जदारों, सह-कर्जदारों, जमानतियों तथा बंधककर्ताओं ने जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से अपनी अचल सम्पत्तियों को बंधक रखकर ऋण ग्रहण किया था। आप सभी के द्वारा की गयी चूक के परिणामस्वरूप आपके ऋण खाते को गैर-निष्पादन आस्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, जैसा कि अधिनियम के तहत प्रतिभूत लेनदार होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 2 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने कॉलम 2 में उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि तथा उस पर भावी ब्याज का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना निर्गत की थी, किन्तु उनमें से कुछ के पास विभिन्न कारणों से सूचनाएं सर्व नहीं हो पायीं।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता के नाम	ऋण खाता सं. तथा ऋण राशि	प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण	एनपीए की तिथि एवं मांग सूचना की तिथि	तिथि तक बकाया राशि रु. में
1	1) श्री सैफुल्लाह खान (कर्जदार), 2) श्रीमती नजमा (सह-कर्जदार एवं बंधककर्ता),	ऋण खाता सं. 46129420000059 46129430000036 तथा 46129410000030 ऋण राशि : रु.5,50,000/- रु.9,50,000/- और रु.5,00,000/- कुल: रु.20,00,000/-	**गिरवी रखी गई अचल संपत्तिः संपत्ति का विवरण:** मकान नंबर 1190 के अंतर्गत संपत्ति का समस्त भाग, क्षेत्रफल 54.34 वर्ग मीटर है, यानी 65 वर्ग गज, खसरा नंबर 61-मिन और 65, गांव लिसाड़ी, मेरठ, उत्तर प्रदेश-226024 पर स्थित। स्वामित्व श्रीमती नजमा, पत्नी श्री शफीक अहमद के पास है। सीमाः उत्तरः 15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः अन्य का प्लॉट, पूर्वः अन्य का प्लॉट, पश्चिमः अन्य का प्लॉट।	एनपीए की तिथि 02.07.2024 मांग सूचना की तिथि: 16.07.2024	14.07.2024 तक रु.19,94,864.60 (रुपये उन्नीस लाख चौरानबे हजार आठ सौ चौसठ और साठ पैसे मात्र)

एतद्वारा कॉलम सं. 2 में उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती तथा बंधककर्ता को सम्बन्धित कर्जदार/सह-कर्जदार के विरुद्ध कॉलम सं. 6 में प्रदर्शित सम्पूर्ण राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर करने को कहते हुए यह सूचना दी जा रही है क्योंकि कथित राशि कॉलम नं. 6 में प्रदर्शित तिथि तक सम्बन्धित ऋण खाते के सम्बन्ध में बकाया पायी गयी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भावी ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक देय अन्य राशियों सहित सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो **जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** कॉलम नं. 4 में वर्णित सम्पत्तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तन की उचित कार्यवाही के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन कथित फाइनेंशियल के कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं के विरुद्ध कानून के तहत **जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के पास उपलब्ध ऐसे अधिकारों तथा उपचारों के पूर्वाग्रह रहित है, आप कृपया पुनः ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, आपको प्रतिभूत लेनदार की पूर्व अनुमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूति को निस्तारित करने या संव्यवहार करने अथवा बिक्री, पट्टे या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित करने से प्रतिबन्धित/निषिद्ध किया जाता है।

तिथि : 23.07.2024 स्थान : मेरठ **ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

Greenlam Industries Limited

www.greenlamindustries.com

ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

(रु. करोड़ों में)

		स्टैंडएलॉन			कंसोलिडेटिड		
		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष
		30.06.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)	30.06.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	525.75	468.97	2123.50	604.71	515.24	2306.35
2.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर तथा अपवादित मद से पूर्व)	30.27	37.14	186.98	27.05	43.67	184.94
3.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर पूर्व तथा अपवादित मद के पश्चात)	30.27	37.14	186.98	27.05	43.67	184.94
4.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर पश्चात तथा अपवादित मद के पश्चात)	23.23	28.01	145.89	19.89	33.00	138.01
5.	कुल व्यापक आय	21.73	25.85	144.59	18.38	30.90	137.67
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	12.76	12.70	12.76	12.76	12.70	12.76
7.	आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को छोड़कर)	-	-	1033.58	-	-	1064.41
8.	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	-	-	194.99	-	-	194.99
9.	नेट वर्थ	1058.73	937.10	1036.18	1079.34	962.44	1063.42
10.	प्रदत्त ऋण पूंजी/बकाया ऋण	92	99	99	257	144	234
11.	बकाया विमोचनीय अधिमानी शेयर	-	-	-	-	-	-
12.	ऋण इक्विटी अनुपात	0.29	0.21	0.25	0.84	0.54	0.77
13.	आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रत्येक)(रु. में) i. मूल	1.82*	2.20*	11.44	1.56*	2.59*	10.82
	ii. तनुकृत	1.82*	2.20*	11.44	1.56*	2.59*	10.82
14.	पूंजी रिडेम्पशन आरक्षिति	-	-	0.69	-	-	0.69
15.	ऋणपत्र रिडेम्पशन आरक्षिति	-	-	-	-	-	-
16.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	1.40	3.23	1.55	1.03	3.47	1.35
17	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात	6.89	9.27	8.68	5.30	10.30	7.74
18	कार्यशील पूंजी हेतु दीर्घकालिक ऋण (गुना)	0.60	0.74	0.68	1.88	1.41	1.91
19	चालू अनुपात (गुना)	1.20	1.57	1.24	1.16	1.38	1.21
20	खाता प्राप्य अनुपात के अशोध्य ऋण (%)	0.03	0.16	0.15	0.02	0.14	0.14
21	चालू देयता अनुपात (गुना)	0.37	0.31	0.36	0.35	0.31	0.33
22	सकल आस्तियों के कुल ऋण (%)	21.40	22.81	21.24	36.89	31.89	36.51
23	देनदार का टर्नओवर (दिन)	27	24	24	25	25	23
24	इन्वेंट्री टर्नओवर (दिन)	84	90	80	93	93	89
25	प्रचालन मार्जिन (%)	10.50	11.73	12.49	10.24	12.27	12.47
26	निवल लाभ मार्जिन (%)	4.42	5.97	6.87	3.29	6.40	5.98

*वार्षिकीकृत नहीं

1. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 और 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दाखिल तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप परिणाम स्टॉकएक्सचेंज की वेबसाइट्स यानी www.bseindia.com और www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.greenlamindustries.com पर भी उपलब्ध हैं।
2. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 52(4) में संदर्भित अन्य लाइन मदों के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को प्रासंगिक प्रकटन किए गए हैं और ऊपर बताई गई उनकी वेबसाइटों से प्राप्त किया जा सकता है।
3. कंपनी के पास उपरोक्त अवधि के दौरान रिपोर्ट करने के लिए कोई असाधारण मद नहीं है।
4. उपरोक्त अवधि के दौरान कंपनी ने अपना कोई भी परिचालन बंद नहीं किया है।

बोर्ड के आदेशानुसार
सौरभ मित्तल
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[डीआईएनः 00273917]

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 22 जुलाई, 2024

कारपोरेट पहचान संख्या: L21016DL2013PLC386045

पंजीकृत तथा कारपोरेट कार्यालय: 203, 2' **फ्लोर, वेस्ट विंग, वर्ल्डमार्क** 1, **एरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली-** 110037, **भारत फोन:** +91-11-42791399;

ईमेल: investor.relations©greenlam.com; वेबसाइट: www.greenlamindustries.com

Greenlam decowood Mikasa Mikasa MikasaPly

द दिल्ली सेफ डिपॉजिट कम्पनी लिमिटेड

(CIN: L74899DL1937PLC000478)

पंजीकृत कार्यालय: 86, जनपथ, नई दिल्ली-110001(भारत)
ईमेल: **delsafe@dsdgroup.co.in,** वेबसाइट: **www.dsdgroup.co.in**
फोन: 011-43580400, 23320084, 23321902

शेयरधारकों को सूचना

विषय: कंपनी के दावा न किए गए लाभांश और इक्विटी शेयरों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के डीमैट खाते में स्थानांतरित करना।

यह सूचना निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित किया जा रहा है।

उपर्युक्त नियमों में उन शेयरों से निपटने का तरीका निर्धारित किया गया है जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक अदा न किया गया हो/अप्रदत्त किया गया हो। उक्त नियमों के अनुसार, ऐसे शेयरों को अदा न किए गए/अप्रदत्त लाभांश के साथ निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाएगा। ऐसे शेयरधारकों की सूची कंपनी की वेबसाइट: **www.dsdgroup.co.in** पर अपलोड की जा रही है। नियमों के अनुपालन में, उन शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत सूचना पत्र भी भेजे जा रहे हैं जिन्होंने कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 7 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2016-17 से अपने लाभांश को भुनाया नहीं है और यह सूचना तदनुसार जारी किया जा रहा है। संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 302 कुशल बाजार, 32-33, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 फोन नंबर + 91-11-42425004, ईमेल: **bssdelhi.bd@bigshareonline.com** को लिखें।

द दिल्ली सेफ डिपॉजिट कम्पनी लिमिटेड
हस्ता/-
विजय कुमार गुप्ता
प्रबंध निदेशक/सीईओ
डीआईएन 00243413

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19/07/2024

मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1993PLC056421
पंजीकृत कार्यालय : ए-30, एस-11, दूसरी मंजिल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली - 110048
ई-मेल : pgindustry93@gmail.com, वेबसाइट : www.pgil.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) और ई-वोटिंग निर्देशों के माध्यम से आयोजित होने वाली 02/2024-25 असाधारण आम बैठक के संबंध में मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड के शेयरधारकों के ध्यान के लिए सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी सामान्य परिपत्रों और अधिसूचनाओं के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के लागू प्रावधानों (सामूहिक रूप से 'प्रासंगिक परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में ईजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को पूरा करने के लिए मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 02/2024-25 असाधारण आम बैठक ('ईजीएम') बुधवार, 14 अगस्त, 2024 को सुबह 11.00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग ले सकेंगे। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को ईजीएम में उपस्थित माना जाएगा और उनकी उपस्थिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, ईजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, व्याख्यात्मक विवरण और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ, सोमवार, 22 जुलाई, 2024 को केवल ईमेल द्वारा कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजी गई हैं, जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 तक पंजीकृत हैं।

सूचना और अन्य दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.pgil.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

सेबी पंजीकृत रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) मैसर्स मास सर्विसेज लिमिटेड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाने हेतु प्लेटफॉर्म प्रदान करने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित करने की पूरी प्रक्रिया को संभालने और उसकी निगरानी करने बैठक और वोटिंग आदि से संबंधित डेटा की प्रोसेसिंग के लिए के लिए नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, सदस्य केवल वीसी/एवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। ईजीएम में शामिल होने और भागीदारी के तरीके के बारे में सूचना में निर्देश दिए गए हैं।

ईमेल पते पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका:

ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करने का तरीका:

(क) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 में हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी भेज सकते हैं, जिसमें फोलियो नंबर, पूरा पता, पंजीकृत किए जाने वाले ईमेल पते के साथ-साथ पैन की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति और सदस्य के पंजीकृत पते का समर्थन करने वाले किसी भी दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, आधार) का उल्लेख हो, जिसे ईमेल द्वारा कंपनी के ईमेल पते **pgindustry93@gmail.com** पर या आरटीए के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजा जा सकता है।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी से सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित डीपी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करें।

कोई भी व्यक्ति जो ईजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 7 अगस्त, 2024 को शेयर धारण करता है, वह ईजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से यूजरआईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, जो कंपनी की वेबसाइट **www.pgil.com** पर उपलब्ध है। ऐसे सदस्य ईजीएम की सूचना में कंपनी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से ई-वोटिंग निर्देशों का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग और ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए निर्देश:

1. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (संशोधित) के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल); और बैठक के दौरान सुरक्षित तरीके से ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाने हेतु प्लेटफॉर्म प्रदान करने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित करने की पूरी प्रक्रिया को संभालने और उसकी निगरानी करने बैठक और वोटिंग आदि से संबंधित डेटा की प्रोसेसिंग के लिए के लिए सेबी पंजीकृत रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) मैसर्स एमएएस सर्विसेज लिमिटेड की सेवाएं ली हैं।
2. बैठक की सूचना ऐसे सभी इक्विटी शेयरधारकों को भेजी जा रही है, जो कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 तक शेयर धारण करते हैं।
3. उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में ईजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सदस्यों और अन्य सभी व्यक्तियों को भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों का ईमेल पता कंपनी या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं है, और जो इस ईजीएम की सूचना और कंपनी द्वारा समय-समय पर भेजे गए अन्य सभी संचार प्राप्त करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना ईमेल पता पंजीकृत करवा सकते हैं:
4. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 में हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी भेज सकते हैं, जिसमें फोलियो नंबर, पूरा पता, पंजीकृत किए जाने वाले ईमेल पते के साथ-साथ पैन की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति और सदस्य के पंजीकृत पते का समर्थन करने वाले किसी भी दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, आधार) का उल्लेख हो, जिसे कंपनी के ईमेल पते **pgindustry93@gmail.com** पर या आरटीए के पंजीकृत कार्यालय के पते पर ईमेल किया जा सकता है।
5. डीमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से ईमेल पते को अपडेट कर सकते हैं।
6. डिमटेरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग और इंस्टा पोल द्वारा वोटिंग का तरीका ईजीएम की सूचना में दिया गया है और यह कंपनी की वेबसाइट **www.pgil.com** और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की **www.bseindia.com** और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

रिमोट ई-वोटिंग की शुरूआत: 11 **अगस्त,** 2024 **को सुबह** 09:09 **बजे (भा.मा.स.)**

रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति: 13 **अगस्त,** 2024 **को सुबह** 05:00 **बजे (भा.मा.स.)**

उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उक्त अवधि की समाप्ति पर एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया है, वे भी ईजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ईजीएम में दोबारा अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तारीख यानी बुधवार, 7 अगस्त, 2024 को कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध **Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders** तथा ी-**voting user manual for Shareholders** देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 18001020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं, या उपाध्यक्ष, श्री अमित विशाल को **evoting@nsdl.co.in** पर निवेदन कर सकते हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स समीर भटनागर एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के प्रोपराइटर, समीर किशोर भटनागर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या ए-30997) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और ईजीएम में ई-वोटिंग की प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है और उन्होंने नियुक्त किए जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की है और वे इसी उद्देश्य के लिए उपलब्ध रहेंगे।

ई-वोटिंग के परिणाम और जांचकर्ता की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.pgil.com** पर अपलोड की जाएगी और बीएसई लिमिटेड को सूचित की जाएगी, जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ईजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स और विशेष रूप से ईजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या ईजीएम में ई-वोटिंग (इंस्टा पोल) के माध्यम से वोट डालने का तरीके को ध्यान से पढ़ें।

मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड के लिए,
हस्ता./-
साकेत डालमिया
प्रबंध निदेशक

दिनांक: 22.07.2024
स्थान: नई दिल्ली

पी.एम श्री केंद्रीय विद्यालय अर्जनगढ़, नई दिल्ली – 110047

निविदा सूचना

प्रतिष्ठित पंजीकृत तथा अनुभवी फर्मो (जिनके पास वैध GST आदि हो) से एक वर्ष के लिए विद्यालय में उपयोग में आने वाले रजिस्टर,पत्रिकाओं, प्रश्न पत्र व आदि की छपाई (Printing Work) व विद्यालय में मौजूद कैंटीन एक वर्ष के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र विद्यालय कार्यालय से कार्य दिवसों में रूपए 500/– देकर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि 06.08.2024 है।

प्राचार्य

सार्वजनिक सूचना
(दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)

श्रीमती रुमझुम चटर्जी के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	पर्सनल गारंटर (पीजी) का नाम	**श्रीमती रुमझुम चटर्जी**
2.	पंजीकृत कार्यालय/प्रधान कार्यालय/पीजी के निवास का पता	हाउस नं. ई-2278, पालम विहार, क्रोमा (62), गुड़गाँव-122017
3.	निर्णायक प्राधिकरण के आदेश का विवरण	सी.पी. (आईबी)-589/एनडी/2023
4.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू होने की तिथि	19.07.2024
5.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	श्री श्रेयांश जैन IBBI/IPA-001/IP-P-01683/2019-2020/12727
6.	बोर्ड में यथा पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा ईमेल	ए-7, प्रथम तल, जोधपुर टावर, धर्मनारायण जी का हत्ता, पओटा, होटल मैपल अभय के सामने, जोधपुर, राजस्थान, 342008 Shreyansh.jain@mail.ca.in
7.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	यूनिट नं. 605, छठा तल, सनटेक क्रेस्ट, मुकुन्द नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (ई), मुम्बई-400059 pirprumjhumchatterjee@gmail.com
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	13.08.2024

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सीपी/IB-589/ND/2023 में एनसीएलटी-नई दिल्ली पीठ (कोर्ट-II) में निर्णायक प्राधिकरण ने धारा 100 के अंतर्गत **श्रीमती रुमझुम चटर्जी** का दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

श्रीमती रुमझुम चटर्जी के क्रेडीटरों को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 7 में वर्णित पते पर प्रस्ताव कर्मी के पास 13.8.2024 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे जमा करें। दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जायेगा।

श्री श्रेयांश जैन
तिथिः 23 जुलाई, 2024 IBBI/IPA-001/IP-P-01683/2019-2020/12727
स्थानः दिल्ली, एनसीआर एएफए की वैधता - 30 जून, 2025 तक

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र पीठ, दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-धारा (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा

सुपर बाउल प्राईवेट लिमिटेड जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता: ए-10/6, **वसंत विहार, दक्षिण दिल्ली**-110057, **नई दिल्ली, भारत में है, के मामले में**

......आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 3 जून, 2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदन कंपनी केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

पंजीकृत कार्यालय का पता: ए-10/6, **वसंत विहार, दक्षिण दिल्ली**-110057, **नई दिल्ली, भारत**

बोर्ड के आदेश से
कृत्ते एवं के लिये, सुपर बाउल प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./- योगेश सचदेवा
निदेशक
DIN: 00171917

तिथि : 22.07.2024
स्थान : दिल्ली

सार्वजनिक सूचना
(दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)

श्री आर.एस. रामा सुब्रमनियम के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	पर्सनल गारंटर (पीजी) का नाम	**श्री आर.एस. रामा सुब्रमनियम**
2.	पंजीकृत कार्यालय/प्रधान कार्यालय/पीजी के निवास का पता	4404, बी-5 एवं 6, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
3.	निर्णायक प्राधिकरण के आदेश का विवरण	सी.पी. (आईबी)-592/एनडी/2023
4.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू होने की तिथि	19.07.2024
5.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	श्री श्रेयांश जैन IBBI/IPA-001/IP-P-01683/2019-2020/12727
6.	बोर्ड में यथा पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा ईमेल	ए-7, प्रथम तल, जोधपुर टावर, धर्मनारायण जी का हत्ता, पओटा, होटल मैपल अभय के सामने, जोधपुर, राजस्थान, 342008 Shreyansh.jain@mail.ca.in
7.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	यूनिट नं. 605, छठा तल, सनटेक क्रेस्ट, मुकुन्द नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (ई), मुम्बई-400059 pirpramasubramaniam@gmail.com
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	13.08.2024

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सीपी/आईबी-592/एनडी/2023 में एनसीएलटी-नई दिल्ली पीठ (कोर्ट-II) में निर्णायक प्राधिकरण ने धारा 100 के अंतर्गत **श्री आर.एस. रामा सुब्रमनियम** का दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

श्री आर.एस. रामा सुब्रमनियम के क्रेडीटरों को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 7 में वर्णित पते पर प्रस्ताव कर्मी के पास 13.8.2024 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे जमा करें। दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जायेगा।

श्री श्रेयांश जैन
तिथिः 23 जुलाई, 2024 IBBI/IPA-001/IP-P-01683/2019-2020/12727
स्थानः दिल्ली, एनसीआर एएफए की वैधता - 30 जून, 2025 तक

CAPITAL TRADE LINKS LIMITED

(CIN- L51909DL1984PLC019622)
Registered Office: 102-103, 1st Floor, Surya Kiran Building, 19 K.G. Marg Connaught Place, New Delhi - 110001

NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING OF CAPITAL TRADE LINKS LIMITED

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting(AGM) of the members of "Capital Trade Links Limited" for the Financial Year 2023-24 will be held on Tuesday, 13th August, 2024 at 11:30 a.m. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio- Visual Means (OAVM) without physical presence of the members at the common venue to transact the business as stated in the Notice of AGM in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 read with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022, read with General Circular Nos. 02/2022 dated 05th May, 2022, 21/2021 dated 14th December, 2021, 19/2021 dated 08th December, 2021, 02/2021 dated 13th January, 2021 and 20/2020 dated 05th May, 2020 and Securities Exchange Board of India (SEBI) Circulars dated 05th January, 2023 read with circulars dated 13th May, 2022, 15th January, 2021 and 12th May, 2020 (Collectively referred to as 'the Circulars') to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated 16th July, 2024. The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company which shall be the deemed venue of the AGM.

In Compliance with aforesaid circulars the Notice of the AGM along with the Annual Report 2023-24 has already been sent on 22nd July, 2024 through electronic mode to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The Company shall send the physical copy of the Annual Report 2023-24 only to those Members who specifically request for the same at cs@capitaltrade.in. The Notice of AGM along with the Annual Report 2023-24 is also available and can be downloaded from the Company's website at www.capitaltrade.in website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at evoting@nsdl.co.in. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Regulation 42 of the SEB1 (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 07th August, 2024 to Tuesday, 13th August, 2024 (both days inclusive). As per Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote electronically through E-voting services provided by NSDL on all the resolutions set forth in the Notice dated 16th July, 2024. The details are given hereunder:

Pursuant to Section 108 of the Companies Act,2013 read with rules made there under and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the company is providing its members, facility to cast their votes by electronic voting system on the resolutions through e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The members holding shares either in physical form or dematerialization form, on cut-off date i.e. Tuesday, 06th August, 2024 may cast their vote electronically to transact the business set out in the notice of 39th AGM.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules made there under are given below:

1. Date of completion of sending Notice of AGM: 22nd July 2024
2. The remote e-voting period starts from Saturday, 10th August, 2024 at 9:00 A.M. and ends on Monday, 12th August, 2024 at 5:00 P.M.
3. Voting by electronic means shall not be allowed beyond 5:00 P.M. (IST) on Monday, 12th August, 2024
4. Any person who becomes a member of the company after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 6th August, 2024 may obtain the user ID and password from MAS Services Limited (Registrar & Share Transfer Agent of the Company).
5. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM will also be eligible to attend and participate at the AGM but shall not be entitled to cast their vote during the AGM.
6. In case of any query regarding the process and manner of electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQ) for members and e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at Toll free No. 1800 1020 990.

For Capital Trade Links Limited
Sd/-
Ms. Anupriya Ojha
(Company Secretary)

Place: New Delhi
Date: 22nd July, 2024

ट्रंप की उम्मीदवारी को लेकर मस्क और खोसला में जुबानी जंग

न्यूयार्क, 22 जुलाई (भाषा)।

अमेरिका में नवंबर में प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी को लेकर अरबपति टेक कारोबारी एलन मस्क और भारतीय-अमेरिकी उद्यम पूंजीपति विनोद खोसला के बीच जुबानी जंग छिड़ गई।

सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में खोसला ने ट्रंप को एक ऐसा रिपब्लिकन नेता करार दिया, जिसमें कोई 'कोई नैतिकता नहीं है, जो झूठ बोलता है, धोखा देता है, महिलाओं का अपमान करता है' और उनके जैसे प्रवासियों से 'नफरत करता है।' खोसला ने कहा कि उनके लिए ट्रंप जैसे व्यक्ति का समर्थन करना बहुत मुश्किल है। भारतीय-अमेरिकी उद्यम पूंजीपति ने सवाल किया, 'वह मेरे करों में कटौती कर सकते हैं या कुछ विनियमन में राहत दे सकते हैं, लेकिन यह उनके व्यक्तिगत मूल्यों में व्याप्त भ्रष्टता को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं हो सकता। क्या आप एक ऐसा राष्ट्रपति चाहते हैं, जो अपने पहले वर्ष में जलवायु प्रगति को एक दशक पीछे धकेल दे? क्या आप अपने बच्चों को अच्छे मूल्य सिखाते समय उदाहरण के रूप में उन्हें पेश करना चाहते हैं?' खोसला के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मस्क ने कहा कि ट्रंप आपसे नफरत नहीं करते हैं। अलबत्ता, वह आपको पसंद करते हैं। उनसे मिलिए और अपने बारे में उनके विचार जानिए।

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ मस्क ने स्पष्ट किया कि वह यह नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्रशासन होना चाहिए, जिसके योग्य एवं गुणवत्तापूर्ण होने और अत्यधिक सरकारी नियंत्रण के मुकाबले व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की संभावना ज्यादा हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार

कमला हैरिस दावेदारी में सबसे आगे

वाशिंगटन, 22 जुलाई (एपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा चुनाव मैदान से हटने की घोषणा करने के बाद राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने का दरवाजा कई दावेदारों के लिए खुल गया है। प्रतिनिधि सभा की पूर्व अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया।

राष्ट्रपति बाइडेन ने पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अपना समर्थन दिया है और कई अन्य प्रमुख डेमोक्रेटिक नेता भी उनकी उम्मीदवारी के पक्ष में आगे आए हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पार्टी में उनकी उम्मीदवारी का रास्ता कितना आसान होगा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के प्रमुख दावेदारों की सूची इस प्रकार है :

कमला हैरिस कैलिफोर्निया के आकलैंड में जन्मी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस नागरिक अधिकार वकील एवं न्यायविद दिवंगत थरगुड मार्शल को प्रेरणास्रोत मानती हैं और अपने जीवन पर नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़े रहे अपने माता-पिता के प्रभाव का अकसर जिक्र करती हैं। लास एंजिलिस के वकील डगलस एमहाफ कमला हैरिस के पति हैं। बाइडेन ने 2020 में हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनते हुए उन्हें 'निडर योद्धा' कहा था। कमला जनवरी 2021 से उपराष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दे रही हैं। वह अमेरिका की पहली महिला, पहली अश्वेत और दक्षिण एशियाई मूल की पहली ऐसी नागरिक हैं जो इस पद पर आसीन हुई हैं। इलिनोइस के गवर्नर जेबी प्रिट्जकर अमेरिका में पद पर आसीन सबसे अमीर नेता हैं। वह 'हयात होटल' के उत्तराधिकारी, एक पूर्व निजी इक्विटी निवेशक और परोपकारी हैं। उनकी कुल संपत्ति 3.4 अरब अमेरिकी डालर है। उन्हें 'फोर्ब्स 400' की सबसे अमीर अमेरिकियों की सूची में 250वें स्थान पर रखा गया।

ग्रेचेन व्हिटमर मिशिगन की गवर्नर हैं। वह राज्य विधायिका में डेढ़ दशक तक सेवाएं देने के बाद 2018 में गवर्नर पद के चुनाव में पहली बार जीत हासिल कर डेमोक्रेटिक पार्टी में तेजी से उभरीं। गेविन न्यूजाम कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजाम सैन फ्रांसिस्को के मूल निवासी हैं, जो 1995 में मेयर पद के लिए विली ब्राउन के प्रचार अभियान में स्वयंसेवक के तौर पर राजनीति में शामिल हुए थे। मेयर ब्राउन ने दो साल बाद न्यूजाम को 'सैन फ्रांसिस्को बोर्ड आफ सुपरवाइजर्स' की एक खाली सीट पर नियुक्त किया और बाद में उन्हें इस सीट पर पुनर्निर्वाचित किया गया। न्यूजाम ने बाद में मेयर पद का चुनाव जीता और 2004 में सैन फ्रांसिस्को क्लर्क को समलैंगिक जोड़ों को विवाह लाइसेंस जारी करने का निर्देश देकर वह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। पेनसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो को पार्टी का एक उभरता नेता माना जाता है। उन्होंने गर्वनर पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समर्थित उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी थी। वह अटार्नी जनरल के तौर पर भी सेवाएं दे चुके हैं।

'एक्स' पर बाइडेन के प्रचार अभियान दल के खाते का नाम बदला गया

वाशिंगटन, 22 जुलाई (भाषा)।

उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का अनुमोदन करने के बाद सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर बाइडेन के प्रचार अभियान दल के खाते का नाम बदलकर 'कमला एचक्यू' कर दिया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनाव मैदान से हटने और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का अनुमोदन करने के बाद सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर बाइडेन के प्रचार अभियान दल के खाते का नाम बदलकर 'कमला एचक्यू' कर दिया गया है।

बाइडेन की घोषणा के तुरंत बाद रविवार को 'एक्स' पर 'बाइडन एचक्यू' खाते का नाम बदलकर 'कमला एचक्यू' कर दिया गया। प्रचार अभियान दल अपने संदेशों को प्रसारित करने और प्रतिद्वंद्वियों के हमलों का जवाब देने के लिए इस खाते का इस्तेमाल करता है। 'सीएनएन' ने बताया कि बाइडेन-हैरिस अभियान के लिए 'एक्स' पर सोशल मीडिया त्वरित प्रतिक्रिया खाते 'बाइडन एचक्यू' का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से 'कमला एचक्यू' कर दिया गया है।

बाइडेन के फैसले के बाद डेमोक्रेटिक कन्वेंशन नियम समिति बुधवार को नामांकन की रूपरेखा पर चर्चा करेगी।

विश्व नेताओं ने बाइडेन का उनके 'वैश्विक नेतृत्व' व 'मित्रता' के लिए आभार जताया

वाशिंगटन, 22 जुलाई (भाषा)।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपने देश से प्यार करने वाला 'महान व्यक्ति' बताते हुए विश्व नेताओं ने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उनके साहसिक कदमों और वैश्विक नेतृत्व के लिए सोमवार को उनका आभार व्यक्त किया।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि वह राष्ट्रपति बाइडेन के फैसले का सम्मान करते हैं और उनके शेष कार्यकाल में साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं।

आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 'एक्स' पर बाइडेन का उनके 'नेतृत्व और सेवाओं' के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और भावी पीढ़ियों के लिए जलवायु कार्रवाई के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता के साथ आस्ट्रेलिया-अमेरिका गठबंधन पहले कभी इतना मजबूत नहीं रहा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो ने 'कनाडाई लोगों का साथी और एक सच्चा दोस्त' बनने के लिए बाइडेन का आभार जताया।

ट्रुडो ने अपनी और बाइडेन की एक तस्वीर साझा करते हुए पोस्ट किया, 'मैं राष्ट्रपति बाइडेन को कई वर्षों से जानता हूं। वह एक महान व्यक्ति हैं, और वह जो कुछ भी करते हैं उसमें अपने देश के प्रति उनका प्रेम होता है।

जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा, 'मैं इस मुद्दे पर सीधे टिप्पणी करने से बचता हूं क्योंकि यह अमेरिका की घरेलू राजनीति से जुड़ा है लेकिन मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति बाइडेन का निर्णय संभावित रूप से सबसे अच्छा राजनीतिक निर्णय लेने की उनकी इच्छा पर आधारित है।'

परेशानी इजराइली सेना के मानवीय क्षेत्र खाली करने के आदेश के बाद फिलिस्तीन के लोग खान यूनिस के पूर्वी हिस्से की तरफ जाते हुए।

भारत के साथ सीमा से जुड़े मुद्दे कूटनीति के जरिए सुलझाए जाएंगे : ओली

काठमांडू, 22 जुलाई (भाषा)।

नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को कहा कि भारत के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों को कूटनीतिक तंत्र के माध्यम से हल करने के लिए सहमति है और काठमांडू अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में 'स्पष्ट और दृढ़' है।

प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल करने के एक दिन बाद सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए ओली ने कहा कि सरकार इस बात पर दृढ़ और स्पष्ट है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार, लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख सहित महाकाली नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र नेपाल के हैं।ओली ने कहा कि संघीय संसद और नेपाल सरकार का रुख देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े मुद्दों को लेकर स्पष्ट और दृढ़ हैं।

ओली ने कहा कि नेपाल ने एक नया मानचित्र अपनाया है, जिसे 2017 में संविधान में दूसरे संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है और इसके अनुलग्नक तीन में उल्लेख किया गया है और हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में अभूतपूर्व राष्ट्रीय सहमति बनी है। ओली (72) ने 15 जुलाई को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच उच्चस्तरीय यात्राओं के दौरान हुई मुलाकातों में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तंत्र के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े मुद्दों को सुलझाने पर सहमति बनी है।

मैं केरल में मुसलिम संचालित शाकाहारी भोजनालय में जाता था : न्यायमूर्ति भट्टी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी ने भोजनालयों में साफ-सफाई की पैरवी करते हुए सोमवार को कहा कि केरल में तैनाती के वक्त वह एक मुसलिम द्वारा चलाए जा रहे शाकाहारी भोजनालय में अक्सर जाते थे क्योंकि वहां अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाता था।

न्यायमूर्ति भट्टी ने अपना यह अनुभव तब साझा किया जब उन्होंने न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय के साथ मिलकर कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति भट्टी ने कहा कि जब मैं केरल में था तो मेरा अपना अनुभव और ज्ञान है।

मोदी ने लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री से वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लक्जमबर्ग के अपने समकक्ष ल्यूक फ्रीडेन से बात की और यूक्रेन में संघर्ष समेत क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रीय व वैश्विक शांति और स्थिरता के समर्थक हैं। इस दौरान फ्रीडेन ने मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई भी दी।

सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लक्जमबर्ग के उनके समकक्ष ल्यूक फ्रीडेन ने फोन किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री फ्रीडेन ने दुनिया में शांति एवं स्थिरता की बहाली में भारत द्वारा निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि फ्रीडेन के साथ उनकी सार्थक बातचीत हुई और उन्होंने व्यापार, निवेश, वित्तीय सेवाओं व औद्योगिक विनिर्माण के क्षेत्रों समेत भारत-लक्जमबर्ग संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश होने के नाते हम क्षेत्रीय व वैश्विक शांति एवं स्थिरता का समर्थन करते हैं। वहीं, फ्रीडेन ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर उनकी कई मसलों पर बातचीत हुई। उन्होंने भारत को अपने देश के लिए एक महत्त्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा कि शांति व स्थिरता की दिशा में काम करने के दोनों देशों के लक्ष्य समान हैं।

गिरफ्तार नेता जेल से नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें गिरफ्तार नेताओं को चुनाव के दौरान आभासी माध्यम से प्रचार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने कहा कि यह याचिका गलत मंशा से दाखिल की गई है। यह एक नेता (अरविंद केजरीवाल) पर केंद्रित है जो हर दिन बेहतरीन वकीलों के साथ इस अदालत में पेश होते हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई जरूरी नहीं मानते जिसे कथित तौर पर जनहित में दाखिल किया गया है। खारिज की जाती है। न्यायालय विधि छात्र अमरजीत गुप्ता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने गिरफ्तार नेताओं को आनलाइन माध्यम से चुनाव प्रचार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इससे खूंखार अपराधियों, यहां तक कि भगोड़ा माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम को भी राजनीतिक दलों और प्रचार के लिए खुद को पंजीकृत करने का मौका मिलेगा।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री पर लगाया आरोप | बेबाक | कहा, संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा कर संविधान से करेंगे छेड़छाड़

सरकारी कर्मियों को विचारधारा के आधार पर बांटना चाहते हैं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक हटाकर इन कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं।

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाने वाले 1966 के आदेश को बदल दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा नौ जुलाई को जारी आदेश में कहा गया है कि उपर्युक्त निर्देशों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्तूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया कि 1947 में आज ही के दिन भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था और सरदार पटेल ने उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी थी।

खरगे ने आरोप लगाया कि 10 वर्षों में भाजपा ने सभी संवैधानिक और स्वायत्त संस्थानों पर संस्थागत रूप से कब्जा करने के लिए आरएसएस का उपयोग किया है। **उन्होंने** कहा कि प्रधानमंत्री सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा कर सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं।

4 फरवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रधानमंत्री ने 58 साल बाद, सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर 1966 में लगा प्रतिबंध हटा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने सभी संवैधानिक और स्वायत्त संस्थानों पर संस्थागत रूप से कब्जा करने के लिए आरएसएस का उपयोग किया है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा कर सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं।

यह सरकारी दफ्तरों में लोक सेवकों के निष्पक्षता और संविधान के सर्वोच्चता के भाव के लिए चुनौती होगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार संभवतः ऐसे कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि जनता ने उसके संविधान बदलने की 'कुत्सित मंशा' को चुनाव में परास्त कर दिया। खरगे ने कहा कि चुनाव जीत कर संविधान नहीं बदल पा रहे तो अब पिछले दरवाजे सरकारी दफ्तरों पर आरएसएस का कब्जा कर संविधान से छेड़छाड़ करेंगे।

यह आरएसएस द्वारा सरदार पटेल को दिए गए उस माफीनामे व आश्वासन का भी उल्लंघन है जिसमें उन्होंने आरएसएस को संविधान के अनुरूप, बिना किसी राजनीतिक एजंडे के एक सामाजिक संस्था के रूप में काम करने का वादा किया था।

उन्होंने कहा कि विपक्ष को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आगे भी संघर्ष करते रहना होगा।

खबर कोना

बांग्लादेश के ढाका में सरकारी नौकरी कोटा के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद जले वाहनों के पास से गुजरते सुरक्षाकर्मी।

बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद हालात शांत पर इंटरनेट सेवा ठप

ढाका, 22 जुलाई (एपी)।

बांग्लादेश में कई हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शनों के हिंसक रूप लेने के बाद सरकारी नौकरियों से जुड़ी विवादास्पद कोटा प्रणाली को वापस लेने के फैसले से हालात शांत होने के बावजूद इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं अब भी ठप हैं। सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है और केवल आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। देश में कुछ दिन पहले ही देखते ही गोली मारने के आदेश के साथ कर्फ्यू लगा दिया गया था और सैन्यकर्मी राजधानी और अन्य क्षेत्रों में गश्त कर रहे थे। देश में पुलिस और मुख्य रूप से छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं।

इजराइल ने गाजा के मानवीय क्षेत्र को खाली करने का आदेश दिया

दीर अल-बलाह, 22 जुलाई (एपी)।

इजराइली सेना ने सोमवार को गाजा पट्टी में उस हिस्से को खाली करने का सोमवार को आदेश दिया जिसे उसने मानवीय क्षेत्र घोषित किया था। सेना ने कहा कि वह हमास के आतंकवादियों के खिलाफ एक अभियान शुरू करने की योजना बना रही है, जो इस क्षेत्र में छिपे हुए हैं और इसका इस्तेमाल इजराइल की ओर राकेट छोड़ने के लिए किया है। इस इलाके में मुवासी मानवीय क्षेत्र का पूर्वी हिस्सा शामिल है जो दक्षिणी गाजा पट्टी पर स्थित है। इस महीने की शुरुआत में, इजराइल ने कहा था कि उसका अनुमान है कि कम से कम 18 लाख फिलिस्तीनी अब मानवीय क्षेत्र में हैं।

अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप की हत्या के प्रयास मामले में सीक्रेट सर्विस की निदेशक से पूछताछ की

वाशिंगटन, 22 जुलाई (एपी)।

सीक्रेट सर्विस की निदेशक किंबरले चीटल ने सोमवार को संसद में अपनी पेशी के दौरान कहा कि उनकी एजंसी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा के अपने मिशन में नाकाम रही। इस बीच, दोनों प्रमुख दलों डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के सांसद सुरक्षा में हुई चूक को लेकर चीटल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तेरह जुलाई को हुए हत्या के प्रयास के मामले में संसद में अपनी पहली पेशी के दौरान, जांच जारी होने का हवाला देकर सवालों को बार-बार टाले जाने के कारण चीटल से सांसद नाराज नजर आ रहे थे। चीटल ने ट्रंप पर हुए हमले को दशकों में सीक्रेट सर्विस की 'सबसे बड़ी सुरक्षा विफलता' करार दिया।

'रूसी मूल के अमेरिकी पत्रकार को गोपनीय सुनवाई करके दोषी करार दिया गया'

वाशिंगटन, 22 जुलाई (एपी)।

अमेरिकी सरकार द्वारा वित्तपोषित 'रेडियो फ्री यूरोप/रेडियो लिबर्टी' की रूसी मूल की अमेरिकी पत्रकार अलसु कुरमाशेवा को रूस की अदालत ने गोपनीय सुनवाई करके रूसी सेना के खिलाफ दुष्प्रचार करने का दोषी करार दिया और साढ़े छह साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत के दस्तावेजों और अधिकारियों से सोमवार को यह जानकारी प्राप्त हुई। कुरमाशेवा को काजान शहर की अदालत ने दोषी करार दिया। इसी दिन रूसी शहर येकातेरिनबर्ग की अदालत ने वाल स्ट्रीट जनरल के संवाददाता इवान गेरश्कोविच को जासूसी करने का दोषी करार देते हुए 16 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।

www.readwhere.com

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
केन्द्र सरकार, (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
फोरसाइट कैपिटल ट्रस्ट प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय **"के-22, प्रथम तल, पंजाबी बाजार, कोटला मुबारकपुर, कस्तूरबा नगर (दक्षिण दिल्ली), साउथ दिल्ली, दिल्ली, भारत-110003"** में है, के मामले में
...... आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 11 जुलाई, 2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र, शक्ति क्षेत्रीय निदेशक में निहित, सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते: बी-2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।
''के-22, प्रथम तल, पंजाबी बाजार, कोटला मुबारकपुर, कस्तूरबा नगर (दक्षिण दिल्ली), साउथ दिल्ली, दिल्ली, भारत-110003''

फोरसाइट कैपिटल ट्रस्ट प्राईवेट लिमिटेड के लिये तथा उसकी ओर से
हस्ता./- श्री दिनकर राय
निदेशक
तिथि: 22.07.2024
स्थान: दिल्ली
DIN: 00863791

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013, सीआईएन नं: U67190MH2008PLC187552

मांग सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (''नियमावली'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अंतर्गत।

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत तथा नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत विस्तृत मांग सूचनाएं दिनांकित निम्नानुसार निर्गत कर दी हैं, जिन सूचनाओं में उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) (सभी एकल रूप में अथवा संयुक्त रूप में "दायित्वधारकों यानी ऑब्लिगर्स" के रूप में संदर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों), जिनकी सूची नीचे दी गई है, सभी को संबंधित मांग सूचना/ओं में अंकित बकाया धनराशियों का, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, भुगतान करने को कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई थीं तथा जो अब भी अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त दायित्वधारक(गण)/विधिक उत्तराधिकारी(गण)/विधिक प्रतिनिधि(गण), यदि वे ऐसा करने के इच्छुक हैं, किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता से संबंधित प्रति/यां प्राप्त कर लें।
उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि टीसीएचएफएल को, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उनके संबंधित नामों के समक्ष यहां नीचे इसमें नीचे उल्लिखित धनराशियों का, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध एवं अन्य प्रलेखों/आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित, निम्न स्तंभ (घ) में अंकित संबंधित तिथियों से लेकर के भुगतान तथा/अथवा वसूली होने की तिथि तक आकलित होनेवाले निम्न विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ भुगतान करें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा टीसीएचएफएल के पास क्रमशः निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) को बंधककृत किया गया है।

अनुबंध सं.	दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	कुल बकाया देयराशि (रु.) निम्न तिथि* के अनुसार	मांग सूचना की तिथि / एनपीए की तिथि
10278486 & 10300467 & TCHIN0399000100074178	श्रीमती वीना चुघ (उधारकर्ता) और श्री राकेश कुमार एवं श्री कमल किशोर एवं जय दुर्गे इंडस्ट्रीज, अपने साझीदारों के माध्यम से (सह-उधारकर्ता)	11/07/2024 के अनुसार ऋण खाता संख्या 10278486 के अंतर्गत आपके द्वारा रु. 21,83,724/- (रुपये इक्कीस लाख तिरासी हजार सात सौ चौबीस मात्र) की राशि देय तथा भुगतानयोग्य और ऋण खाता संख्या 10300467 के अंतर्गत आपके द्वारा रु. 30,79,003/- (रुपये तीस लाख उन्यासी हजार तीन मात्र) की एक राशि देय तथा भुगतानयोग्य है और खाता संख्या TCHIN0399000100074178 के अंतर्गत आपके द्वारा रु. 6,40,246/- (रुपये छह लाख चालीस हजार दो सौ छियालीस मात्र) की एक राशि देय तथा भुगतानयोग्य है अर्थात् कुल रु. 59,02,973/- (रुपये उनसठ लाख दो हजार नौ सौ तिहत्तर मात्र)	11/07/2024 / 04/07/2024

प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण : "1. संपूर्ण भूतल के समस्त भाग तथा अंश (छत के अधिकार / टेरेस अधिकारों के बिना) आवासीय संपत्ति संख्या 53 के हिस्से के रूप में, जिसका क्षेत्रफल 48.00 वर्ग मीटर है, जो रोहिणी आवासीय योजना, ब्लॉक और पॉकेट जी-29, सेक्टर-03, रोहिणी, दिल्ली-110085 के लेआउट प्लान में स्थित, साथ ही बिक्री विलेख में उल्लिखितानुसार सभी सामान्य सुविधाओं के साथ है। सीमाएं :- पूर्व- प्लॉट संख्या 52, पश्चिम- प्लॉट संख्या 54, उत्तर- प्लॉट संख्या 80, दक्षिण- खुला।
2. संपूर्ण भूतल के समस्त भाग तथा अंश (छत अधिकार / टेरेस अधिकारों के बिना) आवासीय संपत्ति सं. 54 के रूप में, जिसका क्षेत्रफल 48.00 वर्ग मीटर है, जो रोहिणी आवासीय योजना, ब्लॉक और पॉकेट जी-29, सेक्टर-03, रोहिणी, दिल्ली - 110085 के लेआउट प्लान में स्थित तथा ही बिक्री विलेख में उल्लिखितानुसार सभी सामान्य सुविधाओं के साथ है। सीमाएं :- पूर्व- प्लॉट न. 53, पश्चिम- प्लॉट न. 55, उत्तर- प्लॉट न. 79, दक्षिण- खुला।"

अनुबंध सं.	नाम	कुल बकाया देयराशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि / एनपीए की तिथि
10189432	श्री मनोज कुमार खिची (उधारकर्ता) और श्रीमती ज्योति मनोज खिची उपनाम ज्योति खिची (सह-उधारकर्ता)	12/07/2024 के अनुसार, रु. 50,00,862/- (रुपये पचास लाख आठ सौ बासठ मात्र) की एक राशि	12/07/2024 / 08/07/2024

प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण : आवासीय डीडीए निर्मित फ्रीहोल्ड एसएफएस फ्लैट सं. 133 के समस्त वह भाग तथा अंश, जो ग्राउंड फ्लोर पर है, जिसका प्लिंथ एरिया 93.5 वर्ग मीटर अधिमापन का है, जो पश्चिम विहार आवासीय योजना, पॉकेट जीएच-12, एरिया जी-17, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110087 में स्थित तथा बिक्री विलेख में उल्लिखितानुसार सभी सामान्य सुविधाओं के साथ है।

अनुबंध सं.	नाम	कुल बकाया देयराशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि / एनपीए की तिथि
TCHHL0350000100002608 & TCHIN0399000100162646 & TCHIN0399000100262481	श्री हरीश यादव (उधारकर्ता) एवं श्री घनश्याम यादव उपनाम घनश्याम उपनाम जी. एस. यादव एवं श्रीमती ममता यादव (सह-उधारकर्ता)	11/07/2024 के अनुसार, ऋण खाता संख्या TCHHL0350000100002608 के अंतर्गत आपके द्वारा रु. 25,03,467/- (रुपये पच्चीस लाख तीन हजार चार सौ सड़सठ मात्र) की एक राशि देय तथा भुगतानयोग्य है तथा ऋण खाता संख्या TCHIN0399000100262481 के अंतर्गत आपके द्वारा रु. 3,72,876/- (रुपये तीन लाख बहत्तर हजार आठ सौ छिहत्तर मात्र) की एक राशि देय तथा भुगतानयोग्य है तथा ऋण खाता संख्या TCHIN0399000100162646 के अंतर्गत आपके द्वारा रु. 1,67,617/- (रुपये एक लाख सड़सठ हजार छह सौ सत्रह मात्र) की एक राशि देय तथा भुगतानयोग्य है अर्थात् कुल रु. 30,43,960/- (रुपये तीस लाख तैंतालीस हजार नौ सौ साठ मात्र)	11/07/2024 / 04/07/2024

प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण : "आवासीय फ्लैट संख्या 2083 - ए के समस्त वह भाग तथा अंश, जो प्रथम तल पर, एम.आई.जी. के रूप में, जिसका अधिमापन 33.69 वर्ग गज है, जिसका कवर्ड एरिया 350 वर्ग फुट है, जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-03, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद-121004 (हरियाणा) में स्थित तथा बिक्री विलेख में उल्लिखितानुसार सभी सुविधाओं के साथ तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- पूर्व- मकान नं. 2060ए, पश्चिम- सड़क, उत्तर- मकान सं. 2082ए, दक्षिण- सड़क।"

अनुबंध सं.	नाम	कुल बकाया देयराशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि / एनपीए की तिथि
TCHHL0737000100189403 & TCHIN0737000100193741	मि. जावेद (उधारकर्ता) एवं मिसेज जन्नत (सह-उधारकर्ता)	11/07/2024 के अनुसार, रु. 16,62,710/- (रुपये सोलह लाख बासठ हजार सात सौ दस मात्र) की एक राशि आपके द्वारा ऋण खाता संख्या TCHHL0737000100189403 के अंतर्गत देय तथा भुगतानयोग्य है तथा रु. 78,471/- (रुपये अठहत्तर हजार चार सौ इकहत्तर मात्र) की राशि आपके द्वारा ऋण खाता संख्या TCHIN0737000100193741 के अंतर्गत देय तथा भुगतानयोग्य है अर्थात् कुल रु. 17,41,181/- (रुपये सत्रह लाख इकतालिस हजार एक सौ इक्यासी मात्र)	11/07/2024 / 04/07/2024

प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण : "आवासीय भूखंड के समस्त वह भाग तथा अंश, जिसका अधिमापन 49.24 वर्ग मीटर है, जो खसरा संख्या 689 मिन. और 695 मिन. में समाहित है, जो मौजा मैनाठेर, तहसील और जिला मुरादाबाद-244001 (उत्तर प्रदेश) में स्थित, बिक्री विलेख के अंतर्गत उल्लिखितानुसार सभी सुविधाओं के साथ है। सीमाएं :- पूर्व- सड़क 14' चौड़ी, पश्चिम- मुशर्रफ की संपत्ति, उत्तर- भूरी वाली की संपत्ति, दक्षिण- नजमा का प्लॉट।"

अनुबंध सं.	नाम	कुल बकाया देयराशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि / एनपीए की तिथि
TCHHL0737000100181651 & TCHIN0737000100189907	मि. मुनासिम (उधारकर्ता) और मिसेज रुबीना प्रवीण (सह-उधारकर्ता)	12/07/2024 के अनुसार, ऋण खाता संख्या TCHHL0737000100181651 के अंतर्गत आपके द्वारा रु. 19,54,579/- (रुपये उन्नीस लाख चौवन हजार पांच सौ उन्यासी मात्र) की एक राशि देय तथा भुगतानयोग्य है और ऋण खाता संख्या TCHIN0737000100189907 के अंतर्गत आपके द्वारा रु. 86,445/- (रुपये छियासी हजार चार सौ पैंतालीस मात्र) की राशि देय तथा भुगतानयोग्य है, अर्थात कुल रु. 20,41,024/- (रुपये बीस लाख इकतालिस हजार चौबीस मात्र)	12/07/2024 / 04/07/2024

प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण : "आवासीय भूखंड के समस्त वह भाग तथा अंश, जिसका अधिमापन 64.44 वर्ग मीटर है, जो गाटा सं. 258 में समाहित है, जो जयंतीपुर (पश्चिम), मुरादाबाद, तहसील और जिला मुरादाबाद-244001 (उत्तर प्रदेश) में स्थित तथा बिक्री विलेख में उल्लिखितानुसार सभी सामान्य सुविधाओं के साथ है। सीमाएं :- पूर्व- फारिक अल्वी का भूखंड, पश्चिम- मोह. परवेज का घर, उत्तर- मंजू इलाही का घर, दक्षिण- संयुक्त उपमार्ग 12' चौड़ा।"

*संबंधित मांग सूचना दिनांकित उपरांकित में अधिक विशिष्ट रूप में उल्लेखितानुसार दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि जो कि भुगतान तथा / अथवा वसूली की तिथि तक उपगत हैं। यदि उक्त दायित्वधारक(गण) उपर्युक्तानुसार टीसीएचएफएल को भुगतान करने में विफल होंगे, तो टीसीएचएफएल समग्र रूप में लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई करेगी।
उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति-अनुमति के बिना विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा, उपर्युक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) का हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उनके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करता है, उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा/अथवा अर्थदंड दिया जाएगा।

दिनांक : 23-07-2024
स्थान : दिल्ली
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
VISTAAR FINANCE
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 59 और 60 – 23,22वां क्रॉस, 29वां मेन बीटीएम द्वितीय स्टेज, बेंगलुरु 560076 www.vistaarfinance.com

मांग सूचना
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस

विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (वीएफएसपीएल) द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से संपत्ति के विरुद्ध ऋण लिया है और अपने ऋण की समान मासिक किस्तों (ईएमआई) का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खाते को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधारकर्ताओं को ऋण विवरण और उधारकर्ताओं द्वारा विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को आज की तारीख तक बकाया और देय राशि भी नीचे दी गई है। उधारकर्ताओं के साथ-साथ आम जनता को भी सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, नाते सुरक्षित ऋणदाता ने निम्नलिखित उधारकर्ताओं के खिलाफ वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की है। यदि निम्नलिखित उधारकर्ता इस नोटिस के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के सामने दर्शाई गई बकाया राशि को ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ चुकाने में विफल रहते हैं, तो नीचे हस्ताक्षरकर्ता सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत सुरक्षित ऋणदाता को प्रदत्त किसी या सभी अधिकार शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करना और उसे बेचने की शक्ति भी शामिल है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति का सौदा न करें।

खाता संख्या	उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम	कुल बकाया ऋण (भारतीय रुपये में)	कुल बकाया तिथि
0249SBML01191 और 0249SBML01202	1. श्रीमान/श्रीमती अजीम मोहम्मद अबरार 2. श्रीमान/श्रीमती मोहम्मद अबरार 3. श्रीमान/श्रीमती निशा मोहम्मद अबरार	रुपये 23,52,523.68	10-07-2024

सुरक्षित संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति का वह हिस्सा और पार्सल आवासीय भूखंड संख्या 188, खसरा संख्या 1709 से 100 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, लोनी गांव (चकबंदी बाहर), परगना और तहसील लोनी जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के टोली मोहल्ले में स्थित है, जो दिनांक 10-01-2020 को एसआर-लोनी, गाजियाबाद के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 1310, पृष्ठ 165-214 में दस्तावेज संख्या 400 के रूप में विधिवत पंजीकृत है, जिसका स्वामित्व मोहम्मद अबरार पुत्र इमामउद्दीन के पास है। **संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं:** पूर्वः इकबाल का घर, पश्चिमः शमशुद्दीन का घर, उत्तरः हारुन का घर, दक्षिण-रास्ता 15 फीट चौड़ा।

दिनांकः 23-07-2024
स्थानः गाजियाबाद
विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए, अधिकृत अधिकारी

International Travel House™
इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड
सीआईएनः L63040DL1981PLC011941
पंजीकृत कार्यालयः ट्रैवल हाउस, टी - 2, सामुदायिक केंद्र, शेख सराय, चरण - 1,नई दिल्ली - 110 017
टेलीफोनः 011-2601 7808
ई-मेलः Investor_TH@ith.co.in वेबसाइटः www.internationaltravelhouse.in

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी की 43वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') **गुरुवार, 29 अगस्त, 2024 को सुबह 11:00 बजे** (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों और उसके तहत नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप आयोजित की जाएगी।
43वीं एजीएम की सूचना ('एजीएम नोटिस') और रिपोर्ट तथा लेखा 2024, विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत किए हैं। एजीएम नोटिस और रिपोर्ट तथा लेखा 2024 कंपनी की वेबसाइट (www.internationaltravelhouse.in) और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध होंगे, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। कंपनी शेयरधारकों के अनुरोध पर एजीएम नोटिस और रिपोर्ट तथा लेखा 2024 की भौतिक प्रतियां भी उपलब्ध कराएगी।
कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, 43वीं वार्षिक आम बैठक में विचारार्थ प्रस्तावों पर दूरस्थ ई-वोटिंग (अर्थात वार्षिक आम बैठक से पूर्व वोट देने की सुविधा) के माध्यम से विचार किया जाएगा तथा वार्षिक आम बैठक के दौरान भी ई-वोटिंग की जाएगी, जिसके लिए कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएं ली हैं।
जो सदस्य प्रमाण पत्र के रूप में शेयर रखते हैं या जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं और एजीएम नोटिस और रिपोर्ट और खाते, 2024 प्राप्त करना चाहते हैं, या एजीएम में भाग लेना चाहते हैं, या एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालना चाहते हैं, उन्हें कंपनी की वेबसाइट https://www.internationaltravelhouse.in/pdf/ISR-1.pdf पर उपलब्ध फॉर्म भरकर कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत करने होंगे।
31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित रू. 10/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर रू. 5.00 रुपये का अंतिम लाभांश, यदि 43वीं वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, तो स्रोत पर कर की कटौती के बाद, उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा, जिन्होंने कंपनी/संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') को अपने आवश्यक बैंक विवरण प्रस्तुत किए हैं। जिन सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश के प्रेषण का विकल्प नहीं चुना है और वे इसका लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें आईएफएससी ('भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड') और एमआईसीआर ('मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन') सहित अपने बैंक विवरण संबंधित डीपी को यदि शेयर डीमैट रूप में रखे गए हैं, या कंपनी को, जहां शेयर प्रमाण पत्र के रूप में रखे गए हैं, 9 अगस्त, 2024 को या उससे पहले प्रदान करने होंगे, ऐसा न करने पर लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट डाक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे। प्रमाण पत्र के रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, जिसे कंपनी की वेबसाइट https://www.internationaltravelhouse.in/pdf/ISR-1.pdf पर देखा जा सकता है, या अनुरोध करने पर कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है।

इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड
मीतू गुलाटी
कंपनी सचिव
दिनांकः 22 जुलाई, 2024

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
HeroHousing Finance
संपर्क पता : बिल्डिंग नं. 7, द्वितीय तल, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
पंजीकृत कार्यालय : 09, सामुदायिक केन्द्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
दूरभाष : 011 49267000, टोल फ्री नं.: 1800 212 8800, ई-मेल : customer.care@herohfl.com
वेबसाइट : www.herohousingfinance.com,
सीआईएन : U65192DL2016PLC30148

मांग सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (''नियमावली'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अंतर्गत।

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एचएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत और नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत पहले ही विस्तृत मांग सूचनाएं दिनांकित निम्नानुसार निर्गत की थीं, जिनमें ऋणकर्ता(ओं)/सह-ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) (सभी एकल रूप में अथवा संयुक्त रूप में एक साथ ''दायित्वधारकों'' के रूप में संदर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों), यहां नीचे सूचीबद्ध, को संबंधित मांग सूचना/ओं में अंकित राशियों का, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, भुगतान करने को कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई हैं और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, और उक्त दायित्वधारक(गण)/विधिक उत्तराधिकारी(गण)/विधिक प्रतिनिधि(गण), यदि वे इच्छुक हैं, संबंधित प्रति को अधोहस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।
उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त दायित्वधारक(रियों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे एचएचएफएल को, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उनके संबंधित नामों के समक्ष यहां इसमें निम्न उल्लिखित राशियों का, उक्त दायित्वधारक(रियों) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध तथा अन्य प्रलेखों/आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित, स्तंभ (घ) में निम्नांकित संबंधित तिथियों से लेकर के भुगतान तथा/अथवा वसूली होने की तिथि तक आकलित निम्न विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ, भुगतान कर दें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त दायित्वधारक(रियों) द्वारा निम्नलिखित प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को एचएचएफएल के पास क्रमशः बंधक रखा गया है :

ऋण खाता सं.	दायित्वधारी(रियों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	निम्न तिथियों के अनुसार कुल बकाया देयराशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	एनपीए की तिथि
HHFDELHOU 19000001242	गौरव आहूजा, रजनी पत्नी गौरव आहूजा	रु. 20,97,309/- 16-जुलाई-2024 के अनुसार	16-07-2024	08-07-2024

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधककृत संपत्तियों का विवरण : फ्रीहोल्ड निर्मित संपत्ति संख्या 306, ब्लॉक-बी में, गली नंबर 3, छत के अधिकारों के साथ पूरी तीसरी मंजिल, खसरा नंबर 20 में से, भरौला गांव के क्षेत्र, कॉलोनी जिसे मजलिस पार्क के नाम से जाना जाता है, दिल्ली 110033 में स्थित, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज यानी 41.805 वर्ग मीटर। सीमा :- उत्तरः संपत्ति संख्या 354, पूर्वः उक्त संपत्ति का शेष आधा भाग, दक्षिणः रोड, पश्चिमः संपत्ति संख्या बी-305

ऋण खाता सं.	नाम	कुल बकाया देयराशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	एनपीए की तिथि
HHFDELHOU 18000000319	प्रेम चंद सिंह, अंजू सिंह	रु. 10,92,333/- 16-जुलाई-2024	16.07.2024	08-07-2024

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधककृत संपत्तियों का विवरण : जी.एफ. 2 (भूतल) बिना छत के अधिकारों के, प्लॉट नंबर सी-9/एन4, कवर्ड एरिया 30.19 वर्ग मीटर यानी 325 वर्ग फुट, डी.एल.एफ. अंकुर विहार, ग्राम-सदुल्लाबाद, परगना और तहसील-लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तरः 9 मीटर चौड़ी सड़क, पूर्वः 9 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिणः प्लॉट नंबर सी-10/24, पश्चिमः प्लॉट नंबर सी-9ए/3

ऋण खाता सं.	नाम	कुल बकाया देयराशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	एनपीए की तिथि
HHFDELHOU19000006085, HHFDELIPL19000006086	अमित कुमार गर्ग, साधना गर्ग	रु. 35,15,798/- 16-जुलाई-2024 के अनुसार	16.07.2024	08-07-2024

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधककृत संपत्तियों का विवरण : निर्मित संपत्ति की छत के अधिकारों के बिना पूरी पहली मंजिल, जिसका नंबर जी-122 है, भूमि क्षेत्रफल 130 वर्ग गज है, खसरा नंबर 349 मिन. में से, बिजली और पानी के मीटर लगे हुए हैं, जो गांव ममूरपुर, दिल्ली के क्षेत्र में, साथ ही भूतल से ऊपरी सीढ़ी तक जाल और सीढ़ियां आम हैं, आबादी जिसे जी-ब्लॉक के ना से जाना जाता है, पंजाबी कॉलोनी, नरेला, दिल्ली-110040, एमसीडी और टाउनशिप नरेला, दिल्ली-110040 की सीमाओं के भीतर स्थित है। संपत्ति की सीमा : पूर्व : श्रीमती शांति देवी की संपत्ति, पश्चिम : श्री देविंदर की संपत्ति, उत्तर : आर्य समाज मंदिर, दक्षिण : सीढ़ियाँ और रास्ता।

ऋण खाता सं.	नाम	कुल बकाया देयराशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	एनपीए की तिथि
HHFDELHOU 19000001880	सतीश पुत्र रामकिशन, सोनलका चौधरी	रु. 12,66,415/- 16-जुलाई-2024	16-07-2024	08-07-2024

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधककृत संपत्तियों का विवरण : संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो भूतल पर, सामने की तरफ, एम.आई.जी (छत के अधिकार के बिना), प्लॉट नंबर 38, खसरा नंबर 353 एम., पुष्प विहार, ग्राम-सदुल्लाबाद, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102 में स्थित है, क्षेत्रफल 51.09 वर्ग मीटर। सीमा- पूर्वः दीगर प्लॉट, पश्चिमः क्रेता की संपत्ति; उत्तरः 25 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिणः दीगर प्लॉट।

ऋण खाता सं.	नाम	कुल बकाया देयराशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	एनपीए की तिथि
HHFNSPLAP 23000043220, HHFNSPLAP 23000044031	संजय शर्मा, सरिता शर्मा के कानूनी उत्तराधिकारी	रु. 41,95,754/- 10-जुलाई-2024 के अनुसार	16-07-2024	04-06-2024

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधककृत संपत्तियों का विवरण : समस्त वह संपत्ति / निर्मित संपत्ति का भाग जो दिल्ली आवास अधिकार योजना सेल द्वारा जारी पीएम-अनधिकृत कॉलोनियों में स्थित है, संजय कॉलोनी, नरेला, दिल्ली- 110040 कॉलोनी पंजीकरण। नं. 607, भूतल, खसरा नं. 37/2/2 और 37/8/1 में से, गांव- नरेला के क्षेत्र में स्थित, दिल्ली आबादी जिसे गली नं. 10, संजय कॉलोनी, नरेला, दिल्ली-110040 के नाम से जाना जाता है, भौगोलिक पहचान संख्या भू-निर्देशांक फाइल **DDA/GIS/20052023045328/368708** और केस आईडी- **PM-UDAY/CASE/29052023080340/1,** क्षेत्रफल 182.27 वर्ग मीटर, इस प्रकार परिसीमित है :- उत्तर- श्री योगेंद्र गोयल का घर, पूर्व- गली 15 फुट चौड़ी, पश्चिम- गली 18 फुट चौड़ी, दक्षिण- श्री सुखबीर मास्टर का प्लॉट।

*ऊपर अंकित संबंधित मांग सूचना उपरांकित दिनांक में अधिक विशिष्ट रूप में उल्लेखितानुसार दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागतें, शुल्क इत्यादि जो भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक उपगत हैं। यदि उक्त दायित्वधारक(गण) उपर्युक्तानुसार एचएचएफएल को भुगतान करने में विफल होंगे, तो एचएचएफएल उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) के विरुद्ध, लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त दायित्वधारक(रियों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के संपूर्ण जोखिम पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) और यथा लागू नियमावली के अधीन कार्रवाई करेगी।
उक्त दायित्वधारक(रियों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे एचएचएफएल की पूर्व लिखित अनुमति-सहमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों)/अचल संपत्ति का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उकसाता है उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा/अथवा अर्थदंड दिया जायेगा।

दिनांक : 23-07-2024
स्थान : दिल्ली-राराक्षे
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

मुथूट हाउसिंग फाइनांस कम्पनी लिमिटेड
muthoot HOUSING FINANCE
पंजीकृत कार्यालयः टीसी नं. 14/2074-7, मुथूट सेन्टर, पुन्नेन रोड, तिरुवनंतपुरम-695034
कार्पोरेट कार्यालयः 12/ए 01, 13वां तल, परिणी क्रेसेन्जो, प्लॉट नं. सी38 एवं सी39, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स-जी ब्लॉक (ईस्ट), मुम्बई-400051 ईमेलः authorised.officer@muthoot.com

मांग सूचना
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत
जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मुथूट हाउसिंग फाइनांस कम्पनी लि. (''एमएचएफसीएल'') के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनाएँ जारी कर निम्न ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, गारंटरों को जारी की गई संबंधित सूचनाओं तथा आपके लिये वैकल्पिक सेवा के द्वारा नीचे वर्णित रूप में सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज, लागत एवं चार्जेज के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर कम्पनी के प्रति अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करने का निर्देश दिया था। ऋण के नियत भुगतान के लिये उक्त ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, गारंटरों क्रमशः द्वारा एमएचएफसीएल के पास निम्न प्रतिभूत परिसम्पत्तियां गिरवी रखी गई हैं।

क्र. सं.	एलएएन/ऋणधारक/सह-ऋणधारक/गारंटर का नाम	एनपीए तिथि	मांग सूचना तिथि	कुल बकाया राशि (रु.) लागू योग्य आगे का ब्याज
1.	ऋण खाता सं. 13100074124 1. दिलीप सिंह राव चौहान उर्फ दिलीप सूर्यवंशी 2. कमल देवी चिरंजीलाल उर्फ कमला देवी	29 जून, 2024	17 जुलाई, 2024	06 जुलाई, 2024 को रु. 1,26,262.08/- (रु. एक लाख छब्बीस हजार दो सौ बासठ पैसे आठ मात्र)

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरणः स्कीम टाटा नगर, कच्ची बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान-302016, एरिया माप 49.66 वर्ग यार्ड्स में स्थित सम्पत्ति प्लॉट नं. 317 का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 316, दक्षिणः प्लॉट नं. 318, पूर्वः सार्वजनिक रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 260, तथा **प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरणः** स्कीम टाटा नगर, कच्ची बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान-302016, एरिया माप 49.66 वर्ग यार्ड्स में स्थित सम्पत्ति प्लॉट नं. 318 का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 317, दक्षिणः प्लॉट नं. 319, पूर्वः सार्वजनिक रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 359

यदि उक्त ऋणधारक, सह-ऋणधारक, गारंटर उपरोक्त रूप में एमएचएफसीएल को भुगतान करने में विफल होते हैं तो एमएचएफसीएल उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति का कब्जा कर लेगा तथा पूरी तरह से ऋणधारकों की जोखिम, लागत तथा परिणामों पर कानून में कम्पनी को उपलब्ध अन्य ऐसी कार्रवाई करेगा। सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 13 के अंतर्गत उक्त ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों एवं गारंटरों को एमएचएफसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में वर्णित उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से अंतरण के अधिकार से वंचित किया जाता है।

स्थानः राजस्थान, तिथिः 23 जुलाई, 2024
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी मुथूट हाउसिंग फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के लिये

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड
CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED
पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय :-502, टावर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सर्किल कार्यालय :- 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

परिशिष्ट IV कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को नीचे दिए विवरण के अनुसार मांग सूचना(एं) जारी की थी, जिनमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर सीजीएचएफएल की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम	प्रत्याभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना तिथि और राशि	कब्जा की तिथि
1.	(हमारी नोएडा शाखा की ऋण खाता संख्या LNHLNOI000087066 (पुरानी) 50300000847229 (नई) चंदर वीर (कर्जदार) श्रीमती सोनम देवी (सह-कर्जदार)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर 8 का पूर्वी भाग, क्षेत्रफल परिमाप 50.11 वर्ग गज यानी 41.91 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 76 मिन, नगरपालिका हापुड़ के बाहर, ग्राम पटना, न्यू काला नी गढ़ रोड, परगना तहसील और जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश-245101 चौहद्दी निम्नानुसार : पूरब : प्लॉट नंबर 9, पश्चिम : प्लॉट नंबर 8 का शेष भाग, उत्तर : 10 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति	10-05-2024 रू. 11,17,613/-	19-07-2024

स्थान : दिल्ली-एनसीआर तिथि : 23-07-2024 हस्ता/-, (प्राधिकृत अधिकारी) वास्ते कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल)

मुथूट हाउसिंग फाइनांस कम्पनी लिमिटेड
muthoot HOUSING FINANCE
पंजीकृत कार्यालयः टीसी नं. 14/2074-7, मुथूट सेन्टर, पुन्नेन रोड, तिरुवनंतपुरम-695034
कार्पोरेट कार्यालयः 12/ए 01, 13वां तल, परिणी क्रेसेन्जो, प्लॉट नं. सी38 एवं सी39, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स-जी ब्लॉक (ईस्ट), मुम्बई-400051 ईमेलः authorised.officer@muthoot.com

मांग सूचना
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मुथूट हाउसिंग फाइनांस कम्पनी लि. (''एमएचएफसीएल'') के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनाएँ जारी कर निम्न ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, गारंटरों को जारी की गई संबंधित सूचनाओं तथा आपके लिये वैकल्पिक सेवा के द्वारा नीचे वर्णित रूप में सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज, लागत एवं चार्जेज के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर कम्पनी के प्रति अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करने का निर्देश दिया था। ऋण के नियत भुगतान के लिये उक्त ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, गारंटरों क्रमशः द्वारा एमएचएफसीएल के पास निम्न प्रतिभूत परिसम्पत्तियां गिरवी रखी गई हैं।

क्र. सं.	एलएएन/ऋणधारक/सह-ऋणधारक/गारंटर का नाम	एनपीए तिथि	मांग सूचना तिथि	कुल बकाया राशि (रु.) लागू योग्य आगे का ब्याज
1.	ऋण खाता सं. 15100084883 1. शालिनी पाठक 2. संजय कुमार पाठक	29 जून, 2024	17 जुलाई, 2024	06 जुलाई, 2024 को रु. 14,73,816.00/- (रु. चौदह लाख तिहत्तर हजार आठ सौ सोलह मात्र)

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरणः ग्राम छोटपुर, परगणा एवं तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201307, एरिया माप 250 वर्ग यार्ड्स अर्थात 209.025 वर्ग मीटर में स्थित एक फ्री होल्ड आवासीय मकान जो खसरा नं 433/1 (यूनिट कोड: 216981-0433-1-1001-12) के प्लॉट पर निर्मित है। चौहद्दी : पूर्व : 20 फीट चौड़ा रोड, पश्चिम 12 फीट चौड़ा रोड, उत्तर : अन्य प्लाट, दक्षिण : अन्य प्लाट।

यदि उक्त ऋणधारक, सह-ऋणधारक, गारंटर उपरोक्त रूप में एमएचएफसीएल को भुगतान करने में विफल होते हैं तो एमएचएफसीएल उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति का कब्जा कर लेगा तथा पूरी तरह से ऋणधारकों की जोखिम, लागत तथा परिणामों पर कानून में कम्पनी को उपलब्ध अन्य ऐसी कार्रवाई करेगा। सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 13 के अंतर्गत उक्त ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों एवं गारंटरों को एमएचएफसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में वर्णित उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से अंतरण के अधिकार से वंचित किया जाता है।

स्थानः उत्तर प्रदेश, तिथिः 23 जुलाई, 2024
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी मुथूट हाउसिंग फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के लिये

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड
CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED
पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय :-502, टावर-ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सर्किल कार्यालय :- 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

परिशिष्ट IV कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को नीचे दिए विवरण के अनुसार मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिनमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर सीजीसीएल की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम	प्रत्याभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना तिथि और राशि	कब्जा की तिथि
1.	(ऋण खाता संख्या **LNCGCNSPTL0000005665 (पुरानी) 80400005471635 (नई) नेताजी सुभाष प्लेस शाखा) सिमरनजीत सिंह** (कर्जदार) स्व. श्री देविन्दरपाल सिंह (उनके कानूनी वारिस के माध्यम से) गुलशनबीर कौर (सह-कर्जदार)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति म्युनिसिपल नंबर टी-2565, वार्ड XV, जिसमें भू तल, मेज़नीन फ्लोर, प्रथम तल तथा द्वितीय तल टेरेस के अधिकार सहित शामिल हैं, क्षेत्रफल परिमाप 139 वर्ग गज, खसरा नंबर 209 के अंतर्गत, चूना मंडी, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055 चौहद्दी निम्नानुसार : पूरब : रास्ता और मदर डेरी का बूथ, पश्चिम : रास्ता, उत्तर : गली नंबर 10, दक्षिण : रोड	**10-05-2024 रू. 71,03,426/- (आज की तिथि में बकाया राशि रू. 89,68,757)**	19-07-2024
2	(ऋण खाता संख्या **LNCGCFBDTL0000007462 (पुरानी) 80400005433570 (नई) फरीदाबाद शाखा) मिथिलेस** (कर्जदार) श्रीमती सोनी देवी (सह-कर्जदार)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति भूमि एवं भवन प्लॉट/सम्पत्ति सं. 2802 (नई), 93 (पुरानी), परिमाप 100 वर्ग गज, खसरा नंबर 5//14, 7/1, संजय एन्कलेव, मौजा गौंची, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा-121005, चौहद्दी निम्नानुसार : पूरब : 15 फीट चौड़ी रोड, पश्चिम : प्लॉट नंबर 102, उत्तर : प्लॉट नंबर 94, दक्षिण : प्लॉट नंबर 92	**10-05-2024 रू. 36,57,543/-**	18-07-2024

स्थान : (दिल्ली-एनसीआर) तिथि : 23-07-2024 हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी) वास्ते कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल)

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात 362266
कॉर्पोरेट कार्यालयः आर-टेक पार्क, 10वीं मंजिल, निरलोन कॉम्प्लेक्स, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से दूर, गोरेगांव, पूर्व, मुंबई- 400063
शाखा कार्यालयः दूसरी मंजिल, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001

सरफेसी अधिनियम - 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

आप नीचे उल्लिखित उधारकर्ता ने अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण प्राप्त किया है और आप नीचे उल्लिखित ऋण समझौते के लिए उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता के रूप में खड़े हैं। आपके द्वारा किए गए डिफॉल्ट के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में सरफेसी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमने आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड ने आपके द्वारा दिए गए पते पर सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया है। उक्त नोटिस की विवरण यह है कि आपने अपने लिए स्वीकृत किए गए विभिन्न ऋणों के भुगतान में चूक की है। इसलिए, वर्तमान प्रकाशन सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधान के अनुसार और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार नोटिस देने के लिए किया गया है।

ऋण खाता संख्या/ उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता और गारंटर के खाते का नाम और पता	मांग सूचना की तारीख	मांग सूचना के अनुसार देय राशि
ऋण खाता संख्या - **ABFLND_LAP0000025098** और **ABFLND_LAP0000077046** 1. रामवंश फाइब्रोलोजी प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक के माध्यम से, मकान नंबर 13/47, राज नगर, गाजियाबाद - यू.पी. - 201002। 2. श्री दीपक कुमार गर्ग, मकान नंबर 13/47, राज नगर, गाजियाबाद - यू.पी. - 201002, 3. स्वर्गीय श्री रामानंद गर्ग के कानूनी उत्तराधिकारी नीचे दिए गए हैं:- 3. ए. दीपक कुमार गर्ग पुत्र, स्वर्गीय श्री रामानंद गर्ग, 3.बी. सरोज गर्ग डब्ल्यूडीओ, स्वर्गीय श्री रामानंद गर्ग, 3. सी. समीर कुमार गर्ग पुत्र, स्वर्गीय श्री रामानंद गर्ग, 3.डी. दीप्ति अग्रवाल पुत्री, स्वर्गीय श्री रामानंद गर्ग, 3.ई. वंदना अग्रवाल पुत्री, स्वर्गीय श्री रामानंद गर्ग (एसडीएम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी कानूनी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 22.05.2024 के अनुसार मृतक उधारकर्ता स्वर्गीय श्री रामानंद गर्ग के सभी कानूनी वारिस) उपर्युक्त सभी कानूनी वारिसों का पता निम्नानुसार है:- मकान संख्या 13/47, राज नगर, गाजियाबाद - यू.पी. - 201002 4. श्री समीर कुमार गर्ग, 5. श्री उत्कर्ष गर्ग, 6. श्रीमती सिमपाल गर्ग, 7. श्रीमती अनुपमा गर्ग, 8. स्वर्गीय रामानंद गर्ग, कानूनी वारिसों के माध्यम से, 9.श्रीमती। सरोज गर्ग, 10. मेसर्स रामानंद एंड संस (एचयूएफ) कर्ता के माध्यम से, 11. श्री दीपक कुमार एंड संस (एचयूएफ) कर्ता के माध्यम से, 12. श्री समीर कुमार एंड संस (एचयूएफ) कर्ता के माध्यम से, सभी का पता- हाउस नंबर 13/47, राज नगर, गाजियाबाद - यू.पी. - 201002	20.07.2024 एनपीए तिथि 04.03.2024	रु. 3,13,94,266/- (रु. तीन करोड़ तेरह लाख चौरानबे हजार दो सौ छियासठ मात्र) 18.07.24 तक

"सुरक्षित संपत्तियों का विवरण लागू किया जाना है"
"प्लॉट नंबर आर-13/47, राज नगर कॉलोनी, गाजियाबाद दृ उत्तर प्रदेश - 201002" का पूरा विवरण"

आपको इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड को ब्याज और लागत के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता की सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा करने सहित सभी या किसी एक या अधिक सुरक्षित संपत्तियों में उक्त अधिनियम के तहत आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड को उपलब्ध शक्ति में शामिल हैं (1) सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा करने की शक्ति उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता का पट्टे के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार, सुरक्षित परिसंपत्तियों को जारी करने के लिए बिक्री का असाइनमेंट (2) पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण और वसूली के अधिकार सहित सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना सुरक्षित संपत्ति और आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा सुरक्षित संपत्ति के रूप में कोई भी हस्तांतरण हस्तांतरित सुरक्षित संपत्ति के सभी अधिकार और संबंध में निहित होगा जैसे कि हस्तांतरण आपके द्वारा किया गया है।
उक्त अधिनियम की धारा 13/13 के प्रावधानों के अनुसार, आपको किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा (आपके व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है और आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना इसे आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड के पास गिरवी रखा गया है।

दिनांकः 23.07.2024
स्थानः गाजियाबाद
प्राधिकृत अधिकारी
आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

Criminal Court, Ludhiana
(complaint-138 negotiable instrument act)
In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana
Kotak Mahindra Bank
Vs.
Lal Chand Gurjar
CNR NO: PBLD03-036855-2020
COMA/7244/2020
Notice To: 1) Lal Chand Gurjar Address- Village Nawab, Via Ramsar, Tehsil Nasirabad, Dist. Ajmer Rajasthan
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 23-08-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence Given under my hand and the seal of the court, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

Criminal Court, Ludhiana
(complaint-138 negotiable instrument act)
In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana
Kotak Mahindra Bank ltd
Vs.
Bhikha Ram
CNR NO: PBLD03-036899-2020
COMA/7255/2020
Notice To: 1) Bhikha Ram Address- S/o Hauman Ram R/o 106, Meghwalon Ka Mohalla, Ransar Bikaner, Rajasthan
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 23-08-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence Given under my hand and the seal of the court, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

Criminal Court, Ludhiana
(complaint-138 negotiable instrument act)
In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd
Vs.
Devendra Kumar Shrivastava
CNR NO: PBLD03-046647-2020
COMA/8329/2020
Notice To: 1) Devendra Kumar Shrivastava Address- R/o Village Bamahani Tehsil Karali Distt Narsingh Pyur Madhya Pardesh
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 23-08-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence Given under my hand and the seal of the court, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

---

सार्वजनिक सूचना
सीमित देयता भागीदारी के रजिस्ट्रार के समक्ष, कंपनियों के रजिस्ट्रार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के मामले में
और
एसपीएस इंटरनेशनल एलएलपी के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नंबर 201, सेक्टर-ए पॉकेट-सी, वसंत कुंज, दिल्ली, 110070 में है।
........आवेदक

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **एसपीएस इंटरनेशनल एलएलपी** के भागीदारों द्वारा **19 जुलाई, 2024** को आयोजित बैठक में एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अंतर्गत एलएलपी पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया है।
कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित की प्रकृति और आवेदन के विरोध के आधार बताते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को कंपनी रजिस्ट्रार, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है। हित की प्रकृति और आवेदन के विरोध के आधार के साथ एक प्रति आवेदक एलएलपी को नीचे दिए गए पते पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेजें।
पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नंबर 201, सेक्टर-ए पॉकेट-सी, वसंत कुंज, दिल्ली, 110070
एसपीएस इंटरनेशनल एलएलपी के लिए और उसकी ओर से
प्रवीण सरन
(नामित भागीदार)
दिनांक-19 जुलाई 2024 डीपीआईएन-07174880

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी आवेदन सं. 2024 का
कम्पनी अधिनियम, 2013 की 13(4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के मामले में
तथा
पॉमफ्रेश फूड एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ("कम्पनी") (CIN: U15490DL2020PTC373519), पंजीकृत कार्यालय का पताः प्लॉट नं. 84 एवं 85, जी/एफ पॉकेट-डी, सेक्.-2, बवाना डीएसआईडीसी, लैंडमार्क निकट गोल चक्कर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110039 के मामले में
...... आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिये कंपनी को सक्षम बनाने के लिए शुक्रवार, 5 जुलाई, 2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
कृते, पॉमफ्रेश फूड एंड बेवरेजेज प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./- कुलदीप कुमार धाल
निदेशक
तिथि: 22.07.2024
स्थान: नई दिल्ली
DIN:08968276

स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: 603, वेस्टर्न एज क, मेट्रो कैश एंड कैरी के ऊपर, बोरीवली ईस्ट, मुंबई - 400066

प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

चूंकि ऋण खाता एनपीए हो गया है, इसलिए धारा 13(2) ''वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002'' के तहत प्राधिकृत अधिकारी ने कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर (सामूहिक रूप से ''कर्जदार'' के रूप में संदर्भित) को 60 दिनों की मांग सूचना जारी की है, जैसा कि तालिका में दिया गया है। सूचना के अनुसार यदि कर्जदार 60 दिनों के भीतर पूरी राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें नीचे दी गई संबंधित संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों को नीलामी के द्वारा बिक्री की जाएगी। अतः आप कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि मांग सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि मय भावी ब्याज एवं व्ययों के जमा करा दें, अन्यथा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं 14 के प्रावधान के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी नीचे दिये अनुसार बंधक सम्पत्तियों, प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री हेतु कब्जा लेने के लिए स्वतंत्र है।

कर्जदारों को यह ध्यान देना चाहिए कि इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से बाद, अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के अनुसार, आपको प्रतिभूति ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा किसी भी प्रतिभूत संपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित और रोका जाता है। कर्जदारों का ध्यान प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 अधिनियम के नियम 3(5) के साथ धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है कि कर्जदार नीलामी नोटिस के प्रकाशन से पहले नीचे उल्लिखित पूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने पर अपनी प्रतिभूत संपत्तियों को विमोचित करने के हकदार होंगे, जो उसके बाद अस्तित्व में नहीं रहेंगे।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता/ गारंटर के नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि एवं राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
1	अजय कुमार रावत पुत्र शंभू रावत (आवेदक) पुष्पा कुमारी पुत्री बृज किशोर प्रसाद (सह-आवेदक) पता - मकान नंबर 419 ओल्ड शेरशाह सूरी रोड सेक्टर 28 और 29 फरीदाबाद हरियाणा 121008 ऋण कोड संख्या-ASHGHZ28	09.07.2024 तथा रु. 19,62,784/- (रुपये उन्नीस लाख बासठ हजार सात सौ चौरासी मात्र) तिथि 10.07.2024 तक	श्री अजय रावत और श्री संभू रावत के नाम पर 900 वर्ग फीट की आवासीय भूमि और भवन का इक्विटेबल बंधक, एमओडी संख्या 384 वार्ड संख्या 8 खसरा संख्या 579 जीतपुर मुरादनगर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद। **सीमाएं:** बिक्री विलेख दस्तावेज के अनुसार - **पूर्व**- श्री भीम की संपत्ति, **पश्चिम** - अन्य भूखंड, **उत्तर** - अन्य संपत्ति, **दक्षिण** - गली 10 फीट चौड़ी

दिनांक: 23.07.2024
स्थान: फरीदाबाद,

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
हरियाणा स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

निगमित कार्यालय : नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015
तृतीय तल, 101/1, आरएस टॉवर, मंगल पांडे नगर, सीसीएस यूनिवर्सिटी के समीप, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004

आरएलएम- श्री अरुण कुमार सिंह- 9506011777, सीएलएम- श्री वर्तुल पंडित- 9627074548, आरआरएम- श्री पुष्कर अवस्थी- 9453043399, सीआरएम- जनेश्वर प्रसाद- 9917778324

सांकेतिक अधिग्रहण सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 की सं. 3) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न तालिका में प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तथा यहां इसमें इसके उपरांत उल्लिखित तिथियों पर ऋणकर्ताओं को एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिस में ऋणकर्ता (यहां इसमें इसके उपरांत ऋणकर्ता तथा गारंटरों जिन्हें सामूहिक रूप में ''ऋणकर्ताओं'' के रूप में संदर्भित किया जाता है) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ता को एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता / गारंटर को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, एक निर्धारित बकाया राशि तथा राशि पर आकस्मिक व्ययों, लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ उपर्युक्त राशि पर संविदागत दर पर भवी ब्याज हेतु हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋण से मुक्त करने के लिये उपलब्ध समय के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर निमंत्रित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणकर्ताओं / गारंटरों के नाम	मांग सूचना तिथि / अधिग्रहण की तिथि	बकाया राशि	अचल संपत्ति के विवरण
1.	आवेदन सं. DL/DEL/PAND/A000000503 rFkkDL/DEL/PAND/A000001044 **श्रीमती ईशा शर्मा** **श्री आशीष शर्मा** दोनों का पता : ए/81707, निराला एस्पायर सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201031	30.11.2022 / 17.07.2024 सांकेतिक	रु. 32,64,558/- 23.11.2022 के अनुसार साथ में राशि पर ब्याज	**कुल 249.60 वर्ग मीटर माप की भूमि में से 94 वर्ग मीटर माप की भूमि के भूखंड पर निर्मित एक मकान, खसरा संख्या 2353/3 एमआई. में से, ग्राम धरबली आरके द्यग्रांट, मोहब्बेबाला, परगना मध्य दून जनपद देहरादून** में स्थित है। सीमा :- पूर्व : श्री हयात सिंह बिष्ट की संपत्ति और 15 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम : श्री जगत सिंह की संपत्ति, उत्तर : अन्य की संपत्ति, दक्षिण : श्री किशन सिंह बिष्ट की संपत्ति।

दिनांक : 23-07-2024, स्थान : देहरादून

प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

AXIS BANK LTD.

स्ट्रक्चर्ड एसेट्स ग्रुप, प्लॉट आई-14, टॉवर 4, चौथी मंजिल, सेक्टर 128, नोएडा (उ.प्र.)-201304

ई-नीलामी बिक्री सूचना

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके पश्चात ''सरफैसी अधिनियम'' संदर्भित) के तहत एक्सिस बैंक लिमिटेड (इसके पश्चात ''बैंक'' सन्दर्भित) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में इस नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर कर्जदार/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) से सूचना में उल्लिखित राशि के साथ उस पर अनुबंधीय दर पर आगामी ब्याज जमा सभी लागत, प्रभार और आकस्मिक खर्चे सहित राशि का भुगतान करने को कहते हुए सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की थी।

कर्जदार/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) द्वारा निर्धारित अवधि में निम्न वर्णित राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत यहां नीचे उल्लिखित प्रतिभूतित सम्पत्तियों पर प्रतिकात्मक कब्जा कर लिया है, जिसकी बिक्री ''जहाँ है जैसे है आधार'', ''जो है यही है आधार'', ''जो कुछ है वहीं है आधार'' तथा ''उपचार रहित आधार'' पर ई-नीलामी नीचे नीलामी सूची के अनुसार निविदाओं/बोलियों के आमंत्रण द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 व 9 के तहत बैंक बकाया की वसूली के लिए की जायेगी।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण के प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत ई नीलामी के माध्यम से अचल संपत्तियों की बिक्री। इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) को सूचना दी जाती है कि यहां वर्णित अचल संपत्तियों का कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है तथा जिनकी बिक्री सार्वजनिक/ई-नीलामी आमंत्रित करके ''जहाँ है जैसे है आधार'', ''जो है यही है आधार'', ''जो कुछ है वहीं है आधार'' तथा ''उपचार रहित आधार'' पर ई-नीलामी नीचे नीलामी सूची के अनुसार बेचा जाएगा। यदि आवश्यक हो तो इच्छुक बोलीकर्ता अधिक जानकारी/बिक्री की शर्तों के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता के नाम	डिमांड नोटिस की तिथि	संपत्ति का विवरण	प्रतिभूतित ऋण	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
1. **मेसर्स कलर पैलेट प्राइवेट लिमिटेड** (उधारकर्ता/बंधककर्ता) अपने निदेशकों के माध्यम से इसका पंजीकृत कार्यालय यहां पर है: एच. नंबर 8728, लैंडमार्क, फिल्मस्तान सिनेमा हॉल के पास, सिद्धपुर, नई दिल्ली-110005, यह भी यहां पर है: ए-4, तृतीय तल, डीएनडी रोड, सेक्टर-9, एनसीपीएल वेब टॉवर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301, 2. **श्री अभिषेक शर्मा** (गारंटर) बी-10, तृतीय तल, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट-2, नई दिल्ली-110048, यह भी यहां पर है: ई-7, ब्लॉक-2, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट-2, नई दिल्ली-110048, 3. **श्री नवीन चौहान** (गारंटर) 336,	22.12.2023	**संपत्ति I** : संपूर्ण निर्मित संपत्ति जिसका नंबर ए 005 स्थित ब्लॉक-ए, सेक्टर-57, फेज-3, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, (यू.पी.) जिसका प्लॉट एरिया 800 वर्ग मीटर के साथ कलर पैलेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर स्वामित्व, कब्जे, विशेषाधिकार, सुखभोग और अनुलग्नक के सभी अधिकारों के साथ, सभी फिटिंग, जुड़नार, कनेक्शन, संरचना के साथ सभी अनिवार्य अंग। **संपत्ति II** : श्रीमती उमा शर्मा के नाम पर ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव-2, नई दिल्ली में स्थित तीसरी मंजिल पर सामने की ओर का फ्लैट, जिस पर छत/टेरेस का अधिकार नहीं है, लगभग 1450 वर्ग फीट, संपत्ति संख्या बी-10 का हिस्सा, 500 वर्ग गज के फ्री होल्ड प्लॉट पर निर्मित है।	20.12.2023 को देय राशि होने के नाते **27,67,38,257.14 रु.** (रुपये सत्ताईस करोड़ सड़सठ लाख अड़तीस हजार दो सौ सतावन और चौदह पैसे मात्र) के साथ भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज व अन्य प्रभार, क्रेडिट कम करके, यदि कोई है।	**आरपी: संपत्ति I** 10.00 करोड़ रु. **ईएमडी:** 1.00 करोड़ रु. **आरपी: संपत्ति II** 4.40 करोड़ रु. **ईएमडी:** 0.44 करोड़ रु.	29.08.2024 पूर्वा. 11.30 बजे से अप. 12.30 बजे के बीच; 29.08.2024 अप. 2.30 बजे से अप. 3.30 बजे के बीच

द्वितीय तल, जागृति एन्क्लेव, विकास मार्ग, शकरपुर बरामद, गांधी नगर, दिल्ली-110092, 4. **श्री दानिश शर्मा** (गारंटर) बी-10 तीसरी मंजिल, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट-2, नई दिल्ली-110048, यहां भी: ई-7, ब्लॉक-2, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट-2, नई दिल्ली-110048, 5. **श्री रोहित खन्ना** (गारंटर) फ्लैट नंबर 501, टेक्नोक्रेट्स अपार्टमेंट, जीएचएस प्लॉट नंबर 25, सेक्टर-56, गुरुग्राम, हरियाणा-122011, 6. **श्रीमती उमा शर्मा** (बंधक और गारंटर) बी-10, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव- 2, सावित्री सिनेमा के पास, नई दिल्ली-110048, यहां भी: ई-7, ब्लॉक-2, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट-2, नई दिल्ली-110048, 7. आर्किड कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर) ए-4, तीसरी मंजिल, डीएनडी रोड, सेक्टर-9, एनसीपीएल वेब टावर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 यह भी देखें: मकान संख्या 8728, लैंडमार्क, फिल्मिस्तान सिनेमा हॉल के पास, सिद्धिपुर, नई दिल्ली-110005

सीलबंद बोलियां नीचे दिए गए सारणी के अनुसार वेबसाइट https://axisbank.auctiontiger.net के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जा सकती हैं

ईएमडी जमा	डिमाण्ड ड्राफ्ट 'एक्सिस बैंक लिमिटेड' के पक्ष में नई दिल्ली/नोएडा में देय 27.08.2024 को 4.00 बजे अप. तक निम्नलिखित में किसी भी पते पर जमा करनी होगी : एक्सिस बैंक लिमिटेड, स्ट्रक्चर्ड एसेट्स ग्रुप, प्लॉट आई-14, टॉवर 4, चौथी मंजिल, सेक्टर 128, नोएडा (उ.प्र.)-201304 या अधिकृत प्राधिकारी से पूर्व परिचर्चा/अनुमति के साथ पारस्परिक सहमति के आधार पर।
प्रतीकात्मक कब्जे की तिथि	07.05.2024
प्रतीकात्मक कब्जा सूचना के प्रकाशन की तिथि	10.05.2024 को बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी और हिंदी)
संपत्ति का निरीक्षण	अधिकृत प्राधिकारी (मोबाइल नं. +91-8879994525/ n.bapiraju@axisbank.com) की पूर्व अनुमति से 23.08.2024 को 11.30 बजे पूर्वा. से 3.30 बजे अप. के बीच किसी भी कार्यदिवस पर/या जैसा कि प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व चर्चा/अनुमति के साथ पारस्परिक रूप से स्वीकार्य हो।
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	संपत्ति I : 29.08.2024 को 11:30 बजे पूर्वा. से 12:30 बजे अप. के बीच यदि संविदा अन्तिम पांच मिनटों में रखी जाती है तो पांच मिनट के असीमित विस्तार सहित संपत्ति II : 29.08.2024 को 2:30 बजे अप. से 3:30 बजे अप. के बीच यदि संविदा अन्तिम पांच मिनटों में रखी जाती है तो पांच मिनट के असीमित विस्तार सहित
संविदा वृद्धि राशि	रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) तथा इसके गुणक में
बैंक को ज्ञात ऋण भार	ज्ञात नहीं

नोट : कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के प्रावधानों के अनुसार इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभारों सहित कुल बकायों के पुनर्भुगतान हेतु 30 दिनों की सूचना दी जाती है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति को इस सूचना में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार बेच दिया जायेगा।

किसी पूछताछ के लिए सम्पर्क करें : 8879994525/ n.bapiraju@axisbank.com, RecoveryCell.North@axisbank.com,

नियम एवं शर्तें : 1. सम्पत्ति की बिक्री बैंक के अधिकृत प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (ऑक्शन टाइगर) अहमदाबाद के माध्यम से ई-नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन की जायेगी। 2. नीलामी बिक्री/संविदा उपर्युक्त तिथियों पर प्रत्येक 5 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ वेबसाइट https://axisbank.auctiontiger.net /साथ ही AuctionTiger mobile app के माध्यम से केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली द्वारा की जायेगी। 3. यह बिक्री इस सूचना तथा निर्धारित निविदा दस्तावेज में शामिल नियम एवं शर्तों के कठोरता से अनुपालन में की जायेगी। इस बिक्री सूचना के भाग के रूप में बिक्री के नियम एवं शर्तों वाला निविदा दस्तावेज ई-नीलामी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या उपर्युक्त पते से अधिकृत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेकर 01.08.2024 से 27.08.2024 तक 11.30 बजे पूर्वा. से 3.30 बजे अप. के बीच शनिवार, रविवार तथा बैंक अवकाशों को छोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। 4. सम्पत्ति का निरीक्षण पारस्परिक सहमति से निर्धारित तिथि एवं समय पर किया जा सकेगा। प्रासंगिक दस्तावेजों का निरीक्षण पूर्व अनुमति लेकर किया जा सकेगा जो बैंक के पास उपलब्ध है। 5. इच्छुक क्रेता द्वारा यहाँ ऊपर उल्लिखित ईएमडी राशि नई दिल्ली/नोएडा में देय एक्सिस बैंक लिमिटेड के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से यहां ऊपर उल्लिखित पते पर अधिकतम 27.08.2024 को 4.00 बजे अप. तक जमा की जानी है। इच्छुक क्रेता को (i) संविदाकार का पूरा नाम (ii) पैन कार्ड की प्रति, (iii) सक्रिय मोबाइल नम्बर, (iv) ई-मेल पता तथा (v) पते का प्रमाण भी जमा करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट (ईएमडी) के पीछे संविदाकार का पूरा नाम, पता तथा सम्पर्क नं. एवं ई-मेल आईडी लिखी होनी चाहिए। पोर्टल में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप अन्य प्रारूप में जमा संविदाएं विचार योग्य नहीं होंगी। मुहरबन्द लिफाफे में संविदाकार का विवरण (केवाईसी दस्तावेज जैसे फोटो आईडी पहचान-पत्र, पैन कार्ड तथा पते का प्रमाण एवं ई-मेल आईडी) एवं ईएमडी बैंक के कार्यालयी पते-या तो (1) स्ट्रक्चर्ड एसेट्स ग्रुप, प्लॉट आई -14, टॉवर 4, चौथी मंजिल, सेक्टर-128, नोएडा (उ.प्र.)- 201304 पर जमा की जानी है। 6. कृपया ध्यान दें कि इच्छुक क्रेताओं को ई-नीलामी में केवल तभी भाग लेने और बोली की अनुमति दी जायेगी जब दस्तावेजों सहित ईएमडी राशि यहां ऊपर बिन्दु 5 में उल्लिखित रीति से बैंक को प्राप्त होगी। 7. ईएमडी जमा करने के उपरान्त संविदाकार को संविदा प्रपत्र/ईएमडी को वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। 8. पात्र संविदाकारों ने जिन्होंने यहां ऊपर बिन्दु 5 में वांछित अपेक्षाओं का विधिवत अनुपालन किया है उनसे सम्पर्क किया जायेगा और ई-नीलामी पोर्टल में भाग लेने और संविदा जमा करने के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड दिया जायेगा। मुहरबन्द संविदाएं केवल https://axisbank.auctiontiger.net/ पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में ऑनलाइन जमा की जायेंगी। 9. कृपया ध्यान दें कि इच्छुक संविदाकार ई-नीलामी पर मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि., ए-801, वॉल स्ट्रीट-2, सामने ओरिएन्ट क्लब, निकट गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात सम्पर्क व्यक्ति : राम शर्मा, मोबाइल नं. 8000023297 हेल्पलाईन नंबर 9265562821/ 9265562818 या ई-मेल : ramprasad@Auctiontiger.net/ support@auctiontiger.net से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 10. नीलामी https://axisbank.auctiontiger.net पर 29.08.2024 को प्रातः 11.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे के बीच संपत्ति क्रमांक 1 के लिए तथा 29.08.2024 को दोपहर 2.30 बजे से दोपहर 3.30 बजे के बीच संपत्ति क्रमांक 2 के लिए, अन्तिम पांच मिनटो में जाती है तो पांच मिनट प्रत्येक के स्वतः विस्तार सहित ऑनलाइन होगी। संविदाकार अपने प्रस्ताव इंटर-से बोली के माध्यम से बढ़ायेंगे। इंटर-से बोली मुहरबन्द संविदा के माध्यम से प्राप्त उच्चतम संविदा की राशि से प्रारम्भ होगी। अपने प्रस्ताव संविदा वृद्धि राशि कॉलम के तहत राशियों के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ायेंगे। यदि संविदा ई-नीलामी बन्द होने के अन्तिम पांच मिनट में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा। जो संविदाकार ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति उच्चतम संविदा राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) जमा करता है उसे सफल संविदाकार घोषित किया जायेगा और इस प्रभाव से इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी की जायेगी जो अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के अनुमोदन के अध्यधीन होगी। 11. अधिकृत प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी/या सभी प्रस्तावों/संविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने या नीलामी बिक्री को स्थगित, आस्थगित या निरस्त करने का अधिकार है। 12. असफल संविदाकार ईएमडी राशि वापस प्राप्त करने के लिए बैंक के अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें जिसे नीलामी की तिथि से एक सप्ताह के भीतर उन्हें बिना ब्याज के वापस कर दिया जायेगा। 13. सफल क्रेता पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करने के बाद, उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर, बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करेगा, ऐसा नहीं करने पर बिना किसी पूर्व सूचना के ईएमडी जब्त कर ली जायेगी। बिक्री मूल्य का शेष 75% अधिकृत प्राधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि [जैसा कि सफल खरीदार और बैंक के बीच सहमति हो, किसी भी मामले में 3 महीने से अधिक नहीं] के भीतर देय है। ऊपर उल्लिखित निर्धारित अवधि के भीतर शेष राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, इसे निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार निपटाया जाएगा। 14. प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) और नियम 8(6) के अनुसार कर्जदार/ गारंटर/ बंधक को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यदि आपने उल्लिखित मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है तो इस सूचना के अनुसार प्रतिभूत/उपरोक्त आस्तियों की बिक्री की जाएगी। 15. वाहन, स्टांप शुल्क, पंजीकरण आदि के सभी शुल्क और यथाप्रयोज्य सभी कर आदि, केवल सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। कोई भी वैधानिक और अन्य बकाया देय तथा संपत्ति पर देय, जिसमें सोसायटी की बकाया राशि शामिल नहीं है, क्रेता को वहन करना होगा। इच्छुक व्यक्ति (व्यक्तियों) को संपत्ति के स्वामित्व और संपत्ति के से संबंधित सभी बकाया/दावों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए। 16. सफल संविदाकार को कन्वीएंस के लिए देय प्रभार/शुल्क जैसे स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, आकस्मिक व्यय आदि यथाप्रयोज्य कानून के अनुसार वहन करने होंगे। 17. इस सूचना में कुछ भी उपरोक्त संपत्ति/यों को बेचने के लिए बैंक की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है या नहीं माना जाएगा। बैंक / प्राधिकृत अधिकारी किसी भी कारण से बिक्री को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है या बिना कोई कारण बताए बिक्री को निरस्त कर सकता है और इस तरह के निरस्तीकरण पर बोलीदाता कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं। 18. उपर्युक्त बिक्री देयता के अतिरिक्त सभी प्रयोज्य कर, लेवी तथा शुल्क अदा करना सफल संविदाकार का दायित्व हो और बैंक इसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगा। 19. यह प्रकाशन अग्रिम में उपर्युक्त कर्जदारों/जमानतियों/बंधककताओं के लिए तीस दिवसीय सूचना भी है। 20. बैंक के ऋण और ऊपर उल्लिखित के अतिरिक्त ऋणभार, यदि कोई हो, बैंक के संज्ञान में नहीं है। 21. यदि बिक्री/नीलामी आरक्षित मूल्य से कम की राशि की बोली (बोलियों) के अभाव में स्थगित/विफल हो जाती है, तो बैंक के पास वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुसार संपत्ति की बोली लगाने और अधिग्रहण करने का अधिकार सुरक्षित है। 22. सरफैसी अधिनियम के तहत बिक्री प्रमाण पत्र सफल क्रेता के पक्ष में पूरी बोली राशि और अन्य शुल्क यदि कोई हो, के भुगतान के बाद ही निष्पादित किया जाएगा। 23. विशेष निर्देश और सावधानी: संविदाकारों को स्वयं के हित में अन्तिम मिनट/सेकण्ड में बोली से बचना चाहिए। न तो एक्सिस बैंक और न सेवा प्रदाता ऐसे मामलों में विक्रेता के पक्ष से किसी कमी/फेल्योर (इन्टरनेट फेल्योर, पॉवर फेल्योर आदि) के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी विषम स्थिति से बचने के लिए संविदाकारों से सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ/विकल्प तैयार रखने का निवेदन किया जाता है ताकि वे ऐसी स्थिति से निपटने में सक्षम हो सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग लेने में समर्थ हो सकें। नोट : अधिकृत प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी संविदा या संविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिक्री/नीलामी को स्थगित या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

दिनांक: 23.07.2024 | स्थान : नई दिल्ली | प्राधिकृत अधिकारी, (एक्सिस बैंक लि.)

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

कब्जा-सूचना

पंजीकृत कार्यालय: 27बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051; शाखा कार्यालय: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, 7वीं मंजिल, प्लॉट संख्या 7, सेक्टर-125, नोएडा, यूपी-201313

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया, जैसा कि नीचे दिया गया है, संबंधित उधारकर्ताओं को उसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ उस नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए कहा गया था। उधारकर्ता राशि को चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ताओं और आम जनता को विशेष रूप से और आम जनता को एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और आम जनता को सामान्य रूप से संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। [illegible] उधारकर्ता का ध्यान, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। उधारकर्ताओं का विवरण, अनुसूचित संपत्ति, बकाया राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस और उसके तहत दावा की गई राशि, कब्जे की तारीख नीचे दी गई है:

उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता का नाम और पता, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि	अचल संपत्ति का विवरण	1. कब्जे की तिथि 2. कब्जे का प्रकार 3. मांग सूचना दिनांक 4. देय राशि रु. में
[illegible] डाक-डुम्बरी, जिला लखीसराय बिहार- 852161। वह भी पता: खसरा नंबर 141, गांव हल्लाहाबास, नोएडा, परगना और तहसील- दादरी, जी.बी. नगर, उत्तर प्रदेश-201306. ऋण खाता संख्या **LNDEL00215&160000266** ऋण राशि :25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये मात्र)।	[illegible] सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व 12 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: श्री तुलाराम का निवास, उत्तर 12 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: श्री कालू पंडित का निवास। बंधककर्ता का नाम: श्री संजय कुमार सिंह पुत्र श्री राम पदारथ सिंह	1. 19.07.2024 2. भौतिक कब्जा 3. 04.02.2020 4. रु. 51,36,281/- [illegible] और देय है, जिसमें 17.07.2024 से पूर्ण भुगतान तक लागू ब्याज शामिल है।

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री सोमेश सुंदरियाल मोबाइल नंबर 919910563402 और श्री नकुल गुप्ता, मोबाइल नंबर 8700867857 से संपर्क करें।

दिनांक: 23.07.2024, स्थान: नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के लिए,

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

टीएसए 154/2023

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. .. आवेदक

बनाम

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ...प्रतिवादी

सेवा में,

(1) रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
बी-125 हरदेवपुरी 100 फुटा रोड दुर्गापुरी चौक के पास शांडारा 110053

(2) श्री सुनील प्रजापति, पुत्र श्री जयपाल
निवासी 163 शूल वाली गली उत्तरी घोंडा शांदरा डी 110053

(3) सुश्री ओमवती, पत्नी श्री सुनील प्रजापति
निवासी 163 शोल वाली गली उत्तरी घोंडा शांदरा दिल्ली 110053

चूंकि उपर्युक्त आवेदक ने आपके विरुद्ध सरफेसी अधिनियम, 2003 की धारा 17 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है तथा न्यायाधिकरण की संतुष्टि के अनुसार यह दर्शाया गया है कि आपको सामान्य तरीके से नोटिस भेजना संभव नहीं है। इसलिए, यह नोटिस विज्ञापन द्वारा दिया जाता है, जिसमें आपको दिनांक 03.09.2024 को प्रातः 10.30 बजे एल.डी. रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपर्युक्त दिन न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

चल रही महामारी की स्थिति के कारण, सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी और इस उद्देश्य के लिए:

(1) सभी अधिवक्ताध्वादी सिस्को वेबएक्स एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगेय

(II) रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी-1/और वसूली अधिकारी-II द्वारा लिए जाने वाले मामलों की अगली सुनवाई की तारीख के लिए मीटिंग आईडी और पासवर्ड अगली तारीख से एक दिन पहले डीआरटी आधिकारिक पोर्टल यानी **drt.gov.in** पर सार्वजनिक सूचना शीर्षक के तहत उपलब्ध होंगे।

(III) किसी भी आपात स्थिति में, अधिवक्ता/वादी संबंधित अधिकारी से फोन नंबर 011-23748473 पर संपर्क कर सकते हैं। इस 29 मई 2024 को ट्रिब्यूनल की मुहर और मेरे हस्ताक्षर के तहत दिया गया है।

मुहर

हस्ता/-
इस ट्रिब्यूनल के आदेश से
रजिस्ट्रार

प्रतिवादी आगे की पूछताछ के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
श्री अमित के. डार, एल.डी. रजिस्ट्रार
डीआरटी-I, नई दिल्ली। फोन नं.: 011-23748473 ईमेल: drt1delhi-dfs@nic.in

---

प्रपत्र-3 [विनियम -15(1)(क)]/16(3) देखें

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़, (तृतीय और चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

वाद सं. ओए/2267/2019

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के तहत सम्मन

भारतीय स्टेट बैंक बनाम मैसर्स सन इंटेरिया

सेवा में,

(1) मैसर्स सन इंटेरिया, पुत्री/पत्नी/पुत्र अंसार अहमद, मैसर्स सन इंटेरिया पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड ऑफिस 304, गंगा अपार्टमेंट तीसरी मंजिल शांति नगर गुरुग्राम हरियाणा इसके पार्टनर्स के माध्यम से, अंबाला, हरियाणा और: मैसर्स सन इंटेरिया पार्टनरशिप फर्म यूनिट 324 कृष्णा नगर बसई रोड गुरुग्राम हरियाणा इसके पार्टनर्स के माध्यम से, गुड़गांव हरियाणा

(2) अंसार अहमद पुत्र अहमद, 304 गंगा अपार्टमेंट तीसरी मंजिल, शांति नगर गुरुग्राम गुड़गांव, हरियाणा

(3) सौरव त्यागी पुत्र श्री अशोक कुमार त्यागी, मकान नं. 103, श्याम एन्क्लेव नजफगढ़, नई दिल्ली नई दिल्ली, दिल्ली और: सौरव त्यागी पुत्र श्री अशोक कुमार त्यागी, पार्टनर मैसर्स सन इंटेरिया, मकान नं. 103, श्याम एन्क्लेव, नजफगढ़ नई दिल्ली

सम्मन

जबकि, ओए/2267/2019 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष **16-07-2024** को प्रस्तुत किया गया था।

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रु. **23,28,005/-** के ऋण की वसूली के लिए आपके विरुद्ध दाखिल किए गए (ओ.ए.) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्न निर्देश दिया जाता है:-

(i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए;

(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें;

(iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है;

(iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे;

(v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे।

आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवेदक को मुहैया कराने तथा दिनांक **17/10/2024** को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर **18-07-2024** को दिया गया।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर सम्मन जारी करने हेतु

टाटा कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

यह सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएफएसएल) एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वां तल, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013 और नई दिल्ली में अन्य स्थानों पर एक शाखा कार्यालय ("शाखा") जो है उसका दिनांक 01.01.2024 से टाटा कैपिटल लिमिटेड ("टीसीएल") में विलय हो चुका है।

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना- 08.05.2024 निर्गत की है, जिसमें उधारकर्ताओं को उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लिखित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्तागण, राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ताओं को विशेष रूप में और जनसाधारण को सामन्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत सांकेतिक / रचनात्मक अधिग्रहण कर लिया है।

विशेष रूप में उधारकर्ताओं और सामान्य रूप में सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन, निम्न तालिका में संदर्भित एक राशि तथा मांग सूचना की तिथि से राशि पर नियत ब्याज एवं दांडिक ब्याज, लागतों, शुल्कों, इत्यादि हेतु टाटा कैपिटल लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

ऋण खाता संख्या	दायित्वधारकों/विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	मांग सूचनाओं की राशि तथा तिथि	सांकेतिक अधिग्रहण की तिथि
8889137	1. जितेंद्र तनेजा उपनाम जितेन्दर अरोड़ा पुत्र नानक चंद, पता : जी-128, प्रीत विहार, कृष्णा नगर, दिल्ली-110092, 2. चंदर प्रकाश अरोड़ा पुत्र नानक चंद अरोड़ा, पता : जी-128, प्रीत विहार, कृष्णा नगर, दिल्ली-110092, 3. नानक चंद पुत्र हवन दास, पता : जी-128, प्रीत विहार, कृष्णा नगर, दिल्ली-110092	रु. 6,85,93,539/- तथा 08.05.2024	20.07.2024

प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण : अनुसूची-ए : संपूर्ण प्रथम तल, तथा द्वितीय तल टेरेस अधिकारों के साथ (उक्त तल के), संपत्ति / भूखंड सं. जी-141 पर निर्मित, ब्लॉक-जी, क्षेत्र मापन 192 वर्ग गज, प्रीत नगर सीएचबीएस लि. के लेआउट प्लान में, वर्तमान में जिसे प्रीत विहार के नाम से जाना जाता है, ग्राम मंडावली फजलपुर के क्षेत्र, इलाका शाहदरा, दिल्ली - 110092 में स्थित, अधिक विशिष्ट रूप में उस विक्रय विलेख में वर्णित है जो कि प्रलेख सं. 2410, बही सं. I, खंड सं. 2819, पृष्ठ सं. 107 से 111 पर 14-05-1996 को पंजीकृत तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- उत्तर- सर्विस लेन, पूर्व- भूखंड सं. 142, दक्षिण- सड़क 30 फुट चौड़ी, पश्चिम- भूखंड सं. 40

दिनांक : 23/07/2024
स्थान : दिल्ली एवं राराक्षे

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल लिमिटेड

अधिग्रहण सूचना

(अचल संपत्ति हेतु), नियम 8-(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं) को एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उनको सूचना में निम्नांकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

एलएएन नं.	ऋणकर्ता/गण	राशि	मांग सूचना तिथि	13 (4) नियम 8 तिथि	संपत्ति का पता
LNDEL00418-190000475	1. श्री दिलीप 2. श्रीमती पूजा	रु. 11,40,090/-	02.05.2024	18.07.2024	डीडीए जनता फ्लैट नं. 120 धारक संपत्ति जो प्रथम तल पर छतविहीन के बिना, ब्लॉक-जी, पॉकेट-9, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- पूर्व- स्वामित्व विलेखानुसार, पश्चिम- स्वामित्व विलेखानुसार, उत्तर- स्वामित्व विलेखानुसार, दक्षिण- स्वामित्व विलेखानुसार।

चूंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, एक निर्धारित राशि तथा उस पर ब्याज हेतु आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 00-07-2024

प्राधिकृत अधिकारी
आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

ई-नीलामी अधिसूचना

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का रायपुर मंडल आज दिनांक को ई-नीलामी आमंत्रित करता है। कैटरिंग स्टालों के लिए कैटलॉग नंबर COM-CATG-SMU-AB और COM-CATG-TLD के माध्यम से 29.07.2024 को 10:00 बजे और 31.07.2024 को ई-नीलामी अधिसूचना का विवरण वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। No. COM/G/R/Catg/2024 Dt 18.07.2024

अनु संख्या	लॉट संख्या	लॉट विवरण	समय के दिनों की संख्या	समापन तिथि / समय
AA/1	कैटग-आर-आर-एसएमयू-52-24-1 (खानपान - विशेष लघु इकाई (एसएमयू))	कैटरिंग टी स्टॉल नं. पीआरएस बिल्डिंग रायपुर रेलवे स्टेशन पर पी-1	1826	29.07.2024 10:30
AA/2	कैटग-आर-दुर्ग-एसएमयू-9-24-1 (खानपान - विशेष लघु इकाई (एसएमयू))	चाय की दुकान नं. बी-9, पीएफ-2 एवं 3 दुर्ग रेलवे स्टेशन	1826	29.07.2024 10:40
AA/3	कैटग-आर-टीएलडी-एसएमयू-54-24-1 (खानपान - विशेष लघु इकाई (एसएमयू))	कैटरिंग टी स्टॉल नं. पीएफ-2 एवं 3 पर बी-1, तिल्दा रेलवे स्टेशन	1826	29.07.2024 10:50
AA/4	कैटग-आर-बीपीएच-एसएमयू-55-24-1 (खानपान - विशेष लघु इकाई (एसएमयू))	कैटरिंग जूस स्टॉल नं. भिलाई पावर हाउस स्टेशन पर जेबी-2, पीएफ-2 एवं 3	1826	29.07.2024 11:00
AA/5	कैटग-आर- बीवाईटी-एसएमयू-13-24-1 (खानपान - विशेष लघु इकाई (एसएमयू))	जूस स्टॉल नं. जेबी-1, पीएफ-1 एवं 2, भाटापारा रेलवे स्टेशन	1826	29.07.2024 11:10
AA/6	कैटग-आर-दुर्ग-एसएमयू-12-24-1 (खानपान - विशेष लघु इकाई (एसएमयू))	जूस स्टॉल नं. जेबी-1, दुर्ग रेलवे स्टेशन।	1826	29.07.2024 11:20
AA/7	कैटग-आर-दुर्ग-एसएमयू-53-24-1 (खानपान - विशेष लघु इकाई (एसएमयू))	कैटरिंग टी स्टॉल ए-10, पीएफ-1 दुर्ग रेलवे स्टेशन।	1826	29.07.2024 11:30
AA/1	कैटग-आर-टीएलडी-एसएमयू-57-24-1 (खानपान - विशेष लघु इकाई (एसएमयू))	पीएफ-1, तिल्दा रेलवे स्टेशन पर टी स्टॉल क्रमांक ए-1 का आवंटन	1826	31.07.2024 10:30

विभागीय वाणिज्यिक प्रबंधक,
PR/R/Sr.DCM/AAA/86 वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक के लिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

South East Central Railway @secrail

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड (पूर्वतः इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (आईआईएफएल एचएफएल) कार्पोरेट कार्यालय : प्लॉटनंबर 98, उद्योग विहार, फेज-4, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा) और शाखा कार्यालयः- कार्यालय संख्या 1, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, प्लॉट संख्या सी-1, सेक्टर - 4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201010/ 30/30ई, ऊपरी भूतल, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली - 110015 '' के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002(इसमें आगे"अधिनियम"कहा गया है) के तहत। जबकि आईआईएफएल- एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्टर नंबर्स में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित सम्पत्ति/सम्पत्तियों का कब्जा उनको आईआईएफएल- एचएफएल की बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसी हैजहा है एवं जैसी है जो है आधार" पर बेचने के अधिकार सहित प्राप्त कर लिया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेबसाइट :**www.iiflonehome.com.पर** उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

कर्जदार(ओं)/सह-कर्जदार(ओं)/ गारंटर(ओं)	मांग सूचना तिथि और राशि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का वर्णन	भौतिक कब्जे की तिथि	सुरक्षित मूल्य
1.श्री विकास कुमार शर्मा, 2.श्रीमती ममता शर्मा, 3.श्रीमती रेनू शर्मा (प्रॉस्पेक्ट नं 881831 एवं 921148)	16-जुलाई-2022 एवं रु.22,14,566/- (रुपये बाईस लाख चौदह हजार पांच सौ छियासठ मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 25,000/-(पच्चीस हजार रुपये मात्र)	संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें फ्लैट संख्या टी-302 तीसरी मंजिल, (सामने की ओर दाहिना भाग, छत के अधिकार सहित), प्लॉट संख्या - 20, 21, 28, 29, 55 वर्ग गज, कृष्णा वाटिका, डूंडाहेड़ा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत- 201016 शामिल है।	15 जून 2024 दिनांक 04 -जुलाई -2024 तक कुल बकाया रु.30,46,155/- (रुपये तीस लाख छियालीस हजार एक सौ पचपन मात्र)	रु.15,37,000/- (पंद्रह लाख सैंतीस हजार रूपये मात्र) धरोहर राशि जमा (ईएमडी) रु.1,53,700/- (एक लाख तिरपन हजार सात सौ रुपये मात्र)
1. श्री अनुराग चौधरी, 2. श्रीमती कोमल, 3. संजना जनरल स्टोर, 4. श्रीमती विजय कुमारी (प्रोस्पेक्टर नं. 980041 और एल10259191)	09-फरवरी-2024 रु.20,13,948/- (केवल बीस लाख तेरह हजार नौ सौ अड़तालीस रुपये) बोली वृद्धि राशि रु. 25,000/-(पच्चीस हजार रूपये मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें ऊपरी तल (यूजीएफ यूनिट फ्रंट साइड) है, संपत्ति संख्या 151 का हिस्सा, भूमि क्षेत्र क्षेत्रफल माप 990 वर्ग फीट, कारपेट क्षेत्र माप 487 वर्ग फीट, और निर्मित क्षेत्र माप 585 वर्ग फीट, वार्ड नंबर 2, खसरा नंबर 1151/3 में से, लालडोरा, महरौली, गांव - महरौली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, भारत, 110030	10-जून-2024 दिनांक 04 -जुलाई -2024 तक कुल बकाया रु. 21,44,060/- (रु. इक्कीस लाख चौवालीस हजार साठ मात्र)	रु.14,41,000/ (चौदह लाख इकतालीस हजार रूपये मात्र) धरोहर राशि जमा (ईएमडी) रु.1,44,100/- (रुपये एक लाख चौवालीस हजार एक सौ मात्र)
1. श्री रवि, 2. श्री गुलशन, 3. श्रीमती शिल्पा, 4. दिशा बुटीक 5. रवि (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10290253)	07-फरवरी-2024 एवं रु. 25,15,436/- (रुपये पच्चीस लाख पन्द्रह हजार चार सौ छत्तीस मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 25,000/-(पच्चीस हजार रूपये मात्र)	संपत्ति का वह हिस्सा और पार्सल जो निजी प्लॉट नंबर 23-बी/डी, तीसरी मंजिल सामने की तरफ, छत/छत के अधिकार के साथ आसमान तक, खसरा नंबर 694/2, ब्लॉक-सी, गांव बुराड़ी, विस्तारित लाल डोरा, बुराड़ी, दिल्ली-110084 से बाहर है। क्षेत्र माप (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकारः बिक्री योग्य क्षेत्र, कारपेट क्षेत्र संपत्ति क्षेत्रः 495.00, 432.00	20- जून-2024 दिनांक 04 -जुलाई -2024 तक कुल बकाया रु.26,86,152/- (छब्बीस लाख छियासी हजार एक सौ बावन रुपये मात्र)	रु.23,61,000/- (रुपये तेईस लाख इकसठ हजार मात्र) धरोहर राशि जमा (ईएमडी) रु.2,36,100/- (दो लाख छत्तीस हजार एक सौ रुपये मात्र)

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	ईएमडी अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि/समय
21-अगस्त- 2024 1100 बजे-1400 बजे	23-अगस्त - 2024 2024 अप. 5 बजे	28-अगस्त - 2024 1100 बजे-1300 बजे

भुगतान की विधि : ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन विधि से करने होंगे। भुगतान करने के लिए आप https://www.iiflonehome.com जाएं और केवल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करें। नोट : हर सम्पत्ति के लिए एक अलग भुगतान लिंक है। आप सुनिश्चित करें कि आप उस सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का लिंक उपयोग कर रहे हैं, जिसको आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। के बाद, आपको भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से करना होगा। खाता विवरण निम्नानुसार है : क) खाते का नाम : आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड ख) बैंक का नाम : स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड, ग) खाता नंबर : 9902879 प्रॉस्पेक्ट नंबर द्वारा अनुसरित, घ) आईएफएससीकोड :- एससीबीएल0036001 ञ) बैंक पता : स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, 90 एम.जी. रोड, फोर्ट, मुम्बई-400001,

नियम और शर्तें :-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना विवरण सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.comके पास पर्याप्त अग्रिम में पंजीकृत करवाना होगा तथा लॉगइन खाता, लॉगइन आई डी और पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपना"निविदा फार्म" ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी तथा पैनकार्ड की प्रति के साथ उपरि वर्णित शाखा कार्यालय में जमा/प्रेषित करना होगा।
2. बोलीदाता अपनी ऑफर कालम" बोलीवृद्धि राशि" में वर्णित राशि के गुणजों में बढ़ा सकते हैं। नीलामी समाप्त होने से 5 मिनट पहले कोई बिड आने पर समाप्ति का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को बोलीराशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी समायोजन के बाद) एओ द्वारा बोलीमूल्य स्वीकार करने के 24 घंटे के भीतर और बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी।सभी जमा और भुगतान निर्धारित विधि से करने होंगे।
4. खरीदार को सम्पत्ति के साथ संबंधित उपकर, लागूस्टाम्प ड्यूटी, फीस तथा अन्य कानूनी बकाया अथवा अन्य बकाया जैसे कि म्युनिसिपलकर, बिजली प्रभार, भूमि तथा अन्य सभी अनुषंगी लागतें, प्रभार सभी करों तथा उपकरों सहित वहन करने होंगे।
5. बोलीदाताओं कोई-नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तो तथा आवेदन प्रपत्र के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com तथा https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखने की सलाह दी जाती है।
6. विस्तृत विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवाप्रदाता की ई-मेल आईडी : care@iiflonehome. com, सपोर्ट हेल्पलाइननंबर : @1800 2672 499.पर सम्पर्क करें।
7. किसी सम्पत्ति विवरण, सम्पत्ति निरीक्षण और ऑनलाइन बिड इत्यादि के संबंध मेंपूछताछ के लिए आईआईएफएल एचएफएल टोल फ्रीनंबर 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच 09.30 बजे से 18.00 बजे तक कॉल करें अथवा ई-मेल : care@iiflonehome. com, को मेल लिखें।
8. एतद्द्वारा उपरोक्त कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि भौतिक कब्जा लेते समय प्रतिभूत आस्ति में रखी घरेलू वस्तुएं 7 दिन के भीतर हटा लें, अन्यथा आईआईएफएल एचएफएल परिस्थितियों के अधीन सम्पत्ति की किसी क्षति के लिए जिम्मेदार नही होगी।
9. एतद्द्वारा कर्जदारों को आगे सूचना दी जाती है कि उपरोक्त वस्तुएं प्राप्त कर ने में चूक की स्थिति में उनको विधि सम्मतढंग से बेचा जाएगा।
10. सफल बोलीदाता/नीलामी खरीदार द्वारा किसी भी चरण में निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति की बिक्री दोबारा की जाएगी।
11. एओ का बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी स्थगित/निरस्त करने या नियम एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा/नीलामी के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

कर्जदार को अधिसूचित किया जाता है कि उपरि वर्णित राशि अद्यतन ब्याज और अनुषंगी खर्चों के साथ निविदा/नीलामी की तिथि से पहले कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति बेची/नीलाम की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

स्थान : गाजियाबाद/दिल्ली, तिथि : 23 जुलाई 2024

हस्ता./-प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

SMFG Grihashakti

(पूर्व मेंफुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

कॉर्पोरेट ऑफिसः 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसपायाबीकेसी, बीकेसीमेनरोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051 एमए
रजि. ऑफिसः मेघटावर्स, तीसरी मंजिल, पुराना नंबर 307, नयानंबर 165, पूनमल्ली हाई रोड मदुरावॉयल, चेन्नई- 600 095,तमिलनाडु

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए 30 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे सूचीबद्ध अचल संपत्तियां ('सुरक्षित संपत्ति') जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित हैं, जिनका कब्जा एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) (जिसे आगे एसएमएचएफसी कहा जाएगा) ('सुरक्षित लेनदार') के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित तिथि और समय पर ''जहां है जैसा है'', ''जो है जैसा है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से एसएमएचएफसी सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि और वसूली की तिथि तक उस पर आगे ब्याज और अन्य व्यय की वसूली की जा सके।

क्र सं	उधारकर्ता/गारंटर का नाम लैन	संपत्तिओं का विवरण	आरक्षित मूल्य (रुपये में) / बयाना राशि जमा (रुपये में)	ई-नीलामी की तिथि और समय	ईएमडी जमा करने की तिथि
1	**लैनः 609139211147682** 1. नवीन खान पुत्र इकबर खान 2. यास्मीन बेगम	बिना छत के दूसरी मंजिल का निर्माण/टेरेस अधिकार क्षेत्र 50 वर्ग गज, खसरा संख्या 18/16 में से संपत्ति संख्या 162 पर निर्मित, गांव के क्षेत्र में स्थितः ख्याला और सईद कॉलोनी जिसे विष्णु गार्डन एक्सिन के नाम से जाना जाता है। ब्लॉक-बी-1 नई दिल्ली-110027 **➢सीमाएँ •पूर्व** गैली 15 फीट, **•पश्चिमः** अन्य भाग, **•उत्तरः** प्लॉट संख्या 163, **•दक्षिणः** प्लॉट संख्या 161	19,70,000/- / 1,97,000/-	08.08.2024 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	07.08.2024
2	**लैनः 605439511205800** 1 रवि कुमार पुत्र अनंग पाल सिंह 2. गुंजन देवी	**❖संपत्ति संख्या 1,** निर्मित द्वितीय तल, बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 108 वर्ग गज, यानि 90.29 वर्ग मीटर, संपत्ति संख्या 1!1759/ए खसरा संख्या 124 में से, साइट पर निर्मित इसकी पूरी संरचना सहित, इसके सभी फिक्स्चर और फिटिंग्स उस पर लगे हुए हैं, अलग मीटर के साथ बिजली और पानी के मीटर कनेक्शन के साथ, सभी सामान्य सुविधाओं जैसे सामान्य सीढ़ी / सीवर लाइन और अलग पानी की लाइन, कॉमन गैलरी, कॉमन मार्ग, सह, जैसी सामान्य प्रवेश के साथ, स्टिल्ट फ्लोर पर 1/4 पार्किंग स्थान पर, केवल टीवी एंटीना और पानी की टंकी इत्यादि की स्थापना और रखरखाव के लिए शीर्ष मंजिल की छत पर, सभी आनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य और अविभाज्य स्वामित्व अधिकार वाली भूमि के नीचे, गांव के क्षेत्र में स्थित चंद्रावली उर्फ शाहदरा, बगीची हरदेव मिस्सर की आबादी में, जी. टी. रोड, शाहदरा जिसे मोती राम रोड, राम नगर के नाम से जाना जाता है, जी.टी. के पास रोड, शाहदरा दिल्ली- ऊपर तीसरी मंजिल, 110 032. **❖संपत्ति संख्या 2:-** निर्मित छत अधिकार, माप क्षेत्र 108 वर्ग गज, यानि 90.29 वर्ग मीटर, संपत्ति संख्या 1/1759/ए खसरा संख्या 124 में से, साइट पर निर्मित इसकी संपूर्ण संरचना सहित, इसके सभी फिक्सचर और फिटिंग्स उस पर लगे हुए हैं, अलग मीटर के साथ बिजली और पानी के मीटर कनेक्शन के साथ, सभी सामान्य सुविधाओं जैसे सामान्य सीढ़/सेवाएं जैसे सीवर लाइन और अलग पानी की लाइन, कॉमन गैलरी, कॉमन मार्ग, कंपनी, स्टिल्ट फ्लोर पर 1/4 पार्किंग स्थान पर, केवल टीवी एंटीना और पानी की टंकी इत्यादि की स्थापना और रखरखाव के लिए शीर्ष मंजिल की छत पर, सभी आनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य और अविभाज्य स्वामित्व अधिकारों के साथ नीचे की जमीन, गांव चंद्रावली उर्फ शाहदरा के क्षेत्र में, बगीची हरदेव मिसर की आबादी में जी. टी. रोड, शाहदरा जिसे मोती राम रोड, राम नगर के नाम से जाना जाता है, जी. टी. के पास स्थित है। रोड, शाहदरा दिल्ली-110032।	82,00,000/- / 8,20,000/-	08.08.2024 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	07.08.2024
3	**लैनः 609107510467168** 1. संजय कुमार सिंघल 2. लक्ष्मी ठाकुर सिंघल	पहली मंजिल दाईं ओर 50 वर्ग गज में निर्मित खसरा नंबर 75 मिन और 78 मिन का हिस्सा संपत्ति संख्या 116/3 पर निर्मित, गौतम नगर में मस्जिद मोठ नई दिल्ली के रेवेनूर एस्टेट में स्थित है	29,60,000/- / 2,96,000/-	08.08.2024 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक	07.08.2024

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं और विवरण हमारी/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक/वेबसाइट पते **(https://disposalhub.com औए https://www,grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf)** पर भी दिए गए हैं। इच्छुक बोलीदाता निम्नलिखित से **: श्री आशीष कौशल, अधिकृत व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर 8527134222, ई-मेलः Ashish.Kaushal@grihashakti.com** और **श्री निलोय डे, उनके मोबाइल नंबर 9920697801, ई-मेलः Niloy.Dey@grihashakti.com** पर भी संपर्क कर सकते हैं

हस्ता/-

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 22.07..2024

प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
(पूर्व मेंफुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

राज्यसभा की कार्यवाही

तीन साल में सरकार ने संसद में 913 आश्वासन दिए, 583 पूरे किए

राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित

राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को दोपहर करीब पौने तीन बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को उच्च सदन की बैठक लोकसभा में आम बजट 2024-25 पेश करने की प्रक्रिया पूरी होने के एक घंटे बाद शुरू होगी। उच्च सदन के 265वें सत्र की पहली बैठक राष्ट्रगान की धुन बजाए जाने के साथ शुरू हुई। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा वाईएसआर कांग्रेस सदस्य एस निरंजन रेड्डी को उनके जन्मदिन पर पूरे सदन की ओर से बधाई दी। सभापति ने वियतनाम के नेता गुयेन फू ट्रोंग और सदन के पूर्व सदस्य पी कन्नन के निधन का उल्लेख करते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी। सदन में शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने लोक महत्त्व के कई मुद्दे उठाए। इससे पहले सभापति ने सदन को सूचित किया।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने सोमवार को राज्यसभा को सूचित किया कि तीन साल में सरकार ने संसद में 913 आश्वासन दिए जिनमें से 583 का कार्यान्वयन किया जा चुका है और 330 लंबित हैं। उन्होंने कहा कि नीतिगत मुद्दे एवं संशोधनों सहित विभिन्न कारणों से आश्वासनों के कार्यान्वयन में देरी होती है।

मुरुगन राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न पूरक सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, 'पिछले तीन साल में 913 आश्वासन दिए गए। पिछले तीन साल में 583 का कार्यान्वयन किया गया। 330 अभी लंबित हैं।' उन्होंने कहा कि आश्वासनों को, आश्वासन दिए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर पूरा किया जाना आवश्यक है, लेकिन उनमें से कुछ का समय पर कार्यान्वयन नहीं हो सका है और आश्वासन समिति से समय की मांग की गई है।

उन्होंने कहा कि 1956 से 2024 तक संसद में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के कार्यान्वयन की दर 99 फीसद से अधिक रही है। मुरुगन ने कहा कि इस अवधि के दौरान राज्यसभा में दिए गए आश्वासनों के कार्यान्वयन की दर 99.07 फीसद रही जबकि लोकसभा में यह दर 99.43 फीसद रही। इसी दौरान कांग्रेस सदस्य शक्तिसिंह गोहिल ने आरोप लगाया कि संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों को लिखे गए पत्रों का जवाब नहीं मिलता है। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि शिष्टाचार और सद्भावना के तहत सरकारी विभागों और मंत्रियों को पत्रों का जवाब देना चाहिए लेकिन ऐसा कोई बाध्यकारी नियम नहीं है जिसके तहत किसी खास पत्र का जवाब देना जरूरी हो।

सरकार ने सोमवार को बताया कि घरेलू एअरलाइनों ने इस साल 31 मई तक 7,030 अनुसूचित उड़ानें रद्द की हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सोमवार को राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2024 में एअरलाइनों को 4,56,919 अनुसूचित रवानगी उड़ानों का संचालन करना है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि 2022 में 6,413 उड़ानें रद्द की गईं।

विपक्ष पर वित्तमंत्री का तंज, कहा कि मेरा माइक भी होता है बंद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान एकाएक केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का माइक तकनीकी कारणों से बंद हो गया। इस पर चुटकी लेते ही वित्तमंत्री ने कहा कि मेरा भी माइक बंद होता है। इसे सीधेतौर पर विपक्षी सांसदों द्वारा बार- बार माइक बंद करने के आरोप के तंज के तौर पर देखा गया।

बीते सत्र में माइक बंद करने के मसले पर जमकर हंगामा हुआ था। विपक्षी सांसदों का कहना था कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का माइक बंद किया गया है, जिस पर बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्थिति को स्पष्ट किया था। सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान निर्मला सीतारमण केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सवाल का जवाब दे रही थी। इसी दौरान उनका माइक बंद हो गया था। उन्होंने विपक्ष की तरफ इशारा किया और कहा कि अब तो आपको संतुष्टि मिल गई गई होगी। इसके बाद सांसदों ने भी इस तंज पर सदन में जमकर ठहाके लगाए।

प्रश्नकाल में न्यायाधिकरणों में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया था। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का माइक बंद करने को लेकर जमकर हंगामा हुआ था और इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष को भी सदन के सदस्यों को यह बताना पड़ा था कि उनके पास किसी भी सदस्य के माइक बंद करने का कोई बटन नहीं होता है

तकनीकी दिक्कत से बंद हो गया था एकाएक माइक। पहले सत्र के दौरान लगे थे नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद करने के आरोप।

सोमवार को लोकसभा सदन के दौरान कंपनी कानून के तहत लंबित मुकदमों की संख्या को कम करने को लेकर एक सवाल आया था। इस मामले में सवाल- जवाब में पूछे गए पूरक प्रश्न के दौरान ये हालात पैदा हुए। मामले में वित्तमंत्री का कहना था कि सरकार ने प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और लगातार लंबित मामलों के निपटारे की दिशा में भी काम कर रही है। इसके अतिरिक्त सदन के समक्ष उन्होंने मामलों की संख्या में आई कमी का एक आंकड़ा भी सदन में पेश किया।

दिल्ली-एनसीआर को मोनो रेल से रफ्तार देने का प्रस्ताव

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

दिल्ली से भाजपा के लोकसभा सांसदों ने राष्ट्रीय राजधानी व एनसीआर में मोनो रेल शुरू करने की मांग की है। इससे संबंधित प्रस्ताव सोमवार को सदन में पेश किया गया। भाजपा सांसदों का कहना है कि मोनो रेल से सार्वजनिक परिवहन की समस्या से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।

लोकसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने दिल्ली के सातों सांसदों की तरफ से यह प्रस्ताव किया। इसके अलावा दिल्ली में मेट्रो लाइन को विस्तार देनी की भी मांग की है। कमलजीत ने कहा कि दिल्ली में मोनो रेल परियोजना पर काम होना चाहिए। यह कम स्थान घेरती है और इसका लाभ पूरी दिल्ली को मिलना चाहिए। दिल्ली में पढ़ने व नौकरी करने के लिए पड़ोसी राज्यों से लोग प्रतिदिन आते हैं। इस समय नजफगढ़ तक मेट्रो सेवाएं उपलब्ध हैं और इन सेवाओं को पिछली सरकार के कार्यकाल में शहरी विकास मंत्रालय की पहल पर शुरू किया गया था। नई सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू होने का सीधा लाभ आम जनता को होगा। सांसद कमलजीत ने कहा कि पश्चिमी दिल्ली में लगातार आबादी बढ़ रही है और लोगों की सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा करने में दिल्ली सरकार नाकाम रही है।

आपरेशन के बाद शरीर में सुई छूटने का मामला

बीस साल बाद महिला को पांच लाख का मुआवजा

बंगलुरु, 22 जुलाई (भाषा)।

बंगलुरु के एक निजी अस्पताल में सर्जरी के बाद एक महिला के शरीर में 3.2 सेंटीमीटर की 'सर्जिकल' सुई छोड़ दिए जाने के लगभग 20 साल बाद उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिया है कि अस्पताल, पीड़िता को मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपए देगा।

कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अस्पताल और दो चिकित्सकों को जयानगर निवासी पद्मावती को मुकदमा लड़ने के खर्च के रूप में 50,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसने 'न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' को भी निर्देश दिया है कि वह 'पेशेवर और चिकित्सीय लापरवाही के कारण' महिला को पांच लाख रुपए का भुगतान करे। इस कंपनी ने ही 'पालिसी' जारी की थी।

कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अस्पताल और दो चिकित्सकों को जयानगर निवासी पद्मावती को मुकदमा लड़ने के खर्च के रूप में 50,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

पिछले माह जारी किए गए आयोग के आदेश के अनुसार 29 सितंबर 2004 को दीपक अस्पताल के दो चिकित्सकों ने कथित तौर पर महिला की हर्निया की सर्जरी की थी और सर्जरी पूरी होने पर उसका 'अपेंडिक्स' भी हटा दिया गया था। सर्जरी के समय महिला की उम्र 32 वर्ष थी। इसके अगले दिन महिला ने गंभीर दर्द की शिकायत की तो उसे कुछ दर्द निवारक दवाएं दी गईं। उसे आश्वासन दिया गया कि यह सर्जरी के बाद की परेशानी है और ठीक हो जाएगी। आदेश में कहा गया है कि महिला को कई वर्षों तक पेट और पीठ में तेज दर्द का सामना करना पड़ा और बाद में उसे दो बार उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पद्मावती, 2010 में बंगलुरु के ही एक अन्य निजी अस्पताल में पहुंची जहां जांच के दौरान पता चला कि उसके पेट और शरीर के पिछले हिस्से में कोई बाहरी चीज (सर्जिकल सुई) मौजूद थी। महिला को उसे निकलवाने का कहा गया। इसके बाद महिला की फिर से सर्जरी की गई और उसके शरीर से 3.2 सेंटीमीटर की सर्जिकल सुई को निकाला गया। इसके बाद अगले वर्ष महिला ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया और शिकायत दर्ज कराई।

आदेश में कहा गया, 'निश्चित रूप से सर्जिकल सुई निकाले जाने तक उसे गंभीर दर्द और असुविधा का सामना करना पड़ा।' इसमें कहा गया कि इसलिए वह पांच लाख रुपए का 'मुआवजा' पाने की हकदार है और बीमा कंपनी को राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

कांग्रेस नीट-यूजी और अग्निपथ पर संसद में सरकार को घेरेगी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

कांग्रेस के संसदीय रणनीतिक समूह ने सोमवार को बैठक की, जिसमें फैसला किया गया कि संसद सत्र में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में कथित अनियमितता, किसानों की समस्याओं और अग्निपथ योजना से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे।

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस सत्र में मणिपुर की स्थिति और जम्मू-कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमलों को लेकर भी सरकार से जवाब मांगेगी। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर मंगलवार शाम इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। इसमें संसद के वर्तमान सत्र के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सोनिया गांधी के आवास पर हुई पार्टी के रणनीतिक समूह की बैठक में सोनिया के अलावा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी महासचिव जयराम रमेश, राज्यसभा में पार्टी के उप नेता प्रमोद तिवारी और कई अन्य नेता शामिल हुए। बैठक के बाद प्रमोद तिवारी ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस संसद में नीट पर चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि हम कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में भी इसे रखेंगे। तिवारी ने कहा कि इस सत्र में कांग्रेस किसानों से जुड़े मुद्दे, नीट और अग्निपथ के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। बजट के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि किसानों का भला हो, महंगाई पर नियंत्रण हो, सरकारी कर्मचारियों को आयकर सीमा में छूट दी जाए और महिलाओं के लिए बात हो।

जयशंकर ने कहा, मिस्र भारत का महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत और मिस्र के बीच आर्थिक सहयोग में लगातार विविधता लाई जा रही है और दोनों पक्ष इसे और बढ़ाने के लिए नए अवसर तलाश रहे हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 50 से अधिक भारतीय कंपनियां पहले ही मिस्र की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर चुकी हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रानिक्स और हरित ऊर्जा मुख्य क्षेत्र हैं। जयशंकर ने मिस्र को भारत का 'महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार'' करार दिया।

उन्होंने कहा कि हमारे आर्थिक सहयोग में लगातार विविधता लाई जा रही है। दोनों पक्ष पारस्परिक लाभ के लिए नए अवसर तलाश रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि हमारा आइटी उद्योग भी ऐसी साझेदारी कर रहा है और आने वाले समय में हमें इसके बढ़ने की उम्मीद है। मिस्र भी हमारे कृषि-निर्यात के लिए एक बाजार के रूप में खुल गया है, विशेष रूप से गेहूं के निर्यात के लिए। विदेश मंत्री मिस्र के 'राष्ट्रीय दिवस' का जश्न मनाने के लिए भारत स्थित उसके दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

'हरियाणा के विधायक पंवार, इनेलो के पूर्व विधायक चलाते हैं अवैध खनन'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आरोप लगाया कि हरियाणा में कांग्रेस के विधायक सुरेन्द्र पंवार और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह, उनके परिवार के सदस्य और सहयोगी राज्य के यमुनानगर जिले में एक अवैध खनन गिरोह चलाते हैं, जिसने 500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की है।

हरियाणा की सोनीपत विधानसभा सीट से विधायक पंवार को पिछले सप्ताह संघीय जांच एजंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करने के बाद जनवरी में दिलबाग सिंह और उनके सहयोगी कुलविंदर सिंह को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी का मामला मुबारकपुर रायल्टी कंपनी, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली रायल्टी कंपनी, जेएसएम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, पीएस बिल्डटेक और विभिन्न स्टोन क्रशर जैसी खनन पट्टाधारक कंपनियों द्वारा यमुनानगर में रेत, पत्थर और बजरी के अवैध खनन की जांच के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई कई प्राथमिकियों से संबंधित है।

ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों के फेरों में वृद्धि

रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए रेलवे द्वारा चलाई जा रही निम्नलिखित ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों के फेरों में वृद्धि/संचालन अवधि में बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

रेलगाड़ी संख्या	स्टेशन से	स्टेशन तक	चलने के दिन	पूर्व अधिसूचित तिथि	विस्तार की अवधि	फेरे
03255	पटना जं.	आनंद विहार ट.	वीर, रवि	28.07.2024	01.08.2024 से 29.09.2024	18
03256	आनंद विहार ट.	पटना जं.	शुक्र, सोम	29.07.2024	02.08.2024 से 30.09.2024	18
02391	पटना जं.	आनंद विहार ट.	शनिवार	27.07.2024	03.08.2024 से 28.09.2024	9
02392	आनंद विहार ट.	पटना जं.	रविवार	28.07.2024	04.08.2024 से 29.09.2024	9
03257	दानापुर	आनंद विहार ट.	रविवार	28.07.2024	04.08.2024 से 29.09.2024	9
03258	आनंद विहार ट.	दानापुर	सोमवार	29.07.2024	05.08.2024 से 30.09.2024	9

शेष पूर्ववत् है

रेलयात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त रेलगाड़ियों के मार्ग में पड़ने वाले अन्य स्टेशनों की विस्तृत समय-सारणी और श्रेणियों की जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in देखें अथवा NTES App देखें। पर हमें फॉलो करें

आज़ादी का अमृत महोत्सव | रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 | रेलमदद वेबसाइट देखें :- www.railmadad.indianrailways.gov.in | रेलमदद ऐप डाउनलोड करें | उत्तर रेलवे | आपकी सुविधा - हमारा ध्येय | हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें | 2222/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

गर्भवती का शव व दो बच्चों को जिंदा नदी में फेंकने के दो आरोपी गिरफ्तार

पुणे, 22 जुलाई (भाषा)।

पुणे में एक महिला का शव और उसके दो बच्चों को जिंदा इंद्रायणी नदी में फेंकने के आरोप में एक व्यक्ति तथा उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। पिंपरी चिंचवाड़ थाने के अधिकारी ने बताया कि गर्भवती महिला की उस समय मौत हो गई थी जब उसके प्रेमी और मुख्य आरोपी गजेंद्र दगड़खैरे ने उसे गर्भपात के लिए मुंबई के निकट ठाणे भेजा था।

अधिकारी ने बताया कि नौ जुलाई को वापस आते समय दगड़खैरे और उसके साथी रविकांत गायकवाड़ ने महिला के शव को तालेगांव के पास इंद्रायणी नदी में फेंक दिया। जब उसके दो और पांच साल के बच्चे रोने लगे तो दोनों ने उन्हें भी नदी में फेंक दिया। महिला अपने पति से अलग हो गई थी और दगड़खैरे से उसके शारीरिक संबंध थे।

विशेष राज्य की मांग पर ऐसा होता रहा तो 'अंतरात्मा जाग जाएगी': कांग्रेस

नई दिल्ली, 22 जुलाई (ब्यूरो)।

कांग्रेस ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर केंद्र सरकार के रुख को लेकर सोमवार को कटाक्ष किया कि अगर ऐसा ही होता रहा तो 'अंतरात्मा जाग जाएगी'। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए यह टिप्पणी की। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज (सोमवार को) लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिया गया है।

POLYMED

पॉली मेडिक्योर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 232बी, तृतीय तल, ओखला औद्योगिक एस्टेट फेज III, नई दिल्ली – 110 020,
सीआईएन : L40300DL1995PLC066923, दूरभाष : 011-26321889, फैक्स : 011-26321894
वेबसाइट : www.polymedicure.com, ई-मेल : investorcare@polymedicure.com

30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित पृथक एवं समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. लाख में, प्रति अंश आंक

	विवरण	पृथक			समेकित		
		समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
		30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024	30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	38,425.62	31,872.79	1,36,542.58	40,169.55	33,394.49	1,43,454.44
2	अवधि का निवल लाभ / (हानि) (कर, आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	9,607.53	8,086.80	33,489.39	9,845.73	8,304.07	34,426.91
3	कर पूर्व अवधि का निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	9,607.53	8,086.80	33,489.39	9,845.73	8,304.07	34,426.91
4	कर उपरांत अवधि का निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	7,230.25	6,052.42	25,172.34	7,403.94	6,269.56	25,825.97
5	अवधि की कुल व्यापक आय [अवधि के लाभ / (हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]	7,101.03	6,043.03	25,087.82	7,266.36	6,245.67	25,737.61
6	समता प्रदत्त अंश पूंजी	4,798.58	4,797.23	4,798.58	4,798.58	4,797.23	4,798.58
7	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में निदर्शितानुसार			1,41,026.25	-		1,42,206.77
8	आय प्रति अंश (रु. 5/- प्रत्येक का अंकित मूल्य) (त्रैमासिक अवार्षिकीकृत) :						
	मूलभूत (रु.)	7.53	6.31	26.24	7.71	6.54	26.92
	तरलीकृत (रु.)	7.53	6.30	26.22	7.71	6.53	26.90

टिप्पणियाँ :-

1. उपरोक्त अलेखापरीक्षित पृथक एवं समेकित परिणामों की समीक्षा एवं संस्तुति लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई थी तथा निदेशक मंडल द्वारा 22 जुलाई 2024 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में इनका अनुमोदन किया गया था तथा इनकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा भी की गई है।
2. उपरोक्त विवरण, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश हैं। अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों यथा (www.bseindia.com), (www.nseindia.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट (www.polymedicure.com) पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
हस्ता./-
हिमांशु बैद
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 जुलाई 2024

'सेबी को चुनाव नतीजों वाले दिन शेयरों की अनुचित खरीद-बिक्री की जानकारी नहीं मिली'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

सरकार ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को आम चुनाव के नतीजों वाले दिन चार जून को शेयर बाजार में हुई गिरावट में किसी भी 'अनुचित खरीद-बिक्री' की कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है। उस दिन अरबों निवेशकों की संपत्ति डूब गई थी।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि क्या यह सच है कि आम चुनाव-2024 के नतीजों के तुरंत बाद शेयर की कीमतों में अभूतपूर्व गिरावट आई और निवेशकों को 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मंत्री से यह भी पूछा गया कि क्या यह सच है कि सेबी द्वारा मामले की जांच का अनुरोध किया गया था।

चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि हालांकि सेबी को उपरोक्त शेयर बाजार में उठापटक के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं, लेकिन किसी भी अनुचित व्यापार के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है। तीन जून को एग्जिट पोल में आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की शानदार जीत की भविष्यवाणी के बाद शेयर बाजार 3.4 फीसद बढ़कर नए शिखर पर पहुंच गया था।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि शेयर बाजार में उठापटक निवेशकों की धारणाओं के साथ-साथ अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है।

हालांकि, एक दिन बाद, शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई और सूचकांक 4,390 अंक या लगभग छह फीसद टूट गया। यह चार साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी।

केन फिन होम्स लि.

एससीओ 34 एवं 35, प्रथम तल, कैनरा बैंक के ऊपर, सेक्टर 10ए, गुड़गाँव, फोनः Ph.: 0124-2370035, 7625079135 ईमेलः gurgaon@canfinhomes.com
CIN : L85110KA1987PLC008699

कब्जा सूचना [नियम 8(1)]

अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत कैन फिन होम्स लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है और नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करता है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ने दिनांक **03-05-2024** को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता **श्री अमरप्रीत सिंह भल्ला पुत्र श्री नरिंदर सिंह भल्ला** और **श्रीमती चंदन दीप कौर पत्नी श्री अमरप्रीत सिंह भल्ला** और **बलविंदर सिंह पुत्र गुर प्रकाश सिंह** (गारंटर) को नोटिस में उल्लिखित राशि **रु. 34,53,165/- (रुपए चौंतीस लाख तिरपन हजार एक सौ पैंसठ मात्र)** तथा उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर वसूली की तारीख तक, संविदात्मक दरों पर अतिरिक्त ब्याज के साथ चुकानी होगी।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा **17 जुलाई 2024** को कर लिया है।

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **रु. 34,53,165/- (रुपए चौंतीस लाख तिरपन हजार एक सौ पैंसठ मात्र)** की राशि और उस पर ब्याज के लिए सीएफएचएल के शुल्क के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नंबर-105, कवर्ड एरिया 860 वर्ग फीट, प्रथम तल पीछे की ओर, प्लॉट नंबर 486/8 और 463/8 (नया नंबर 536/12) खसरा नंबर 4146/3471/791, एम एम रेजीडेंसी, गाबा की कोठी के पास, कृष्णा कॉलोनी, गुरुग्राम 122001 (हरियाणा)

संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं:

उत्तरः फ्लैट नं 106 | दक्षिणः फ्लैट नं 104
पूर्वः मार्ग / फ्लैट नं 102 | पश्चिमः खुला / फ्लैट नं 107

तिथिः 22.07.2024
स्थानः गुरुग्राम

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी,
केन फिन होम्स लिमिटेड

www.readwhere.com

This advertisement is for information purpose only and neither constitutes an offer or an invitation or a recommendation to purchase, hold or sell securities and nor for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated July 10, 2024 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with National Stock Exchange of India Limited ("NSE") BSE Limited ("BSE") and also filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to the proviso to Regulation 3 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations).

INDOWIND ENERGY LIMITED

CORPORATE IDENTITY NUMBER: L40108TN1995PLC032311

Our Company was incorporated as "Indowind Energy Private Limited" on July 19, 1995, as a private limited Company under the Companies Act, 1956 and was granted the Certificate of Incorporation by the Registrar of Companies, Chennai. The Registered Office of our Company is situated at Kothari Buildings, 4th Floor, Chennai, Tamil Nadu 600 034. Subsequently, our Company was converted into a public limited company and the name of our Company was changed to "Indowind Energy Limited" on September 30, 1997, vide an amended certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Chennai.

Registered Office: Kothari Buildings, 4th Floor, Chennai Tamil Nadu, 600 034, India, **Contact person:** B. Sharath, Company Secretary and Compliance Officer

Telephone: 044-28331310 | **E-mail id:** bsharath@indowind.com | **Website:** www.indowind.co.in

PROMOTERS OF OUR COMPANY: BALA VENCKAT KUTTI, INDUS FINANCE LIMITED AND LOYAL CREDIT & INVESTMENTS LIMITED

ISSUE OF 2,14,66,956 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹22.50 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹12.50 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹4,830.06 LAKHS# ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 EQUITY SHARES FOR EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS TUESDAY, JULY 16, 2024 (THE "ISSUE").

#Assuming full subscription.

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF INDOWIND ENERGY LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER" ONLY)

The entire Issue Price of Rs. 22.50/- (including premium of Rs. 12.50/-) shall be payable on application. For further details on Payment Schedule, see "Terms of the Issue" on page 326 of the Letter of Offer.

ISSUE PROGRAMME

ISSUE OPENS ON	LAST DATE OF ON-MARKET RENUNCIATIONS*	ISSUE CLOSES ON**
FRIDAY, JULY 26, 2024	WEDNESDAY, JULY 31, 2024	MONDAY, AUGUST 05, 2024

* Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.

Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time but not exceeding 30 (thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

THE ISSUE PRICE OF EACH EQUITY SHARE IS 2.25 TIMES TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE.

ASBA* **Simple, Safe, Smart way of making an Application – Make use of it!!!**

*** Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below.**

PROCESS OF MAKING AN APPLICATIONS IN THE ISSUE:

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circulars, all Investors desiring to make an Application in the Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA.

The Application Form can be used by the Eligible Equity Shareholders as well as the Renouncees, to make Applications in the Issue basis the Rights Entitlement credited in their respective demat accounts or demat suspense escrow account, as applicable. For further details on the Rights Entitlements and demat suspense escrow account, see "**Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders**" on page 191 of the Letter of Offer.

Please note that one single Application Form shall be used by Investors to make Applications for all Rights Entitlements available in a particular demat account or entire respective portion of the Rights Entitlements in the demat suspense escrow account in case of resident Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form as on Record Date and applying in the Issue, as applicable. In case of Investors who have provided details of demat account in accordance with the SEBI ICDR Regulations, such Investors will have to apply for the Rights Equity Shares from the same demat account in which they are holding the Rights Entitlements and in case of multiple demat accounts, the Investors are required to submit a separate Application Form for each demat account.

Investors may apply for the Rights Equity Shares by submitting the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorising such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

Investors are also advised to ensure that the Application Form is correctly filled up stating therein the ASBA Account in which an amount equivalent to the amount payable on Application as stated in the Application Form will be blocked by the SCSB.

Applicants should note that they should very carefully fill-in their depository account details and PAN in the Application Form or while submitting application through online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB). Please note that incorrect depository account details or PAN or Application Forms without depository account details shall be treated as incomplete and shall be rejected. For details, see "**Grounds for Technical Rejection**" on page 187 of the Letter of Offer.

Our Company, the Lead Manager, the Registrar and the SCSBs shall not be liable for any incomplete or incorrect demat details provided by the Applicants.

Additionally, in terms of Regulation 78 of the SEBI ICDR Regulations, Investors may choose to accept the offer to participate in the Issue by making plain paper Applications. Please note that SCSBs shall accept such applications only if all details required for making the application as per the SEBI ICDR Regulations are specified in the plain paper application and that Eligible Equity Shareholders making an application in the Issue by way of plain paper applications shall not be permitted to renounce any portion of their Rights Entitlements. For details, see "**Making of an Application by Eligible Equity Shareholders on Plain Paper under ASBA process**" on page 183 of the Letter of Offer.

MAKING AN APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS:

An Investor, wishing to participate in the Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with SCSBs, prior to making the Application. Investors desiring to make an Application in the Issue through ASBA process, may submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCSB or online/ electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorizing such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application.

For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=34. Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in the Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an Application.

The Lead Manager, our Company, the directors, employees, affiliates, associates and their respective directors and officers and the Registrar shall not take any responsibility for acts, mistakes, errors, omissions and commissions etc., in relation to Applications accepted by SCSBs, Applications uploaded by SCSBs, Applications accepted but not uploaded by SCSBs or Applications accepted and uploaded without blocking funds in the ASBA Accounts.

Investors applying through the ASBA facility should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through the ASBA process.

ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS UNDER THE ASBA PROCESS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES UNDER THE ASBA PROCESS CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALISED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH THE EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH ASBA APPLICANT ON THE RECORD DATE i.e., TUESDAY, JULY 16, 2024

MAKING AN APPLICATION BY ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON PLAIN PAPER UNDER ASBA PROCESS:

An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to the Issue on plain paper in case of non-receipt of Application Form as detailed above and only such plain paper applications which provide all the details required in terms of Regulation 78 of SEBI ICDR Regulations shall be accepted by SCSBs. In such cases of non-receipt of the Application Form through physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an Application to subscribe to the Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available on the website of the Registrar, the Stock Exchanges or the Lead Manager.

An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently. The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his/her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

1. Name of our Company, being Indowind Energy Limited;
2. Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository);
3. Folio number (in case of Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date)/DP and Client ID;
4. Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to the Issue;
5. Number of Equity Shares held as on Record Date;
6. Allotment option – only dematerialised form;
7. Number of Rights Equity Shares entitled to;
8. Number of Rights Equity Shares applied for within the Rights Entitlements;
9. Number of Additional Rights Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for);
10. Total number of Rights Equity Shares applied for;
11. Total amount paid at the rate of ₹22.50 per Rights Equity Share;
12. Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB;
13. In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE / FCNR/ NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained;
14. Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account;
15. Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); and
16. All such Eligible Equity Shareholders shall be deemed to have made the representations, warranties and agreements set forth in "**Restrictions on Foreign Ownership of Indian Securities**" on page of this Letter of Offer and shall include the following:

"I/ We hereby make representations, warranties and agreements set forth in "**Restrictions on Foreign Ownership of Indian Securities**" on page 206 of the Letter of Offer.

I/ We acknowledge that the Company, the Lead Manager, its affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the representations, warranties and agreements set forth therein."

In cases where Multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, as applicable, including cases where an Investor submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected.

Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an Application being rejected, with our Company, the Lead Manager and the Registrar not having any liability to the Investor. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar at www.bigshareonline.com.

Our Company, the Lead Manager and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by the SCSB or funds are not blocked in the Investors' ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date.

PLEASE NOTE THAT, IF THE SHAREHOLDER MAKES AN APPLICATION USING THE APPLICATION FORM AS WELL AS PLAIN PAPER, BOTH THE APPLICATION SHALL BE LIABLE TO BE REJECTED AT THE OPTION OF THE ISSUER.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS:

As your name appears as a beneficial owner in respect of the issued and paid-up Equity Shares held in dematerialised form or appears in the register of members of our Company as an Eligible Equity Shareholder in respect of our Equity Shares held in physical form, as on the Record Date, you may be entitled to subscribe to the number of Rights Equity Shares as set out in the Rights Entitlement Letter.

Eligible Equity Shareholders can also obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (i.e., www.bigshareonline.com) by entering their DP ID and Client ID or folio number (for Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) and PAN. The link for the same shall also be available on the website of our Company (i.e., www.indowind.co.in).

In this regard, our Company has made necessary arrangements with NSDL and CDSL for crediting of the Rights Entitlements to the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders in a dematerialized form. A separate ISIN for the Rights Entitlements has also been generated which is INE227G20026. The said ISIN shall remain frozen (for debit) until the Issue Opening Date. The said ISIN shall be suspended for transfer by the Depositories post the Issue Closing Date.

Additionally, our Company will submit the details of the total Rights Entitlements credited to the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders and the demat suspense escrow account to the Stock Exchanges after completing the corporate action. The details of the Rights Entitlements with respect to each Eligible Equity Shareholders can be accessed by such respective Eligible Equity Shareholders on the website of the Registrar after keying in their respective details along with other security control measures implemented thereat.

Rights Entitlements shall be credited to the respective demat accounts of Eligible Equity Shareholders before the Issue Opening Date only in dematerialised form. Further, if no Application is made by the Eligible Equity Shareholders of Rights Entitlements on or before Issue Closing Date, such Rights Entitlements shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date. No Rights Equity Shares for such lapsed Rights Entitlements will be credited, even if such Rights Entitlements were purchased from market and purchaser will lose the premium paid to acquire the Rights Entitlements. Persons who are credited the Rights Entitlements are required to make an Application to apply for Rights Equity Shares offered under Issue for subscribing to the Rights Equity Shares offered under Issue.

If Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date, have not provided the details of their demat accounts to our Company or to the Registrar, they are required to provide their demat account details to our Company or the Registrar not later than two clear Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of the Rights Entitlements by way of transfer from the demat suspense escrow account to their respective demat accounts, at least one day before the Issue Closing Date. Such Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form can update the details of their respective demat accounts on the website of the Registrar (i.e., www.bigshareonline.com). Such Eligible Equity Shareholders can make an Application only after the Rights Entitlements is credited to their respective demat accounts.

In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialized form only.

Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account (namely, "**Indowind Energy Limited – Unclaimed Shares Suspense Account**") opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in the account of the IEPF authority; or (b) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or the Equity Shares which are lying in the unclaimed suspense account (including those pursuant to Regulation 39 of the SEBI LODR Regulations) or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (c) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (d) credit of the Rights Entitlements returned/reversed/failed; or (e) the ownership of the Equity Shares currently under dispute, including any court proceedings, if any; or (f) non-institutional equity shareholders in the United States.

Eligible Equity Shareholders are requested to provide relevant details (such as copies of self-attested PAN and client master sheet of demat account etc., details/ records confirming the legal and beneficial ownership of their respective Equity Shares) to our Company or the Registrar not later than two clear Working Days prior to the Issue Closing Date, i.e., by Thursday, August 01, 2024, to enable the credit of their Rights Entitlements by way of transfer from the demat suspense escrow account to their demat account at least one day before the Issue Closing Date i.e. by Friday, August 02, 2024, to enable such Eligible Equity Shareholders to make an application in the Issue, and this communication shall serve as an intimation to such Eligible Equity Shareholders in this regard.

Such Eligible Equity Shareholders are also requested to ensure that their demat account, details of which have been provided to our Company or the Registrar is active to facilitate the aforementioned transfer.

Procedure for Renunciation of Rights Entitlements

- Renouncees

  All rights and obligations of the Eligible Equity Shareholders in relation to Applications and refunds pertaining to the Issue shall apply to the Renouncee(s) as well.

- Renunciation of Rights Entitlements

  The Issue includes a right exercisable by Eligible Equity Shareholders to renounce the Rights Entitlements credited to their respective demat account either in full or in part.

  The renunciation from non-resident Eligible Equity Shareholder(s) to resident Indian(s) and vice versa shall be subject to provisions of FEMA Rules and other circular, directions, or guidelines issued by RBI or the Ministry of Finance from time to time. However, the facility of renunciation shall not be available to or operate in favour of an Eligible Equity Shareholders being an erstwhile OCB unless the same is in compliance with the FEMA Rules and other circular, directions, or guidelines issued by RBI or the Ministry of Finance from time to time.

  The renunciation of Rights Entitlements credited in your demat account can be made either by sale of such Rights Entitlements, using the secondary market platform of the Stock Exchanges or through an off market transfer.

- Procedure for Renunciation of Rights Entitlements

  The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part (a) by using the secondary market platform of the Stock Exchanges (the "On Market Renunciation"); or (b) through an off market transfer (the "Off Market Renunciation"), during the Renunciation Period. The Investors should have the demat Rights Entitlements credited / lying in his/her own demat account prior to the renunciation. The trades through On Market Renunciation and Off Market Renunciation will be settled by transferring the Rights Entitlements through the depository mechanism.

  In accordance with the SEBI Rights Issue Circulars, the resident Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date shall be required to provide their demat account details to our Company or the Registrar to the Issue for credit of REs not later than two Working Days prior to Issue Closing Date, such that credit of REs in their demat account takes place at least one day before Issue Closing Date, thereby enabling them to renounce their Rights Entitlements through Off Market Renunciation.

  Investors may be subject to adverse foreign, state or local tax or legal consequences as a result of trading in the Rights Entitlements. Investors who intend to trade in the Rights Entitlements should consult their tax advisor or stock-broker regarding any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied for trading in Rights Entitlements.

  Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Investors on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

- Payment Schedule of Rights Equity Shares

  ₹22.50 per Rights Equity Share (including premium of ₹12.50 per Rights Equity Share) shall be payable on Application.

  The Lead Manager and our Company accept no responsibility to bear or pay any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage), and such costs will be incurred solely by the Investors.

On Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by trading/selling them on the secondary market platform of the Stock Exchanges through a registered stock-broker in the same manner as the existing Equity Shares of our Company. In this regard, in terms of provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars, the Rights Entitlements credited to the respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders shall be admitted for trading on the Stock Exchanges under ISIN: INE227G20026 subject to requisite approvals. Prior to the Issue Opening Date, our Company will obtain the approval from the Stock Exchanges for trading of Rights Entitlements. No assurance can be given regarding the active or sustained On Market Renunciation or the price at which the Rights Entitlements will trade. The details for trading in Rights Entitlements will be as specified by the Stock Exchanges from time to time.

The Rights Entitlements are tradable in dematerialized form only. The market lot for trading of Rights Entitlements is 1 (one) Rights Entitlements.

The On Market Renunciation shall take place only during the Renunciation Period for On Market Renunciation, i.e., from Friday, July 26, 2024 to Wednesday, July 31, 2024 (both days inclusive). The Investors holding the Rights Entitlements who desire to sell their Rights Entitlements will have to do so through their registered stock-brokers by quoting the ISIN: INE227G20026 and indicating the details of the Rights Entitlements they intend to trade. The Investors can place order for sale of Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The On Market Renunciation shall take place electronically on secondary market platform of the Stock Exchanges under automatic order matching mechanism and on T+1 rolling settlement basis', where 'T' refers to the date of trading. The transactions will be settled on trade-for-trade basis. Upon execution of the order, the stock-broker will issue a contract note in accordance with the requirements of the Stock Exchanges and the SEBI.

Off Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by way of an off market transfer through a depository participant. The Rights Entitlements can be transferred in dematerialised form only. Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date to enable Renouncees to subscribe to the Rights Equity Shares in the Issue.

The Investors holding the Rights Entitlements who desire to transfer their Rights Entitlements will have to do so through their depository participant by issuing a delivery instruction slip quoting the ISIN: INE227G20026, the details of the buyer and the details of the Rights Entitlements they intend to transfer. The buyer of the Rights Entitlements (unless already having given a standing receipt instruction) has to issue a receipt instruction slip to their depository participant. The Investors can transfer Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The instructions for transfer of Rights Entitlements can be issued during the working hours of the depository participants.

The detailed rules for transfer of Rights Entitlements through off market transfer shall be as specified by the NSDL and CDSL from time to time.

The renunciation from non-resident Eligible Equity Shareholder(s) to resident Indian(s) and vice versa shall be subject to provisions of FEMA Rules and other circular, directions, or guidelines issued by RBI or the Ministry of Finance from time to time. However, the facility of renunciation shall not be available to or operate in favour of an Eligible Equity Shareholders being an erstwhile OCB unless the same is in compliance with the FEMA Rules and other circular, directions, or guidelines issued by RBI or the Ministry of Finance from time to time.

MAKING AN APPLICATION BY ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM:

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Rights Equity Shares in the Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two clear Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date.

Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company.

Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date and who have opened their demat accounts after the Record Date, shall adhere to following procedure for participating in the Issue;

(a) The Eligible Equity Shareholders shall send a letter to the Registrar containing the name(s), address, e-mail address, contact details and the details of their demat account along with copy of self-attested PAN and self-attested client master sheet of their demat account either by e-mail, post, speed post, courier, or hand delivery so as to reach to the Registrar no later than two clear Working Days prior to the Issue Closing Date;

(b) The Registrar shall, after verifying the details of such demat account, transfer the Rights Entitlements of such Eligible Equity Shareholders to their demat accounts at least one day before the Issue Closing Date;

(c) The remaining procedure for Application shall be same as set out in "**- Making of an Application by Eligible Equity Shareholders on Plain Paper under ASBA process**" on page 183 of the Letter of Offer.

In accordance with the SEBI Rights Issue Circulars, Resident Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on the Record Date will not be allowed to renounce their Rights Entitlements in the Issue. However, such Eligible Equity Shareholders, where the dematerialized Rights Entitlements are transferred from the suspense escrow demat account to the respective demat accounts within prescribed timelines, can apply for Additional Rights Equity Shares while submitting the Application through ASBA process.

PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS, WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OR OUR COMPANY AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE, SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM.

ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM: Please note that the rights equity shares applied for in this issue can be allotted only in dematerialized form and to the same depository account in which our equity shares are held by such investor on the record date. For details, please refer to "**Allotment advices or refund/unblocking of ASBA accounts**" beginning on page 244 of the letter of offer.

DISPATCH AND AVAILABILITY OF ISSUE MATERIAL: In accordance with the SEBI ICDR Regulations, our Company will send through email or registered post or speed post, the Letter of Offer / Abridged Letter of Offer, Rights Entitlement Letter, the Application Form and other applicable Issue material to the email addresses or registered address of all the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian addresses to our Company. The Letter of Offer will be provided, only through email, by the Registrar on behalf of our Company to the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian addresses to our Company and who makes a request in this regard. In accordance with the above, the dispatch of the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter along with the Application form has been completed in electronic form through email **Mon**day, **July 22,** 2024 by Registrar to the Issue and by speed Post on **Mon**day, **July 22,** 2024 by the company. The shareholders may obtain duplicate copies of the application form in case they do not receive the application form within a reasonable time after opening of the rights issue from the office of the Registrar. Further, the Letter of Offer will be sent / dispatched, by the Registrar to the Issue on behalf of our Company to the Eligible Equity Shareholders who have provided Indian address and who have made a request in this regard. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e - mail address, the Letter of Offer will be sent only to their valid e - mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e - mail address, then the Letter Offer will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.

Further, the Letter of Offer will be provided by the Registrar on behalf of our Company to the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian addresses to our Company and who make a request in this regard. . Investors can access the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable securities laws) on the websites of:

(i) our Company at www.indowind.co.in;
(ii) the Registrar at www.bigshareonline.com;
(iii) the Lead Manager at ; and
(iv) the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Last date for Application

The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is Monday, August 05, 2024, i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in this Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our

Continued to next page...

www.readwhere.com

Continued from previous page...

Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as set out in "**Basis of Allotment**" on page 200 of the Letter of Offer.

Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchanges. Please ensure that the Application Form and necessary details are filled in. In place of Application number, Investors can mention the reference number of the e-mail received from Registrar informing about their Rights Entitlement or last eight digits of the demat account. Alternatively, SCSBs may mention their internal reference number in place of application number.

Listing and trading of the Rights Equity Shares to be issued pursuant to the Issue

Subject to receipt of the listing and trading approvals, the Rights Equity Shares proposed to be issued on a rights basis shall be listed and admitted for trading on NSE and BSE. Unless otherwise permitted by the SEBI ICDR Regulations, the Rights Equity Shares Allotted pursuant to the Issue will be listed as soon as practicable and all steps for completion of necessary formalities for listing and commencement of trading in the Rights Equity Shares will be taken within such period prescribed under the SEBI ICDR Regulations. Our Company has received in-principle approval from the BSE and NSE through their letters bearing reference number LOD/RIGHT/DA/FIP/522/2024-25 dated July 03, 2024, and NSE/LIST/40944 dated June 24, 2024, respectively. Our Company will apply to the Stock Exchanges for final approval for the listing and trading of the Rights Equity Shares subsequent to its Allotment.

No assurance can be given regarding the active or sustained trading in the Rights Equity Shares or the price at which the Rights Equity Shares offered under the Issue will trade after the listing thereof. The existing Equity Shares are listed and traded on BSE Limited (Scrip Code: 532894) and NSE (Symbol: INDOWIND) under the ISIN: INE227G01018. The Rights Equity Shares shall be credited to a temporary ISIN which will be frozen until the receipt of the final listing/ trading approvals from the Stock Exchanges.

Upon receipt of such listing and trading approvals, the Rights Equity Shares shall be debited from such temporary ISIN and credited to the new ISIN for the Rights Equity Shares and thereafter be available for trading and the temporary ISIN shall be permanently deactivated in the depository system of CDSL and NSDL.

The listing and trading of the Rights Equity Shares issued pursuant to the Issue shall be based on the current regulatory framework then applicable. Accordingly, any change in the regulatory regime would affect the listing and trading schedule.

In case our Company fails to obtain listing or trading permission from the Stock Exchanges, our Company shall refund through verifiable means/unblock the respective ASBA Accounts, the entire monies received/blocked within four days of receipt of intimation from the Stock Exchanges, rejecting the application for listing of the Rights Equity Shares, and if any such money is not refunded/ unblocked within four days after our Company becomes liable to repay it, our Company and every director of our Company who is an officer-in-default shall, on and from the expiry of the fourth day, be jointly and severally liable to repay that money with interest at rates prescribed under applicable law.

Disclaimer clause of SEBI: The Draft Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of the issue is less than ▯ 10,000 lakhs.

Disclaimer clause of NSE: "It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE' on page 174 of the Letter of Offer.

Disclaimer clause of BSE: "It is distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited" on page 174 of the Letter of Offer.

Bankers to the issue and Refund Banker: Axis Bank Limited

Monitoring Agency: Not applicable

For "Risk Factors" and other details, kindly refer page no. 20 of the Letter of Offer

Other important links and helpline

The Investors can visit following links for the below-mentioned purposes:

a) Frequently asked questions are available on the website of the Registrar (www.bigshareonline.com) or call helpline numbers for online / electronic dedicated investor helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Investors;
b) Updation of Indian address/ email address/ mobile number in the records maintained by the Registrar or our Company: www.bigshareonline.com
c) Submission of self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non-resident Eligible Shareholders: www.bigshareonline.com

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
SRUJAN ALPHA CAPITAL ADVISORS	
Srujan Alpha Capital Advisors LLP **Registered Address:** 112A, 1st floor, Arun Bazar, S.V. Road, Beside Bank of India, Malad (West), Mumbai - 400 064 **Correspondence Address:** Corporate Avenue, 824 & 825, Sonawala Rd, opposite Atlanta Centre, Sonawala Industry Estate, Goregaon, Mumbai, 400 063 **Tel:** +91 022-46030709, **E-mail:** indowind.rightsissue@srujanalpha.com **Investor grievance e-mail:** partners@srujanalpha.com **Website:** www.srujanalpha.com **Contact Person:** Jinesh Doshi **SEBI Registration Number:** INM000012829	**Bigshare Services Private Limited** **Address:** Office No. S6-2, 6th floor, Pinnacle Business Park next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra, 400 093 **CIN:** U99999MH1994PTC076534 **Telephone:** +91 22 6263 8200/22 **Email:** rightsissue@bigshareonline.com **Website:** www.bigshareonline.com **Investor grievance e-mail:** investor@bigshareonline.com **Contact Person:** Suraj G. **SEBI registration no.:** INR000001385

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

CS B. Sharath, Registered Office: Kothari Buildings, 4th Floor, Chennai Tamil Nadu, 600 034, India.; Tel: 044-28331310
Email : bsharath@indowind.com **Website:** www.indowind.co.in

Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip.

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre- Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors.

For Indowind Energy Limited
On behalf of Board of Directors
Sd/-
B. Sharath
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Chennai
Date: Tuesday, July 23, 2024

Indowind Energy Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with National Stock Exchange of India Limited, BSE Limited and Securities and Exchange Board of India for information and dissemination purpose. The Letter of Offer shall be available on website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of NSE at www.nseindia.com the website of BSE at www.bseindia.com website of the Company at www.indowind.co.in and the website of the Lead Manager www.srujanalpha.com. Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 20 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. The announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States.

पंजाब नैशनल बैंक | pnb | punjab national bank

सर्कल शास्त्र सेन्टर, नोएडा; शॉप–12 जगत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गामा 1 ग्रेटर नोएडा गामा–1

शुद्धिपत्र

आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ई–नीलामी सूचना अर्थात अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 22.06.2024 को अंग्रेजी समाचार पत्र– 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' (पेज नंबर 21) और हिंदी समाचार पत्र– 'जनसत्ता' (पेज नं. 22) में **लॉट 2** पर **[मैसर्स शिखर इंटीग्रेटेड कोल्ड चैन प्राइवेट लिमिटेड** के ऋण खाते में] की **क्रमांक सं. 1 एवं 4** पर की सम्पत्तियाँ **भी** अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। इन सम्पत्तियों को बैंक ने 23.07.2024 को होने वाली ई–नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया है। अन्य सभी विवरण यथावत रहेंगे।

दिनांक: 22.07.2024 | प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: ग्रेटर नोएडा | पंजाब नेशनल बैंक

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

रोहिणी सी एंड पी शाखा

कब्जा सूचना
(प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के **बैंक ऑफ इंडिया**, रोहिणी सी एण्ड पी का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत कर्जदार **श्री राजेश शर्मा और श्रीमती अनिता शर्मा** को मांग सूचना दिनांक **02-05-2024** को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि **रू. 14,04,000/- (रु. चौदह लाख चार हजार मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।
कर्जदार, सह–कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार, सह–कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **19.07.2024** को लिया है।
विशेष रूप से कर्जदार, सह–कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ इंडिया**, रोहिणी सी एण्ड पी शाखा के प्रभार वास्ते **रू. 14,04,000/- (रु. चौदह लाख चार हजार मात्र) और ब्याज इत्यादि सहित** के अधीन होगा।
कर्जदार, का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति नं. 289, ब्लॉक और पॉकेट ई–20, तृतीय तल, सैक्टर–3, क्षेत्रफल 32.3 वर्ग मी, रोहिणी, रिहायशी स्कीम के ले आउट प्लान में, दिल्ली में स्थित, चौहद्दी: उत्तर में – प्लॉट नं. 290, दक्षिण में – प्लॉट नं. 283, पूरब में – प्लॉट नं. 282, पश्मिच में – खुला एरिया

दिनांक : 19-07-2024, स्थान : नई दिल्ली | प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

प्ररुप संख्या आईएनसी–25ए
पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
और
इंद्रावेस्ट(इंडिया) लिमिटेड
(CIN: U52110DL1978PLC009169)
जिसका पंजीकृत कार्यालय: **602, मर्केंटाइल हाउस 15, कस्तूरबा गांधी मार्ग, सैंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली –110001** में स्थित है, के मामले में
.... **आवेदक**

एतदद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए **शुक्रवार, 19 जुलाई, 2024** को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित करने की इच्छुक है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति के कारण, यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति, इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए, जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, इस सूचना के छपने के चौदह दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003** को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कंपनी को पंजीकृत पते **602, मर्केंटाइल हाउस 15, कस्तूरबा गांधी मार्ग, सैंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली –110001** में भी भेज दें।

आवेदक के लिए और उसकी ओर से
इंद्रावेस्ट(इंडिया) लिमिटेड
हस्ता /–
रजनी गुप्ता (निदेशक)
डीआईएन : 00142666

तिथि : 22.07.2024
स्थान : नई दिल्ली

प्ररूप संख्या यूआरसी–2
अधिनियम के अध्याय XXI के भाग 1 के तहत पंजीकरण के संबंध में सूचना का विज्ञापन
{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसरण में}

1. सूचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में **रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050** को एक आवेदन पंद्रह दिनों के बाद, लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्तावित है, की **"लेकवर्कऑफिस क्लब एलएलपी (एलएलपीआईएन: एबीजेड-6370)"** एक एलएलपी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए।
2. **कंपनी के मूल उद्देश्य इस प्रकार हैं:**
भारत और विदेशों में सह-कार्यशील स्थानों को विकसित करना। सह-कार्य स्थान को किराए या पट्टे के आधार पर कॉरपोरेट्स या व्यक्तियों को उप-किराए पर देना। ऐसे सभी अन्य गतिविधियों को करना जो उपर्युक्त व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं
3. प्रस्तावित कंपनी के प्रारुप संगम और अनुच्छेद ज्ञापन की प्रतिलिपि का निरीक्षण **सी/ओ श्री धरम पाल ई-5 एफ/एफ एल/साइड ओल्ड नंबर 133, वेस्टर्न मार्ग लेन नंबर 1 सैदुलाजाब, गदाईपुर, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली-110030, भारत** स्थित पंजीकृत कार्यालय में किया जा सकता है।
4. सूचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपत्ति है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर **रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050,** पर भेज दें तथा इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेज दें।

लेकवर्कऑफिस क्लब एलएलपी के लिए
हस्ता/–
राकेश गोयल (नामित साझेदार)
अभिनव त्रिपाठी (नामित साझेदार)

तिथि : 22.07.2024
स्थान : नई दिल्ली

S.S.COLLEGE, JEHANABAD
(NAAC Accredited- Grade 'B')
Website:- www.sscollegejehanabad.org | Email- collegeswamisahjanand@gmail.com

SHORT TERM TENDER NOTICE

S.S. College, Jehanabad intends to upgrade and refurbish the BCA Computer Lab, Smart Classes, language Lab etc. with furniture fixture and equipment and to install Solar Plant at various buildings. In this regard, Sealed quotations are invited from reputed and experienced Contractors / Service Providers, who are registered in Govt. of Bihar Eproc2.0 portal and willing to undertake the assignment. The list of items with specifications and other details can be ascertained from the college during working hours and from the college website https://www.sscollegejehanabad.org

Interested and eligible firms are requested to forward their quotation through Registered / Speed Post alongwith 03 years IT Return, PAN, GST Certificate and MSME Registration Certificate to the undersigned within 07 days from the date of Notice.

The undersigned reserves all the rights to reject any or all the tenders without assigning any reason thereof.

Principal
S.S. College Jehanabad

POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF
BANGALORE FORT FARMS LIMITED
Corporate Identification Number: L51101WB1966PLC226442;
Registered Office: 16A, Braboume Road 6th Floor, Kolkata - 700001, West Bengal, India;
Contact Number: +91-90047-54433; **Website:** info@bangalorefortfarms.com; **Email ID:** www.bangalorefortfarms.com

Open Offer for acquisition of up to 12,47,844 Offer Shares representing 26.00% of the Voting Share Capital of Bangalore Fort Farms Limited at an offer price of ₹28.50/- per Offer Share, payable in cash, to the Public Shareholders of the Target Company, by M/s Genesis Trade Links Private Limited, Corporate Acquirer 1, along with the Individual Acquirers, Mr. Vikash Singh, Acquirer 2, and Mrs. Nitu Singh, Acquirer 3, (hereinafter collectively referred to as 'Acquirers') in accordance with the provisions of Regulations 3 (1) And 4, and such other applicable provisions of The Securities And Exchange Board Of India (Substantial Acquisition Of Shares And Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereto.

This Post-Offer Public Announcement is being issued by Swaraj Shares and Securities Private Limited, the Manager to the Offer ('**Manager**'), on behalf of the Acquirers, in connection with the Offer made by the Acquirers to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with the provisions of Regulation 18 (12) and other applicable provisions under the SEBI (SAST) Regulations ('**Post-Offer Public Announcement**').

This Post-Offer Public Announcement should be read in continuation of, and in conjunction with the: a) Public Announcement dated Wednesday, March 13, 2024 ('**Public Announcement**'), (b) Detailed Public Statement dated Tuesday March 19, 2024, in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirers on Wednesday, March 20, 2024, in Financial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions), Mumbai Lakshadeep (Marathi) (Mumbai Edition), and Duranto Barata (Bengali Daily) (Kolkata Edition) ('**Newspapers**') ('**Detailed Public Statement**'), (c) Draft Letter of Offer dated Thursday, March 28, 2024 ('**Draft Letter of Offer**'), (d) Letter of Offer dated Thursday, June 20, 2024, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ('**Letter of Offer**'), (e) Recommendations of the Independent Directors of the Target Company which were approved on Wednesday, June 26, 2024 and published in the Newspapers on Thursday, June 27, 2024 ('**Recommendations of the Independent Directors of the Target Company**'), and (f) Pre-Offer Public Announcement which was approved on Thursday, June 27, 2024, and published in the Newspapers on Friday, June 28, 2024 ('**Pre-Offer Public Announcement**').

The Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Recommendations of the Independent Directors of the Target Company, Pre-Offer Public Announcement, and this Post-Offer Public Announcement are hereinafter collectively referred to as '**Offer Documents**' issued by the Manager on behalf of the Acquirers.

The capitalized terms used but not defined in this Post-Offer Public Announcement shall have the meaning assigned to such terms in the Offer Documents.

1.	**Name of the Target Company**	Bangalore Fort Farms Limited, incorporated on October 24, 1966, under the provisions of Companies Act 1956, bearing Corporate Identification Number 'L51101WB1966PLC226442', having its registered office located at 16A, Brabourne Road, 6th Floor, Kolkata, West Bengal, 700001, India.	
2.	**Name of the Acquirers and PACs**	Genesis Trade-Links Private Limited, a Private Limited Company incorporated on Monday, August 22, 2005, under the provisions of Companies Act, 1956, bearing Corporate Identification Number 'U51909WB2005PTC104820', having its registered office located at Hasting Chambers 2nd Floor Room No 15 7C Kiran Shankar Roy Road, Kolkata -700001, West Bengal, India, Acquirer 1. Mr. Vikash Singh, an Indian resident bearing Permanent account Number 'ALQPS5001E' under the Income Tax Act, 1961 resident at 63B Kansari Para Road, Bhawanipore S.O., Kolkata-700025, West Bengal, India, Acquirer 2. Mrs. Nitu Singh, an Indian resident bearing Permanent account Number 'BVRPS6669E' under the Income Tax Act, 1961 resident at 63B Kansari Para Road, Bhawanipore S.O., Kolkata-700025, West Bengal, India, Acquirer 3. There are no persons acting in concert with the Acquirers for the purpose of this Offer.	
3.	**Name of Manager to the Offer**	Swaraj Shares and Securities Private Limited	
4.	**Name of Registrar to the Offer**	Integrated Registry Management Services Private Limited	
5.	**Offer Details**		
5.1	Date of Opening of the Offer	Monday, July 01, 2024	
5.2	Date of Closing of the Offer	Friday, July 12, 2024	
6.	**Date of Payment of Consideration**	The schedule date for settlement is Monday, July 29, 2024. However, since, there has been no tendering by the Public Shareholders for the said Open Offer, payment of consideration is not required.	
7.	**Details of the Acquisition**		
	Particulars	**Proposed in the Offer Document (Assuming full acceptance in this Offer)**	**Actuals**
7.1	Offer Price	₹28.50/-	₹28.50/-
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	12,47,844	Nil
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	12,47,844	Not Applicable
7.4	Size of the Open Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	₹3,55,63,554.00/-	Not Applicable
7.5	**Shareholding of the Acquirer before the Share Purchase Agreement/ Public Announcement**		
a)	Number of Equity Shares	Nil	Nil
b)	% of fully diluted Equity Share capital	Not Applicable	Not Applicable
7.6	**Sale Shares proposed to be acquired by way of Share Purchase Agreement**		
a)	Number of Equity Shares	15,95,693	15,95,693
b)	% of fully diluted Equity Share capital	33.25%	33.25%
7.7	**Equity Shares acquired by way of Offer**		
a)	Number of Equity Shares	12,47,844	Nil
b)	% of fully diluted Equity Share capital	26.00%	Not Applicable
7.8	**Equity Shares acquired after the Detailed Public Statement**		
a)	Number of Equity Shares acquired	Nil	Nil
b)	Price of the Equity Shares acquired	Not Applicable	Not Applicable
c)	% of Equity Shares acquired	Not Applicable	Not Applicable
7.9	**Post-Offer shareholding of the Acquirer**		
a)	Number of Equity Shares	28,43,537	15,95,693
b)	% of fully diluted Equity Share capital	59.25%	33.25%

7.10	**Pre-Offer and Post-Offer shareholding of the Public Shareholders (other than the Acquirer)**				
	Particulars	**Pre-Offer**	**Post-Offer**	**Pre-Offer**	**Post-Offer**
a)	Number of Equity Shares	32,03,707	19,55,863	32,03,707	32,03,707
b)	% of fully diluted Equity Share capital	66.75%	40.75%	66.75%	66.75%

8. The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Post-Offer Public Announcement and for their obligations specified under SEBI (SAST) Regulations.
9. The Acquirers will consummate the Share Purchase Agreement transaction in accordance with the provisions of Regulation 22 (1), of the SEBI (SAST) Regulations, and will make an application for reclassification of themselves as the promoters of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31A (10) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including subsequent amendments thereto ('**SEBI (LODR) Regulations**').
10. A copy of this Post-Offer Public Announcement will be accessible on the websites of Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in, BSE Limited at www.bseindia.com and the registered office of the Target Company.
11. The capitalized terms used in this Post-Offer Public Announcement shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer, unless otherwise specified.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER
SWARAJ
Swaraj Shares and Securities Private Limited
Corporate Identification Number: U51101WB2000PTC092621
Principal Place of Business: Unit No 304, A Wing, 215 Atrium, Near Courtyard Marriot, Andheri East, Mumbai- 400093, Maharashtra, India
Contact Person: Pankita Patel/ Tanmoy Banerjee
Contact Number: +91-22-69649999
Email Address: takeover@swarajshares.com
Investor grievance Email Address: investor.relations@swarajshares.com
SEBI Registration Number: INM00012980
Validity: Permanent

On behalf of all the Acquirers
Sd/-
Mr. Vikash Singh
Acquirer

Date: Monday, July 22, 2024
Place: Mumbai

यूको बैंक UCO BANK (भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
सम्मान आपके विश्वास का | Honours Your Trust

आंचलिक कार्यालय, वसूली विभाग, प्रथम तल, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-23753827, 011-49498261, 011-49498285

ई–नीलामी बिक्री सूचना
(सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 5, 6, 7, 8 एवं 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत बैंक के पास बंधक अचल सम्पत्ति की ई-नीलामी बिक्री। नीचे उल्लिखित कर्जदार के खाते में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत निर्गत सूचना के अनुसार अधिकृत प्राधिकारी(यों) द्वारा बैंक के बकायों की वसूली हेतु **"जहाँ है जैसे है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** के आधार पर इसकी बिक्री अधिकार सहित निम्नलिखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया है। **ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 14 अगस्त 2024 को 01:00 बजे अप. से 05:00 बजे अपराह्न के बीच प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित।**

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम, आईएफएससी कोड, खाता सं., दूरभाष नं. एवं ई-मेल	कर्जदार तथा जमानती का नाम	बकाया राशि (रू. लाख में)	चिन्हित सम्पत्तियाँ	कब्जे का प्रकार	सम्पत्ति के स्वामी का नाम	एमआरपी (रु. लाख में) / ईएमडी (रु. लाख में)	सम्पत्तियों के निरीक्षण की तिथि सम्पर्क व्यक्ति	सरकारी बकाया यदि कोई हो
1.	परिसम्पत्ति प्रबंधन शाखा आईएफएससी कोड: **UCBA0002128** ईएमडी खाता संख्या **01200210002186** **newamb@ucobank.co.in**	**मैसर्स लॉर्ड कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट** **ट्रस्टी:** श्री जय शंकर श्रीवास्तव, श्री जगमोहन गर्ग, श्री मनोज कुमार सिंह, श्री कुँवर देवेन्द्र सिंह, श्री के के अग्रवाल, श्री पियूष मित्तल, श्री अनिल कुमार गर्ग, श्री राजेश गुप्ता, मधु रानी	रू.524.23 लाख + तथा उस पर अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य आकस्मिक प्रभार	खसरा नम्बर 636, 637, 638, गाँव-छजारसी, कुलीचनगर, परगना-डासना, हापुड़-उ0प्र0 में इंस्टीट्यूशनल सम्पत्ति। प्लॉट का क्षेत्रफल माप-519 वर्ग मीटर खाता नम्बर 29, खसरा नम्बर 636, 637, 638, गाँव-छजारसी, कुलीचनगर, परगना-डासना, हापुड़-उ0प्र0 में इंस्टीट्यूशनल सम्पत्ति। प्लॉट का क्षेत्रफल माप- 1038 वर्ग मीटर खाता नम्बर 274, खसरा नम्बर 615, 619, 621 तथा 635 (156, 156/2 के स्थान पर) गाँव-छजारसी, कुलीचनगर, परगना- डासना, हापुड़-उ0प्र0 में इंस्टीट्यूशनल सम्पत्ति। प्लॉट का क्षेत्रफल माप- 2740 वर्ग मीटर खाता नम्बर 94, खसरा नम्बर 605, गाँव-छजारसी, कुलीचनगर, परगना-डासना, हापुड़-उ0प्र0 में इंस्टीट्यूशनल सम्पत्ति। प्लॉट का क्षेत्रफल माप- 7240 वर्ग मीटर	भौतिक कब्जा	मैसर्स लॉर्ड कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट	**Rs.682.00 लाख** **Rs.68.00 लाख**	**09.08.2024 सहायक शाखा प्रबंधक श्री ललित मोबाइल: 9896947600**	ज्ञात नहीं

अधिक पूछताछ तथा विवरण के लिए आप श्रीमती नेहा गुप्ता (मुख्य प्रबंधक) मोबाइल: 7352995388, अथवा श्री नितिन यादव (वरिष्ठ प्रबंधक) मोबाइल: 8802852985 अथवा श्री ललित कुमार (सहा0 शाखा प्रबंधक) मोबाइल: 9896947600 से सम्पर्क कर सकते हैं

नियम एवं शर्तें:-

1. नीलामी बिक्री केवल ई-विक्रय पोर्टल के माध्यम से **"ऑनलाईन ई-नीलामी"/बोली** होगी। सम्भावित क्रेताओं के लिए यूआरएल: **https://ebkray.in** और नीलामी वेबसाइट के लिए यूआरएल: **https://www.ebkray.in** - **नीलामी 14.08.2024 को 01:00 बजे अप. से 05:00 बजे अप.** के बीच प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित उपर्युक्त सम्पत्ति के सम्मुख उल्लिखित समय (भा.मा.स.) के अनुसार होगी।
2. सभी इच्छुक बोलीदाताओं को अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड बनाने के लिए ई-नीलामी पोर्टल पर पंजीकरण कराऐंगे। बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता (**Ebkray**) द्वारा निर्धारित केवाईसी दस्तावेज और पंजीकरण शुल्क प्रदान करके ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। एक बार एमएसटीसी द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, पंजीकरण सभी केवाईसी दस्तावेजों और पंजीकरण शुल्क जमा करने की तारीख से अधिकतम दो कार्य दिवसों की अवधि के भीतर सक्रिय हो जाएगा।
3. इच्छुक बोलीदाताओं को **Ebkray** हेल्पडेस्क: +918291220220 से अग्रिम में ही पोर्टल के साथ पंजीकृत होना होगा और लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा जो ई-बोली लगाने के लिए अनिवार्य है।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने और ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए वेबसाइट: **https://ebkray.in** पर जाएं।
5. संबंधित विवरण के साथ बोलियां निर्धारित प्रारुप में केवल ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी।
6. उपरोक्त संपत्ति के लिए जमा धरोहर राशि (ईएमडी) पोर्टल पर पंजीकरण के बाद केवल सेवा प्रदाता (**Ebkray**) के वॉलेट में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा फंड ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाएगी।
7. ऑनलाइन जमा किये गये संलग्नक (यूटीआर सं. का उल्लेख करते हुए) सहित संविदा प्रपत्र की एक प्रति सम्बद्ध शाखा के अधिकृत प्राधिकारी /शाखा प्रबंधक, यूको बैंक, सम्बन्धित शाखाओं के पास प्रस्तुत करनी है अथवा ई-मेल द्वारा इसकी सॉफ्ट प्रति ई-मेल: **zonewdelhi.rec@ucobank.co.in** पर भेजनी है।
8. बोली मूल्य न्यूनतम आरक्षित मूल्य (एमआरपी) के बराबर/अथवा अधिक होगा किन्तु **रू.1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र)** के गुणांक में होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि प्रथम ऑनलाइन संविदा (एच1) जो ऑनलाइन फॉरवर्ड नीलामी के दौरान सिस्टम में आती है उसमें संविदाएं जमा करने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त उच्चतम संविदाओं से उच्चतर बढ़ोत्तरी की जा सकती है अर्थात् प्रारम्भिक मूल्य से एक बढ़ोत्तरी अथवा बढ़ोत्तरी के गुणक द्वारा प्रारम्भिक मूल्य से उच्चतर। नीलामी के दौरान, एच1 दर से अधिक बोली लगाने के लिए आने वाली अगली बोली एच1 दर से एक वृद्धि मूल्य या कई वृद्धि मूल्यों से अधिक होनी चाहिए।
9. सफल संविदाकारों को विक्रय के उसी दिन उपर्युक्त क्लॉज 7 में उल्लिखित माध्यम से ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया के बन्द होने के तुरन्त बाद संविदा राशि (पहले से प्रदत्त धरोहर राशि सहित) का 25 प्रतिशत जमा करना होगा। क्रय मूल्य का शेष 75 प्रतिशत अधोहस्ताक्षरी द्वारा सफल संविदाकार को स्वीकृति/पुष्टि के 15 दिनों के भीतर अदा करना होगा।
10. यदि सफल संविदाकार उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार संविदा राशि जमा करने में असफल हो जाता है तो संविदाकार द्वारा जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. असफल संविदाकार(रों) की ज.ध.रा. ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया के बन्द होने पर लौटा दी जायेगी।
12. विक्रय बैंक की पुष्टि का विषय है। यदि कर्जदार/जमानती विक्रय से पूर्व सम्पूर्ण राशि बैंक को अदा कर देता है तो कोई विक्रय संचालित नहीं होगा।
13. सम्पत्ति की बिक्री "जहाँ है जैसे है तथा जो है यही है" आधार पर की जायेगी और इच्छुक संविदाकार को बैंक के प्रभारों के अतिरिक्त किसी प्राधिकरण की सम्पत्ति के सम्बन्ध में ठोस पूछताछ कर लेनी चाहिए और अपनी संविदा प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति के स्वामित्व, गुणवत्ता तथा मात्रा के विषय में स्वयं को सन्तुष्ट कर लेना चाहिए। ऑनलाइन संविदा जमा करने के पश्चात् विक्रय हेतु रखी सम्पत्ति, प्रभारों, किसी अन्य मामले में सम्पत्ति पर ऋणभारों आदि किसी भी प्रकृति के सम्बन्ध में किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा बिना कोई कारण बताए किसी संविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने, विक्रय को स्थगित/विलम्बित/निरस्त करने /किसी नियम तथा शर्तों को परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार एवं विशेषाधिकार है।
15. क्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र पंजीकरण प्रभार, सरकार को देय समस्त विधिक बकाये, कर एवं दरें तथा सम्पत्ति से सम्बद्ध वर्तमान तथा भावी व्यय सहित स्टैम्प शुल्क, प्रभार आदि वहन करने होंगे। विक्रय प्रमाणपत्र सफल संविदाकार के नाम से ही निर्गत किया जायेगा।
16. यह विक्रय सरफेसी अधिनियम / नियम 2002 में निर्धारित शर्तों तथा उपर्युक्त शर्तों के अध्ययीन है।

यह प्रकाशन सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत उपर्युक्त कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं के लिए 15 दिवसीय विक्रय सूचना भी है

दिनांक: 22.07.2024 | अधिकृत प्राधिकारी,
स्थान: नई दिल्ली | यूको बैंक, अंचल कार्यालय, वसूली विभाग, नई दिल्ली

खबर कोना

पेरिस ओलंपिक : 49 भारतीय एथलीट खेल गांव पहुंचें

पेरिस, 22 जुलाई (भाषा)।

पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए तीरंदाजी, टेबल टेनिस (टेटे) और हाकी टीमों सहित कुल 49 भारतीय खिलाड़ी 26 जुलाई से शुरू होने वाले खेलों के लिए यहां खेल गांव में पहुंच चुके हैं। टेबल टेनिस टीम और 19 सदस्यीय भारतीय पुरुष हाकी टीम सहित 39 खिलाड़ी फ्रांस की राजधानी पहुंचे तो वहीं दस निशानेबाज चेटेउरौक्स पहुंच चुके हैं। तीरंदाजी टीम के सभी छह सदस्य, दो टेनिस खिलाड़ी, एक बैडमिंटन, एक नौकायन खिलाड़ी और दो तैराक भी पेरिस पहुंच चुके हैं।

फ्रांस : टूर डी फ्रांस के विजेता स्लोवेनिया ताडेज पोगाकर साइकल रेस के 21वें चरण की फिनिश लाइन को पार करने के बाद जश्न मनाते हुए।

विश्व कप के आयोजन की समीक्षा को तीन सदस्यीय समिति गठित

कोलंबो, 22 जुलाई (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइसीसी) ने पिछले महीने अमेरिका और वेस्ट इंडीज की सह मेजबानी में हुए टी20 विश्व कप के आयोजन की समीक्षा के लिए सोमवार को तीन सदस्यीय समिति गठित की। समिति में न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रोजर ट्वोज और आइसीसी के अन्य दो निदेशक लासन नायडू तथा इमरान ख्वाजा को जगह मिली है। आइसीसी की विज्ञप्ति के अनुसार, आइसीसी बोर्ड पुष्टि करता है कि आइसीसी टी20 विश्व कप के आयोजन की समीक्षा होगी। तीन निदेशक रोजर ट्वोज, लासन नायडू और इमरान ख्वाजा के मार्गदर्शन में यह होगा और ये इसी साल बोर्ड को अपनी रपट सौंपेंगे।

चुनावों के बाद ओसीए के पहले भारतीय प्रमुख बनेंगे रणधीर

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) के पहले भारतीय प्रमुख बनने की राह पर हैं क्योंकि आठ सितंबर को होने वाले चुनाव में वह शीर्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार बचे हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) के पूर्व सदस्य और भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) के पूर्व महासचिव 77 साल के रणधीर अभी महाद्वीप की शीर्ष ओलंपिक संस्था के कार्यवाहक प्रमुख हैं।

अटापट्टू का शतक, श्रीलंका ने मलेशिया को 144 रन से हराया

दाम्बुला, 22 जुलाई (भाषा)।

कप्तान चामरी अटापट्टू के नाबाद शतक के बाद शशिनी गिमहानी के फिरकी के जादू से श्रीलंका ने महिला एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के ग्रुप बी मैच में मलेशिया को 144 रन से रौंदकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। श्रीलंका ने कप्तान चामरी की 69 गेंद में 14 चौकों और सात छक्कों से करिअर की सर्वश्रेष्ठ नाबाद 119 रन की पारी की मदद से चार विकेट पर 184 रन बनाए।

कोहली और मेरा रिश्ता जनता को दिखाने के लिए नहीं : गौतम गंभीर

मुख्य कोच ने कहा, मैदान के बाहर विराट के साथ मेरे रिश्ते मजबूत

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने अपने और विराट कोहली के रिश्ते के बारे में खुलकर कहा कि कोहली के साथ मेरा किसी तरह का रिश्ता टीआरपी के लिए नहीं है। यह दो परिपक्व लोगों के बीच रिश्ता है। फिलहाल, हम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गंभीर ने आगे यह भी कहा कि मैदान के बाहर उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन, यह जनता को दिखाने के लिए नहीं है। यह महत्त्वपूर्ण नहीं है कि मैंने खेल के दौरान या उसके बाद उनके साथ कितनी बातचीत की है।

मुंबई में सोमवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने आगे कहा कि कोहली एक संपूर्ण पेशेवर, विश्व स्तरीय एथलीट हैं और उम्मीद है कि वह इसी तरह आगे भी जारी रहेंगे। हम एक ही पृष्ठ पर हैं और भारत को गौरवान्वित महसूस कराने की कोशिश करेंगे।

इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) 2023 के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच मैदान पर जो कुछ भी हुआ, उसने क्रिकेट की दुनिया को चौंका कर रख दिया था। तब गंभीर लखनऊ सुपर जाइंट्स (एलएसजी) के मेंटर थे और कोहली रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से खेल रहे थे। दोनों आरसीबी बनाम एलएसजी मैच के बाद मैदान पर ही भिड़ गए थे। दोनों की लड़ाई ऐसे हुई थी की बाकी खिलाड़ियों को बीच बचाव के लिए आना पड़ा था। इसके बाद 2024 में गंभीर ने टीम बदली और वह केकेआर के मेंटर बन गए। इसके बाद केकेआर बनाम आरसीबी मैच के दौरान गंभीर को कोहली के साथ गले मिलते और हंस-हंसकर बात करते देखा गया। तब लगा कि सबकुछ ठीक हो चुका है। अब गंभीर ने खुद विराट के साथ अपने रिश्ते का खुलासा किया है।

गंभीर ने कहा कि सहयोगी स्टाफ के बारे में विस्तार से श्रीलंका दौरे के बाद पता चलेगा। उन्होंने कहा कि मैं बीसीसीआइ से बहुत खुश हूं। उन्होंने मुझे अधिकांश चीजे दी जो मैंने मांगी थी।

श्रीलंका दौरे के बाद सहयोगी स्टाफ के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। अभी अभिषेक और रियान सहायक कोच हैं और टी दिलीप फील्डिंग कोच रहेंगे। साईराज बहुतुले श्रीलंका दौरे के लिए अंतरिम गेंदबाजी कोच हैं।

क्रिकेट

गंभीर ने कहा, कोहली एक संपूर्ण पेशेवर, विश्व स्तरीय एथलीट हैं और उम्मीद है कि आगे भी उनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। हम मिलकर भारत को गौरवान्वित महसूस कराने की कोशिश करेंगे।

उन्होंने कहा, सहयोगी स्टाफ के बारे में विस्तार से श्रीलंका दौरे के बाद पता चलेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के फैसले से मैं बहुत खुश हूं।

विराट कोहली और रोहित शर्मा अधिकांश मैच खेलें : गंभीर

मुंबई, 22 जुलाई (भाषा)।

भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा कि वह चाहते हैं कि टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से विदा ले चुके रोहित शर्मा और विराट कोहली अधिकांश एकदिवसीय और टैस्ट मैच खेलें। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2027 एकदिवसीय विश्व कप खेलने के लिए वे अपनी फिटनेस बनाए रखेंगे।

भारतीय टीम का मुख्य कोच बनने के बाद पहली बार मीडिया से सोमवार को रूबरू हुए गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के कार्यभार प्रबंधन की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी का कार्यभार प्रबंधन अहम है। लेकिन एक बल्लेबाज के लिए लगातार खेलते रहना जरूरी है। बुमराह के बारे में गंभीर ने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि अधिकांश महत्त्वपूर्ण मैचों के लिए वह तरोताजा रहे। इसीलिए कार्यभार प्रबंधन है। सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही नहीं बल्कि अधिकांश तेज गेंदबाजों के लिए यह बहुत जरूरी है।

भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने यह भी कहा कि 2027 एकदिवसीय विश्व कप को देखते हुए वह चाहते हैं कि रोहित और कोहली अपनी फिटनेस पर फोकस रखें।

भारत के पूर्व क्रिकेटर अजीत अगरकर ने कहा

हरफनमौला हार्दिक पंड्या के लिए फिटनेस बनाए रखना चुनौतीपूर्ण

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने हरफनमौला हार्दिक पंड्या को लेकर खुलासा किया कि पंड्या अब भी हमारे लिए सबसे महत्त्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक हैं। जो कौशल उनके पास है उन्हें ढूंढ़ना बेहद मुश्किल है। लेकिन उनके लिए फिटनेस कई बार चुनौतीपूर्ण रहा है। हमारे पास अगले टी20 विश्व कप से पहले काफी समय है।

मुंबई में सोमवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान अगरकर ने आगे कहा कि सूर्यकुमार के पास क्रिकेट के लिहाज से अच्छा दिमाग है और वह टी20 में दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया कि जब कप्तान चुनने की बात चल रही थी तब हमारे पास यह विषय था कि हम टीम का दारोमदार किसे सौंपे। हम ऐसे कप्तान को चुनना चाहते थे जो भारतीय टीम के लिए आने वाले वक्त में लगभग सभी मैच खेले। अगरकर ने आगे कहा कि कप्तान बदलने का काल लेते वक्त हार्दिक और सूर्यकुमार समेत सभी खिलाड़ियों से बात की गई थी। यानी की हार्दिक को इस बात का अंदाजा पहले ही लग चुका था कि अभी टीम की कप्तानी हमें नहीं मिलेगी।

टी20 विश्व कप 2024 में उपकप्तान रहे हार्दिक पंड्या को भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम का कप्तान माना जा रहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने सूर्यकुमार यादव को टी20 का नया कप्तान घोषित कर दिया था। हालांकि इस बीच इस फैसले की आलोचना भी हुई, जिसमें यादव को सोशल मीडिया के साथ-साथ पूर्व क्रिकेटरों ने भी टीम के लिए सही नहीं बताया था।

अगरकर ने कहा, फिटनेस एक स्पष्ट चुनौती थी और हम ऐसा खिलाड़ी चाहते थे, जिसके अधिक समय उपलब्ध रहने की संभावना हो। सूर्यकुमार की टी20 बल्लेबाजी को लेकर कभी चिंता नहीं रही है। कप्तानी का फैसला बहुत सोच-समझकर लिया गया था, यह कोई एक रात वाला लिया गया फैसला नहीं था। जब टीम में आपकी जगह खतरे में हो तो कोई खिलाड़ी टीम में अपनी जगह को लेकर सहज महसूस नहीं करता। कप्तानी को लेकर फैसला काफी सोच विचारकर लिया गया है। इसको लेकर काफी विचार लिए गए, ड्रेसिंग रूम से पूछा गया और मुझे लगता है कि सूर्यकुमार इन सभी में खरे उतरे।

श्रीलंका के खिलाफ टी20 शृंखला 27 जुलाई से शुरू होगी। उसके बाद 28 और 30 जुलाई को दो अन्य टी20 मैच होंगे। सभी मैच पाल्लेकल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। यादव तीन मैचों में 15 सदस्यीय टी20 टीम की अगुआई करेंगे।

क्रिकेट

अजीत अगरकर।

हार्दिक पंड्या।

अगरकर ने कहा, कप्तान बदलने का काल लेते वक्त सभी खिलाड़ियों से बात की गई थी। हार्दिक को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि उन्हें अभी टीम की कप्तानी नहीं मिलेगी। *श्रीलंका* के खिलाफ टी20 शृंखला 27 जुलाई से शुरू होगी। उसके बाद 28 और 30 जुलाई को दो अन्य टी20 मैच होंगे। सभी मैच पाल्लेकल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होंगे।

निगरानी

फ्रांस के फ्रेंच पोलीनेसिया में ओलंपिक शुरू होने से पहले सोमवार को सुरक्षा पुख्ता करने के लिए सुरक्षाकर्मी नावों में बैठकर गश्त करते हुए।

ओलंपिक मेरा आखिरी अंतरराष्ट्रीय दौरा : श्रीजेश

हाकी इंडिया ने शानदार करिअर और उपलब्धियों के लिए दी बधाई

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 22 जुलाई।

भारतीय पुरुष हाकी टीम के गोलकीपर और कप्तान पीआर श्रीजेश ने सोमवार को संन्यास की घोषणा की। अपने चौथे ओलंपिक में भाग लेने जा रहे श्रीजेश ने बताया कि पेरिस ओलंपिक उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय दौरा होगा। उनकी कप्तानी में भारत ने 2016 रियो ओलंपिक में हिस्सा लिया था और टीम आठवें स्थान पर रही थी। हालांकि, उन्होंने 2020 तोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के साथ ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था।

हाकी इंडिया ने सोमवार को श्रीजेश को उनके शानदार करिअर के लिए बधाई दी। हाकी इंडिया ने राष्ट्रीय टीम के लिए 'विन इट फार श्रीजेश' का अभियान शुरू किया है, जो खिलाड़ियों को फिर से पदक जीतने के लिए प्रेरित करेगा। श्रीजेश भारत के लिए 328 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। इसके अलावा वह कई राष्ट्रमंडल खेल और विश्व कप में भी हिस्सा ले चुके हैं। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत 26 जुलाई से होगी।

हाकी इंडिया के हवाले से श्रीजेश ने कहा कि जैसा कि मैं पेरिस में अपने आखिरी टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा हूं, मैं बहुत गर्व के साथ पीछे मुड़कर अपने करिअर को देखता हूं। उन्होंने कहा, यह यात्रा असाधारण से कम नहीं है और मैं अपने परिवार, टीम के साथियों, कोच, फैंस और हाकी इंडिया के प्यार और समर्थन के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। मेरे टीम के साथी कठिन समय में मेरे साथ खड़े रहे हैं। हम सभी यहां पेरिस में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं और निश्चित रूप से इच्छा हमारे पदक का रंग बदलने की है।

पीआर श्रीजेश।

घोषणा

हाकी इंडिया के अध्यक्ष डा दिलीप तिर्की ने श्रीजेश को उनके शानदार करिअर के लिए बधाई देते हुए कहा कि श्रीजेश मुश्किल से 18 या 19 साल के थे। *मैंने* उन्हें पहली बार शिविर में देखा था और अगर मुझे सही याद है, तो जब मैं कप्तानी कर रहा था तब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हाकी में पदार्पण किया था।

आइओसी 'ओलंपिक आर्डर' से सम्मानित किए जाएंगे बिंद्रा

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) 'ओलंपिक आर्डर' से सम्मानित करेगी। पुरस्कार समारोह ओलंपिक के समापन से एक दिन पहले 10 अगस्त को पेरिस में 142वें आइओसी सत्र के दौरान आयोजित किया जाएगा।

आइओसी अध्यक्ष ने 20 जुलाई को बिंद्रा को संबोधित एक पत्र में लिखा, 'मुझे आपको सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आइओसी कार्यकारी बोर्ड ने ओलंपिक आंदोलन में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको 'ओलंपिक आर्डर' से सम्मानित करने का फैसला किया है।'

'ओलंपिक आर्डर' आइओसी का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो ओलंपिक आंदोलन में विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। इसके लिए नामांकन ओलंपिक आर्डर समिति द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं और कार्यकारी बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाता है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने 'एक्स' पर बिंद्रा को बधाई दी। उन्होंने लिखा, ओलंपिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान के लिए 'ओलंपिक आर्डर से सम्मानित होने पर अभिनव बिंद्रा को बधाई।

घोषणा

इंग्लैंड ने दूसरे टैस्ट में वेस्ट इंडीज को 241 रन से हराया

नाटिंघम, 22 जुलाई (एपी)।

जो रूट (122) और हैरी ब्रुक (109) के शतक के बाद स्पिनर शोएब बशीर के पांच विकेट की मदद से इंग्लैंड ने दूसरे टैस्ट क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज को 241 रन से हरा कर तीन मैच की शृंखला में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल की।

रूट ने अपने करिअर का 32वां, जबकि ब्रुक ने पांचवा शतक लगाया, जिससे इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 425 रन बनाकर वेस्ट इंडीज के सामने 385 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा। वेस्ट इंडीज की टीम इसके जवाब में 148 रन बनाकर आउट हो गई।

बशीर ने 41 रन देकर पांच विकेट लिए। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 416 रन बनाए थे, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज ने 457 रन बनाकर 41 रन की बढ़त हासिल की थी। बशीर ने तीन ओवर के अंदर किर्क मैकेंजी, कावेम हाज और एलिक अथानाज को आउट करके वेस्ट इंडीज को करारे झटके दिए। इसके बाद उन्होंने जेसन होल्डर और आखिरी खिलाड़ी शमर जोसेफ को आउट किया।

वेस्ट इंडीज की तरफ से कप्तान क्रेग ब्रेथवेट ने सर्वाधिक 47 रन बनाए, जबकि होल्डर ने 37 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड की तरफ से बशीर के अलावा क्रिस वोक्स और गस एटकिंसन ने दो दो जबकि मार्क वुड ने एक विकेट लिया।

इंग्लैंड ने पहली पारी में 416 रन बनाए थे। जवाब में वेस्ट इंडीज ने 457 रन बनाकर 41 रन की बढ़त हासिल की थी। *दूसरी* पारी में इंग्लैंड ने 425 रन बनाए और 385 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में वेस्ट इंडीज 148 रन बनाकर आउट हो गई।

तीसरे मुकाबले से पहले महिला टीम ने जीते दो मैच | **एशिया कप** | **सेमीफाइनल में जगह बनाना तय, मैच शाम 7 बजे से**

नेपाल से आज भिड़ेगी भारतीय महिला टीम

दाम्बुला, 22 जुलाई (भाषा)।

भारतीय टीम महिला एशिया कप में ग्रुप ए के मंगलवार को यहां अंतिम मुकाबले में नेपाल के खिलाफ जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेगी।

भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से और दूसरे मैच में संयुक्त अरब अमीरात को 78 रन से हराया था। नेपाल अपने पहले मैच में अमीरात को हराने में सफल रहा था लेकिन दूसरे मैच में उसे पाकिस्तान से नौ विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था।

भारत का सेमीफाइनल में जगह बनाना तय लग रहा है, जबकि पाकिस्तान ने पिछले मैच में बड़ी जीत दर्ज करके अपने रन रेट में काफी सुधार किया है। भारतीय टीम अन्य टीमों की स्थिति पर गौर करने के बजाय अपने विजय अभियान को जारी रखने पर ध्यान देगी। उसने अभी तक टूर्नामेंट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसे वह जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध होगी। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की थी, जबकि अमीरात के खिलाफ कप्तान हरमनप्रीत कौर और रिचा घोष ने अर्धशतक जड़े थे। विस्फोटक बल्लेबाज घोष ने अमीरात के खिलाफ 29 गेंद पर 64 रन बनाए थे, जिससे भारत महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार 200 रन का आंकड़ा छूने में सफल रहा।

हरमनप्रीत ने 47 गेंद पर 66 रन बनाकर सूत्रधार की भूमिका निभाई थी, जहां तक भारतीय गेंदबाजी का सवाल है तो रेणुका सिंह, पूजा वस्त्राकर ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। यहां तक कि पिछले मैच में चोटिल आफ स्पिनर श्रेयंका पाटिल की जगह टीम में शामिल की गई तनुजा कंवर ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और चार ओवर में केवल 14 रन दिए और एक विकेट भी लिया। इंदु बर्मा की अगुआई वाली नेपाल की टीम ने अमीरात के खिलाफ जीत से अच्छी शुरुआत की थी लेकिन पाकिस्तान के सामने उसकी एक नहीं चली।

भारत की महिला टीम ने पहले मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से और दूसरे मैच में संयुक्त अरब अमीरात को 78 रन से हराया था। *नेपाल* पहले मैच में अमीरात को हराने में सफल रहा लेकिन दूसरे मैच में पाकिस्तान से टीम को नौ विकेट से हार मिली।

भारत की महिला टीम : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रिचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), पूजा वस्त्राकर, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, डी हेमलता, आशा शोभना, राधा यादव, तनुजा कंवर, सजना सजीवन।

नेपाल की महिला टीम : इंदु बर्मा (कप्तान), काजोल श्रेष्ठ, रूबीना छेत्री, सबनम राय, सीता राणा मगर, राजमती ऐरी, पूजा महतो, बिंदू रावल, रोमा थापा, ममता चौधरी, कबिता जोशी, कबिता कुंवर, डाली भट्टा, कृतिका मरासिनी, समझाना खड़का।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 41, अंक 248
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com,
बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज*, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com